28वीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

संधारणीय वृद्धि की तरफ़

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम और ओएनजीसी लि. की सहायक कंपनी)

www.mrpl.co.in

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. की सहयोगी कंपनी)

L85110KA1988GOI008959

वेबसाइट : www.mrpl.co.in E-mail: investor@mrpl.co.in

विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
हिस्सेदारों को अध्यक्ष का संदेश	2
मंडल की रिपोर्ट	7
C & AG की टिप्पणियां	30
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	31
निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	36
वार्षिक व्यापार की जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट(ABRR).....	50
लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	58
तुलन-पत्र	64
लाभ-हानि विवरण	65
नकदी प्रवाह विवरण	66
स्वतंत्र वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ	67
लेखा परीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	93
समेकित तुलन-पत्र	100
समेकित लाभ-हानि विवरण	101
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	102
समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां	103
गत निष्पादन	132

कंपनी सचिव

श्री दिनेश मिश्रा

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार, मंगलूरु

मेसर्स श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्,
सनदी लेखाकार, चेन्नई

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं,

लागत लेखाकार, कोलकाता

साचिविक लेखा परीक्षक

मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स,

कंपनी सचिव, मंगलूरु

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स के वर्गीस एण्ड कं, सनदी लेखाकार,

एर्नाकुलम.

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नैशनल बैंक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
कार्पोरेशन बैंक, सिटी बैंक एन.ए.

सॉलिसिटर और अधिवक्ता

मेसर्स मुल्ला एण्ड मुल्ला एण्ड क्रेज ब्लंट एण्ड कैरो, सॉलिसिटर्स

पंजीकृत कार्यालय और निवेशकर्ता संबंध कक्ष

मुडपदव, कुत्तेतूर, डाक घर, मार्ग काटिपल्ला
मंगलूर-575030, कर्नाटक
टेलीफोन: 0824-2270400 फैक्स: 0824-2273300

निवेशकर्ता संबंध कक्ष :

दिल्ली :

एलजीएफ, मर्केंटाइल हाउस
15 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001
टेलीफोन : 011-23463100 फैक्स: 011-23463201

मुंबई :

मेकर टवर्स, 'E' विंग, 15वीं मंजिल,
कफ परेड, मुंबई - 400005
टेलीफोन : 022-22173000 फैक्स: 022-22173233

बेंगलूरु :

प्लॉट A-1, KSSIDC A.O. भवन के सामने, इंडस्ट्रियल एस्टेट
राजाजीनगर, बेंगलूरु – 560010 (कर्नाटक)
टेलीफोन : 080-22642200 फैक्स: 080-23505501

रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि
सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड
एल.बी.एस. मार्ग, भंडूप (पश्चिम), मुंबई- 400078
टेलीफोन: 022-25963838 / 25946970
फैक्स: 022-5946969
ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in

निदेशक मंडल

श्री डी.के. सर्राफ़
अध्यक्ष

श्री एच. कुमार
प्रबंध निदेशक

श्री एम. वेंकटेश
निदेशक (रिफाइनरी)

श्री ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)

श्री बी.के. नामदेव
निदेशक (HPCLके नामिती)

1

श्रीमती पेरिन देवी
सरकारी निदेशक

श्री दिवाकर नाथ मिश्रा
सरकारी निदेशक

हिस्सेदारों को अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हिस्सेदार,

हमारे सम्मान्य हिस्सेदारों के साथ अपने विचार बांटने और वर्ष 2015-16 की 28वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है.

आप जानते हैं कि वैश्विक तेल और गैस उद्योग, पिछले कुछ दशकों में नज़र आई सर्वाधिक गिरावटों में से एक का सामना कर रहा है. वैश्विक स्तर पर तेल और प्राकृतिक गैस की अतिशय आपूर्ति और उच्चतर उद्योग ऋण स्तर के चलते गिरती रहीं पण्य कीमतों के कारण धीरे-धीरे लाभ घटने से उद्योग का राजस्व गिर गया है. क्रूड और पण्य कीमतों में 2014-15 में तेज रफ्तार से धराशाई होने की प्रवृत्ति 2015-16 में भी जारी रही जिसका ऊर्जा की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा. प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से, भारत, अपनी सुधार प्रक्रिया, वस्तु एवं सेवा क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन और व्यापक आर्थिक स्थिरता के बलबूते पर 2015-16 में 7.6% की स्वस्थ दर से अपनी आर्थिक वृद्धि के चलते पहले की भांति एक सितारे की तरह चमकता रहा.

वैश्विक बाजार में अस्थिरता के बावजूद, हम, अपने व्यवसाय में जोखिम को संभालने और अपने हिस्सेदारों के हितों की हिफ़ाजत करने के प्रति प्रतिबद्ध रहे. हमारा निरंतर लक्ष्य रहा है, परिष्करण और विपणन गतिविधियों में प्रचालन दक्षता को सुधारना और परिष्करण एवं पेट्रोकेमिकल व्यवसाय में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए नए-नए उपाय और पहल करना.

मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने, सकारात्मक वित्तीय एवं प्रचालन निष्पादन हासिल किया है. वर्ष 2015-16 के दौरान, एमआरपीएल ने 103.5% की क्षमता का उपयोग करते हुए 15.53 MMT कच्चा तेल का प्रसंस्करण किया.

एमआरपीएल ने, 2015-16 के दौरान ₹50,864 करोड़ का कुल कारोबार किया और वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों की हानि का मुजरा करने के बाद ₹1148.16 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया.

बाजार में बढ़ती रही प्रतिस्पर्धा के बीच, हम, कर्नाटक, केरल और कुछ दूसरे राज्यों में भी पेट्रोलियम उत्पादों के प्रत्यक्ष बिक्री खंड में अपने पांव पसारते हुए लगातार अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं. एमआरपीएल, अपने रिफाइनरी ज़ोन में बिटुमिन, ईंधन तेल, गंधक, डीज़ल, पेट्रकोक और मिश्रित ज़ाइलीन जैसे उत्पादों के लिए उल्लेखनीय बाजार अंश हासिल करता रहा है और अपने प्रत्यक्ष ग्राहकों की संख्या बढ़ाता रहा है.

आपकी कंपनी के अंतर्निहित बुनियादी मूल्य, एक नैतिक और भरोसेमंद साथी होने के नाते उसके ढांचे में समाए हुए हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण और परिवहन क्षेत्र में बढ़ती रही मांग के चलते हमने अपना खुदरा व्यवसाय मजबूत बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं. हमें, निकट भविष्य में बड़ी संख्या में खुदरा केंद्र स्थापित करने की आशा है.

पेट्रोकेमिकल व्यवसाय में, हर एक कण के लिए अधिकतम मूल्य हासिल करने की दृष्टि से एमआरपीएल का पॉलीप्रॉपीलीन संयंत्र जून 2015 में चालू किया गया जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के लिए समर्पित किया. कंपनी, दक्षिण अंचल में पॉलीप्रॉपीलीन बाजार में अपनी पॉलीप्रॉपीलीन आपूर्तियों में उत्कृष्ट बिक्री निष्पादन दर्शाते हुए अपने आपको एक प्रबल खिलाड़ी के रूप में सिद्ध करने में कामयाब हुई.

भारत में, उपभोग के बलबूते पर सुदृढ आर्थिक वृद्धि नजर आई और अर्थव्यवस्था के विस्तार के अनुरूप, ऊर्जा की देशी मांग में भी इज़ाफ़ा होने की उम्मीद की जा रही है. एमआरपीएल ने ऐसी वृद्धिपरक प्रवृत्तियों के साथ अपने आपको संरेखित किया है और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरु करने पर विचार किया है जिससे कि संभार का मूल्य वर्धन हो और लाभप्रदता में सुधार हो. विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे, बोर्ड की रिपोर्ट में पेश किए गए है. आपको यह जाहिर करने में मुझे प्रसन्नता है कि कर्नाटक सरकार ने आपके कंपनी की आने वाली परियोजनाओं के लिए मौजूदा रिफाइनरी के बगल में 1050 एकड़ की भूमि आबंटित की है.

एमआरपीएल, समग्र मात्रा में भारत-IV ग्रेड के डीज़ल और पेट्रोल की, देशी बाजार में आपूर्ति करता रहा है. ईंधन की गुणवत्ता सुधारने से हम पर्यावरण में सुधार कर सकेंगे और प्रदूषण कम कर सकेंगे. आपकी कंपनी ने, सरकार के निदेशों के अनुरूप, 2020 तक

BS VI ग्रेड के ईंधन का उत्पादन करने की दृष्टि से उन्नयन परियोजनाओं को लागू करने के लिए योजनाएं बनाई हैं.

एमआरपीएल ने ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL) के अधिकतर शेयर खरीदे थे और एमआरपीएल के साथ ओएमपीएल का संपूर्ण विलयन करने की प्रक्रिया चल रही है. आपकी कंपनी की सहयोगी कंपनी, ओएमपीएल ने वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹4188.87 करोड़ का कारोबार किया. आपकी कंपनी के साथ ओएमपीएल के विलयन से, विश्व दर्जे का एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा.

आपकी कंपनी ने अपने आपको, एक बहुमूल्य एवं जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में सिद्ध कर दिखाया है और आपकी कंपनी, अपने विभिन्न निगमित सामाजिक दायित्व / संधारणीय विकास संबंधी पहल के जरिए समाज और समुदाय की समावेशी वृद्धि के लिए पहले की भांति प्रतिबद्ध है. हम, भूख और कुपोषण मिटाने, शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने, सेहत का ख्याल रखने, निराश्रितों की देखभाल करने, पर्यावरण की संधारणीयता, विपत्ति में सहायता करने के लिए बनाई गईं योजनाओं और ग्रामीण विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं.

भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य में एमआरपीएल ने 31 सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में ₹1.85 करोड़ की लागत पर 54 शौचालयों का निर्माण करने का काम हाथ में लिया है. एमआरपीएल ने रामकृष्ण मठ, मंगलूरु के साथ मिलकर ₹14 लाख की वित्तीय सहायता के साथ 40 सप्ताह तक चली उनकी " स्वच्छ मंगलूरु " अभियान परियोजना में भाग लिया. एमआरपीएल ने कर्मचारियों, आश्रितों और एमआरपीएल डीपीएस छात्रों के साथ मिलकर रिफाइनरी के इर्द-गिर्द कई बार सफाई गतिविधि चलाईं.

प्रबंधन के हर एक स्तर पर संरक्षा पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है और आपकी कंपनी में आज भी इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है. एमआरपीएल, अपने कर्मचारियों और ठेकेदारों को सुरक्षित कार्य स्थान मुहैया कराने में हमेशा प्रतिबद्ध रहा है ताकि रिफाइनरी की परिधि में बसे समुदाय की हिफ़ाजत की जा सके और पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके.

हरित एवं कम कार्बन युक्त वृद्धि पर उचित बल देने के साथ-साथ ऊर्जा की बचत करने, उत्सर्जन घटाने, साफ़ ऊर्जा विकास संबंधी परियोजनाएं चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता रहा है. कंपनी, अपने वैकल्पिक ऊर्जा अभियान के अंग के तौर पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करना चाहती है जिससे उसकी पुन:उपयोग करने लायक ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धताओं की पूर्ति करने में भी मदद मिलेगी.

हम, संधारणीय विकास के लिए संभावित हाइड्रोकार्बन मूल्य चेन में इष्टतम मार्ग का बेहतर ढंग से उपयोग करने की स्थिति में है. हम, निम्न मूल्य के हाइड्रोकार्बन जैसे पेट्रू-कोक, रिफाइनरी बहिर्गैस और आंतरिक ईंधन तेल से मूल्य निर्मित करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं. इन संभावनाओं का लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है.

आपकी कंपनी की यह मान्यता है कि हिस्सेदारों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सबसे अधिक बहुमूल्य संसाधन है, मानव संसाधन. एमआरपीएल भाग्यशाली है कि उसे एक समर्पित टीम मिली है जो अपने काम को लेकर बहुत जज़्बाती है और कंपनी, यह सुनिश्चित करती है कि उनको काम करने का अच्छा माहौल देने के साथ-साथ कर्मचारी के कल्याण एवं कर्मचारी के साथ हार्दिक संबंध बहाल करने की तरफ पहल करते हुए उनका पहले की भांति पालन-पोषण किया जाता है. वर्ष के दौरान 100 मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों को प्रशिक्षित करने की खातिर आईआईएम उदयपुर के साथ मिलकर " परियोजना उत्तिष्ट " नामक एक उन्नत रणनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम (एएसएलपी) चलाया गया.

मुझे पक्का विश्वास है कि आगे चलकर एमआरपीएल, अपने हिस्सेदारों की मदद से चुनौतियों का सामना कर सकेगा, हिस्सेदारों, समाज और हमारे देश के लिए संधारित मूल्य निर्मित करने की दृष्टि से अधिक ताकत के साथ आगे बढ़ेगा.

मैं, निदेशक मंडल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, कर्नाटक सरकार को, उनके सतत मार्गदर्शन के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ. मैं, अपने तमाम कर्मचारियों और हिस्सेदारों का भी, जिनका समर्थन, सहयोग, विश्वास और भरोसा लगातार मिलता रहा है, शुक्रगुज़ार हूँ.

(डी.के. सर्राफ़)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03/08/2016

रिफाइनरी का एक दृश्य

महामहिम, भारत के राष्ट्रपति से " निर्यात श्री " पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक (एमआरपीएल).

विश्व पर्यावरण दिवस - हरित पट्टी का निर्माण – वृक्षारोपण करती हुई टीम एमआरपीएल.

स्थानीय पंचायत नेताओं की उपस्थिति में वृक्षारोपण समारोह.

लेडी गोशेन अस्पताल, मंगलूर - एमआरपीएल के" आरोग्य संरक्षण " के तहत 5 मंज़िला ब्लॉक, नि.सा.उ. पहल का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में असाधारण निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार (टॉलिक) पाते हुए टीम एमआरपीएल

एमआरपीएल की सीएसआर पहल " स्वच्छ विद्यालय अभियान " के तहत स्कूलों में शौचालय का निर्माण.

मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की तरफ से, मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के वैशिष्ट्य, कामकाज और कार्यकलापों को आपके साथ बांटने और उनकी रिपोर्ट पेश करने एवं मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के व्यवसाय एवं प्रचालन के बारे में तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) की लेखों पर टिप्पणियों समेत उसके लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर 28वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में मुझे खुशी हो रही है. आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान चरण-III रिफाइनरी विस्तार परियोजना के अंतर्गत तमाम यूनिटें चालू कीं और अब तक का सर्वाधिक 15.53 MMT का थ्रूपुट हासिल किया.

वित्तीय निष्पादन

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के स्वतंत्र / समेकित वित्तीय निष्पादन के वैशिष्ट्य का सारांश यहां नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ों में)

	स्वतंत्र		समेकित	
	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष
कुल कारोबार (कुल)	50864	62412	50983	62341
ब्याज उपरांत परंतु मूल्यह्रास और परिशोधन पूर्व अर्जन (EBIDTA)	2464	(1250)	2386	(1325)
कर पूर्व लाभ/(हानि)	1174	(2156)	306	(2295)
कर, अल्प हिताधिकार ब्याज और सहयोगी कंपनियों का लाभ/(हानि) बांटने के बाद लाभ(हानि)	1148	(1712)	710	(1803)

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल मिलाकर ₹ 50864 करोड़ का कारोबार किया जब कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹62412 करोड़ का कुल कारोबार किया था. बिक्री में अवनति, ख़ासकर घटती रही क्रूड की कीमत से जुड़ी उत्पाद की कीमतों में गिरावट और साथ ही देशी छोर पर अधिक खरीदारी के कारण हुई. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान उठाई गई ₹(1712) करोड़ की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹1148 करोड़ का कर उपरांत लाभ अर्जित किया. कुल परिष्करण मार्जिन (GRM), वित्तीय वर्ष 2014-15 के (0.64) $/bbl के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2015-16 दौरान 5.20$/bbl रहा. आपकी कंपनी ने वित्व 2015-16 के दौरान अपनी सर्वाधिक कार्पोरेट रेटिंग "[CCR AAA]" हासिल की जिसकी CRISIL ने पुष्टि की जब कि ICRA ने IrAAA दर्जा देने की पुष्टि की है.

परिचालनगत निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2015-16, आपकी कंपनी के लिए बेहद कामयाब वर्ष साबित हुआ. कंपनी की रिफाइनरी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के 14.63 MMT की तुलना में वर्ष के दौरान 15.53 MMT का क्रूड प्रोसेस किया जिसके बलबूते पर 103.5% की औसत उपयोगिता दर हासिल की गई. वर्ष के दौरान, कंपनी ने, एमबीपीएल पाइपलाइन में एलपीजी, डीज़ल, कोक और थ्रूपुट में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन और प्रेषण किया.

कंपनी ने, 2014-15 के 820 TMT के मुकाबले 1470 TMT की प्रत्यक्ष बिक्री और 2014-15 के 2.53 TMT की तुलना में 4.8 TMT की खुदरा बिक्री हासिल की.

विपणन और कारोबार विकास

आपकी कंपनी, 9 महीने की अल्प अवधि में कुल मिलाकर 139 TMT की बिक्री और ₹1039 करोड़ के बिक्री मूल्य के साथ पॉलीप्रॉपीलीन बाजार में सफलता से घुस पाई. कंपनी, प्रति वर्ष 440 TMT पॉलीप्रॉपीलीन बेचने की दृष्टि से अपने बाजार के दायरे बढ़ाने की प्रक्रिया में है. इसके अलावा, आपकी कंपनी, पॉलीप्रॉपीलीन के लिए अपनी खुद की संग्रहण सुविधाएँ भी स्थापित करने जा रही है. अधिक फायदेमंद पॉलीप्रॉपीलीन की प्रभावन क्षमता का उपयोग करने और एमआरपीएल को एक आला दर्जे के बाजार खिलाड़ी के रूप में दर्जा दिलाने के लिए, ग्राहकों को नामांकित करने के साथ-साथ विभिन्न ग्रेड के पॉलीप्रॉपीलीन का व्यापक कीमत निर्धारण किया जा रहा है. भारत के दक्षिण एवं पश्चिम भाग में अधिक मांग की पूर्ति करने में हमारा साथ देने की खातिर आश्वासी एजेंट-सह-परेषण स्टॉकिस्ट को नियुक्त किया गया है.

आपकी कंपनी ने, पेट्र कोक के समग्र उत्पादन को लगातार बेचने में भी कामयाबी हासिल की है. कंपनी, देशी एवं निर्यात बाजार में अतिरिक्त मात्रा में गंधक बेचने में समर्थ रही. कंपनी ने बड़े औद्योगिक घरानों के साथ सुलह करते हुए पेट्र कोक और गंधक को थोक में बेचने में ख़ास उपलब्धि हासिल की जिसके चलते डीलेड कोकर यूनिट को इससे पहले 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर चलाने में मदद मिली है. इससे विशिष्ट बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और रिफाइनरी मार्जिन में सुधार हुआ है.

आपकी कंपनी, कर्नाटक और उसके आस-पास के राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के प्रत्यक्ष बिक्री खंड में अपने बाजार का दायरा बढ़ाती रही और कंपनी ने अपने रिफाइनरी ज़ोन में बिटुमिन, ईंधन तेल, गंधक, डीज़ल, नैफ़्ता, पेट्र कोक और मिश्रित ज़ाइलीन जैसे उत्पादों के लिए उल्लेखनीय बाजार अंश और प्रत्यक्ष ग्राहक संबंध बरकरार रखा.

आपकी कंपनी ने एमआरपीएल के साथ लंबे समय से आपूर्ति ठेके से जुड़े रहे स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मॉरिशस को वक्त पर आपूर्ति भी बरकरार रखी. कंपनी ने एसटीसी मॉरिशस को विव 2015-16 के दौरान ₹2774 करोड़ के बिक्री मूल्य के 1067 TMT पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की जब कि विव 2014-15 के दौरान ₹4394 करोड़ के बिक्री मूल्य के 1084 TMT पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की गई थी.

HSD कीमत निर्धारण का विनियमन होने के बाद, आपकी कंपनी ने कर्नाटक और केरल राज्यों में खुदरा केंद्रों के लिए डीलरों की नियुक्ति करने के विज्ञापन प्रसारित करते हुए अपने खुदरा विस्तार योजना की शुरुआत की. कंपनी की उम्मीद है कि विव 2016-17 के दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में खुदरा केंद्र चालू किए जाएंगे.

मान्यताएँ

वर्ष के दौरान, कंपनी को नीचे उल्लिखित पुरस्कारों और मान्यताओं से नवाज़ा गया :

- फेडरेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन (FIEO) ने गैर MSME श्रेणी के लिए अवशिष्ट क्षेत्र में ' निर्यात श्री ' स्वर्ण ट्रोफी प्रदान की. एमआरपीएल के प्रबंध निदेशक ने, 04 मई, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से यह पुरस्कार प्राप्त किया.

- फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री से निर्यात में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए (मध्यम/बड़ी श्रेणी) " निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार, 2015 ".
- ' अब तक का सर्वाधिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क दाता और वृद्धिशील तरक्की ' को मान्यता देते हुए एक प्रमाणपत्र दिया गया.
- टॉलिक, मंगलूर द्वारा लगातार पांचवें वर्ष, वर्ष 2015-16 के लिए हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने की ख़ातिर प्रथम पुरस्कार.

परियोजनाएं

चरण-III की प्रमुख यूनिटें जैसे डीलेड कोकर यूनिट, पेट्रोकेमिकल श्रेणी की तरलीकृत उत्प्रेरकी भंजन यूनिट (PFCCU), डीज़ल जलोपचारक यूनिट और नवीनतम पॉलीप्रॉपीलीन यूनिट, सफलता से चालू करने के बाद एमआरपीएल ने अपने उत्पादों की श्रेणी में पेट्रू कोक, अल्ट्रा-लो गंधक युक्त डीज़ल और पॉलीप्रॉपीलीन जैसे उत्पाद जोड़ दिए हैं. एमआरपीएल, बाजार का आधार बढ़ाने के लिए वैल्यू पार्टनर्स और संधारणीय वृद्धि के लिए साझेदार बनाने वाला है. एमआरपीएल ने BS VI विनिर्देश की पूर्ति करने की खातिर MS और HSD की गुणवत्ता का दर्जा बढ़ाने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी है जो अप्रैल 2020 से प्रभावी होगी. आगे वृद्धिशील इष्टतमीकरण की दिशा में जैसे संस्फुरण गैस रिकवरी, ऊर्जा इष्टतमीकरण संबंधी गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं.

अ. संपन्न की गईं परियोजनाएं

चरण III रिफाइनरी परियोजना

चरण III रिफाइनरी क्षमता विस्तार और उन्नयन परियोजना की तमाम यूनिटें तथा अगस्त 2014 में चालू की गई अंतिम यूनिट, PFCCU आज पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही हैं. नतीजतन, HSD और पेट्रोल का यूरो 4 ग्रेड में पूर्ण रूप से रूपांतरण करना संभव हुआ है, निम्न मूल्य के काले पेट्रोलियम से प्रॉपीलीन, गैसोलीन जैसे अधिक मूल्य के उत्पादों के साथ आसुत के उत्पादन में वृद्धि हुई है. आपकी कंपनी ने, चरण-III रिफाइनरी परियोजना पर यथा 31.03.2016 कुल मिलाकर करीब ₹13265 करोड़ खर्च किया है.

पॉलीप्रॉपीलीन परियोजना (PP)

440 KTPA की क्षमता वाली पॉलीप्रॉपीलीन यूनिट को (प्रौद्योगिकी के लाइसेंसदाता हैं, मेसर्स लुम्मुस नोवोलीन टेक्नालॉजी GmbH, जर्मनी) को, चरण-III रिफाइनरी परियोजना के साथ एकीकरण करते हुए 17/06/2015 को सफलता से चालू किया गया. वाणिज्यिक उत्पादन शुरु हो चुका है जिसे माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश को समर्पित किया. आपकी कंपनी ने, पॉलीप्रॉपीलीन परियोजना पर यथा 31.03.2016 कुल मिलाकर करीब ₹1611 करोड़ खर्च गया है. यूनिट में उत्पादित विभिन्न ग्रेड के पॉलीप्रॉपीलीन को बाजार में अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है और इसके लिए दक्षिण अंचल में थोड़ी सी अवधि में ही पर्याप्त बाजार अंश हासिल हुआ है.

आ. चलती रहीं परियोजनाएँ

बेहतर संभार, मूल्य वर्धन और लाभप्रदता में सुधार करने की खातिर नीचे उल्लिखित नई परियोजनाएँ हाथ में ली जा रहीं हैं :

(क) रेलवे साइडिंग - पेट्रू कोक और पॉलीप्रॉपीलीन को आसानी से खाली करने के लिए अत्याधुनिक रेलवे साइडिंग.

(ख) मौजूदा CCR-2 यूनिट का पुनर्योजन किया जा रहा है जिससे कि अधिक मात्रा में MS का उत्पादन करने वाले रीफॉर्मेट का अधिक प्रमाण में उत्पादन किया जा सके.

(ग) लदान सुविधाओं का स्थान बदलना और अतिरिक्त टैंक क्षमता - इस परियोजना से आपकी कंपनी को अधिक लचीलापन मिलेगा और अधिक बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

(घ) संस्फुरण गैस रिकवरी तंत्र - इस परियोजना में संस्फुरण में लुप्त हुए गैस को रिकवर करने के बाद उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे लागत में बचत होती है. इससे आपकी कंपनी की कार्बन के पद-छाप को घटाने में मदद मिलेगी जिसके चलते ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन भी कम होगा.

(ङ) विपणन के लिए अतिरिक्त पेट्रू कोक सिलोस - इस सुविधा के सहारे आपकी कंपनी को, पेट्रू कोक बेचने में अधिक लचीलापन मिलेगा और सकेंद्रित लोडिंग का वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी.

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी निष्पादन

आपकी कंपनी, पर्यावरण में उत्कृष्टता का सर्वाधिक मानक हासिल करने की दिशा में पर्यावरण के अनुकूल प्रचालन सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है. एमआरपीएल, पर्यावरण की प्रभावन क्षमता का उपयोग करता रहा है और अपनी व्यावसायिक नीतियों और रणनीतिपरक योजनाओं के अंग के रूप में संधारणीय विकास करता रहा है. इस छोर पर 2015-16 में नीचे उल्लिखित प्रमुख कार्रवाई की गईं:

- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (OISD) ने तेल छलकाव प्रबंधन को लेकर नव मंगलूर बंदरगाह पर जेट्टियों का लेखा परीक्षण किया.
- जून, 2015 के महीने में, चरण-III यूनिटों के SOx और NOx स्टैक ऑनलाइन अनलाइज़र के आंकड़ें, CPCB सर्वर के साथ जोड़े गए.
- वक्त-वक्त पर स्टैक पर MoEF/KSPCB द्वारा अनुमोदित बाह्य एजेंसी, प्रत्यक्ष रूप से निगरानी रख रही है.
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी मानक के अनुसार रिफाइनरी के अंदर और उसके इर्द-गिर्द 9 स्थानों पर MoEF/KSPCB द्वारा अनुमोदित बाह्य एजेंसी, परिवेशी वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रख रही है.
- आस-पास के गांवों में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से वक्त-वक्त पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न मापदंडों के आधार पर उपचारित बहिस्राव पर निगरानी रखने की दृष्टि से लगातार ऑनलाइन निगरानी रखने वाले अनलाइज़र्स स्थापित किए जा रहे हैं.
- रिफाइनरी की तरफ से और APMC यार्ड, दोनों में दैनिक आधार पर उपचारित बहिस्राव पर निगरानी रखी जाती है. मेसर्स सेंट्रल फिशरीस रीसर्च इंस्टिट्यूट, मंगलूर के जरिए समुद्र पर उपचारित बहिस्राव निपटान बिंदु और तटवर्ती इलाके में 3 केंद्रों के सामीप्य में स्थापित 7 निगरानी केंद्रों से पखवाड़े में एक बार समुद्री पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अध्ययन किया गया. अब तक समुद्री पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नज़र नहीं आया है.
- रिफाइनरी के इर्द गिर्द दस भू-जल निगरानी केंद्र खोले गए हैं और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (KSPCB) के साथ मिलकर भू-जल की गुणवत्ता पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है.
- रिफाइनरी के फर्नेसों और बॉइलरों में कम गंधक युक्त ईंधन तेल का उपयोग किया जा रहा है. रिफाइनरी प्रक्रिया यूनिटों में उत्पन्न बहुत ही कम गंधक युक्त ईंधन गैस का भी अधिकतम उपयोग किया जा रहा है.
- गंधक रिकवरी यूनिटों (SRU) का, 99% से अधिक दक्षता से प्रचालन किया जाता है.
- राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (NIO) ने वार्षिक सबमेरीन पाइपलाइन निरीक्षण भी किया.
- TUV हींनलैंड ने पर्यावरण प्रबंधन तंत्रों के लिए रिफाइनरी को, ISO 14001: 2004 का प्रमाणीकरण दिया.

- यथा 31/03/2016, घायल होने पर समय नष्ट हुए बगैर 1531 दिनों तक काम किया गया.
- घायल होने के कारण नष्ट हुए समय के बारे में कोई खबर नहीं मिली (RLTI).
- यथा 31/03/2016, 16.81 दशलक्ष श्रम घंटे तक काम किया गया.

निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास

निगमित सामाजिक दायित्व (CSR)

आपकी कंपनी द्वारा सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास की तरफ पहले करते समय शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, स्वास्थ्य की देखभाल और प्रचालन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द बुनियादी सुविधाओं का समग्र विकास करने पर ख़ासा ध्यान दिया जाता है. ये परियोजनाएं, काफ़ी हद तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार हैं.

आपकी कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹4.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.81 करोड़) खर्च किए. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी नीति) नियम, 2014 के नियम 9 का अनुसरण करते हुए, सीएसआर गतिविधियों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट, **अनुबंध ' क '** के रूप में संलग्न की गई है.

संधारणीय विकास और निष्पादन

संधारणीयता हासिल करने की दिशा में प्रयास करने के तौर पर आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष जटिल परियोजनाएं और प्रचालन संभालते हुए कार्बन की पद-छाप कम करने और जोखिम मिटाने एवं अवसरों का फायदा उठाने तथा बाह्य ठेके पर काम कराने की दिशा में कार्य योजनाएं बनाने पर ख़ासा ध्यान दिया. कंपनी ने, कारोबार आचरण के बारे में आपूर्तिकर्ताओं की अपेक्षाओं को परिभाषित करने और अपनी आपूर्ति चेन में संबंधित जोखिम मिटाने पर अधिक ध्यान देने की दिशा में भी प्रगति की. कंपनी, अपने प्रचालन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने और अपने कारोबार की योजना में मौसम बदलने से जुड़ी गतिविधियों और लक्ष्यों का एकीकरण करने की तरफ काम करती रही है. इस योजना में, संधारणीय विकास को हमारे कारोबार प्रचालन के साथ एकीकृत करने के बारे में मार्गदर्शन भी दिए गए हैं. आपकी कंपनी ने, योजना का मक़सद पूरा करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों को निर्धारित करने के साथ-साथ अल्पावधि एवं दीर्घावधि कार्य योजना तय की है. पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हैं:

- हाइड्रोकार्बन मूल्य चेन का इष्टतमीकरण
- ऊर्जा की खपत का इष्टतमीकरण
- जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन
- ग्राहक विकास और वृद्धि की साझेदारी

उक्त चारों क्षेत्रों के लिए विकसित कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट एनेब्लर्स को भी पहचाना गया है.

आपकी कंपनी, संधारणीय विकास के लिए संभावित हाइड्रोकार्बन मूल्य चेन का इष्टतमीकरण करने की राह पर अपनी स्थिति मजबूत कर रही है. पेट्र कोक, रिफाइनरी बहिर्गैस और आंतरिक ईंधन तेल जैसे निम्न मूल्य के हाइड्रोकार्बन से मूल्य वसूल करने पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है. शेयर धारकों का मूल्य बढ़ाने की खातिर इन संभावनाओं का लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है.

आपकी कंपनी, उपयोगिता बॉइलरों को प्रज्वलित करने की दृष्टि से पेट्र कोक का उपयोग करने के लिए अन्य संधारणीय विकल्पों की खोजबीन भी कर रही है जिससे कि संबद्ध प्रदूषक-गंधक अणु हासिल करने के साथ-साथ विद्युत उत्पादन के लिए भाप का उत्पादन किया जा सके. उम्मीद की जा रही है कि इससे न केवल सस्ते दाम पर विद्युत उत्पादन होगा बल्कि इस उत्पाद को रिफाइनरी कॉंप्लेक्स से वक्त पर बाहर निकालना भी संभव होगा. इसका एक और फायदा यह है कि इससे आंतरिक ईंधन तेल की खपत कम होगी जिसे इस समय बॉइलरों को प्रज्वलित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि डीलेड कोकिंग मार्ग से पॉलीप्रॉपीलीन, डीज़ल, आदि जैसे विभिन्न हल्के अणुओं में उन्नयन किया जा सके. प्रौद्योगिकी के संभावित आपूर्तिकर्ताओं के समर्थन से परियोजना का आंतरिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है.

आपकी कंपनी, कम मूल्य के PFCC बहिर्गैस से मूल्यवान एथिलीन हासिल कर उसे अनुप्रवाह के पेट्रोकेमिकल कॉंप्लेक्स में उपलब्ध कराने की संभावनाओं की तलाश भी कर रही है. साथ ही इस तरह से हासिल किए गए एथिलीन का प्रॉपीलीन के साथ सह-मोनोमर के रूप में उपयोग किया जा सकेगा जिससे कि बाजार का मूल्य बढ़ाने के लिए पॉलीप्रॉपीलीन के हेटिरो-पॉलिमर्स का उत्पादन किया जा सके. अनुप्रवाह के पेट्रोकेमिकल कॉंप्लेक्स और एथिलीन रिकवरी प्रौद्योगिकी के आपूर्तिकर्ताओं से जानकारी हासिल कर लाभप्रदता संबंधी आकलन में संभावित वृद्धि के साथ आंतरिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है.

चरण-III के रिफाइनरी कॉंप्लेक्स की कैप्टिव पावर संयंत्र की सुविधाएं और कुछ प्रोसेस हीटर, ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस जलाने के लिए बनाए गए हैं. चरण-III हाइड्रोजन उत्पादन यूनिट भी, वैकल्पिक फ़ीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस की खपत करने के लिए बनाई गई है. गैस के विभिन्न आपूर्तिकर्ता, मंगलूर में प्राकृतिक गैस लाने के लिए ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं का निर्धारण कर रहे हैं. अर्थशास्त्र के दायरे में, प्राकृतिक गैस का उपयोग करने से न केवल SOx का उत्सर्जन कम होगा बल्कि कम मूल्य के आंतरिक ईंधन तेल का अधिक मूल्य वाले हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने के मार्ग भी खुल जाएंगे.

सहयोगी / संयुक्त उद्यमों का निष्पादन

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम (5) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण के वैशिष्ट्य, फार्म एओसी-1 में **अनुबंध 'ख'** के रूप में संलग्न किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का एक ही एक भाग है.

सहयोगी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित समेकित विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और " सहयोगी कंपनियों में निवेश के लिए लेखाकरण के बारे में AS-23 और संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में AS-27 के साथ पठित " समेकित वित्तीय विवरणों " के बारे में लेखा मानक (AS-)-21 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट के ही एक भाग हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों और कंपनी की संबंधित जानकारी और सहयोगी कंपनी के लेखा परीक्षित लेखे सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. ये दस्तावेज भी, मंगलूर में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे.

सहयोगी कंपनी

ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL), एकमात्र सहायक कंपनी है. आपकी कंपनी के OMPL में पहले की भांति 51% इक्विटी शेयर हैं जब कि ONGC के 49% इक्विटी शेयर हैं.

ओएमपीएल ने मंगलूर के विशेष आर्थिक ज़ोन में 914 KTPA पैरा-ज़ाइलीन और 283 KTPA बेंज़ीन की वार्षिक क्षमता के साथ ऐरोमैटिक कांप्लेक्स की स्थापना की है. वर्ष के दौरान 0.56 MMT पैरा-ज़ाइलीन और 0.17 MMT बेंज़ीन का निर्यात किया गया और वित्त 2015-16 में ₹4,188.87 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया. कंपनी ने ₹875.35 करोड़ की हानि, ख़ासकर ब्याज, मूल्यह्रास और निम्न क्षमता के उपयोग के कारण उठाई. आपकी कंपनी के साथ OMPL का आमेलन करने की योजना, कंपनी कार्य मंत्रालय के पास पेश की गई है जो प्रक्रियाधीन है.

आपकी कंपनी ने मटीरियल सब्सिडीयरी का निर्धारण करने संबंधी नीति अपनाई जो कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है.

संयुक्त उद्यम

कंपनी के दो संयुक्त उद्यम हैं जैसे शेल्ल बी.वी. नेदरलैंड्स के साथ शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL), जहां आपकी कंपनी की शेयर पूँजी 50% और खाड़ी तेल के साथ मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (MRSL), जो एक हिंदूजा समूह की कंपनी है जिसमें आपकी कंपनी की शेयर पूँजी 49.98% है. संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों के खातों का एमआरपीएल के खातों के साथ समेकन किया गया है.

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)

शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL), भारत के कई हवाई अड्डों पर देशी और अंतर्राष्ट्रीय एअरलाइनों, दोनों के लिए एविएशन टर्बाईन ईंधन (ATF) की आपूर्ति करती है. ₹ 4.72 करोड़ के कर पूर्व लाभ (पिछले वर्ष ₹10.69 करोड़) और ₹ 3.82 करोड़ के कर उपरांत लाभ (पिछले वर्ष ₹7.74 करोड़) के साथ वित्त 2015-16 के लिए राजस्व ₹324 करोड़ (पिछले वर्ष ₹636 करोड़) रहा. कंपनी ने 2015-16 के दौरान चेन्नई में अपना प्रचालन शुरु किया. कंपनी इस समय 10 हवाई अड्डों पर मौजूद है और मुंबई, कोलकाता एवं दिल्ली के तीन हवाई अड्डों के लिए HPCL के साथ सुकरण मॉडेल के लिए करार किया. कंपनी ने वित्त 2015-16 के दौरान एमआरपीएल को ₹0.75 करोड़ का लाभांश अदा किया गया है. मेसर्स ICRA ने ₹50 दशलक्ष की निधियेतर कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं के लिए " A1+ दर्जा देने की दोबारा पुष्टि की है जो सर्वाधिक साख की गुणवत्ता दर्शाता है.

मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड(MRSL)

मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (MRSL), खाड़ी तेल के साथ एक संयुक्त उद्यमवाली (JV), हिंदूजा समूह की कंपनी है जो एमआरपीएल की खुदरा योजना को बढ़ावा देती है. इस कंपनी में एमआरपीएल के 49.98% शेयर हैं. किसी व्यवहार्य कारोबार योजना के अभाव में, JV जारी रखने की बात पर विचार किया जा रहा है. JV ने कोई व्यावसायिक गतिविधियां शुरु नहीं की है. इसलिए वित्त 2015-16 के दौरान कारोबार संबंधी कोई लेन-देन नहीं किया गया. समेकन के प्रयोजन से JV के लेखों की लेखा परीक्षा की गई.

भारतीय लेखा मानक (IND AS) – IFRS में अभिसरित मानक

वित्तीय विवरण, सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार और सभी लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं. आपकी कंपनी, उसकी सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों ने, कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2015 की अधिसूचना के जरिए अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का अनुसरण करते हुए 1 अप्रैल, 2016 से Ind AS को अपनाया है.

आरक्षित निधि में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सामान्य आरक्षित निधि में कोई रकम अंतरित नहीं की गई.

लाभांश

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अपर्याप्त लाभ के मद्दे नज़र, बोर्ड ने वित्त 2015-16 के लिए कोई लाभांश देने की सिफ़ारिश नहीं की.

जमाराशि

आपकी कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 74 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए वर्ष के दौरान कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की. आपकी कंपनी को कुछ ग्राहकों के अदत्त पड़े रहे अग्रिम लौटाने हैं और इसे लौटाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं.

ऋण, गारंटियों और निवेशों के विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 / 186 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कोई निवेश नहीं किए गए, ऋण नहीं दिए गए / गारंटियां अथवा जमानत नहीं दी गईं. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत समाविष्ट पूर्व वर्षों में किए गए निवेशों के ब्यौरे, इस वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिए गए हैं

शेयर पूँजी

कंपनी ने वित्त 2015-16 के दौरान कोई शेयर निर्गमित नहीं किए. 31.03.2016 को आपकी कंपनी की निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी ₹1,753 करोड़ रही.

वित्तीय वर्ष के अंत में और रिपोर्ट तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वर्ष के दौरान कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. वर्ष की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए न कि कोई प्रतिबद्धताएं की गईं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करें.

मानव संसाधन

आपकी कंपनी, अपने मानव संसाधनों की सर्वाधिक कद्र करती है. मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से, आपकी कंपनी, कर्मचारियों और उनके परिजनों को कई कल्याण फायदे प्रदान करती है जैसे क्षतिपूरक चिकित्सा, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, मासं संबंधी नीतियों में, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (IOCL) के अनुरूप संशोधन किया गया और उनको अधिसूचित किया गया. प्रबंधन और गैर प्रबंधन कर्मचारियों की पदोन्नति वक्त पर की गईं और दीर्घावधि समझौते (LTS) के अनुसार लंबित मुद्दों के साथ S1 ग्रेड का प्रवर्तन किया गया.

वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया.

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 6 महिला कर्मचारियों और अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST)के 13 कर्मचारियों समेत 116 कर्मचारियों की भर्ती की. 31/03/2016 को कुल कर्मचारियों की संख्या 1812 रही जिनमें 130 महिला कर्मचारी, 210 अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारी और 26 शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारी (पीडब्ल्यूडी) हैं. 816 कर्मचारी, प्रबंधन संवर्ग के हैं जब कि 996 कर्मचारी गैर-प्रबंधन संवर्ग के हैं. वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी ने प्रशिक्षण, विकास और शिक्षा के लिए कुल मिलाकर 3669 श्रम-दिवस लगाए जो प्रति कर्मचारी औसतन 2.16 श्रम-दिवस बनता है जिसमें समग्र कर्मचारियों के लिए कार्यात्मक, विकासात्मक और विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए.

कंपनी, एमआरपीएल कर्मचारी क्लब (MEC) नामक कर्मचारी क्लब चला रही है. इस क्लब में, कर्मचारियों और उनके आश्रितों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी गतिविधियां चलाई जाती हैं. एमआरपीएल कर्मचारी क्लब (MEC) ने आंतरिक विभागीय क्रिकेट टूर्नमेंट भी आयोजित किया.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण देने के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेश और अन्य दिशानिर्देश. संधारणीय एवं प्रभावशाली अनुपालन करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र लागू किया गया है. सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए. निदेशों के अनुसार रोस्टर रखे गए हैं जिनका कंपनी के संपर्क अधिकारी एवं एमओपी एण्ड एनजी के संपर्क अधिकारी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि निदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. अनुसूचित जाति और OBC कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए अ.जा./अ.ज.जा. संबंधी विशेष आरक्षण कक्ष स्थापित किया गया है.

एमआरपीएल, नि:शक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को रोजगार के अवसर प्रदान करने से संबंधित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन भी करता है. यथा 31/03/2016 तक, 26 स्थाई नि:शक्त कर्मचारी एमआरपीएल में काम कर रहे थे.

महिलाओं का सशक्तीकरण

कंपनी के कार्यबल में महिला कर्मचारियों का अनुपात 6 प्रतिशत है. वर्ष के दौरान, लिंग सक्रियकरण पर कार्यक्रम सहित महिलाओं के सशक्तीकरण और विकास की खातिर कार्यक्रम चलाए गए. आपकी कंपनी में, कार्य स्थान पर महिला का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाई गई है. विव 2015-16 के दौरान समिति को किसी मामले की खबर नहीं दी गई.

राजभाषा

राष्ट्रीय संरक्षा दिवस, पर्यावरण दिवस, सुरक्षा जागरूकता सप्ताह और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों लिए प्रतिस्पर्धाएँ, हिन्दी भाषा में भी आयोजित की गईं. कर्मचारियों में हिन्दी का प्रवर्धन करने की दृष्टि से, मंगलूर, मुंबई, दिल्ली और बेंगलूर कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएँ, नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं. कंपनी में हिन्दी का प्रवर्धन करने के लिहाज से हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया और हिन्दी पढ़ो, समझो एवं टिक करो, हिन्दी श्रुतलेख, हस्तलेख, प्रशासनिक शब्दावली, समाचार वाचन आदि जैसी बहुत सारी हिन्दी प्रतियोगिताओं का, सितंबर 2015 के महीने में कर्मचारियों, उनके बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए आयोजन किया गया. हिन्दी मास संबंधी समारोहों के दौरान मप्र और समप्र के लिए विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतिस्पर्धा चलाई गई. आंतरिक विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया. कक्षा-X की हिन्दी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त डीपीएस स्कूल, मंगलूर के चोटी के बारह छात्रों को विशेष पुरस्कार दिए गए.

वर्ष 2015-16 के लिए हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने की ख़ातिर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक), मंगलूर ने आपकी कंपनी को, पीएसयू केंद्र सरकार कार्यालय श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया.

रिफाइनरी में हिन्दी का प्रवर्धन करने की खातिर, "एमआरपीएल प्रतिबिंब" नामक एक गृह पत्रिका, हिन्दी में प्रकाशित की जा रही है. राजभाषा नियमों के अनुसार, प्रनि की अध्यक्षता में चारों तिमाहियों में राभाकास की बैठकों का आयोजन किया गया. वर्ष के दौरान ख़ास तौर से राजभाषा संपर्क अधिकारियों के लिए बैठकें बुलाई गईं. पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी की प्रोन्नति के लिए लगातार प्रयास करने के परिणामस्वरूप रिफाइनरी में हिन्दी का प्रयोग काफ़ी हद तक बढ़ गया है.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी की आरटीआई पुस्तिका, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसमें तमाम अपेक्षित जानकारी प्रकट की गई है. वर्ष के दौरान, 172 आवेदन पत्र मिले जिनमें से 163 आवेदन पत्रों का दिनांक 31/03/2016 से पहले निपटान किया गया और बचे रहे 9 आवेदन पत्रों को निपटाया जा रहा है.

सुरक्षा उपाय

रिफाइनरी में सुरक्षा का इंतजाम, तेल क्षेत्र के लिए बुनियादी संरक्षण योजना (OSIPP) और MHA द्वारा की गईं सुरक्षा लेखा परीक्षा संबंधी सिफारिशों के अनुरूप किया गया है.

रिफाइनरी का प्रत्यक्ष संरक्षण करने की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपी गई है. रिफाइनरी - चरण - 3 को संरक्षण प्रदान करने की खातिर CISF के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव MHA के विचाराधीन है.

कंपनी, सुरक्षा को हमेशा से प्राथमिकता देती रही है और हर वक्त तत्पर रहने के लिए कार्य स्थान पर नकली प्रदर्शनों का इंतजाम किया जाता है. सभी हिस्सेदारों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वक्त-वक्त पर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जाता है. रिफाइनरी का इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण और मजबूत करने के लिए एक समेकित CCTV सह इलेक्ट्रॉनिक अतिक्रमण जासूसी तंत्र का कार्यान्वयन किया जा रहा है.

सतर्कता कार्य

आपकी कंपनी ने सतर्कता का कामकाज संभालने के लिए एक संरचित तंत्र बनाया है जिसके जरिए सभी हिस्सेदारों के लिए मूल्य निर्मित करने के प्रति अधिक ध्यान दिया जाता है. इस पद्धति में, अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बहुत सारे स्तरों पर जांच-पड़ताल की जाती है और संतुलन बनाए रखा जाता है. वर्ष के दौरान सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता संबंधी गतिविधियां लगातार चलाई गईं. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता रहा है. संवेदनशील पद संभालते रहे अधिकारियों का नियमित रूप से आवर्तन किया जाता है.

CVC के अनुदेशों का अनुपालन करते हुए आपकी कंपनी ने शिकायत संभालने की नीति लागू की है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तमाम शिकायतों का, सतर्कता द्वारा रेकॉर्ड रखकर उनका परीक्षण किया जा सकेगा. आगे, CVC के अनुदेशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने ई-भुगतान और ई-टेंडर के मामले में उच्च अनुपालन स्तर हासिल किया है.

पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से प्रौद्योगिकी का फायदा उठाना, एक दबाव वाला कार्य क्षेत्र रहा है जिसमें सतर्कता ने उत्प्रेरक की भांति भूमिका निभाई है. कंपनी की वेबसाइट पर, डाउनलोड करने लायक टेंडर दस्तावेज, नामांकन आधार पर दिए गए कार्य की जानकारी का प्रकाशन, ठेके देने के बाद की जानकारी का प्रकाशन प्रदर्शित किया जाता है.

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए मुखबिर नीति

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र उपलब्ध कराने के लिहाज से मुखबिर नीति बनाई गई है ताकि अनैतिक बरताव, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में प्रामाणिक मुद्दे उठाए जा सके. प्रतिशोध अथवा उत्पीड़न के कारण सद्भाव से मुखबिर बनते हुए सतर्कता तंत्र का उपभोग करने वाले निदेशकों और कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने और अपवादात्मक मामलों में निदेशकों और कर्मचारियों को सीधे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से संपर्क करने का मौका प्रदान करने के लिए नीति में आवश्यक रक्षोपाय हैं. यह नीति, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है. वर्ष के दौरान, मुखबिर नीति के तहत कोई शिकायत नहीं मिली.

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी के समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(द) का अनुसरण करते हुए प्रकट करने के लिए अपेक्षित जानकारी **अनुबंध ' ग '** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

प्रबंधन का पारिश्रमिक और कर्मचारियों के विवरण

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA) की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के तहत जानकारी पेश करने से छूट दी गई है.

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को, डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमों और शर्तों के अंदर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; एमओपी एण्ड एनजी द्वारा नियुक्त किया जाता है.

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

फार्म MGT-9 में दिए गए वार्षिक विवरणी के उद्धरण का भाग बनने वाले ब्यौरे के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(क) का अनुसरण करते हुए प्रकट करने के लिए अपेक्षित जानकारी **अनुबंध ' घ '** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

एकसमान लिस्टिंग संबंधी करार

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 02-09-2015 को, SEBI (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (जिसे इसके आगे SEBI लिस्टिंग विनियम , 2015 कहा गया है) जारी किया जिसका मक़सद है, बेहतर प्रयोज्यता सुनिश्चित करने की दृष्टि से पूंजी बाजार के विभिन्न खंडों के लिए लिस्टिंग संबंधी करारनामे के प्रावधानों को समेकित करना और सरल बनाना. उक्त विनियम, 1 दिसंबर, 2015 से लागू हुए. कंपनी ने दिसंबर, 2015 के दौरान, BSE लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक समान लिस्टिंग करारनामे पर हस्ताक्षर किए.

संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन और संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए ठेकों अथवा व्यवस्थाओं के विवरण

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए तमाम लेन-देन, नजदीकी तेल भंडारों से और कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए. साथ ही, वर्ष के दौरान प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के साथ सामग्री से जुड़े कोई लेन-देन नहीं किए गए. कंपनी ने संबद्ध पक्षकार संबंधी नीति और कार्यविधि अपनाई जो कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किए गए हर एक ठेके अथवा व्यवस्था के, निर्धारित फार्म सं. AOC - 2 में प्रकट विवरण, **अनुबंध - ङ** के रूप में संलग्न किए गए हैं. MCA ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के जरिए, दो सरकारी कंपनियों के बीच हुए लेन-देन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) की अनुप्रयोज्यता से छूट दी है.

निदेशकों और निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान

निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित नीति

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA) की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (ङ) के प्रावधान लागू नहीं होंगे.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कर्मचारियों में हुए परिवर्तन.

श्री एम वेंकटेश ने, 1 अप्रैल, 2015 से निदेशक (रिफाइनरी) का पद सँभाला और इनका, दिनांक 08/08/2015 को संपन्न 27वीं वार्षिक महासभा में निदेशक के रूप में निर्वाचन हुआ. श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव, एमओपी एण्ड एनजी को 5 मार्च, 2015 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 08/08/2015 को संपन्न 27वीं वार्षिक महासभा में इनका, निदेशक के रूप में निर्वाचन हुआ. एमओपी एण्ड एनजी द्वारा नामांकन वापस लेने के फलस्वरूप श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव, 3 मार्च 2016 से निदेशक नहीं रहे. एमओपी एण्ड एनजी के निदेशक, श्रीमती पेरिन देवी को 14 मई, 2015 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 08/08/2015 को संपन्न 27वीं वार्षिक महासभा में इनका निदेशक के रूप में निर्वाचन हुआ. श्री ए. के. साहू ने 1 फरवरी, 2016 से निदेशक (वित्त) का पद संभाला. ये, इस AGM में अतिरिक्त निदेशक के रूप में अपना पद छोडेंगे और पात्र होने के नाते, 28वीं वार्षिक महासभा में निदेशक (वित्त) के रूप में अपनी नियुक्ति की पेशकश करते हैं. एमओपी एण्ड एनजी के निदेशक (जीपी), श्री दिवाकर नाथ मिश्रा को 9 मार्च, 2016 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जो इस AGM में अतिरिक्त निदेशक के रूप में अपना पद छोडेंगे और पात्र होने के नाते, 28वीं वार्षिक महासभा में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की पेशकश करते हैं. 31 जनवरी, 2016 से एमआरपीएल की सेवाओं से मुक्त होने के फलस्वरूप श्री विष्णु अग्रवाल, निदेशक नहीं रहें. बोर्ड, संबंधित कार्यकाल के दौरान निर्गामी निदेशकों द्वारा प्रदान की गईं अमूल्य सेवाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा करता है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) ने कंपनी के निदेशक मंडल पर स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन अब तक नहीं किया है. यह मामला, मंत्रालय के साथ नियमित रूप से उठाया जाता रहा है.

औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA) की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे.

निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, आपकी कंपनी का निदेशक मंडल, वित्व 2015-16 के लिए नीचे उल्लिखित बयान देता है:

क) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखा मानक अपनाने के साथ-साथ महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियां अपनाईं और उनको लगातार लागू किया तथा मुनासिब और विवेकपूर्ण ढंग से फ़ैसले और आकलन किए जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज का और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि का सही एवं निष्पक्ष चित्र पेश किया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की हिफ़ाज़त करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम,2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी पर्याप्त रेकॉर्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे, समुत्थान आधार पर तैयार किए हैं;

ङ) निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रक तय किए हैं जिनका कंपनी द्वारा पालन करना होगा और यह कि ऐसे आंतरिक नियंत्रक, पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से चलाए जा रहे हैं; और

च) निदेशकों ने ऐसे उचित तंत्र बनाए हैं जिससे कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और यह कि ऐसे तंत्र, पर्याप्त हैं और प्रभावशाली ढंग से चलाए जा रहे हैं.

बोर्ड की बैठकों की संख्या

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 2015-16 के दौरान सात (7) बैठकें बुलाईं. दो बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि, कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा निर्धारित 120 दिन से अधिक नहीं रही. बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे, निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में पेश किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है.

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन, कंपनी (मंडल की बैठकें और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 18 के तहत यथा निर्धारित विचारार्थ विषय और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया. ऐसी कोई घटनाएँ नहीं रहीं जहां निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार न किया हो. लेखा परीक्षा समिति के ब्यौरे, निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिए गए हैं जो इस रिपोर्ट का एक ही एक भाग है. एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) द्वारा की जाती है.

स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध न होने के कारण, लेखा परीक्षा समिति का, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार गठन नहीं किया गया है.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 19 तथा CPSE के लिए निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी ने, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है. नामांकन और पारिश्रमिक समिति के ब्यौरे, निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में प्रकट किए गए हैं जो इस रिपोर्ट का एक ही एक भाग है.

एमआरपीएल, एक अनुसूची-क मिनीरत्न श्रेणी-1 का, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं. एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) द्वारा की जाती है.

स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध न होने के कारण, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार गठन नहीं किया गया है.

जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी ने डेलॉइट द्वारा बनाए गए उद्यम व्यापक जोखिम प्रबंधन के लिए ठीक तरह से परिभाषित नीतिगत ढांचा बनाया है. जोखिम प्रबंधक, अपने क्षेत्र से संबंधित जोखिमों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं. SEBI लिस्टिंग विनियम 2015 के विनियम 21 का अनुसरण करते हुए अधिकतर निदेशकों को समाविष्ट कर जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया जो तिमाही में एक बार जोखिम पर निगरानी रखते हुए जोखिम विहंगावलोकी दस्तावेज का मूल्यांकन करती है और लेखा परीक्षा समिति को उसका मूल्यांकन करने की सिफारिश करती है. जोखिम प्रबंधन समिति के विहंगावलोकी दस्तावेज की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और यह दस्तावेज, तिमाही आधार पर मंडल के समक्ष रखा जाता है.

विनियामकों/अदालतों द्वारा पारित उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश

विनियामकों/अदालतों ने ऐसे कोई उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए हैं जो कंपनी की समुत्थान स्थिति और उसके भावी प्रचालन को प्रभावित करें.

निगमित अभिशासन

कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 ने देश में अभिशासन प्रणाली को मजबूत बनाया है. आपकी कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के अंतर्गत प्रदान की गईं अभिशासन संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया है और अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में निदेशक मंडल की संरचना की बात को छोड़कर कंपनी अभिशासन की अपेक्षाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के तमाम आज्ञापक प्रावधानों तथा DPE, भारत सरकार द्वारा CPSE के लिए जारी कंपनी अभिशासन संबंधी अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन किया है. विव 2015-16 की निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 की अनुसूची V का अनुसरण करते हुए कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करने से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र भी वार्षिक रिपोर्ट का ही एक भाग है. लेखा परीक्षकों ने, कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बारे में लेख-टिप्पणियां की है. कंपनी, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) के साथ उठा रही है.

कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 की अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए नीचे उल्लिखित नीतियां/संहिताएं बनाई गईं हैं जिनको कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर अपलोड किया गया है.

क) मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता,

ख) मुखबिर नीति,

ग) संबद्ध पक्षकार के लेन-देन - नीति और कार्यविधियां,

घ) CSR और SD संबंधी नीति,

ङ) मटीरियल सब्सिडीयरी संबंधी नीति,

च) एमआरपीएल की प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने संबंधी आंतरिक कार्यविधि और आचरण संबंधी संहिता,

छ) शेयर बाजारों को घटनाएं प्रकट करने के लिए तात्विकता संबंधी नीति,

ज) दस्तावेजों का परिरक्षण करने संबंधी नीति,

झ) बोर्ड के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति.

कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट

SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 में बाजार के पूंजीकरण के आधार पर 500 सूचीबद्ध उद्यमों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के अंग के तौर पर कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (BRR) शामिल करना आज्ञापक बनाया गया है. विनियम का पालन करने की दृष्टि से BRR, इस रिपोर्ट का ही एक भाग है.

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, विव 2015-16 की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (MDA), इस रिपोर्ट का ही एक भाग बनती है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी में, व्यवस्थित ढंग से स्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्र लागू किया गया है जिससे आंतरिक नियंत्रण का एक ऐसा प्रभावशाली माहौल सुनिश्चित किया जा सकेगा जो कंपनी की नीतियों का अनुपालन करने, उसकी आस्तियों की हिफ़ाज़त करने, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोकने और उनका पता लगाने, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता एवं भरोसेमंद वित्तीय प्रकटन की वक्त पर तैयारी करने सहित कारोबार चलाने की दक्षता पर आश्वासन दे सके. कंपनी ने सनदी लेखाकारों के बाह्य फर्म, मेसर्स के. वर्गीस एण्ड कं., को विव 2015-16 और 2016-17 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है जिनको कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग का सहयोग मिलेगा. आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की, लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और उनकी सलाह/सुझावों के आधार पर जहां कहीं आवश्यक हो निवारक कार्रवाई की जाती है. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, तिमाही और वार्षिक अंतर विश्लेषण के बलबूते पर किया जाता है जिसके आधार पर, CEO/CFO, वित्तीय विवरणों का अनुमोदन देने के लिए लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड को प्रमाणित करते हैं.

लेखा परीक्षक

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक

विव 2015-16 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक रहे, मेसर्स श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्, चेन्नई तथा मेसर्स ए राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स, मंगलूर. इन्होंने 2015-16 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की और अपनी रिपोर्ट पेश की जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में किसी अर्हता का उल्लेख नहीं किया गया है. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट लेखों पर टिप्पणियां, स्वत: स्पष्ट हैं और इसलिए इन पर आगे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है.

साचिविक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 का अनुसरण करते हुए वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, मंगलूर को मुकर्रर किया है. मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, मंगलूर ने वर्ष 2015-16 के लिए साचिविक लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट जारी की है जो **अनुबंध ' च '** के रूप में इस रिपोर्ट का ही एक भाग है. लेखा परीक्षकों ने, कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार ओवरटाइम कार्य समय के बारे में लेख-टिप्पणियां की है. कंपनी, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) के साथ उठा रही है. जहां तक कार्य समय के बारे में की गईं लेख-टिप्पणियों का संबंध है, यह मामला उद्योग समूह द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ उठाया गया है.

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत लेखों की लेखा परीक्षा, लागत लेखा परीक्षक, मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं., कोलकाता द्वारा की जा रही है. मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं., कोलकाता को विव 2016-17 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है.

विव 2015-16 के समेकित एवं स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर सी एण्ड एजी की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (C&AG) की टिप्पणियाँ, इस रिपोर्ट का ही एक अंग हैं और इसे **अनुबंध " छ "** के रूप में संलग्न किया है. आपको यह जानकारी खुशी होगी कि आपकी कंपनी को वर्ष 2015-16 के लिए C&AG से कोई टिप्पणी नहीं मिली है.

आभार

आपके निदेशक, शेयरधारकों के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी पर लगातार भरोसा किया. आपके निदेशक, भारत सरकार (GoI), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG), वित्त मंत्रालय (MoF), कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA), सार्वजनिक उद्यम विभाग(DPE), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF), विदेश मंत्रालय (MEA), जहाजरानी मंत्रालय (MoS), गृह मंत्रालय (MHA) और अन्य मंत्रालयों एवं केंद्र तथा राज्य सरकार के विभागों और कर्नाटक सरकार को उनके अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन एवं सतत सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं.

आपके निदेशक, अपनी मूल कंपनी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) से मिलते रहे सतत समर्थन और निर्देश एवं कंपनी के प्रवर्तक होने के नाते, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(HPCL) के समर्थन के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक, नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और बाकी सभी हिस्सेदारों से प्राप्त सतत सहयोग और समर्थन के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं. आपके निदेशक, कंपनी के उत्पादों के लिए बेशकीमती ग्राहकों से मिले सहयोग की कद्र करते हैं और उनके संतोष पर्यंत काम करने का वादा करते हैं. आपके निदेशक, तमाम कर्मचारियों के, " टीम एमआरपीएल " के रूप में एकजुट होकर एक टीम की भांति संगठित रूप से किए गए सतत एवं समर्पित प्रयासों की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं.

मंडल के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/-
(दिनेश कुमार सर्राफ़)
अध्यक्ष
(DIN:00147870)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03/08/2016

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों (CSR) पर वार्षिक रिपोर्ट

अनुबंध ' क'

[कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के नियम 8(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (न) का अनुसरण करते हुए]

1. हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर नज़र डालते हुए कंपनी की CSR और SD नीति का एक संक्षिप्त लेखा-जोखा और CSR एवं SD नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के प्रति वेब लिंक का संदर्भ.

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) एक मिनीरत्न अनुसूची ' क ' का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है और ONGC की सहयोगी कंपनी है जो वर्ष-दर-वर्ष भारतीय हाइड्रोकार्बन अनुप्रवाह क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करती आ रही है. प्रारंभ से लेकर एमआरपीएल, " संरक्षण " नाम के साए तले निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियां (CSR) चलाता आ रहा है.

एमआरपीएल की CSR नीति, कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII तथा कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी नीति) नियम, 2014 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाई गई है. यह नीति, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध है.

2015-16 के दौरान कंपनी द्वारा हाथ में ली गईं परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वैशिष्ट्य इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किए गए हैं

2. CSR और SD समिति की संरचना

समिति के सदस्य

श्रीमती पेरिन देवी, निदेशक	अध्यक्ष
श्री बी. के. नामदेव	सदस्य
श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक	सदस्य
श्री एम. वेंकटेश, निदेशक (रिफाइनरी)	सदस्य
श्री ए. के. साहू निदेशक (वित्त)	सदस्य

3. वित्तीय ब्यौरे:

विवरण	₹ करोड़ों में
कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ	कुछ नहीं
वित्त 2014-15 से आगे लाए गए CSR व्यय के निमित्त खर्च की जानेवाली रकम	4.04
वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली कुल रकम	4.04
खर्च की गई रकम	4.11
खर्च न की गई रकम	कुछ नहीं

4. वित्तीय वर्ष के दौरान रकम किस तरह से खर्च की गई

अनुबंध के अनुसार.

5. CSR समिति का दायित्व संबंधी यह बयान कि CSR संबंधी नीति का कार्यान्वयन और अनुवीक्षण, कंपनी के CSR उद्देश्यों और नीति के अनुपालन के अनुरूप है.

कंपनी की CSR संबंधी गतिविधियां, कंपनी की CSR एवं SD नीति के अनुरूप है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा DPE के दिशानिर्देशों से मेल खाती है.

हस्ता/-
श्री एच. कुमार
(प्रबंध निदेशक)
DIN: 06851988

हस्ता/-
श्रीमती पेरिन देवी
(अध्यक्ष CSR एवं SD समिति)
DIN: 07145051

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं	पहचानी गई CSR परियोजना/गतिविधि	किस क्षेत्र में परियोजना को कवर किया गया है	परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय इलाका/ अन्य 2. उस राज्य के जिले का नाम निर्दिष्ट करें जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	परिव्यय की रकम (बजट) परियोजना/ कार्यक्रम वार (₹ लाखों में)	परियोजना/ पूर्व कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उप शीर्ष: 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवरहेड् (₹ लाखों में)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (₹ लाखों में)	खर्च की गई रकम: सीधे/ कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (₹ लाखों में)
1	रोजगार बढ़ाने वाले व्यावहारिक कौशल: गरीब और बेरोज़गार युवाओं और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	शिक्षा को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला कर्नाटक राज्य	11.29	वही (जो 5 में दिया गया है) प्रत्यक्ष व्यय, कोई ओवरहेड् नहीं	11.29	सीधे
2.क.1	भारतीय विद्या भवन, बेंगलूर की तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. द.क. ज़िला कर्नाटक राज्य	4.45	- वही -	4.45	सीधे

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं	पहचानी गई CSR परियोजना/गतिविधि	किस क्षेत्र में परियोजना को कवर किया गया है	परियोजनाएं/ कार्यक्रम 1. स्थानीय इलाका/अन्य 2. उस राज्य के जिले का नाम निर्दिष्ट करें जिसमें कार्यक्रम चलाया गया	परिव्यय की रकम (बजट) परियोजना/ कार्यक्रम वार (₹ लाखों में)	परियोजना/ पूर्व कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उप शीर्ष: 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवरहेड् (₹ लाखों में)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी व्यय (₹ लाखों में)	खर्च की गई रकम: सीधे/ कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए (₹ लाखों में)
2.क.2	विश्वविद्यालय सरकारी कॉलेज, मंगलूर के लिए क्लास रूम्स का निर्माण	-वही-	-वही-	14.99	-वही-	14.99	सीधे
2.क.3	बाल ग्राम पंचायत के लिए कार्यालय और सामुदायिक भवन	सामुदायिक विकास	-वही-	0.50	-वही-	0.50	सीधे
2.ख.1	पडुबिद्री के एक स्कूल में मध्याह्न भोजन	शिक्षा को बढ़ावा देना	-वही-	2.84	-वही-	2.84	सीधे
2.ख.2	नकली अवयव शिविर	स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	हिताधिकारी, कर्नाटक और केरल राज्य के हैं	2.64	-वही-	2.64	सीधे
2.ख.3	कलावर स्कूल को स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें	शिक्षा को बढ़ावा देना	-वही-	0.54	-वही-	0.54	सीधे
2.ख.4	MRPL की चैलारु पुनर्वास कॉलोनी में नि: शुल्क PHC चलाना	स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	-वही-	0.00	-वही-	4.17	सीधे
2.ख. 5	समुदाय भवन, MRPL पुनर्वास कॉलोनी में डी जी शेड् का पेंटिंग कार्य, रसोई घर की मरम्मत	सामुदायिक विकास	-वही-	10.00	-वही-	10.00	सीधे
3	सरकारी लेडी गोशेन अस्पताल मंगलूर के एक स्कंध का निर्माण करने के लिए निधि की सहायता	स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना	-वही-	189.18	-वही-	191.93	सीधे
4.1	MoP&NG के निदेश के आधार पर स्वच्छ विद्यालय अभियान के अनुसार सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता को बढ़ावा देना	1. स्थानीय इलाका 2. अन्य आसपास के जिले	153.62	-वही-	153.62	सीधे
4.2	रामकृष्ण मिशन मंगलूर के स्वच्छ मंगलूरु अभियान के लिए वित्तीय सहायता	स्वच्छता को बढ़ावा देना	1. द.क. उडुपी व चिक्कमगलूरु जिला, कर्नाटक राज्य द.क. जिला	14.00	-वही-	14.00	सीधे
	कुल			**404.05**		**410.97**	

परिव्यय और व्यय की रकम के बीच रु. 6.92 लाख का अंतर, परियोजना परिव्यय में संशोधन के कारण है.

फ़ॉर्म AOC-1 **अनुबंध "ख"**

यथा 31.03.2016, सहयोगी/सहबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण के वैशिष्ट्य दर्शाने वाला विवरण

(कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 5 की धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक का अनुसरण करते हुए सहयोगी/सहबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण के वैशिष्ट्य दर्शाने वाला विवरण

भाग " क " सहयोगी कंपनी

(₹ दशलक्ष में)

				यथा 31.03.2016					वर्ष 2015-16 के लिए (1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क्रम सं	सहयोगी कंपनी का नाम (भारतीय कंपनी)	सहयोगी कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	आरक्षित निधि व अधिशेष	कुल आस्तियां	कुल देयताएं	निवेश के ब्यौरे	कुल कारोबार	कराधान पूर्व लाभ/ (हानि)	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के बाद लाभ/ (हानि)	प्रस्तावित लाभांश	शेयरधारण का %
1	ONGC मंगलूर एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	01.04.15 से 31.03.16	INR	18,776.26	(14,074.13)	76,602.70	71,900.57	4.80	41,875.74	(8,753.52)	-	(8,753.52)	-	51.00%

* मंगलूर एसईज़ड् लि. के प्रत्येक ₹10 के 480,000 इक्विटी शेयर

1. **उन सहयोगी कंपनियों के नाम जिन्होंने अब तक अपना प्रचालन शुरु नहीं किया है: कुछ नहीं**
2. **उन सहयोगी कंनियों के नाम जिनका वर्ष 2015-16 के दौरान परिसमापन हुआ: कुछ नहीं**
3. **कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि(OMPL) के 51.0017% इक्विटी शेयर खरीदे और फलस्वरूप OMPL, 28 फरवरी, 2015 से सहयोगी कंपनी बन गई है.**

भाग " ख " संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) का अनुसरण करते हुए सहबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

(₹ दशलक्ष में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्रम सं	संयुक्त उद्यम का नाम (भारतीय कंपनी)	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र दिनांक	वर्षांत में कंपनी द्वारा धारित सहबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर सं	सहबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश रकम	शेयरधारण का %	यह वर्णन कि कितना महत्वपूर्ण प्रभाव रहा	क्या कारण है कि सहबद्ध एवं संयुक्त उद्यम का समेकन नहीं किया गया	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारण के कारण निवल मूल्यवत्ता	शेयरधारण के कारण वर्ष का लाभ/(हानि)	समेकन पर विचार किया गया	समेकन पर विचार नहीं किया गया
1	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	31.03.2016	150,00,000	150.00	50.00%	शेयर धारण 50%	लागू नहीं	366.96	19.11	हां	लागू नहीं
2	मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	31.03.2015	49,960	0.50	49.98%	शेयर धारण 49.98%	लागू नहीं	0.59	0.02	हां	लागू नहीं

1. **उन संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अब तक अपना प्रचालन शुरु नहीं किया है:**

   मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड संयुक्त उद्यम

2. **उन संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष 2014-15 के दौरान परिसमापन हुआ या उनको बेचा गया: कुछ नहीं**

संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

बोर्ड के लिए और उसकी तरफ से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक (वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

अनुबंध ' ग '

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम)]

अ.ऊर्जा की बचत

(i) ऊर्जा बचाने के लिए उठाए गए कदम अथवा ऊर्जा बचाने पर प्रभाव

कंपनी ने प्रक्रिया का इष्टतम उपयोग करते हुए, लगातार निगरानी रखते हुए, ऊर्जा की बचत करने संबंधी कई आशोधन करते हुए ऊर्जा की बचत पर पहले की भांति बल देना जारी रखा.

वर्ष के दौरान ऊर्जा की बचत करने की दिशा में किए गए ख़ास उपाय:

क) संपीडित वायु और नाइट्रोजन रिसाव सर्वेक्षण और अनुसमर्थन.

ख) ब्लो डाउन ओवरहेड का HCGO टैंक की तरफ पथांतरण करते हुए DCU में स्लॉप उत्पादन की कमी,

ग) चरण-3 SRU से फ्लैश भाप की रिकवरी,

घ) ईंधन तेल टैंकों से संघनक की रिकवरी,

ङ) CHT यूनिट में MP भाप की रिकवरी,

च) CPP-3 MP BFW पंप की इंपेल्लर ट्रिम्मिंग,

उक्त उपायों की बदौलत, लगभग 3046 SRFT/वर्ष की मात्रा में ऊर्जा की खपत कम कर पाना संभव हो पाया जो लगभग ₹5.31 करोड़/प्रति वर्ष के निवेश के साथ लगभग ₹0.09 करोड़/वर्ष की निवल बचत के समान है. वर्ष 2015-16 के लिए रिफाइनरी में ईंधन और हानि, निवल क्रूड पर 10.06% रही जब कि 2014-15 में इसका प्रतिशत 10.09 % रहा. रिफाइनरी में, वर्ष 2015-16 में, 111 के ऊर्जा तीव्रता सूचक के साथ सर्वाधिक क्रूड प्रोसेस किया गया.

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

नवीकरणीय स्रोतों के जरिए विद्युत उत्पादन के बारे में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और कर्नाटका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी ने रिफाइनरी के परिसर के अंदर ₹74 करोड़ की अनुमानित लागत पर 10 MWp की संचयी क्षमता का ग्रिड इंटरऐक्टिव PV सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं.

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजीगत निवेश

₹0.09 करोड़

आ. प्रौद्योगिकी का समावेश

i) प्रौद्योगिकी का समावेश करने की दिशा में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण

क) विव 2015-16 के दौरान कंपनी ने, 440 TMT प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता के साथ पॉलीप्रॉपीलीन (PP) यूनिट सफलता से चालू किया. मेसर्स नोवोलीन ने प्रौद्योगिकी की आपूर्ति की. यह एक गैस आधारित पॉलिमराइज़ेशन रीएक्टर है जिससे लगातार ऑन ग्रेड पॉलीप्रॉपीलीन का उत्पादन करना संभव होगा. गैस चरण के पॉलिमराइज़ेशन रीएक्टर के स्थिरीकरण और स्थिर प्रचालन से संबंधित पहलुओं को एमआरपीएल ने बखूबी से अपनाया है जिसमें मल्टिपल ग्रेड के पॉलीप्रॉपीलीन पेलेटस का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कुशलता हासिल की गई है. अब अनोखे योजकों और उत्प्रेरक का विकास करने और ग्राहकों की उम्मीदों / आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद बनाने पर प्रयास किए जा रहे हैं.

ख) कंपनी ने मेसर्स EIL के सहयोग से भुक्तशेष कास्टिक उपचार संयंत्र, "आर्द्र वायु ऑक्सीकरण (WAO) संयंत्र" को सफलता से स्थायीकृत किया. मेसर्स EIL ने WAO संयंत्र का डिज़ाइन बनाकर निर्माण किया है और कंपनी ने, प्रोसेस रूटिंग और NANO उत्प्रेरक बनाने के संबंध में उपचार प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किए हैं ताकि प्रौद्योगिकी का समावेश करने की खातिर फेनॉल्स का काफ़ी हद तक विनाश किया जा सके.

ii) उत्पाद में सुधार, लागत में कटौती, उत्पाद का विकास, आयात का प्रतिस्थापन आदि जैसे लाभ

रिफाइनरी के थ्रूपुट में स्थिरता कामय की गई जो 15.691 MMTPA रहा जब कि स्वच्छ ईंधन संबंधी विनिर्देशों की पूर्ति की गई जिसके लिए उच्चतर जटिलता वाले प्रचालन की आवश्यकता थी.

iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले 3 वर्ष के दौरान आयातित)

क) आयातित प्रौद्योगिकी के ब्यौरे GOHDS यूनिट की क्षमता का पुनर्योजन, HCU-1 & HCU-2 का वन्स थ्रू मोड में पुनर्योजन, 2013 में HCU-3 और DHDT को चालू किया गया, 2014 में PFCC, CHT और DCU को चालू किया गया तथा 2015 में PPU को चालू किया गया

ख) आयात वर्ष
2013-14, 2014-2015, 2015-16

ग) क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया जा चुका है?
हां.

घ) अगर पूरी तरह से समावेश न किया गया हो तो किन क्षेत्रों में समावेश नहीं किया गया है और उसकी वजह क्या हैं.
लागू नहीं .

iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय
राजस्व: ₹0.55 करोड़

इ. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(₹ करोड़ों में)

	विव 2015-16	विव 2014-15
विदेशी मुद्रा अर्जन - (FOB निर्यात का मूल्य)	8,746	19,508
विदेशी मुद्रा व्यय	31,201	49,131

अनुबंध ' घ '

फार्म सं. MGT-9

वार्षिक विवरणी का सारांश
यथा 31/03/2016 को समाप्त वर्ष
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) का अनुसरण करते हुए]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे

i)	CIN	:	L85110KA1988GOI008959
ii)	पंजीकरण दिनांक	:	07/03/1988
iii)	कंपनी का नाम	:	मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	:	अनुसूची "A" की मिनी रत्न श्रेणी 1 का सरकारी उपक्रम
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क करने संबंधी ब्यौरे	:	मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030, फोन: 0824 - 2270400
vi)	क्या कंपनी को सूचीबद्ध किया गया है	:	हां
	रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट हो तो उनका नाम, पता और संपर्क करने संबंधी ब्यौरे	:	मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि., सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एल.बी.एस. मार्ग, भंडूप (पश्चिम), मुंबई - 400 078 टेलीफोन.:022-25963838/25946970 फैक्स सं.:022-25946969 ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in वेबसाइट: www.linkintime.co.in

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10 % या उससे अधिक योगदान देने वाली तमाम व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा:-

क्रम सं.	प्रमुख उत्पादों /सेवाओं का नाम और वर्णन	उत्पाद/सेवा का NIC कूट. *विनिर्माण क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण (NPCMS)	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	रिफाइनरी	192 - परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	100

III. नियंत्रक सहयोगी और सहबद्ध / संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों के विवरण :

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	CIN	नियंत्रक/ सहयोगी/ सहबद्ध कंपनी	धारित इक्विटी का %	कंपनी अधिनियम, 2013 का लागू खंड
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	L74899DL1993GOI054155	नियंत्रक	71.63	2(46)
2	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)	U40107KA2006PLC041258	सहयोगी	51.00	2(87)
3	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)	U51909KA2008PLC045558	संयुक्त उद्यम /	50.00	2(6)
4	मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड(MRSL)	U51909TN2006PLC059710	संयुक्त उद्यम / सहबद्ध	49.98	2(6)
5	मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड	U45209KA2006PLC038590	सहबद्ध	कुछ नहीं	2(6)
6	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	U85110KA1998PLC024020	सहबद्ध	कुछ नहीं	2(6)

IV. 31/03/2015 को, शेयर धारण का स्वरूप(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विश्लेषित विवरण)

i) श्रेणी वार शेयरधारण

शेयरधारकों की श्रेणी			वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
			डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक											
(1) भारतीय											
क)	व्यक्ति/एचयूएफ		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
ख)	केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
ग)	कंपनी निकाय		1552507615	0	1552507615	88.583	1552507615	0	1552507615	88.583	0.000
घ)	बैंक/वि.सं.		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
ङ)	कोई अन्य		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
उप योग : (क) (1)			**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.583**	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.583**	**0.000**
(2) विदेशी											
क)	एनआरआई-व्यक्ति		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
ख)	अन्य व्यक्ति		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
ग)	कंपनी निकाय		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
घ)	बैंक/विसं		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
ङ)	कोई अन्य...		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
उप योग (क) (2)			**0**	**0**	**0**	**0.000**	**0**	**0**	**0**	**0.000**	**0.000**
प्रवर्तक का कुल शेयर धारण (क)= (क)(1)+(क)(2)			**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.583**	**1552507615**	**0**	**1552507615**	**88.583**	**0.000**
ख. सार्वजनिक शेयरधारण											
(1) **संस्थाएं**											
क)	म्यूचुअल फंड		21025356	145358	21170714	1.208	24931625	143458	25075083	1.431	0.223
ख)	बैंक/विसं		40209896	46950	40256846	2.297	33173432	49650	33223082	1.896	-0.401
ग)	केंद्र सरकार		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
घ)	राज्य सरकार		2700	0	2700	0.000	2700	0	2700	0.000	0.000
ङ)	वेंचर कैपिटल निधि		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
च)	बीमा कंपनियां		448453	0	448453	0.026	239505	0	239505	0.014	-0.012
छ)	FIIS		12866845	100	12866945	0.734	13413504	100	13413604	0.765	0.031
ज)	विदेशी वेंचर पूंजी निधि		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
झ)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट		0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
उप योग (ख)(1):			**74553250**	**192408**	**74745658**	**4.265**	**71760766**	**193208**	**71953974**	**4.106**	**-0.159**
(2) गैर संस्थाएं											
क)	कंपनी निकाय										
	i)	भारतीय	14162898	129452	14292350	0.816	15217806	128452	15346258	0.876	0.060
	ii)	समुद्रपारीय	0	0	0	0.000	0	0	0	0.000	0.000
ख)	व्यक्ति										
	i)	₹1 लाख तक नाम मात्र शेयर पूंजी रखने वाले प्रत्येक शेयर धारक	62036010	35504705	97540715	5.565	60830964	34646280	95477244	5.448	-0.118
	ii)	₹1 लाख से अधिक नाम मात्र शेयर पूंजी रखने वाले प्रत्येक शेयर धारक	5635130	80000	5715130	0.326	7794977	80000	7874977	0.449	0.123

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डी-मैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
(स्वदेश लौटे) अनिवासी भारतीय	1799457	5283450	7082907	0.404	1825800	5157450	6983250	0.398	-0.006
(स्वदेश न लौटे) अनिवासी भारतीय	652560	200	652760	0.037	683951	200	684151	0.039	0.002
विदेशी नागरिक	1900	0	1900	0.000	1900	0	1900	0.000	0.000
विदेश संविभाग (कार्पोरेट)	30717	0	30717	0.002				0.000	-0.002
हिंदू अविभाजित परिवार	0	100	100	0.000	1749183	100	1749283	0.100	0.100
निदेशक / रिश्तेदार	8500	0	8500	0.001	500	0	500	0.000	0.000
न्यास	19300	1125	20425	0.001	18500	1125	19625	0.001	0.000
उप योग (ख)(2):	**84346472**	**40999032**	**125345504**	**7.152**	**88123581**	**40013607**	**128137188**	**7.311**	**0.159**
कुल सार्वजनिक शेयरधारण (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	**158899722**	**41191440**	**200091162**	**11.417**	**159884347**	**40206815**	**200091162**	**11.417**	**0.000**
ग. GDR और ADR के लिए अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर									
सकल योग (क+ख+घ)	**1711407337**	**41191440**	**1752598777**	**100.00**	**1712391962**	**40206815**	**1752598777**	**100.00**	**0.000**

ii) प्रवर्तकों का शेयर धारण

क्रम सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयर धारण			वर्ष के दौरान शेयर धारण का % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे गए/भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे गए/भारग्रस्त शेयरों का %	
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1255354097	71.628	कुछ नहीं	1255354097	71.628	0.00	0.00
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297153518	16.955	कुछ नहीं	297153518	16.955	0.00	0.00
		1552507615	88.583		1552507615	88.583	0.00	

(iii) प्रवर्तकों के शेयर धारण में परिवर्तन

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	1552507615	88.583	1552507615	88.583
	वर्ष के दौरान वृद्धि/अवनति के कारण स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों के शेयर में दिनांक-वार वृद्धि/अवनति (उदा: आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/ अतिरिक्त इक्विटी आदि):	कुछ नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	1552507615	88.583	1552507615	88.583

2014-15 के दौरान प्रवर्तकों के धारण में कोई परिवर्तन नहीं रहा.

(iv) चोटी के दस शेयरधारकों (GDR और ADR के निदेशकों, प्रवर्तकों और धारकों से भिन्न) का शेयर धारण स्वरूप:

क्रम सं.	चोटी के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**भारतीय जीवन बीमा निगम**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**39718187**	**2.266**	**39718187**	**2.266**
	17/04/2015 (बाजार में व्यापार)	-519811	-0.030	39198376	2.237
	24/04/2015 (बाजार में व्यापार)	-1381074	-0.079	37817302	2.158
	01/05/2015 (बाजार में व्यापार)	-466777	-0.027	37350525	2.131
	08/05/2015 (बाजार में व्यापार)	-733966	-0.042	36616559	2.089
	15/05/2015 (बाजार में व्यापार)	-44040	-0.003	36572519	2.087
	29/05/2015 (बाजार में व्यापार)	-5000	-0.000	36567519	2.087
	19/06/2015 (बाजार में व्यापार)	-225500	-0.013	36342019	2.074
	26/06/2015 (बाजार में व्यापार)	-271257	-0.015	36070762	2.058
	03/07/2015 (बाजार में व्यापार)	-287863	-0.016	35782899	2.042
	10/07/2015 (बाजार में व्यापार)	-529663	-0.030	35253236	2.012
	17/07/2015 (बाजार में व्यापार)	-700000	-0.040	34553236	1.972
	24/07/2015 (बाजार में व्यापार)	-761880	-0.043	33791356	1.928
	07/08/2015 (बाजार में व्यापार)	-817508	-0.047	32973848	1.881
	14/08/2015 (बाजार में व्यापार)	-356500	-0.020	32617348	1.861
	वर्ष के अंत में			**32617348**	**1.861**
2	**बिर्ला सन्न लाइफ ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड AC बिर्ला सन्न लाइफ बैलेंस्ड 95 फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**932017**	**0.053**	**932017**	**0.053**
	19/06/2015 (बाजार में खरीदारी)	270000	0.015	1202017	0.069
	26/06/2015 (बाजार में खरीदारी)	400000	0.023	1602017	0.091
	30/06/2015 (बाजार में खरीदारी)	35000	0.002	1637017	0.093
	10/07/2015 (बाजार में व्यापार)	-420000	-0.024	1217017	0.069
	17/07/2015 (बाजार में व्यापार)	-365565	-0.021	851452	0.049
	24/07/2015 (बाजार में खरीदारी)	91000	0.005	942452	0.054
	31/07/2015 (बाजार में व्यापार)	-241000	-0.014	701452	0.04
	14/08/2015 (बाजार में व्यापार)	-360452	-0.021	341000	0.019
	06/11/2015 (बाजार में खरीदारी)	1312237	0.075	1653237	0.094
	13/11/2015 (बाजार में खरीदारी)	334600	0.019	1987837	0.113
	20/11/2015 (बाजार में खरीदारी)	651000	0.037	2638837	0.151
	27/11/2015 (बाजार में खरीदारी)	50000	0.003	2688837	0.153
	04/12/2015 (बाजार में खरीदारी)	2810000	0.160	5498837	0.314
	11/12/2015 (बाजार में खरीदारी)	776965	0.044	6275802	0.358
	18/12/2015 (बाजार में खरीदारी)	49535	0.003	6325337	0.361
	25/12/2015 (बाजार में खरीदारी)	427000	0.024	6752337	0.385
	31/12/2015 (बाजार में खरीदारी)	140000	0.008	6892337	0.393
	08/01/2016 (बाजार में खरीदारी)	244600	0.014	7136937	0.407
	12/02/2016 (बाजार में खरीदारी)	230000	0.013	7366937	0.420
	19/02/2016 (बाजार में खरीदारी)	23000	0.001	7389937	0.422
	04/03/2016 (बाजार में खरीदारी)	150000	0.009	7539937	0.430
	25/03/2016 (बाजार में खरीदारी)	300000	0.017	7839937	0.447
	31/03/2016 (बाजार में खरीदारी)	210117	0.012	8050054	0.459
	वर्ष के अंत में			**8050054**	**0.459**
3	**रिलाइएन्स कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. - A/C रिलाएन्स कैपिटल बिल्ड फंड 2 Sr B**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**5726887**	**0.327**	**5726887**	**0.327**
	10/04/2015 (बाजार में खरीदारी)	739585	0.042	6466472	0.369
	17/04/2015 (बाजार में खरीदारी)	228000	0.013	6694472	0.382
	24/04/2015 (बाजार में खरीदारी)	1217078	0.069	7911550	0.451

क्रम सं.	चोटी के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	08/05/2015 (बाजार में खरीदारी)	74324	0.004	7985874	0.456
	29/05/2015 (बाजार में व्यापार)	-2606094	-0.149	5379780	0.307
	वर्ष के अंत में			**5379780**	**0.307**
4	**वैनगार्ड एमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड** **A सीरीस आफ वैनगार्ड इंटनैशनल इक्विटी इंडेक्स फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**3711949**	**0.212**	**3711949**	**0.212**
	25/12/2015 (बाजार में व्यापार)	-17622	-0.001	3694327	0.211
	15/01/2016 (बाजार में व्यापार)	-48902	-0.003	3645425	0.208
	22/01/2016 (बाजार में व्यापार)	-23424	-0.001	3622001	0.207
	12/02/2016 (बाजार में व्यापार)	-39200	-0.002	3582801	0.204
	11/03/2016 (बाजार में खरीदारी)	25000	0.001	3607801	0.206
	वर्ष के अंत में			**3607801**	**0.206**
5	**HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**6842847**	**0.390**	**6842847**	**0.390**
	17/04/2015 (बाजार में व्यापार)	-30960	-0.002	6811887	0.389
	24/04/2015 (बाजार में व्यापार)	-267837	-0.015	6544050	0.373
	01/05/2015 (बाजार में व्यापार)	-41841	-0.002	6502209	0.371
	08/05/2015 (बाजार में खरीदारी)	70	0.000	6502279	0.371
	15/05/2015 (बाजार में खरीदारी)	113083	0.006	6615362	0.378
	22/05/2015 (बाजार में व्यापार)	-1000000	-0.057	5615362	0.320
	29/05/2015 (बाजार में व्यापार)	-990322	-0.057	4625040	0.264
	12/06/2015 (बाजार में व्यापार)	-10567	-0.001	4614473	0.263
	19/06/2015 (बाजार में व्यापार)	-191805	-0.011	4422668	0.252
	30/06/2015 (बाजार में व्यापार)	-90000	-0.005	4332668	0.247
	03/07/2015 (बाजार में व्यापार)	-307603	-0.018	4025065	0.230
	31/07/2015 (बाजार में खरीदारी)	4499	0.000	4029564	0.230
	07/08/2015 (बाजार में व्यापार)	-29000	-0.002	4000564	0.228
	14/08/2015 (बाजार में व्यापार)	-211457	-0.012	3789107	0.216
	21/08/2015 (बाजार में खरीदारी)	10762	0.001	3799869	0.217
	28/08/2015 (बाजार में खरीदारी)	7291	0.000	3807160	0.217
	18/09/2015 (बाजार में व्यापार)	-455	-0.000	3806705	0.217
	13/11/2015 (बाजार में खरीदारी)	12400	0.001	3819105	0.218
	11/12/2015 (बाजार में खरीदारी)	9950	0.001	3829055	0.219
	26/02/2016 (बाजार में व्यापार)	-253845	-0.014	3575210	0.204
	वर्ष के अंत में			**3575210**	**0.204**
6	**IDFC इक्विटी ऑपॉर्चुनिटी – सीरीस 1**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**1800000**	**0.103**	**1800000**	**0.103**
	24/04/2015 (बाजार में खरीदारी)	1000000	0.057	2800000	0.160
	29/05/2015 (बाजार में खरीदारी)	2635900	0.150	5435900	0.310
	05/06/2015 (बाजार में खरीदारी)	864100	0.049	6300000	0.360
	19/06/2015 (बाजार में खरीदारी)	146881	0.008	6446881	0.368
	31/07/2015 (बाजार में व्यापार)	-400000	-0.023	6046881	0.345
	07/08/2015 (बाजार में व्यापार)	-600000	-0.034	5446881	0.311
	14/08/2015 (बाजार में व्यापार)	-973500	-0.056	4473381	0.255
	31/12/2015 (बाजार में खरीदारी)	48762	0.003	4522143	0.258

क्रम सं.	चोटी के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	01/01/2016 (बाजार में खरीदारी)	151850	0.009	4673993	0.267
	08/01/2016 (बाजार में खरीदारी)	319388	0.018	4993381	0.285
	15/01/2016 (बाजार में खरीदारी)	45000	0.003	5038381	0.288
	22/01/2016 (बाजार में खरीदारी)	90382	0.005	5128763	0.293
	25/03/2016 (बाजार में व्यापार)	-1000000	-0.057	4128763	0.236
	31/03/2016 (बाजार में व्यापार)	-600000	-0.034	3528763	0.201
	वर्ष के अंत में			**3528763**	**0.2013**
7	**UTI-मिड्डु कैप फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**4132628**	**0.236**	**4132628**	**0.236**
	10/04/2015 (बाजार में व्यापार)	-42909	-0.002	4089719	0.233
	01/05/2015 (बाजार में व्यापार)	-119875	-0.007	3969844	0.227
	08/05/2015 (बाजार में व्यापार)	-280308	-0.016	3689536	0.211
	26/06/2015 (बाजार में खरीदारी)	294013	0.017	3983549	0.227
	30/06/2015 (बाजार में खरीदारी)	90000	0.005	4073549	0.232
	17/07/2015 (बाजार में व्यापार)	-90000	-0.005	3983549	0.227
	24/07/2015 (बाजार में व्यापार)	-90000	-0.005	3893549	0.222
	07/08/2015 (बाजार में व्यापार)	-90000	-0.005	3803549	0.217
	14/08/2015 (बाजार में व्यापार)	-292252	-0.017	3511297	0.200
	21/08/2015 (बाजार में व्यापार)	-90000	-0.005	3421297	0.195
	11/09/2015 (बाजार में व्यापार)	-200000	-0.011	3221297	0.184
	18/09/2015 (बाजार में व्यापार)	-200000	-0.011	3021297	0.172
	25/09/2015 (बाजार में व्यापार)	-200000	-0.011	2821297	0.161
	30/09/2015 (बाजार में व्यापार)	-100000	-0.006	2721297	0.155
	09/10/2015 (बाजार में व्यापार)	-390000	-0.022	2331297	0.133
	11/12/2015 (बाजार में व्यापार)	-200000	-0.011	2131297	0.122
	11/03/2016 (बाजार में व्यापार)	-80000	-0.005	2051297	0.117
	वर्ष के अंत में			**2051297**	**0.117**
8	**वैनगार्ड टोटल इंटरनैशनल स्टॉक इंडेक्स फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**1356433**	**0.077**	**1356433**	**0.077**
	17/04/2015 (बाजार में खरीदारी)	135673	0.008	1492106	0.085
	24/07/2015 (बाजार में खरीदारी)	401551	0.023	1893657	0.108
	31/03/2016 (बाजार में खरीदारी)	21179	0.001	1914836	0.109
	वर्ष के अंत में			**1914836**	**0.109**
9	**DFA इन्वेंस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी की दी एमर्जिंग मार्केट्स स्मॉल कैप सीरीस**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**1523642**	**0.087**	**1523642**	**0.087**
	10/04/2015 (बाजार में खरीदारी)	15572	0.001	1539214	0.088
	17/04/2015 (बाजार में खरीदारी)	32433	0.002	1571647	0.090
	24/04/2015 (बाजार में खरीदारी)	61886	0.004	1633533	0.093
	01/05/2015 (बाजार में खरीदारी)	28715	0.002	1662248	0.095
	08/05/2015 (बाजार में खरीदारी)	62194	0.004	1724442	0.098
	15/05/2015 (बाजार में खरीदारी)	52466	0.003	1776908	0.101
	वर्ष के अंत में			**1776908**	**0.101**
10	**DFA इन्वेस्टमेंट डायमेंशन ग्रूप (DFAIDG) इंक. का एमर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटी पोर्टफोलियो (दी पोर्टफोलियो)**				

क्रम सं.	चोटी के 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के मामले में	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	**1517638**	**0.087**	**1517638**	**0.087**
	17/07/2015 (बाजार में खरीदारी)	49601	0.003	1567239	0.090
	31/07/2015 (बाजार में खरीदारी)	5246	0.000	1572485	0.089
	07/08/2015 (बाजार में खरीदारी)	25441	0.001	1597926	0.091
	16/10/2015 (बाजार में खरीदारी)	20803	0.001	1618729	0.092
	18/12/2015 (बाजार में व्यापार)	-35085	-0.002	1583644	0.090
	वर्ष के अंत में			**1583644**	**0.090**

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों का शेयर धारण:

क्रम सं		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचई शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**डी.के. सर्राफ़, अध्यक्ष**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**100**	**0.00**	**100**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**100**	**0.00**
2	**एच. कुमार, प्रबंध निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**200**	**0.00**	**200**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**200**	**0.00**
3	**श्री एम. वेंकटेश , निदेशक (रिफाइनरी)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
4	**श्री ए.के. साहू, निदेशक (वित्त)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
5	**श्री बी.के. नामदेव, निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**200**	**0.00**	**200**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**200**	**0.00**
6	**श्रीमती पेरिन देवी, निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
7	**श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**
8	**दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव**				
	वर्ष के प्रारंभ में	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
	कोई लेन-देन/हस्तांतरण/बोनस/अतिरिक्त इक्विटी आदि नहीं	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में			**0**	**0.00**

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपचित, परंतु भुगतान के लिए देय न हुए ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता (ONGC, OIDB व ECB के संबंध में ख़जाना अद्यतन)

(₹ करोड़ों में)

		जमाराशियों को छोड़कर जमानती ऋण	गैर जमानती ऋण	जमाराशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता					
i)	मूल धनराशि	4062.82	4958.77	-	9021.59
ii)	देय परंतु अदा न किया गया ब्याज	-	-	-	-
iii)	उपचित परंतु देय न हुआ ब्याज	31.22	-	-	31.22
कुल	**(i+ii+iii)**	**4094.09**	**4958.77**	**-**	**9052.81**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन					
i)	परिवर्धन	760.63	-	-	760.63
ii)	कटौतियां	140.64	1541.30	-	1681.94
निवल परिवर्तन		619.99	**(1541.30)**	-	(921.31)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता					
i)	मूल धनराशि	4682.82	3417.46	-	8100.28
ii)	देय परंतु अदा न किया गया ब्याज	-	-	-	-
iii)	उपचित परंतु देय न हुआ ब्याज	36.38	-	-	36.38
कुल	**(i+ii+iii)**	**4719.20**	**3417.46**	**-**	**8136.66**

VI. निदेशकों और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के विवरण	प्रनि/पूकानि का नाम				कुल रकम
		श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक	श्री एम. वेंकटेश निदेशक (रिफाइनरी)	श्री ए.के. साहू निदेशक (वित्त) (01/02/2016 से 31/03/2016 तक)	श्री विष्णु अग्रवाल निदेशक (वित्त) (31/01/2016 तक)	
1.	कुल वेतन					
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	0.32	0.24	0.04	0.41	1.01
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	0.03	0.03	0.00	0.03	0.09
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	स्टॉक विकल्प	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	अतिरिक्त इक्विटी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल	**0.35**	**0.27**	**0.04**	**0.44**	**1.10**

पारिश्रमिक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा के अंदर है.

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी ने पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए वेतन के अलावा निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है.

ग. प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों से भिन्न महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के विवरण	दिनेश मिश्रा (कंपनी सचिव)
1	कुल वेतन	
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	0.19
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	0.02
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	कुछ नहीं
2	स्टॉक विकल्प	कुछ नहीं
3	अतिरिक्त इक्विटी	कुछ नहीं
4	अन्य	कुछ नहीं
	कुल	0.21

अनुबंध 'ङ'

फ़ॉर्म AOC-2

[कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के नियम 8(2) का अनुसरण करते हुए]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पक्षकारों के साथ एवं उसके तीसरे परिशिष्ट के तहत नज़दीकी तेल भंडारों के साथ कंपनी के लेन-देन सहित ठेकों/व्यवस्थाओं के विवरण प्रकट करने संबंधी फार्म.

1. नज़दीकी तेल भंडारों के साथ किए गए ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के ब्यौरे

संबद्ध पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन-देनों का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन-देनों की अवधि	अगर कोई मूल्य हो तो मूल्य सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की मुख्य शर्तें	ऐसे ठेके अथवा व्यवस्थाएं अथवा लेन-देन करने का औचित्य	मंडल की अनुमोदन तारीख (खें)	अगर कोई पेशगी दी गई हो उसकी रकम	धारा 188 के पहले परंतुक के तहत यथा अपेक्षित सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प की तारीख
कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

2. नज़दीकी तेल भंडारों के साथ सामग्री संबंधी ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों के ब्यौरे

	संबद्ध पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं / लेन-देनों का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि	अगर कोई मूल्य हो तो मूल्य सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की मुख्य शर्तें	मंडल/लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन दिनांक	अगर कोई पेशगी दी गई हो उसकी रकम
1	ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड - (सहयोगी कंपनी) *	OMPL को सुकरण सेवाएं प्रदान करते हुए MRPL से फ़ीड स्टॉक का और OMPL से वापसी धाराओं का अंतरण	मंडल द्वारा अनुमोदित मुद्दत संबंधी शीट	परस्पर सम्मत कीमत पर OMPL को सुकरण सेवाएं प्रदान करते हुए MRPL से फ़ीड स्टॉक का और OMPL से वापसी धाराओं का अंतरण	08/02/2014	कुछ नहीं
2	ONGC*	क्रूड तेल की बिक्री संबंधी करारनामा	01/04/2015 से 31/03/2016	कीमत निर्धारण सूत्र के अनुसार तय की गईं कीमतों पर आबंटित परिमाण के सुपुर्दगी स्थान पर ONGC से क्रूड तेल की खरीदारी.	#	कुछ नहीं
3	ONGC*	सावधि ऋणों पर ब्याज	31/12/2021 तक 7 वर्ष	चरण-3 और पॉलीप्रॉपीलीन परियोजना के लिए दीर्घावधि सावधि ऋण. ब्याज दर है - SBAR घटाएं 385 मूल पाइंट.	#	कुछ नहीं
4	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)*-प्रवर्तक कंपनी	ONGC और HPCL के बीच उत्पाद के क्रय-विक्रय के बारे में MOU, ऊर्जा और संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और सहयोग प्रदान करना.	चालू ठेका	(1) उत्पाद का क्रय-विक्रय, ऊर्जा और संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और सहयोग प्रदान करना. जब तक परस्पर अन्यथा सहमति न हुई हो, उत्पादों(MS/HSD/SKO/ATF/एलपीजी) का कीमत निर्धारण, समय-समय पर विद्यमान PSU OMC के मौजूदा शर्तों के अनुरूप होगा. लेकिन दोनों पक्षकार, मोटर रहित ईंधन के लिए कीमत निर्धारण तंत्र को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे. (2) HPCL, अपने मंगलूर, हासन और देवगुंथी टर्मिनलों से ONGC को आतिथ्य की व्यवस्था के अंतर्गत सड़क और रेल टर्मिनलिंग सेवाएं प्रदान करेगा ताकि RO/ग्राहकों को आपूर्ति करना संभव हो.	#	कुछ नहीं

	संबद्ध पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं / लेन-देनों का स्वरूप	ठेकों/व्यवस्थाओं/ लेन-देनों की अवधि	अगर कोई मूल्य हो तो मूल्य सहित ठेकों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देनों की मुख्य शर्तें	मंडल/लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन दिनांक	अगर कोई पेशगी दी गई हो उसकी रकम
5	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	जेट ईंधन के क्रय-विक्रय और संरचना को बांटने संबंधी करारनामा	चालू ठेका	भारत में तेल विपणन कंपनी को देशी बिक्री के अनुरूप जेट ईंधन का क्रय और विक्रय तथा कीमत निर्धारण सूत्र के अनुसार तय की गईं कीमतों पर संरचना को बांटना	#	कुछ नहीं
6 (क)	मंगलूर SEZ लिमिटेड	जल की आपूर्ति और उपचारित बहिस्राव के निपटान के लिए करार	चालू ठेका	MSEZL द्वारा खरीदी गई जमीन में एमआरपीएल के लिए जल संबंधी संरचनाओं और उपचारित बहिस्राव के निपटान संबंधी संरचनाओं का विकास, जिसमें शामिल हैं, जल स्रोत संबंधी संरचना, एमआरपीएल की बैटरी सीमाओं तक पाइपलाइन हस्तांतरण तंत्र, संग्रहण और जल वितरण तथा उपचारित बहिस्राव के निपटान के लिए आवश्यक संरचना स्थापित करना.	14/09/2014	कुछ नहीं
6 (ख)	मंगलूर SEZ लिमिटेड	पाइपलाइन सह रोड कॉरिडॉर स्थापित करना	19/03/2016 से	एमआरपीएल को हक है कि वह अपने प्रचालन के लिए पाइपलाइन-सह-रोड कॉरिडॉर के पाइप रैक/स्लीपर्स खंड का उपयोग करे और साथ ही प्रयुक्त "प्रभावी जगह" की सीमा तक प्रवेश करे.	09/03/2016	₹ 90.00 करोड़

* सरकारी कंपनियां

लागू नहीं

टिप्पणी: MCA, अपनी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के जरिए और SEBI लिस्टिंग विनियम के विनियम 23 के अनुसार, रिपोर्ट करने के सिलसिले में दो सरकारी कंपनियों के बीच संबंधित पक्षकारों को लेन-देन करने की छूट देती है. .

अनुबंध 'च'

फार्म सं. MR-3

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 का अनुसरण करते हुए]

सेवा में,
सदस्य,
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : मुडपदव,
कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग: काटिपल्ला,
मंगलूर -575030

मैंने, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) के लिए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इनके द्वारा अपनाई जाती रही अच्छे कंपनी व्यवहार के अनुपालन को लेकर साचिविक लेखा परीक्षा की. साचिविक लेखा परीक्षा इस तरह से की गई जिससे मुझे कंपनी के आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला.

साचिविक लेखा परीक्षा के दौरान, कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त संबंधी बहियों, फाइल किए गए फार्मों और विवरणियों और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का मेरी ओर से किए गए सत्यापन के आधार पर मैं यह रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाते हुए लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कंपनी ने अपने यहां मंडल संबंधी प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्र को उस हद तक, उस तरीके से लागू किया है जिसका जिक्र इसके आगे रिपोर्टिंग में किया गया है:

मैंने, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) द्वारा रखी गईं बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त संबंधी बहियों, फाइल किए गए फार्मों और विवरणियों एवं अन्य रेकॉर्डों का, यहां नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया:

i. कंपनी अधिनियम, 2013(दी ऐक्ट) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संबंधी ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और उसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप-नियम;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार;

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('SEBI Act') के तहत निर्धारित नीचे उल्लिखित विनियम और दिशानिर्देश:

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियम, 2015;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

घ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993

vi. कारखाना अधिनियम, 1948, ठेका मजदूर (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946, मज़दूरी भुगतान अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948.

vii. जल प्रावधान (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और उसके अधीन बनाए गए नियम.

viii. गैस सिलिंडर नियम, पेट्रोलियम नियम और भारतीय बॉइलर विनियम और भारतीय बॉइलर अधिनियम के प्रावधान.

ix. CPSE के लिए कंपनी अभिशासन संबंधी DPE के दिशानिर्देश.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान नीचे उल्लिखित विनियम और दिशानिर्देश, कंपनी के लिए लागू नहीं हुए:

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्ज प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम 2008;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम 2009;

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीदारी) विनियम 1998;

मैंने, नीचे उल्लिखित खंडों में से लागू खंडों के अनुपालन को लेकर भी परीक्षण किया:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानक.

ii. कंपनी द्वारा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. और बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज लि. के साथ किए गए लिस्टिंग संबंधी करारनामे.

iii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग संबंधी दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (1 दिसंबर, 2015 से प्रभावी)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित अभ्युक्तियों के अधीन, ऊपर उल्लिखित अधिनियम, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है.

i. कंपनी ने कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत अपेक्षित ओवरटाइम कार्य समय के बारे में कानून/नियमों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है.

ii. कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग संबंधी करारनामे/SEBI (LODR) विनियम, 2015 के खंड 49 के प्रावधानों और CPSE के लिए कंपनी अभिशासन संबंधी DPE के दिशानिर्देश का अनुसरण करते हुए बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक और कंपनी के बोर्ड पर उप-समितियां रखने के बारे में पालन नहीं किया है और आगे ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL), सहयोगी कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशक का नामांकन करने के बारे में पालन नहीं किया है.

मैं आगे यह रिपोर्ट करता हूँ कि विव 2014-15 के दौरान, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में ₹ 2000 करोड़ से ₹ 3000 करोड़ तक वृद्धि हुई. MCA पोर्टल ने कंपनी को प्राधिकृत पूंजी में बढ़त के लिए अधिकतम शुल्क के प्रति ₹ 2,50,00,000/- अदा करने की अनुमति नहीं दी. इसलिए, कंपनी ने ई-फार्म SH -7 भरकर यह वचन दिया है कि वह, मांग किए जाने पर MCA को ₹ 2,50,00,000/- अदा करेगी. MCA ने फार्म के लिए अनुमोदन दिया है. बाद में, कंपनी रजिस्ट्रार, बेंगलूर ने मामला स्पष्ट करते हुए कहा कि MCA से कोई अनुदेश न मिलने के कारण कोई दावा नहीं किया गया. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के भावी अवलोकन के आधार पर यह मान लिया गया है कि कंपनी को बढ़ाई गई शेयर पूंजी पर कोई शुल्क अदा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी, अपनी प्राधिकृत पूंजी के लिए शुल्क के अधिकतम स्लैब तक पहुंच चुकी थी.

मैं आगे यह रिपोर्ट करता हूँ कि

कंपनी के निदेशक मंडल में, 31 मार्च, 2016 को एमआरपीएल के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर कार्यकारी निदेशक, गैर कार्यकारी निदेशक हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में उक्त प्रावधानों का अनुपालन करते हुए परिवर्तन किए गए.

बोर्ड की बैठकों की अनुसूची के बारे में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है और कार्यसूची एवं कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी गई थीं और बैठक से पहले कार्यसूची संबंधी मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और हासिल करने एवं बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र मौजूद है.

वर्ष के दौरान बोर्ड के तमाम फ़ैसले, कंपनी के प्रवर्तक, ओएनजीसी और एचपीसीएल के बीच हुए शेयरधारकों के करारनामे के अनुरूप रहें.

आगे मैं यह रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में ऐसे पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं हैं जो कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप हैं जिससे कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

मैं आगे यह रिपोर्ट करता हूँ कि उक्त लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर उल्लिखित कानून, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों का अनुसरण करते हुए ऐसी कोई निर्दिष्ट घटनाएं नहीं हुईं/कार्रवाई नहीं की गईं जिनका कंपनी के कामकाज पर ख़ास असर पड़े.

कृते **उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स**

पेशेवर कंपनी सचिव
हस्ता/-
सीएस उल्लास कुमार मेलिनमोगरु
मालिक
FCS 6202, CP सं. 6640

दिनांक: 7 जून, 2016
स्थान: मंगलूर

अनुबंध 'छ'

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (Act) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है. नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5)के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक , अधिनियम की धारा 143(10) के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं. यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 12.05.2016 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए ऐसा किया है.

मैं ने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की तरफ से, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है . सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखें बगैर अनुपूरक लेखा परीक्षा की गई है और यह, सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों और कुछ लेखा मानकों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है. मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिस पर टिप्पणी करना पड़े अथवा जो सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का समर्थन करे.

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक और उनकी तरफ से
हस्ता/-
(जी. सुधर्मिणी)
प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक और
पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड

स्थान: चेन्नई
दिनांक : 27/06/2016

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (Act) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है. नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5)के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं. यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 12.05.2016 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए ऐसा किया है.

मैं ने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की. हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की. आगे, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ख), एक निजी उद्यम होने के नाते मंगलूर रीटेल सर्विसेस लिमिटेड और शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड को लागू नहीं होती है. तदनुसार C&AG ने न सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की है न ही इन कंपनियों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की. सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखे बगैर यह अनुपूरक लेखा परीक्षा की गई है और यह, मूल रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों की पूछताछ और कुछ लेखा रेकॉर्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है.

मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिस पर टिप्पणी करना पड़े अथवा जो सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का समर्थन करे.

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक और उनकी तरफ से
हस्ता/-
(जी. सुधर्मिणी)
प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक और
पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड

स्थान: चेन्नई
दिनांक : 27/06/2016

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1.0 आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय भूदृश्य में कई नाजुक राजनैतिक, भौगोलिक राजनैतिक, व्यावसायिक, नीतिपरक और कूटनीतिक उथलपुथल नज़र आए जिनके चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर काफ़ी असर पड़ा.

2007 में वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) का दौर गुजरे आठ साल से भी अधिक समय बीत चुका है. फिर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था, अपनी परेशानियों से बाहर निकल नहीं पाई है. सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप, यूके और जापान, उदार रवैया अपनाते रहे हैं, जो स्पष्ट संकेत देता है कि वृद्धि और मुद्रास्फ़ीति में, संधारणीय स्तर तक बहाली नज़र नहीं आई है. तरक्की की निगाहों से देखने पर फेडरल रिज़र्व के लिए दिसंबर 2015 की शुरुआती दौर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि 2008 के अंतिम महीनों से नीतिपरक दरों को सामान्य स्थिति में लाने की प्रक्रिया के दौरान अल्पावधि सामान्य ब्याज दर शून्य या उसके करीब थी. लेकिन आर्थिक परिदृश्य की नाजुकता स्पष्ट रूप से तब झलकने लगी जब एक महीने से कम समय में समर्थन मिलने पर उसके प्रभाव के उलट चीन में कमजोरी के संकेत दिखाई देने लगे. इन तमाम देशों में मुद्रास्फ़ीतिकारक परिदृश्य में नरमी छाई रही जो संधारित बहाली की आशाओं पर पानी फेर रहा है. चीन की कमजोर होती रही अर्थव्यवस्था, उसके गिरते इक्विटी बाजार और उसकी मुद्रा के मूल्यह्रास का वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर असर पडने की आशंका है.

वैश्विक वृद्धि दर जो इस समय यानी 2016 में 3.1 प्रतिशत है, 2016 में 3.4 प्रतिशत और 2017 3.6 प्रतिशत होने का अनुमान है. विकसित देशों में, मामूली और असमान बहाली जारी रहने की उम्मीद है जब कि उत्पादन में अंतराल धीरे-धीरे और बढ़ने की आशा है. उभरते हुए बाजारों और विकासशील देशों में नज़ारा वैविध्यपूर्ण है लेकिन कई देशों में एकदम चुनौतीपूर्ण है. चीन की अर्थव्यवस्था में धीमापन और पुनर्संतुलन, निम्नतर पण्य कीमतों और बड़े उभरते हुए बाजारों में तनाव, 2016-17 में वृद्धि की संभावनाओं पर भारी पड़ेगा.

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था

निजी उपभोक्ता व्यय में सुधार की प्रत्याशा के आधार पर किए गए आकलन के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 7.4% से 8.4% तक बढ़ने और स्थाई पूंजी 8.3% होने का अनुमान है. IMF और विश्व बैंक, दोनों ने अपने 2016 के सिंहावलोकन में, 2016 और 2017 में प्रमुख देशों में भारत, सर्वाधिक रफ़्तार से तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का आशय व्यक्त किया है. कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों में अस्थिरता दिखाई देने के बावजूद (उदा: निर्यात में कमी, कम IIP संख्याएं आदि), वृद्धि की रफ्तार बरकरार रहेगी. ध्यान देने लायक है कि वृद्धि के साथ-साथ समष्टि आर्थिक स्थिरता भी नज़र आई है. मुद्रास्फ़ीति नियंत्रण में है और भुगतान संतुलन स्थिति स्वस्थ नज़र आती है. पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत अंतर्वाह सुदृढ़ बनी रही है जो दिए गए आंकड़ों से जाहिर होता है.

सड़क का जाल बढ़ाने, समर्पित फ्रेट कॉरिडर बनाने, औद्योगिक कॉरिडॉर बनाने, स्मार्ट सिटी बनाने और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने की सरकार की योजना है जिसके लिए बड़ी पूंजी लगानी पड़ेगी. इसका, कोर उद्योगों जैसे स्टील, सिमेंट, विद्युत और निर्माण पर भी गहरा असर पड़ेगा और इन तीनों क्षेत्रों में अधिक क्षमता उपयोग करने के लिए आधारभूत होंगे. यद्यपि अगले वर्ष में सिर्फ़ गिनी चुनी योजनाओं को अमल में लाने की संभावना है, निवेश से जुड़ी मांग में वृद्धि से लाभप्रदता बढ़ने और इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की संभावना है.

एक अन्य प्रभावी कारक है पण्य-माल की कीमतें जिनमें वैश्विक औद्योगिक चहल-पहल में ख़ासकर चीन में गिरावट के कारण अवनति नज़र आई है. अधिकतर आयात किए गए जाने वाले तेल और गैस की कीमतों में गिरावट से उपदान का बोझ काफ़ी हद तक घट गया है और भारत सरकार के लिए अधिक संसाधन हाथ लग गए हैं जिनका मूल ढांचे की परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए इस्तेमाल करने की संभावना है. लेकिन अन्य पण्यों जैसे स्टील और अन्य धातु उत्पादों की कीमतों में गिरावट से भारतीय उत्पादकों की लाभप्रदता पर गहरा असर पड़ा है ख़ासकर उस वक्त जब उन्होंने मूल ढांचे की सुविधाओं के निर्माण से मांग की आशा रखते हुए बड़ी मात्रा में उत्पादन किया है.

भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के शेष देशों के साथ परस्पर जोड़ने का कार्य बड़ी रफ़्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और इस वजह से दुनियाभर में होती रही उथल पुथल का, देशी अर्थव्यवस्था पर पहले की अपेक्षा काफ़ी बड़े पैमाने पर असर पड़ रहा है. यद्यपि इसका बहुत सारे माध्यमों के जरिए प्रभाव पड़ सकता है लेकिन अधिकतर वाणिज्य अथवा व्यापार चैनल, पूंजीगत अंतर्वाह चैनल और साथ ही विश्वास चैनल के जरिए भी इसका असर नज़र आता है.

वैश्विक आर्थिक बहाली में धीमापन होने की संभावनाओं के चलते आने वाले वर्षों में निर्यात में काफ़ी तेज गति से वृद्धि हासिल करने के लिए भारत को चुनौतियों का सामना करने की नौबत आ सकती है जबकि आपूर्ति के छोर पर व्यवरोध के कारण अल्पावधि में कीमत की संवेदनशीलता मंद पड़ सकती है. अनिश्चित वैश्विक मांग के चलते, देश के सामने यह चुनौती होगी कि वह नए बाजारों और मौजूदा बाजारों के लिए नए उत्पादों की खोजबीन करने के साथ-साथ भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता से संबंधित मुद्दा सुलझाए.

2.0 उद्योग का सिंहावलोकन

2.1 वैश्विक परिदृश्य

दुनियाभर के क्षेत्रों से मिले सबसे अद्यतन आंकड़ों पर आधारित समायोजन के बावजूद दुनियाभर में तेल की मांग में 2015 में औसत 92.98 mb/d तक अर्थात्; 1.54 mb/d का इज़ाफ़ा हुआ जो पिछली मासिक रिपोर्ट से भिन्न नहीं है. 2016 में, आशा की जाती है कि दुनिया में तेल की मांग में औसत 94.23 mb/d तक अर्थात्; 1.25 mb/d की वृद्धि होगी जो पिछली मासिक रिपोर्ट से भिन्न नहीं है. एशिया, एशिया पेसिफिक और यूरोप में, अपेक्षा से बेहतर तेल मांग के आंकड़ों के कारण, कुछ ऊर्ध्वमुखी संशोधन करने पर विचार किया गया. हालांकि अपेक्षा से अधिक कमजोर तेल मांग के आंकड़ों से कुछ अधोमुखी समायोजन मिलते हैं और लातिन अमेरिका एवं FSU के आर्थिक परिदृश्य में धीमापन नज़र आता है.

रिफाइनर्स को पिछले दो साल से भी अधिक समय से क्रूड कीमतों में सहसा गिरावट से बड़ा फायदा हुआ है. विशेषकर अप्पस्ट्रीम में रखे गए अतिशय स्टॉक के कारण सस्ता फ़ीडबैक का बोनैंज़ा मिला जिसके चलते अब तक के कुछ सर्वाधिक प्रचालन डाउनस्ट्रीम दर हासिल हुई हैं जो याद रखने लायक हैं. अब रिफाइनर्स, जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के आगमन की तैयारी हो रही है, मांग वर्ष में सुनहरे क्षण की कगार पर हैं. लेकिन तेल का ओवरहैंग, डाउनस्ट्रीम की तरफ मुड़ रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में मुनाफ़े में तेजी का रुख नजर नहीं आ रहा है. रिफाइनर्स को एक और ग्रीष्म ऋतु का निराशाजनक ढंग से सामना करने की नौबत आ सकती है.

मांग में अनपेक्षित बढ़त के चलते 2015 में मुनाफ़े में इज़ाफ़ा हुआ. पिछले वर्ष गैसोलीन खपत में अमेरिका और चीन में 250,000 b/d की और भारत में 50,000 b/d की वृद्धि हुई. लेकिन अमेरिका और यूरोप में मुनाफे में इज़ाफ़ा, ऑक्टेन गिरावट के कारण भी हुआ जिससे उपयुक्त ब्लेंड स्टॉक के मूल्य में एकदम उछाल नज़र आया.

ग्रीष्म गैसोलीन ब्लेंड का उत्पादन करना कठिन होता है क्योंकि मिश्रण में मौजूद अन्य तत्वों की कमी पूरी करने के लिए कम वाष्पशील, अधिक ऑक्टेन युक्त घटक की अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है. अधिक अमेरिकी शेल रन्न के कारण कम ऑक्टेन युक्त नैफ़्ता का अधिक प्रमाण में उत्पादन हुआ. निम्नतर कीमतों से प्रोत्साहित होकर रिफाइनर्स ने, गैसोलीन पूल में अधिक मात्रा में नैफ़्ता का प्रयोग किया जिसके चलते तैयार गैसोलीन में विनिर्देश बरकरार रखने के लिए उनको मजबूरन अधिक ऑक्टेन युक्त घटकों की खातिर अधिक कीमत चुकानी पड़ी.

वैश्विक क्रूड आपूर्तिकर्ता, अपनी आपूर्तियों को सीमित कर रहे हैं क्योंकि निम्नतर कीमतों से गैर ओपेक उत्पादन करना संभव नहीं होता है. केनडा में अग्निकांड और नाइजीरिया में विद्रोहियों की बगावत के कारण क्रूड का उत्पादन लगभग 2mn b/d तक घट गया. इससे हुए नुकसान के चलते क्रूड की कीमतें, सात महीनों में अपनी ऊंचाई पर रहीं और अंत में क्रूड स्टॉक में निवेश की मात्रा घटानी पड़ी. यद्यपि तेल आपूर्ति की मात्रा घट रही है, पहली तिमाही में 1.9% की वृद्धि के बाद जिसमें इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष 1.7mn b/d का इज़ाफ़ा हुआ था, वैश्विक मांग की वृद्धि में स्थिरता नज़र आ रही है. द्वितीय भाग में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में मंद प्रवृत्ति रहने के कारण वृद्धि में अवनति होने का अनुमान है. लेकिन जब तक ओपेक उत्पादक, उत्पादन बढ़ा न लें, ढ़ाई वर्षों में पहली बार 2016 के मध्य भाग तक आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बैठने की संभावना है.

उम्मीद है कि उभरते हुए देशों की तेजी से होती रही तरक्की को देखते हुए और OECD की खपत बढ़ने की संभावनाओं के बावजूद तेल की खपत बढ़ती रहेगी. तिस पर भी, उच्चतर कीमतों के प्रति उपभोक्ताओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया और तेल की वृद्धि को घटाने की दृष्टि से बनाई गई सरकारी नीतियों के कारण अन्य ईंधनों की अपेक्षा तेल में तेजी से वृद्धि होने की संभावना नहीं है. खपत में अपेक्षित वृद्धि की पूर्ति करने के लिए वैश्विक संसाधन पर्याप्त हैं लेकिन जिन देशों के पास अधिकतर संसाधन हैं उनकी नीतियों के चलते अधिक लागत वाली आपूर्ति का विकल्प व्यवहार्य रखते हुए विकास की रफ़्तार कुंठित होने की संभावना है. तेल (और जैविक ईंधन) का, परिवहन क्षेत्र में 2030 तक प्रभुत्व बना रहेगा जब कि तेल खपाने वाले उपकरणों की लागत और दीर्घ आर्थिक आयु के चलते, अगले 20 वर्षों में पर्याप्त बाजार अंश हासिल करने की अन्य ईंधनों की संभावनाएं सीमित होंगी.

2.2 भारत का परिदृश्य

दुनिया की आबादी के 18% लोगों की जन्मभूमि, भारत, दुनिया के मूल ऊर्जा का सिर्फ़ 6% उपयोग करता है. सन् 2000 से भारत की ऊर्जा की खपत लगभग दुगुनी हो गई है और आगे चलकर इसमें तेज रफ़्तार से बढ़त होने की काफ़ी संभावना है. भारत की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तेज रफ़्तार से तरक्की की राह पर चल रही है और देश के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने और विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार के लिए नीतियां लागू की जा चुकी हैं. अगर ऊर्जा की आपूर्ति का सुव्यवस्थित ढंग से इंतजाम किया गया तो बेहतर कल्याण एवं जीवन की गुणवत्ता के मायने में भारत की 1.3 अरब जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नीति-निर्माता, अपने प्रयास पुरजोर करते हुए यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की तरक्की में ऊर्जा एक प्रेरक होगा न कि एक अड़चन क्योंकि ऊर्जा की दक्षता और कीमत निर्धारण में सुधार करने पर अधिक जोर देने के साथ-साथ ऊर्जा की आपूर्ति में निवेश करने में आड़े आने वाली सारी बाधाएं हटाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है. (तेल की कीमत में गिरावट का फायदा उठाकर 2014 के अंत में डीज़ल कीमतों के विनियमन का मतलब है कि अब तेल आधारित परिवहन ईंधन, उपदान मुक्त हैं). तेल की मांग, दूसरे किसी भी देश की अपेक्षा बढ़ रही है जो 2040 तक 10 mb/d के आस-पास होगी.

भारत, तेजी से एक वैश्विक परिष्करण हब्ब की तरह उभर रहा है. पर्यावरण को लेकर सख्त मापदंड होने के कारण अमेरिका और यूरोप में परिष्करण क्षमता लगभग अवरुद्ध अथवा कम हो गई है जिससे उनको विकासशील बाजारों से आयात पर निर्भर होना पड़ रहा है. भारतीय रिफाइनर्स को, कम पूंजी और परिचालन खर्च के कारण प्रतिस्पर्धात्मक फायदा है.

सरकार की सक्रिय नीतियों के चलते भारतीय परिष्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है. भारत के नई तटवर्ती रिफाइनरियों की जटिलता अधिक होने के कारण वे BS/ यूरो IV और BS/ यूरो V जैसे उत्पाद बना पाती हैं जो विकसित बाजारों के उत्सर्जन संबंधी मानदंड पूरा करते हैं और इस तरह से उनको बेहतर मुनाफा दिलाने में सहायक होती हैं. खपत से अधिक उत्पादन करने के कारण, भारत, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर रहा है. भारत के रिफाइनर्स ने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पूर्ति करने की दृष्टि से उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मोटी मात्रा में निवेश किया है. वाहन के उत्सर्जन संबंधी मापदंडों में सख्ती आने के कारण उम्दा किस्म के ईंधनों की मांग बढ़ती रही है. पश्चिम में पुरानी और छोटी रिफाइनरियां, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य न होने के कारण उम्दा किस्म के ईंधन नहीं बनाती हैं. इस कारण, अत्याधुनिक प्रौद्योगिक और उचित उत्पादों से लैस भारत की नई रिफाइनरियों को, भविष्य में भी निर्यात बाजार तलाशने के मौके मिलेंगे.

इस समय उद्योग ने, दुनिया भर में अपने आपको एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में सिद्ध करने में अच्छा काम किया है और परिष्करण क्षमता की निगाहों से, जो इस समय 230.066 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMTPA) है आज, दुनिया में हमारा देश अमेरिका, रशियन फेडरेशन और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा देश है. भारत में कुल मिलाकर 23 रिफाइनरियां हैं जिनमें से 18 सरकारी क्षेत्र में हैं, 3 निजी क्षेत्र में और 2 संयुक्त उद्यम हैं. आपकी कंपनी की परिष्करण क्षमता, 15MMTPA है जो भारत की कुल परिष्करण क्षमता का करीब 7% है.

भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मांग में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है. भारत की अधिक आर्थिक वृद्धि के कारण रिफाइनरी उत्पादों की सुदृढ मांग है. ख़ास तौर से परिवहन क्षेत्र के कारण ऐसी वृद्धि संभव हो पाई है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में तेजी की धूम मची हुई है.

देशी बाजार में समग्र बिक्री में HSD का अनुपात करीब 40.6% है जब कि MS का हिस्सा, 11.9% के आस-पास है. अवधि के दौरान, MS में 14.5% का इज़ाफ़ा हुआ जब कि HSD की मांग में करीब 7.5% की बढ़त हुई है. आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि जैसे-जैसे गति पकड़ेगी एलपीजी, MS और HSD जैसे अधिक मूल्य के परिष्करण उत्पादों के लिए मांग, अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की अपेक्षा तेज रफ़्तार से बढ़ेगी. भारत, पेट्रोलियम उत्पादों का निवल निर्यातकर्ता रहा है.

2015-16 के दौरान भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और उत्पादन स्वरूप

('000 MT)

उत्पाद	खपत		उत्पादन	
	2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
एलपीजी	19551	18019	10600	9840
एमएस	21846	19075	35321	32233
नैफ़्ता	13402	10939	17676	17465
एटीएफ	6220	5578	11793	11086
एसकेओ	6826	7087	7503	7634
एचएसडी	74639	69404	98587	94338
एफ.ओ और एलएसएचएस	6673	6017	10791	12054
पेट्र कोक	18323	14408	12298	11678
कुल	**167480**	**150527**	**204569**	**196328**

(सूत्र : PPAC)

भारत को, जो अपने तेल की 80 प्रतिशत ज़रूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर होना पड़ता है, बढ़ती रही मुद्रास्फ़ीति का सामना करने के साथ-साथ क्रूड तेल कीमतों में प्रति बैरल में हर एक डॉलर की बढ़त के लिए ₹ 9,126 करोड ($ 1.36 अरब) अधिक खर्च करने पड़ेंगे. भारत की आर्थिक वृद्धि दर को, जो 2015-16 में 7.6 प्रतिशत है, प्रमुख देशों में से सबसे तेज दर के रूप में करार दिया गया है. इस वृद्धि दर से प्रमुख कारक रही हैं, तेल और पण्य की कीमतें.

एक निवल खरीदार होने के नाते भारत को पिछले एक वर्ष से अधिक समय से शासन से फायदा हुआ है. अगर ये कीमतें, वर्तमान सीमा के अंदर टिकी रहीं तो हमें इसे झेल सकेंगे लेकिन अगर कीमतों में अनुचित वृद्धि हुई तो मुद्रास्फ़ीति और बचत पर इसका असर गौर करने लायक होगा.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एमआरपीएल का उत्पादन

उत्पाद	('000 MT)
हाइड्रोजन	0.04
एलपीजी	803.35
ईंधन गैस	3.60
एमएस	1140.54
मिश्रित ज़ाइलीन	224.10
नैफ़्ता	1573.59
एसकेओ	562.87
एचएसडी	6454.52
एटीएफ	1001.25
वीजीओ	202.55
ईंधन तेल	604.39
एस्फाल्ट	181.45
सीआरएमबी	1.76
गंधक	857.11
पेट्र कोक	158.78
कुल	**13769.9**

2015-16 के दौरान एमआरपीएल द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात.

('000 MT)

उत्पाद	MRPL	
	2015-16	**2014-15**
एमएस	174.23	147
नैफ़्ता	928.38	971
एटीएफ	818.68	1075
डीज़ल	668.25	904
ईंधन तेल	629.96	1731
कुल	**3219.50**	**4828**

3.0 भारत द्वारा क्रूड का आयात:

देश में क्रूड तेल का आयात, पिछले कुछ वर्षों से बढ़ता रहा है जो परिष्करण क्षमता में वृद्धि के अनुरूप है. भारत ने वर्ष 2015-16 के दौरान 202 दशलक्ष टन क्रूड तेल का आयात किया जब कि 2014-15 के दौरान 192 दशलक्ष टन क्रूड तेल का आयात किया गया था.

वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रूड तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट नज़र आई. 2014-15 के दौरान ब्रेंट और दुबई क्रूड तेल की कीमत औसतन $85 प्रति बैरल और $83 प्रति बैरल रही जिसमें पिछले वर्ष की $108 और $105 प्रति बैरल की कीमत की तुलना में 20% की कमी नज़र आती है. वर्ष के दौरान, क्रूड की कीमत, पिछले छह वर्षों में निम्नतम स्तर तक गिरी. यह अवनति (वार्षिक औसत के आधार पर), पिछले एक दशक से अधिक अवधि में सब से अधिक तीव्र रही है. लेकिन अवनति की यह प्रवृत्ति, पिछले कुछ महीनों में गहरी होती हुई नज़र आई जब ब्रेंट क्रूड की कीमत में करीब $45 प्रति बैरल की गिरावट हुई, जो पिछले छह वर्षों में निम्नतम है.

आपकी कंपनी ने विभिन्न अवसर क्रूड का प्रोसेसिंग किया जिसका क्रूड बैस्केट 2015-16 के दौरान बढ़ाना होगा. क्रूड तेल के नए स्रोतों की खोजबीन करने और उनका इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से आपकी कंपनी, कोलंबिया, मेक्सिको, वेनेज़ुएला आदि जैसे देशों/स्रोतों से संभावित / नए मुद्दती तेल आपूर्तिकर्ताओं के साथ चर्चा कर रही है. चरण-III चालू होने के साथ, कंपनी ने अधिक भारी क्रूड तेल(लों) का प्रोसेसिंग करना शुरु कर दिया है.

4.0 अवसर और खतरे:

भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जिसकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कम है, तरक्की के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी. अफ्रीका के अलावा समग्र एशिया पेसिफिक क्षेत्र के लिए, तरक्की और विकास के पथ पर ऊर्जा की जबरदस्त ज़रूरत पड़ेगी. भारत सरकार ने हाल में पश्चिमी तट पर दो चरणों में 60 दशलक्ष टन (mtpa) प्रति वर्ष की मेगा रिफाइनरी स्थापित करने की अपनी योजनाएं घोषित की.

तेल की कम कीमतों से तेल निर्यातकर्ताओं और आयातकर्ताओं, दोनों को ऊर्जा संबंधी उपदान में सुधार करने का मौका भी मिलता है. एक तेल आयातकर्ता होने के नाते, सामान्य ऊर्जा संबंधी उपदान को हटाने से होने वाली बचत का अधिक लक्षित अंतरण करने, जहां प्रासंगिक हो, बजट की कमी पूरी करने और स्थिति सही हो तो सार्वजनिक आधारिक संरचना बढ़ाने के प्रति इस्तेमाल करना चाहिए.

भविष्य में तेल की कीमत के बारे में अनिश्चितता और कीमत की गिरावट में अंतर्निहित कारकों ने वैश्विक वृद्धि की परिकल्पना को जोखिम का एक नया आयाम दिया है. दूसरी ओर तेल की कम कीमतों से दुनिया को मिला प्रोत्साहन, ख़ासकर विकसित देशों में इस समय किए गए प्रक्षेपणों से कई अधिक हो सकता है. लेकिन तेल की कीमतों में भी नकारात्मक गिरावट आ सकती थी और अगर आपूर्ति का जवाब, पूर्वानुमान से अधिक तगड़ा न हो तो अपेक्षा से पहले अथवा बाद में पलट सकती हैं. गौरतलब है कि नकारात्मक पहलू से जुड़े अन्य जोखिम ज्यों के त्यों हैं. वैश्विक वित्तीय बाजारों में, बाजारों में उथल-पुथल से जुड़े जोखिम एवं उतार-चढ़ाव का सिलसिला और तीखा होता जा रहा है. बढ़ते रहे असम वैश्विक विस्तार के संदर्भ में प्रमुख देशों की गतिविधि में आश्चर्यजनक करवट बदलने अथवा अमेरिका में मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने की राह पर आश्यर्चजनक मोड़ आने की संभावना हो सकती है. ख़ासकर उभरते हुए बाजारों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनकी पूंजी अंतर्वाह में उलट हो सकता है. तेल की कीमतों में तीक्ष्ण गिरावट के साथ तेल आयातकर्ताओं में ये जोखिम बढ़ गए हैं जहां बाह्य एवं तुलन-पत्र की आलोचनीयता बढ़ गई है जबकि तेल आयातकर्ताओं को बफर मिले हैं. यूरो क्षेत्र में, मुद्रास्फ़ीति में और अवनति हुई है तथा देश या विदेश में प्रतिकूल झटकों के चलते निम्नतर मुद्रस्फ़ीति अथवा कीमत में गिरावट का दौर, लंबे समय तक कायम रह सकता है क्योंकि मुद्रा नीति के प्रति प्रतिक्रिया मिलने में वक्त लगता है. बहुत सारे प्रमुख देशों में भविष्य में मांग के रूप में उभरने वाले संभावित आउटपुट के नकारात्मक पहलू से जुड़े कुछ जोखिम अभी भी मौजूद हैं. भौगोलिक-राजनीतिक जोखिम बढ़ते रहने की आशा है जब कि वैश्विक तेल बाजार में टूट-शिकस्त से जुड़े जोखिमों का दर्जा, पर्याप्त निवल अंतर्वाह की आपूर्ति के चलते, घटाया गया है.

तेल रिफाइनरी कारोबार में US डालर (USD) का दबदबा बना हुआ है. क्रूड तेल और उत्पाद, दोनों की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय कोट के आधार पर तय की जाती हैं, जब कि रुपया बनाम डालर की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का अपने आप फैक्टरिंग किया जाता है जो सामान्य क्रम में विनिमय दर में अस्थिरता के प्रति स्वाभाविक सुरक्षा प्रदान करता है. लेकिन अचानक और अधिक उतार-चढ़ाव का असर पड़ सकता है. अंतर्राष्ट्रीय क्रूड कीमतों में किसी भी तरह का उतार-चढ़ाव, काफ़ी हद तक बिक्री कीमत में नज़र आता है बशर्ते कि उत्पादों की कीमतों में वही रुख नज़र आए जो क्रूड तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव में नज़र आए.

आपकी कंपनी आयात एवं निर्यात करती है जिससे विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रति स्वाभाविक सुरक्षा मिलती है. जहां तक हो सके USD में एक्सपोशर के साथ मेल बिठाने के प्रयास किए जाते हैं जिससे जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है. क्रूड और उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता का, परिष्करण मुनाफे पर असर पड़ता है. आपकी कंपनी, अपनी क्रूड तेल की आवश्यकताओं में से करीब 80% का आयात करती है और कुल उत्पादन के लगभग 47% का निर्यात करती है जहां बिक्री प्राप्तियों को USD में प्राप्त किया जाता है.

देशी बिक्रियों के मामले में भी कीमतों का, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद व्यापार/आयात समानता कीमतों पर तय किया जाता है जिसमें काफ़ी हद तक स्वाभाविक सुरक्षा मिलती है. आपकी कंपनी, अपने प्रमुख उत्पादों जैसे HSD, ATF और MX का औसत मासिक कीमतों पर निर्यात करती है जिससे महीने के बीच में कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है. लेकिन क्रूड और उत्पाद की कीमतों में अचानक उतार-चढ़ाव का आपकी कंपनी के मुनाफ़े पर काफ़ी असर पड़ेगा.

5.0 खतरे और चिंताएं :

आपकी कंपनी एक ऐसे व्यावसायिक माहौल में काम करती है जिसमें वैश्वीकरण बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा तीव्र होती जा रही है और अधिक जटिल प्रौद्योगिकियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें कारोबार को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित खतरों और चिंताओं से जूझना पड़ता है. हमने, एमआरपीएल में, कारोबार में निहित नीचे उल्लिखित जोखिमों को पहचानने के साथ-साथ इनको कम करने की दिशा में एक रूपरेखा भी बनाई है.

- **क्रूड आपूर्ति में निहित जोखिम :**

  रिफाइनरियों को, निर्बाध रूप से उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्रूड तेल की वक्त पर आपूर्ति का जोखिम उठाना पड़ता है जिससे कि क्रूड का अभाव टाला जा सके क्योंकि क्रूड के अभाव से थ्रूपुट घट जाता है. अपने प्रचालन स्वरूप के कारण, अगर आपूर्तिकर्ता देश की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति पर कोई दबाव हो, उपयुक्त जहाज न मिले और पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों (OPEC) के संगठन द्वारा क्रूड की आपूर्ति घटाई जाए तो क्रूड की आपूर्ति में निहित जोखिम उठाने की नौबत आ सकती है.

  आपकी कंपनी, क्रूड हासिल करने के स्रोतों का विविधीकरण करती रही है और इस दिशा में अधिक देशों को जोड़ती रही है और क्रूड की श्रेणी बढ़ाती रही है. आपकी कंपनी ने प्रारंभ में सिर्फ़ NIOC (नैशनल इरानियन ऑइल कंपनी ऑफ ईरान) का मुद्दती ठेका मुकर्रर किया था लेकिन इस समय क्रूड खरीदने के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं जैसे साउदी अरैमैको (नैशनल ऑइल कंपनी ऑफ किंगडम ऑफ साउदी अरेबिया), ADNOC (नैशनल ऑइल कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी) और KPCL(कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन) के साथ मुद्दती ठेके तय किए गए हैं. आपकी कंपनी, अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं के जरिए आयात बढ़ाना चाहती है. आपकी कंपनी ने रव्वा, नाइल ब्लेंड और सखलीन जैसे नज़दीकी विभिन्न तेल भंडारों से क्रूड हासिल करने के लिए ONGC समूह के साथ आपूर्ति संबंधी करार भी किया है. आपकी कंपनी, लचीली कीमतों का फायदा उठाने की खातिर, हाजिर टेंडर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय हाजिर बाजारों में लगभग 15-20% क्रूड हासिल करना चाहती है.

- **कीमत का जोखिम**

  यह जोखिम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड तेल की कीमतों और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़ा है. दुनिया भर में तेल की एक पण्य के रूप में अधिक मांग होने के कारण संभव है कि कीमत में ख़ास उतार-चढ़ाव का आर्थिक दशा पर गहरा असर पड़े. तेल की कीमत को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं, आपूर्ति एवं मांग तथा बाजार की नाजुकता. तेल व्यापार में, तेल की मांग का इशारा, दुनिया के प्रमुख देशों की तेल की खपत के स्वरूप की तरफ होता है और आपूर्ति का मतलब, OPEC (पेट्रोलियम देशों का संगठन) से क्रूड तेल के आउटपुट और अन्य तेल उत्पादन से है. जब कि बाज़ार का रुझान, भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति पर निर्भर होता है जैसे कि हम इस समय खाड़ी, अफ्रीका और युक्रेन में तनाव से भरा माहौल देख रहे हैं.

  रिफाइनरी की लाभप्रदता, क्रूड तेल की कीमतों और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों के बीच मुनाफे पर निर्भर होती है.

  आपकी कंपनी ने, हाजिर/प्रायोगिक क्रूड तेल का अनुपात इष्टतम स्तर पर बनाए रखते हुए क्रूड तेल की खरीदारी के लिए सोच-समझकर व्यावसायिक रणनीति अपनाई है जिससे कि प्रक्षेपित बाजार के परिदृश्य में क्रूड का लागत प्रभावी ढंग से क्रय किया जा सके.

  कीमत में घट-बढ़ का जोखिम कम करने की खातिर आपकी कंपनी, प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर क्रूड तेल हासिल करने के लिए दीर्घावधि ठेके तय करती है और खुले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सहारा लेती है. प्रबंधन ने, तीन महीने पहले प्रवाही योजना (रोलिंग प्लान) बनाई है जिससे कि कीमत में घट-बढ़ का जोखिम पहचानकर वक्त पर उचित कार्रवाई की जा सके. लागत घटाने के लिए सस्ते सख्त क्रूड का उपयोग बढ़ाया जाता है और उत्पाद स्लेट में सुधार करने की खातिर सम्मिश्रण का सहारा लिया जाता है. कंपनी में विदेशी मुद्रा की अस्थिरता से बचने के लिए प्रतिरक्षा का सहारा नहीं लिया जाता है.

- **विदेशी मुद्रा में निहित जोखिम**

  कंपनी के सामान्य प्रचालन के अंग के तौर पर विदेशी मुद्रा आयात/निर्यात करने के प्रति कंपनी के एक्सपोज़र के कारण विदेशी विनिमय में घट-बढ़ के प्रभाव के कारण इस तरह का जोखिम उठाना पड़ता है.

  विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ को, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित दिशानिर्देशों और परिसीमाओं के अनुसार संभाला जाता है. आपकी कंपनी ने, विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ की वक़्त पर समीक्षा करते हुए कंपनी के जोखिम परिदृश्य पर गौर करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन पहले ही कर दिया है.

  आपकी कंपनी ने, विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ से उत्पन्न जोखिम पर सलाह देने और जोखिम मिटाने के उपाय सुझाने के लिए एक सलाहकार मुकर्रर किया है. लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता की तुलना में बचाव-व्यवस्था की अधिक लागत को देखते हुए कंपनी ने कोई बचाव व्यवस्था नहीं की. कंपनी, प्रतिरक्षा का सहारा नहीं लेती है.

- **रिफाइनरी के मुनाफे में निहित जोखिम**

  प्रचालन दक्षता और अपेक्षित मात्रा, गुणवत्ता और कीमत वाले क्रूड तेल तक पहुंच का कंपनी के निष्पादन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है. हालांकि परिष्कृत उत्पाद की फीड स्टॉक कीमतों में सामान्यत: परिवर्तन होता है लेकिन इसमें एक अंतराल बना रहता है जिसका अल्पावधि कार्यकारी पूंजीगत अपेक्षाओं और लाभप्रदता पर असर पड़ता है.

  प्रौद्योगिकीय उन्नति और भरोसेमंद प्रचालन के जरिए उत्पादन की दक्षता बढ़ाने से लगातार जोखिम मिटाना संभव होगा. कारोबार की प्रक्रिया का इष्टतमीकरण करने संबंधी बैठकें, आंतरिक रूप से की जाती हैं जिससे कि मार्जिन बढ़ाने के लिए आने वाले महीनों में प्रवृत्तियों और आगे की चाल का विश्लेषण कर कदम बढ़ाए जा सकें.

  लेकिन आपकी कंपनी ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए कार्यान्वयन कार्यविधि एवं निगरानी तंत्र सहित व्यवस्थित ढंग से परिभाषित नीतिगत ढांचा बनाया है. जोखिम प्रबंधक, पहचाने गए जोखिमों का मासिक आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं और साथ ही नए जोखिमों को पहचानने के साथ-साथ उनको मिटाने के उपाय भी कर रहे हैं एवं इस बारे में सीधे मुख्य जोखिम प्रबंधक, निदेशक(रिफाइनरी) को रिपोर्ट कर रहे हैं. उद्यम व्यापक जोखिम प्रबंधन का विहंगावलोकी दस्तावेज, तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति और मंडल के समक्ष रखा जाता है.

- **जल आपूर्ति में निहित जोखिम**
  हाल में मंगलूर में जल संकट के कारण अप्रैल और मई, 2016 के महीनों में रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की यूनिटों को भागश: शटडाउन करना पड़ा. इस जोखिम से बचने के लिए, आपकी कंपनी ने एक अल्पावधि योजना बनाई है जिसमें ETP से पुन:चक्रित जल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और शहर से वाहित मल का उपचार करने के बाद प्राप्त जल का अधिक उपयोग किया जाएगा. एमआरपीएल, दीर्घावधि में, विलवणन (डीसलाइनेशन) संयंत्र स्थापित करते हुए जल के वैकल्पिक स्रोत की खोजबीन कर रहा है.

6.0 कूटनीतिक कारोबार की तरफ पहल और भावी दृष्टिकोण:

- उपलब्ध अवसरों को देखते हुए और भारत सरकार की ऑटो ईंधन नीति के अनुसार उत्पाद के विनिर्देशों की पूर्ति करने की दृष्टि से आपकी कंपनी, 2020 तक BS VI ग्रेड का उत्पादन करने के लिए परियोजनाएं लागू करने वाली है.

- कम लागत पर परिष्करण करते हुए रिफाइनरी की क्षमता को 18/21 MMTPA तक बढाने के लिए निवेश करने पर विचार किया गया है.

- राज्य उच्च स्तरीय क्लीयरेंस समिति (SHLCC) GOK, ने रिफाइनरी के स्थान के बगल में 1050 एकड़ की भूमि आबंटित की है. अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है.

- 2025 तक भविष्य में तरक्की की रणनीति का रास्ता तय करने की दृष्टि से, सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचाना गया है और विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए समूह बनाए गए हैं तथा अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि में एमआरपीएल की भावी वृद्धि की रूपरेखा बनाई गई है. समूहों ने परियोजनाएं बनाई हैं जिनको तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा.

- सुधार और विकास की खातिर विभिन्न अन्य परियोजनाएं भी हाथ में ली जा रही हैं जैसे CCR-2 का परिष्करण, MS,HSD,ATF डे टैंकों और पार्किंग सुविधा के साथ विपणन टर्मिनल, रेलवे साइडिंग सुविधा पर वैगन लोडिंग के लिए पेट्रोकोक सिलोस को हाथ में लिया गया है जिससे कि संभार के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके. इन सभी परियोजनाओं के लिए, EPCM ठेकेदारों की मदद ली जाएगी.

7.0 आंतरिक नियंत्रक प्रणालियाँ:

आपकी कंपनी ने सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण समीक्षा तंत्र अपनाया है जिससे लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण माहौल का आश्वासन दिया जा सकेगा.

आपकी कंपनी, अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र में लगातार सुधार कर उन्नयन करती रही है जिससे कि प्रबंधन की प्रभाविता और दक्षता, प्रचालन और वित्तीय स्थिति पर भरोसेमंद रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके और उच्च स्तरीय कानूनी अनुपालन और जोखिम प्रबंधन हासिल किया जा सके. आपकी कंपनी ने, अपने आकार और प्रचालन के स्वरूप के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र लागू किया है. ये तंत्र, भरोसेमंद वित्तीय और प्रचालन संबंधी जानकारी, रेकॉर्ड और उपलब्ध कराने, लागू कानूनों का अनुपालन करने, आस्तियों को अनधिकृत उपयोग अथवा हानि से बचाने, उचित प्राधिकरण के साथ लेन-देन करने और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन दिलाने के इरादे बनाए गए हैं.
आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की देखरेख, लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है जो निदेशक मंडल को संगठन के जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और अभिशासन संबंधी प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशालिता पर स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और उचित आश्वासन दिलाने के उद्देश्य से आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर लगातार निगरानी रखती है. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, व्यावसायिक प्रक्रियाओं, तंत्रों और नियंत्रणों में सुधार करने के अवसरों का आकलन करता है, संगठन का मूल्य बढ़ाने के लिए ज़रूरी सिफ़ारिशें करता है और लेखा परीक्षा समिति और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा करने के बाद निवारक कार्रवाई लागू करने और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार करने के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करता है.

आपकी कंपनी में, व्यापक जोखिम प्रबंधन कार्यविधि अपनाई जाती है. व्यवसाय के दौरान कामकाज के रूप में पहचाने गए प्रमुख जोखिमों पर व्यवस्थित ढंग से गौर करते हुए उनको मिटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जाती है. कंपनी ने जोखिमों पर निगरानी रखने और उनको मिटाने के लिए कार्रवाई करने की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है और जोखिम प्रबंधन समिति, कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और तंत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों को पहचानती है.

कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र, उसके कारोबार के स्वरूप और उसके आकार एवं उसकी प्रचालन की जटिलता के अनुरूप हैं. इनका नेमी तौर पर परीक्षण किया जाता है और सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में सभी कार्यालयों, संयंत्रों और महत्वपूर्ण कारोबार क्षेत्रों में शामिल किया जाता है. इनके बारे में की गई लेखा परीक्षा संबंधी उल्लेखनीय लेख-टिप्पणियों और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में लेखा परीक्षा समिति को इत्तला किया जाता है. लेखा परीक्षा समिति, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण माहौल की पर्याप्तता और प्रभाविता की समीक्षा करती है और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और तंत्रों को सुदृढ बनाने की सिफ़ारिशों सहित लेखा परीक्षा संबंधी सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखती है.

8.0 निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, भौतिक और वित्तीय मापदंड, दोनों के लिहाज से आपकी कंपनी का निष्पादन, नई ऊंचाइयों को छूते हुए गत निष्पादन के मानक पार कर गया और भविष्य के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए.

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल मिलाकर ₹50,864 करोड़ का कारोबार किया जब कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹62,412 करोड़ का कुल कारोबार किया गया था. बिक्री में अवनति, ख़ासकर घटती रही क्रूड की कीमत से जुड़ी उत्पाद की कीमतों में गिरावट और साथ ही देशी छोर पर अधिक खरीदारी के कारण हुई. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान उठाई गई ₹ (1712) करोड़ की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹1148.16 करोड़ का कर उपरांत लाभ (PAT) अर्जित किया.

9.0 मानव संसाधन :

वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इसके सबूत के तौर पर, इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया.

31/03/2016 को कुल कर्मचारियों की संख्या 1812 रही जिनमें 130 महिला कर्मचारी, 210 अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारी और 26 शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारी हैं. 816 कर्मचारी, प्रबंधन संवर्ग के हैं जब कि 996 कर्मचारी गैर-प्रबंधन संवर्ग के हैं.

10.0 सचेतक बयान:

प्रबंधन की चर्चा में तथा विश्लेषण एवं निदेशकों की रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्यों, प्रक्षेपणों और आकलन का वर्णन करते हुए दिए गए बयान, प्रगतिशील बयान है और लागू नियमों एवं विनियमों के अर्थ के अंदर प्रगतिशील हैं. वास्तविक परिणाम, अभिव्यक्त अथवा अंतर्निहित परिणामों से, आर्थिक दशा, सरकारी नीतियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर अलग हो सकते हैं. पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे प्रगतिशील बयानों पर ज्यादा निर्भर न हों.

निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. हमारे निगमित अभिशासन का सिद्धांत

निगमित अभिशासन के दो बुनियादी सिद्धांत हैं, पारदर्शिता और जिम्मेवारी. निगमित अभिशासन का मतलब है, नैतिकता के बल पर व्यावसायिक प्रक्रिया के जरिए हिस्सेदारों के लिए दीर्घावधि संधारणीय मूल्य निर्मित करना और बढ़ाना. निगमित अभिशासन के बारे में कंपनी का सिद्धांत है, हिस्सेदार का मूल्य बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य से अपने प्रचालन के हर एक आयाम में सर्वाधिक पारदर्शिता, जिम्मेवारी और नैतिकता हासिल करना.

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 और SEBI (लिस्टिंग, दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015) में निगमित अभिशासन के क्षेत्र में किए गए परिवर्तन का पालन करती है. SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के अलावा, कंपनी, कंपनी के बोर्ड पर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता की बात को छोड़कर बाकी के मामलों में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कंपनी अभिशासन पर दिशानिर्देशों का भी पालन करती है. एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है. अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया जाता है. निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के बारे में संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है.

कंपनी की यह मान्यता है कि निगमित अभिशासन के सर्वोच्च मानदंड सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय, अच्छी तरह से सुविज्ञ एवं स्वतंत्र बोर्ड की ज़रूरत है. कंपनी का निदेशक मंडल, निगमित अभिशासन की बेहतरीन पद्धतियां अपनाने में सर्वोपरि है. इस प्रकार से बोर्ड, प्रबंधन के कामकाज पर निगरानी रखता है और हमारे हिस्सेदारों के दीर्घावधि हितों की रक्षा करता है.

कंपनी के निगमित अभिशासन का ढांचा, नीचे उल्लिखित सिद्धांतों पर बनाया गया है:

- शेयरधारकों के अधिकारों का संरक्षण करना और इनका प्रयोग करना सुसाध्य बनाना.
- पारदर्शी प्रणाली और मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्धता; जिसमें हिस्सेदारों के अधिकारों को मान्यता दी जाती है और कंपनी एवं हिस्सेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है;
- कंपनी की वित्तीय स्थिति, निष्पादन और अभिशासन सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, वक़्त पर और ठीक तरह से प्रकट करना;
- ईमानदारी और जिम्मेवारी पर बल देते हुए आंतरिक नियंत्रण की सुदृढ़ प्रणाली के बलबूते पर काम करना;
- तमाम हिस्सेदारों को समस्त महत्वपूर्ण जानकारी वक़्त पर और पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना;
- लागू कानूनों, दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- अपने हिस्सेदारों और समाज के लोगों के साथ न्याय संगत तरीके से और निष्पक्ष रूप से पेश आना;
- हिस्सेदारों के लिए प्रभावशाली मुखबिर नीतिगत तंत्र बनाना.

2. निदेशक मंडल :

निदेशक मंडल, निगमित अभिशासन संबंधी मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में पारदर्शी और प्रभावशाली तरीके से अपना काम करता है. कंपनी में विस्तृत प्रत्यायोजित अधिकारों की पुस्तिका (BDP) और अन्य पुस्तिकाएं जैसे सामग्री प्रबंधन, कार्य पुस्तिका आदि हैं जिनमें प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई है और उस स्तर को परिभाषित किया गया है जिस स्तर पर (मंडल/कार्यकारी समिति/कार्यात्मक निदेशक) फैसला लिया जाता है और वक़्त-वक़्त पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि इनको अद्यतन बनाकर संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है. कंपनी के बोर्ड पर 7 समितियां हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर बोर्ड को, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देती है.

अ 31/03/2016 को निदेशकों की संरचना : 7

कार्यपालक निदेशक : 3

गैर कार्यकारी निदेशक : 4

आ. 31/03/2016 को निदेशक मंडल

निदेशक	कार्यकारी/गैर-कार्यकारी	श्रेणी / पदनाम	कितनी बैठकों में भाग लिया (7 बैठकें हुईं)	AGM में भाग लिया	निदेशक पदों की संख्या		बाह्य समितियों की संख्या	
					सार्वजनिक	निजी	सदस्य	अध्यक्ष
श्री डी.के. सर्राफ़	अध्यक्ष गैर-कार्यकारी	अध्यक्ष	7	हां	7	-	2	-
श्री एच. कुमार	कार्यपालक	प्रबंध निदेशक	7	हां	4	-	-	-
श्री एम. वेंकटेश	कार्यपालक	निदेशक (रिफाइनरी)	5	हां	3	-	-	-

श्री ए.के. साहू	कार्यपालक	निदेशक (वित्त)	1	लागू नहीं	2	-	1	-
श्री बी.के. नामदेव	गैर कार्यपालक	(एचपीसीएल) नामिती निदेशक	6	हां	6	-	-	-
श्रीमती पेरिन देवी	गैर कार्यपालक	सरकारी निदेशक	5	हां	1	-	1	2
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	गैर कार्यपालक	सरकारी निदेशक	0	लागू नहीं	-	-	-	-

(i) SEBI (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015') के विनियम 36(3) के अनुसार नए निदेशक की नियुक्त अथवा निदेशक की पुनर्नियुक्ति के विवरण

नियुक्त अथवा पुन:नियुक्त किए जाने वाले नीचे उल्लिखित निदेशकों का संक्षिप्त सारवृत्त जैसे उनकी अर्हता, विशेषज्ञता, उन कंपनियों के नाम जिनके बोर्ड पर वे अध्यक्ष/निदेशक रहें और बोर्ड की उप-समिति के अध्यक्ष/निदेशक रहें, इन कंपनियों में इनका शेयरधारण और शेयर बाजार से संबंधित SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 36(3) का परस्पर अनुसरण करते हुए निदेशक के बीच संबंध, 28वीं वार्षिक महासभा संबंधी नोटिस में दिया गया है जो वार्षिक रिपोर्ट का ही एक भाग है.

- श्री डी.के. सर्राफ़ (DIN: 00147870), आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं.
- श्री ए.के. साहू (DIN: 07355933) को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (वित्त) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया जिनको निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है.
- श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (DIN: 07464700) को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जिनको निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है.

(ii) गत निदेशक

निदेशक	कार्यकारी/गैर-कार्यकारी	श्रेणी	निदेशक पदों की संख्या		बाह्य समितियों की संख्या	
			सार्वजनिक	निजी	सदस्य	अध्यक्ष
श्री विष्णु अग्रवाल	कार्यपालक	निदेशक (वित्त)	3	-	2	-
श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव	गैर कार्यपालक	सरकारी निदेशक	1	-	1	-

(iii) 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

निदेशक	नियुक्ति तारीख	कब से निदेशक नहीं रहे	कार्यकाल	टिप्पणियां
श्री एम. वेंकटेश	01/04/2015	लागू नहीं	नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	निदेशक (रिफाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया
श्रीमती पेरिन देवी	14/05/2015	लागू नहीं	लागू नहीं	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
श्री ए.के. साहू	01/02/2016	लागू नहीं	नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	निदेशक (वित्त) / CFO के रूप में नियुक्त किया गया.
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	09/03/2016	लागू नहीं	लागू नहीं	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
श्री विष्णु अग्रवाल	01/04/2011	31/01/2016	लागू नहीं	कंपनी की सेवाओं से निवृत्त होने के फलस्वरूप निदेशक नहीं रहें
श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव	05/03/2015	03/03/2016	लागू नहीं	निदेशक नहीं रहें

(iv) दिनांक 31/03/2016 के बाद निदेशक मंडल में परिवर्तन

31/03/2016 के बाद निदेशक मंडल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

इ. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की बैठकों और 08-08-2015 को संपन्न 27वीं वार्षिक महासभा में निदेशकों की उपस्थिति.

(i) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान संपन्न बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष 2015-16 के दौरान, मंडल की सात (7) बैठकें हुईं.

क्रम सं.	बैठक की तारीख	बैठक सं.	स्थान
1	13/04/2015	196	नई दिल्ली
2	22/05/2015	197	नई दिल्ली
3	08/07/2015	198	नई दिल्ली
4	09/08/2015	199	मंगलूर
5	29/10/2015	200	नई दिल्ली
6	14/01/2016	201	नई दिल्ली
7	12/02/2016	202	नई दिल्ली

(ii) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति.

निदेशक	कितनी बैठकों में भाग लिया	क्या पिछली AGM में भाग लिया
डी.के. सर्राफ़	7	हां
श्री एच. कुमार	7	हां
श्री एम. वेंकटेश	5	हां
श्री ए.के. साहू	1	लागू नहीं*
श्री बी.के. नामदेव	6	हां
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	लागू नहीं	लागू नहीं*
श्रीमती पेरिन देवी	5	हां

* श्री ए.के. साहू ने 01-02-2016 से अपर निदेशक के रूप में निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला और श्री दिवाकर नाथ मिश्रा को 09-03-2016 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

(iii) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान गत निदेशकों की उपस्थिति.

निदेशक	कितनी बैठकों में भाग लिया	क्या पिछली AGM में भाग लिया
श्री विष्णु अग्रवाल	6	हां
श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव	6	हां

ई. निदेशकों के बीच संबंध का प्रकटन

बोर्ड के निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है.

उ. निदेशक का शेयरधारण:

31/03/2016 को निदेशकों द्वारा धारित कंपनी के इक्विटी शेयरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	धारित कुल शेयर
डी.के. सर्राफ़ (संयुक्त रूप से पत्नी के साथ)	100
श्री एच. कुमार(संयुक्त रूप से पत्नी के साथ)	200
श्री बी.के. नामदेव (संयुक्त रूप से पत्नी के साथ)	200

ऊ. स्वतंत्र निदेशक

एमआरपीएल, एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) होने के नाते, कंपनी के मंडल पर निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा की जाती है. अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, एमओपी एण्ड एनजी के साथ उठाया जा रहा है.

3. लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (" the Audit Committee") को कंपनी की आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस समिति की संरचना, कोरम, अधिकार, भूमिका और व्याप्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 18 के प्रावधानों के अनुसार है. लेखा परीक्षा समिति के सारे सदस्य, वित्तीय दृष्टि से साक्षर हैं और वित्त, कराधान, अर्थशास्त्र, जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं. लेकिन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, कंपनी ने, लेखा परीक्षा समिति की संरचना करने का पालन नहीं किया है. कंपनी, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) के साथ उठा रही है.

क) विचारार्थ विषय

लेखा परीक्षा समिति, अन्य बातों के साथ-साथ ये कार्य करती है जैसे वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा योजना के लिए अनुमोदन देना, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करना, तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों पर चर्चा करना, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ परस्पर विचार– विमर्श करना. लागत लेखा परीक्षकों/आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक की समीक्षा और सिफ़ारिश करना, कारोबार जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा करना, विदेशी मुद्रा नीति की समीक्षा करना, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की, संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए उल्लेखनीय लेन-देन की समीक्षा करना. बोर्ड ने, लेखा परीक्षा समिति का चार्टर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 18 तथा CPSE के लिए निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का प्रभावशाली ढंग से पालन करने के प्रयोजन से बनाया है. इस भूमिका का निर्वाह करने के लिए, लेखा परीक्षा समिति को अधिकार है कि वह, अपने विचारार्थ विषय के अंदर किसी भी गतिविधि की तहकीकात करे, कर्मचारियों से जानकारी मांगे और बाहर से कानूनी और पेशेवर सलाह पाए.

ख) 31/03/2016 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	श्रेणी
श्रीमती पेरिन देवी	अध्यक्ष
श्री बी.के. नामदेव	सदस्य
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	सदस्य
श्री एम. वेंकटेश	सदस्य

टिप्पणी :

- कंपनी ने, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेखा परीक्षा समिति का गठन करने के बारे में SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(ख) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की है. लेकिन कंपनी, अपेक्षित

संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, एमओपी एण्ड एनजी के साथ उठा रही है.

- निदेशक (वित्त) और आंतरिक लेखा परीक्षकों को, लेखा परीक्षा की बैठकों में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है.
- कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति के सचिव होते हैं.
- लेखा परीक्षा समिति द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा करते समय, संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया जाता है.

ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान संपन्न लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे

वर्ष 2015-16 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की सात (7) बैठकें हुईं.

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
22/05/2015	73	3
08/07/2015	74	3
09/08/2015	75	4
29/10/2015	76	4
13/01/2016	77	2
12/02/2016	78	2
09/03/2016	79	3

घ) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान संपन्न लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्रीमती पेरिन देवी	5
श्री बी.के. नामदेव	6
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	लागू नहीं
श्री एम. वेंकटेश	5
श्री नलिन कुमार श्रीवास्ताव (09-03-2016 से निदेशक नहीं रहें)	5

4. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

एमआरपीएल, 'अनुसूची A' का, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 19 तथा CPSE के लिए निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी ने, अप्रैल, 2009 में पारिश्रमिक समिति का गठन किया.

क) विचारार्थ विषय:

कंपनी ने, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने के बारे में SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 19(1)(ग) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा की पूर्ति नहीं की है. लेकिन कंपनी, अपेक्षित संख्या में निदेशकों की नियुक्ति का मामला, एमओपी एण्ड एनजी के साथ उठा रही है.

ख) 31/03/2016 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	अध्यक्ष
श्री बी.के. नामदेव	सदस्य
श्रीमती पेरिन देवी	सदस्य

ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान संपन्न नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के ब्यौरे

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

घ) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान संपन्न नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उपस्थिति.

लागू नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई.

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी, ' अनुसूची - " A" केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम होने के कारण, निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रदत्त पारिश्रमिक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर होता है. कंपनी की पारिश्रमिक नीति, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है.

क) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक (बैठक शुल्क) के ब्यौरे:

चूंकि एमओपी एण्ड एनजी ने अभी स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन नहीं किया है इसलिए यह बात लागू नहीं होती है.

ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफाइनरी) को प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे:

(₹ करोड़)

विवरण	प्रबंध निदेशक (श्री एच. कुमार)	निदेशक (रिफाइनरी) (श्री एम. वेंकटेश)	निदेशक (वित्त) (श्री ए. के. साहू)	निदेशक (वित्त) (श्री विष्णु अग्रवाल)	कुल
वेतन, भत्ते और अनुलाभ	0.35	0.26	0.04	0.41	1.06
भ.नि. व अन्य निधियों के प्रति अंशदान	0.04	0.04	0.01	0.04	0.13
कुल	0.39	0.30	0.05	0.45	1.19

ग) **सेवा संबंधी ठेके की शर्तें:**

विवरण	प्रबंध निदेशक	निदेशक (रिफाइनरी)	निदेशक (वित्त)
कार्यकाल	नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.	नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तारीख तक अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो.
नोटिस अवधि	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान.
पृथक्करण शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टॉक विकल्प के ब्यौरे (अगर कोई हो तो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्या बट्टे पर दिया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कितनी अवधि में उपचित हुआ और उसे लागू किया जा सकेगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6. स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समिति

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों की समीक्षा कर उनका निवारण करने की खातिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समिति का गठन करने का अधिदेश है.

ख) विचारार्थ विषय:

- कंपनी के हिस्सेदारों की शिकायतों पर विचार करना और उनका निवारण करना.
- शेयरों के हस्तांतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश न मिलने आदि के बारे में हिस्सेदारों की शिकायतों का निवारण करने पर ध्यान देना.
- हिस्सेदारों के अधिकारों की हिफ़ाजत करना और वक्त पर एवं सही जानकारी का प्रकटन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना.

क) 31/03/2016 को स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समिति की संरचना.

स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	अध्यक्ष
श्री बी.के. नामदेव	सदस्य
श्रीमती पेरिन देवी	सदस्य
श्री एच. कुमार	सदस्य
श्री एम. वेंकटेश	सदस्य
श्री ए.के. साहू	सदस्य

ग) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम : श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी.

ङ) वित्त 2015-16 के दौरान शेयर धारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या: 30

च) वित्त 2015-16 के दौरान सुलझाए बगैर पड़ी रहीं शिकायतों की संख्या: कुछ नहीं

छ) **31/03/2016 को कितने शेयरों का अंतरण लंबित रहा: कुछ नहीं**

7. शेयर अंतरण समिति (STC)

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का अनुसरण करते हुए, निदेशक समिति (शेयर अंतरण समिति) का गठन, शेयरों का अंतरण, शेयरों का प्रेषण और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनुमोदन देने के लिए किया गया है.

(i) शेयर अंतरण समिति में, प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (रिफाइनरी) हैं, जो शेयरों का अंतरण, शेयरों का प्रेषण और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनुमोदन देते हैं और उससे प्रासंगिक मामले संभालते हैं. समिति का कोरम बनने के लिए कोई दो निदेशक होने चाहिए.

(ii) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 6(2)(क) का अनुसरण करते हुए, खो दिए गए अथवा नष्ट हुए शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र, शेयर अंतरण समिति का अनुमोदन लेकर दिए जाते हैं क्योंकि बोर्ड ने, MCA सामान्य परिपत्र सं. 19/2014 दिनांक 12 जून, 2014 का अनुसरण करते हुए STC को डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया है.

8. मानव संसाधन प्रबंधन समिति

क) विचारार्थ विषय:

- अनुमोदनार्थ बोर्ड के समक्ष मासं संबंधी नीतियों की सिफ़ारिश करना.
- संदिग्धता दूर करने के लिए अनुमोदित मासं संबंधी नीतियों की समीक्षा करना.

ख) 31/03/2016 को मानव संसाधन प्रबंधन समिति की संरचना.

1.	श्रीमती पेरिन देवी	अध्यक्ष
2.	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	सदस्य
3.	श्री बी.के. नामदेव	सदस्य
4.	श्री एच. कुमार	सदस्य
5.	श्री एम. वेंकटेश	सदस्य
6.	श्री ए.के. साहू	सदस्य

ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान संपन्न हुई HRM समिति की बैठक के ब्यौरे:

वर्ष 2015-16 के दौरान HRM समिति की पांच बैठकें हुईं. बैठक की तारीखों और उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(i) बैठक के ब्यौरे :

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
21/05/2015	35	4
15/07/2015	36	5
07/01/2016	37	6
09/03/2016	38	5
30/03/2016	39	6

(ii) उपस्थिति :

HRM समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्रीमती पेरिन देवी	4
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	1
श्री बी.के. नामदेव	3
श्री एच. कुमार	5
श्री एम. वेंकटेश	5
श्री ए.के. साहू	2
श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव (03/03/2016 तक)	3
श्री विष्णु अग्रवाल (31/01/2016 तक)	3

9. परियोजना मूल्यांकन और क्रियान्वयन / स्वास्थ्य की देखभाल और पर्यावरण संबंधी समिति

क) विचारार्थ विषय:

- पूंजीगत परियोजनाओं की समीक्षा करना और बोर्ड के समक्ष उनकी सिफ़ारिश करना.
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के वक्त-वक्त पर कार्यान्वयन की समीक्षा करना.
- स्वास्थ्य की देखभाल और पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करना और उस बारे में सलाह देना.

ख) 31/03/2016 को PAE/HSE समिति की संरचना.

1.	श्री बी.के. नामदेव	अध्यक्ष
2.	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	सदस्य
3.	श्री एच. कुमार	सदस्य
4.	श्री एम. वेंकटेश	सदस्य
5.	श्री ए.के. साहू	सदस्य

ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान संपन्न हुई PAE/ HSE समिति की बैठक के ब्यौरे: :

वर्ष 2015-16 के दौरान PAEC समिति की पांच बैठकें हुईं. बैठक की तारीखों और उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(i) बैठक के ब्यौरे :

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
08/08/2015	24	5
27/08/2015	25	5
23/09/2015	26	5
07/01/2016	27	5
08/03/2016	28	4

(ii) उपस्थिति :

PAE/ HSE समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री बी.के. नामदेव	5
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (09/03/2016 से)	लागू नहीं
श्री एच. कुमार	5
श्री एम. वेंकटेश	5
श्री ए.के. साहू (01/02/2016 से)	1
श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव (03/03/2016 तक)	4
श्री विष्णु अग्रवाल (31/01/2016 तक)	4

10. वार्षिक महासभा के ब्यौरे

क) पिछली तीन AGM कब और कहां हुईं

वर्ष	स्थान	दिनांक	समय
2015 27वीं AGM	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030	08/08/2015	अपराह्न 4.30 बजे
2014 26वींAGM	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030	13/09/2014	अपराह्न 4.00 बजे
2013 25वींAGM	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030	23/09/2013	अपराह्न 4.00 बजे

ख) क्या पिछली 3 AGM में कोई विशिष्ट संकल्प पारित किया गया?

जी हां. 27वीं AGM में, उधार लेने संबंधी अधिकार बढ़ाने और उक्त उधार के लिए प्रभार, बंधक और दृष्टिबंधक निर्मित करने के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) और 180(1)(क) तथा कंपनी के अंतर्नियमों के नियम168 का अनुसरण करते हुए दो विशिष्ट संकल्प पारित किए गए.

ग) क्या पिछले वर्ष, डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पारित किया गया:

पिछली AGM में डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं किया गया.

घ) किन-किन व्यक्तियों ने डाक मतपत्रों की प्रक्रिया पूरी की:

लागू नहीं.

ङ) क्या डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशिष्ट संकल्प पेश करने का प्रस्ताव है?

नहीं.

च) डाक मतपत्रों के लिए क्रियाविधि:

लागू नहीं.

11. प्रकटन और पारदर्शिता:

कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता की बात को छोड़कर लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (क) से (थ) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति की है. कंपनी, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) के साथ उठा रही है.

विनियम 47 में उल्लिखित प्रकटन के बारे में जानकारी निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दी गई है.

कंपनी, यह सुनिश्चित करती है कि उन सभी मामलों पर, जिनको सार्वजनिक करना पड़ेगा, जानकारी, वक्त पर और संपूर्ण रूप से प्रकट की जाती है. कंपनी के वेबसाइट में और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में, कामकाज, वित्तीय स्थिति, स्वामित्व और एमआरपीएल के अभिशासन के हर एक पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है.

कंपनी के तमाम प्रकटन, लेखा पद्धति, वित्तीय और वित्तियेतर मामलों के बार में संबद्ध विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूपों के अनुसार किए जाते हैं.

एमआरपीएल, ऐसी जानकारी, प्रेस विज्ञप्ति के जरिए, अपने वेबसाइट पर, शेयर बाजारों आदि को प्रकट करता है. सभी उपयोगकर्ताओं को इन तमाम माध्यमों तक निर्बाध रूप से पहुंच है.

कंपनी, सभी बैठकों (बोर्ड/समितियों/सामान्य बैठकों आदि) की कार्रवाई के रेकॉर्ड रखती है.

कंपनी, लेखा मानकों का अक्षरशः पालन करती है. वार्षिक लेखा परीक्षा, C&AG द्वारा संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षा के जरिए कराई जाती है. आगे, एमआरपीएल की C&AG द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा की जाती है. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है, इसके अलावा भारत सरकार और संसदीय समितियों द्वारा वक्त-वक्त पर निगरानी रखी जाती है.

बोर्ड के सदस्य और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी, कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उन लेन-देनों अथवा मामलों के बारे में, चाहे उनमें उनका प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से अथवा तीसरे पक्षकार की तरफ से कोई महत्वपूर्ण हित हो या न हो, बोर्ड को जानकारी प्रकट करते हैं.

एमआरपीएल के निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन का यह प्रयास रहा है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हिस्सेदारों को सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में खबर देने के साथ-साथ संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखी जाती है.

(i) वस्तुत: महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार के लेन-देन

1.0 संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन, समय-समय पर सेबी और MCA द्वारा जारी परिपत्रों और अधिसूचनाओं के साथ-साथ SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 23 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं.

2.0 कंपनी ने संबद्ध पक्षकारों के लेन-देन संबंधी नीति और कार्यविधियाँ अपनाई है और इसे, कंपनी के वेबसाइट अर्थात्; www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किया गया है.

(ii) **महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी:**

1. श्री एच. कुमार : प्रबंध निदेशक और CEO
2. श्री एम. वेंकटेश : निदेशक (रिफाइनरी)
3. श्री ए.के. साहू : निदेशक (वित्त) और CFO
4. श्री दिनेश मिश्रा : कंपनी सचिव

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को प्रदत्त पारिश्रमिक को छोड़कर उनके साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया. महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों का पारिश्रमिक, बोर्ड की रिपोर्ट के MGT-9 के खंड (VI) के तहत प्रकट किया गया है.

(iii) ऐसे उद्यम जिन पर काफ़ी दबाव डाला जाता है:

नाम	संबंध	लेन-देन का स्वरूप
ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	सहयोगी	ब्यौरे, वित्त 2015-16 के वित्तीय विवरण की टिप्पणी 13 और टिप्पणी 14 में दिए गए हैं.
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	
मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	

(iv) पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के साथ, कंपनी द्वारा गैर अनुपालन, किसी शेयर बाजार अथवा SEBI अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने, किए गए अवक्षेप के ब्यौरे:

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित मामले पर, कंपनी ने कोई गैर अनुपालन नहीं किया और किसी शेयर बाजार अथवा SEBI अथवा किसी प्राधिकरण ने कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया न ही कोई अवक्षेप किया.

शेयर अंतरण परिचालन के साधारण क्रम के दौरान शेयरों के स्वत्व को लेकर विवाद से संबंधित कतिपय कानूनी मामलों में कंपनी को अभियोजित किया गया है. लेकिन इनमें से कोई भी मामला महत्वपूर्ण नहीं है जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो या खर्च उठाना पड़े.

(v) कंपनी ने अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए मुखबिर नीति अपनाई है. कंपनी ने किसी भी कर्मचारी और निदेशक को सक्षम प्राधिकारी से मिलने से मना नहीं किया है और मुखबिर को प्रतिकूल कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया है. यह नीति, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध है.

(vi) कंपनी ने SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 16(ग) के अनुसार मटीरियल सब्सिडीयरीस के बारे में नीति बनाई है जो कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर उपलब्ध है.

(vii) गैर-आज्ञापक अपेक्षाएं

क) कंपनी, अपने खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय चलाती है.

एमआरपीएल, एक ' अनुसूची-A' , केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम है. प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) की नियुक्ति, संबंधित नियम, शर्तें और पारिश्रमिक, सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE), भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं.

ख) चूंकि कंपनी के तिमाही / अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणाम, कंपनी के वेबसाइट पर प्रकट कर समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं इसलिए, अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक शेयरधारक के निवास पर नहीं भेजी जाती है.

घ) कंपनी के शेयरधारकों की खातिर, वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई विशेषक नहीं हैं.

ङ) कंपनी के बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षित कराने से संबंधित नीति बनाई गई है जिसे कंपनी के वेबसाइट अर्थात्; www.mrpl.co.in में प्रदर्शित किया गया है. निदेशकों को, उपयुक्तता और सुविधा के आधार पर विभिन्न सेमिनारों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और अभिविन्यास कार्यक्रमों में प्रायोजित किया जाता है.

च) कंपनी, ICAI द्वारा समय-समय पर जारी तमाम लेखा मानकों का पालन करती है.

(viii) बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए आचरण संहिता

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह आचरण संहिता, एक व्यापक संहिता है जो कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों अर्थात्; कंपनी के समूह महा प्रबंधक और उससे उच्चतर श्रेणी के प्रबंधकीय कर्मचारियों को लागू होगी. आचरण संहिता, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर उपलब्ध है.

प्रबंध निदेशक ने घोषणा की है कि बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के तमाम सदस्यों ने यह अभिपुष्टि की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आचरण संहिता का पालन किया है.

(ix) मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड(MRPL) की प्रतिभूतियों का लेन-देन करने में भेदिया व्यापार की रोकथाम करने की आंतरिक कार्यविधि और आचरण संहिता:

1.0 सेबी (भेदिया व्यापार) (संशोधन) विनियम, 2002 का अनुसरण करते हुए कंपनी के मामले में " भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता " के लिए 22 जून, 2002 को संपन्न बोर्ड की 89वीं बैठक में अनुमोदन दिया गया. सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) (संशोधन) विनियम, 2008 के परिप्रेक्ष्य में 20 जनवरी, 2009 को संपन्न 135वीं बैठक में बोर्ड ने इसमें संशोधन किया था.

2.0 SEBI ने SEBI (भेदिया व्यापार) विनियम, 1992 का निरसन करते हुए 15 जनवरी, 2015 को सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया जो 15/05/2015 से समस्त सूचीबद्ध कंपनियों को लागू होगा. तदनुसार, कंपनी ने अपनी प्रतिभूतियों का व्यापार करते समय, भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक कार्यविधियों और आचरण से संबंधित संहिता, 22 मई, 2015 को संपन्न अपनी 197वीं बैठक में यथा संशोधित के रूप में अपनाई.

3.0 आगे SEBI ने अपने दिनांक 16 सितंबर, 2015 के परिपत्र के जरिए, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना (UPSI) अपने पास रखते हुए ESOP का प्रयोग करने, संविदागत व्यापार का क्रियान्वयन करने और जमानत लागू करने के लिए गिरवी का निर्माण अथवा गिरवी लागू करने के बारे में SEBI (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 के विनियम 7 के तहत प्रकट करने के लिए बनाए गए प्रारूपों में संशोधन किया है. तदनुसार, बोर्ड ने एमआरपीएल की प्रतिभूतियों का व्यापार करते समय, भेदिया व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक कार्यविधियों और आचरण से संबंधित संहिता, 29 अक्तूबर, 2015 को संपन्न अपनी 200वीं बैठक में यथा संशोधित के रूप में अपनाई. जिसे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किया गया है.

(x) CEO और CFO प्रमाणीकरण :

वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरणों की यथातथ्यता, आंतरिक नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता और लेखा परीक्षा समिति को मामले की रिपोर्ट भेजने की पुष्टि करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ लिस्टिंग विनियमों के अनुसार CEO और CFO का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया गया है.

(xi) कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (BRR)

SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (थ) का अनुसरण करते हुए, वर्ष 2015-16 के लिए BRR बनाई गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का ही एक अंग है.

(xii) शेयरों का अमूर्तीकरण और चल निधि

कंपनी के 97.71% इक्विटी शेयरों का यथा 31 मार्च, 2016, अमूर्तीकरण (NSDL – 44.74% और CDSL 52.97%)किया गया है. कंपनी ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के साथ करारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत शेयरधारकों को दोनों निक्षेपागारों में से किसी में भी अपने शेयरों का अमूर्तीकरण कराने का और इलेक्ट्रॉनिक मतदान करने का विकल्प होगा. कंपनी ने GDR/ADR/वारंट और परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए हैं.

(xiii) पूंजी संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान

जैसे कि SEBI ने निर्दिष्ट किया है, अर्हता प्राप्त पेशेवर कंपनी सचिव, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के पास कुल स्वीकृत पूंजी और कुल निर्गमित और सूचीबद्ध पूंजी का समाधान करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करते हैं. यह लेखा परीक्षा, हर तिमाही में की जाती है और उस पर रिपोर्ट, उस शेयर बाजार को पेश की जाती है जिसमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध किए गए हों. लेखा परीक्षा में यह पुष्टि की जाती है कि कुल सूचीबद्ध और प्रदत्त पूंजी, अमूर्त रूप में (NSDL और CDSL के पास) रखे गए शेयरों की कुल संख्या और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों की कुल संख्या के सकल योग के अनुरूप है.

(xiv) नामांकन

अकेले अथवा संयुक्त रूप से मूर्त रूप में शेयर रखने वाले अलग-अलग शेयरधारक, किसी ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिसके नाम, पंजीकृत शेयरधारक(कों) की मृत्यु होने पर शेयरों का हस्तांतरण किया जा सकेगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में भी नामांकन सुविधा, NSDL और CDSL को लागू उप-विधि और व्यावसायिक नियमों के अनुसार निक्षेपागार सहभागियों के पास उपलब्ध है. नामांकन फ़ार्म, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से प्राप्त किया जा सकता है.

(xv) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों का अनुरक्षण

हरित पहल के अंग के तौर पर, ई-मेल से नोटिस/दस्तावेज पाने के इच्छुक सदस्य, अपना ई-मेल का पता, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड को उनके समर्पित ई-मेल ID अर्थात्; investor@mrpl.co.in पर सूचित कर सकते हैं.

(xvi) सहयोगी कंपनी का अभिशासन:

कंपनी की सहयोगी कंपनी, OMPL की बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त के साथ-साथ उल्लेखनीय लेन-देन के ब्यौरे, तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष पेश किए जाते हैं. सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं. इस रिपोर्ट की तारीख को कंपनी की कोई ऐसी मटीरियल सब्सिडियरी नहीं है जिसकी निवल मूल्यवत्ता, समेकित निवल मूल्यवत्ता के 20% से अथवा आपकी कंपनी की समेकित आय के 20% की आय से अधिक हो.

12. संचार के साधन:

i)	तिमाही परिणाम	: कंपनी के तिमाही परिणाम अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और साथ ही कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर प्रदर्शित किए जाते हैं
ii)	समाचार प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण आदि	: आधिकारिक समाचार प्रकाशन और आधिकारिक मीडिया प्रकाशन, कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
iii)	संस्थागत निवेशकर्ताओं/ विश्लेषकों के सामने प्रस्तुतीकरण	: हां
iv)	वेबसाइट	: कंपनी के वेबसाइट www. mrpl.co.in में एक अलग समर्पित खंड है जिसका नाम है 'Stakeholders', जिसमें शेयरधारकों की जानकारी उपलब्ध है. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी वेबसाइट पर उपलब्ध है.
v)	वार्षिक रिपोर्ट	: लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निगमित अभिशासन रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारकों को भेजी जाती है. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (MD&A) संबंधी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का ही एक अंग है जिसे कंपनी के वेबसाइट www. mrpl.co.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है.
vi)	अध्यक्ष की विज्ञप्ति	: अध्यक्ष के भाषण की मुद्रित प्रति वार्षिक महासभा में शेयरधारकों में वितरित की जाती है. इसे, कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है और शेयर बाजारों के पास भेजा जाता है और जाने माने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है.
vii)	निवेशकर्ताओं को अनुस्मारक भेजना	: अध्यक्ष के भाषण की मुद्रित प्रति वार्षिक महासभा में शेयरधारकों में वितरित की जाती है. इसे, कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है और शेयर बाजारों के पास भेजा जाता है और जाने माने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है.
viii)	BSE इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म	: BSE लिस्टिंग केंद्र, सभी सूचीबद्ध उद्यमों के लिए एक्सचेंज के पास अपने विभिन्न अनुपालन / प्रस्तुतीकरण दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है. ' Listing Centre' एक ऐसा एकमात्र साधन है जिसके सहारे अनुपालन/प्रस्तुतीकरण फाइल किया जा सकता है और गत फाइलिंग का पता लगाया जा सकता है.
ix)	NSE इलेक्ट्रॉनिक आवेदन पत्र प्रोसेसिंग प्रणाली (NEAPS)	: NEAPS, एक वेब आधारित अप्लिकेशन है जिसे NSE ने कंपनियों की खातिर बनाया है. विभिन्न अनुपालन, NEAPS पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज किए जाते हैं.
x)	SEBI शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES)	: निवेशकर्ताओं की शिकायतों का SEBI द्वारा प्रदान की गई एक केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के जरिए निवारण किया जाता है.
xi)	नामोद्दिष्ट अनन्य ई-मेल id	: कंपनी ने, निवेशकर्ता सर्वीसिंग के लिए ही investor@mrpl.co.in ई-मेल-id नामोद्दिष्ट किया है.

13. सामान्य शेयरधारकों के बारे में जानकारी

28वीं वार्षिक महासभा

(i)	कंपनी के पंजीकरण के ब्यौरे	: CIN : L85110KA1988GOI008959
(ii)	दिन, दिनांक, समय और स्थान	शनिवार, 3 सितंबर, 2016, 16:00 बजे. MRPL एंप्लाईस क्लब मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030
(iii)	वित्तीय वर्ष	: 01/04/2015 से 31/03/2016
(iv)	बही समापन दिनांक	: 28/08/2016 से 03/09/2016 (दोनों दिन मिलाकर)
(v)	लाभांश भुगतान दिनांक	: लागू नहीं
(vi)	ई-मतदान :	: कंपनी ने, SEBI(लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44; कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार शेयरधारकों को रिमोट ई-मतदान करने की सुविधा प्रदान की है.
(vii)	शेयर बाजार में लिस्टिंग	:
अ)	इक्विटी शेयर ISIN: INE103A01014	1) BSE लिमिटेड, फिरोज़ जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- 400 001 **स्क्रिप कूट सं: 500109** 2) दी नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा(पू), मुंबई – 400 051 **व्यापार चिह्न: MRPL**
आ)	लिस्टिंग शुल्क का भुगतान	: कंपनी ने BSE और NSE को वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क अदा किया गया है.
इ)	निक्षेपागार शुल्क का भुगतान	कंपनी ने CDSL और NSDL को वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क अदा किया है.

viii) बाजार कीमत संबंधी आंकड़ें

माह	BSE लिमिटेड		नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	
(2015-2016)	अधिक	कम	अधिक	कम
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अप्रैल 2015	76.20	65.00	76.20	67.05
मई-15	72.25	65.60	72.40	65.30
जून-15	77.80	64.50	77.85	64.40
जुलाई-15	80.75	70.00	80.90	70.10
अगस्त-15	82.90	47.55	83.20	47.45
सितंबर-15	55.15	48.80	55.10	48.75
अक्तूबर-15	58.65	50.95	58.75	50.70
नवंबर-15	68.65	51.10	68.80	51.05
दिसंबर-15	69.95	60.80	70.00	60.35
जनवरी-16	71.75	61.65	70.90	61.85
फरवरी-16	66.05	51.75	66.00	51.95
मार्च-16	68.30	55.00	68.40	55.00

ix) NSE NIFTY और BSE जैसे स्थूल आधारित इंडीसिस की तुलना में निष्पादन: :

NSE (NIFTY) 2015-16

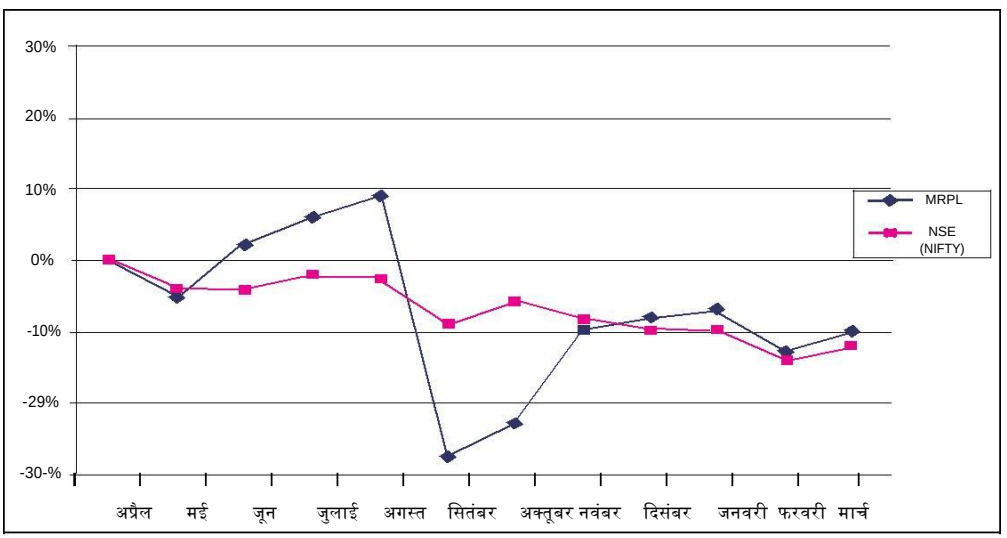

BSE SENSEX 2015-16

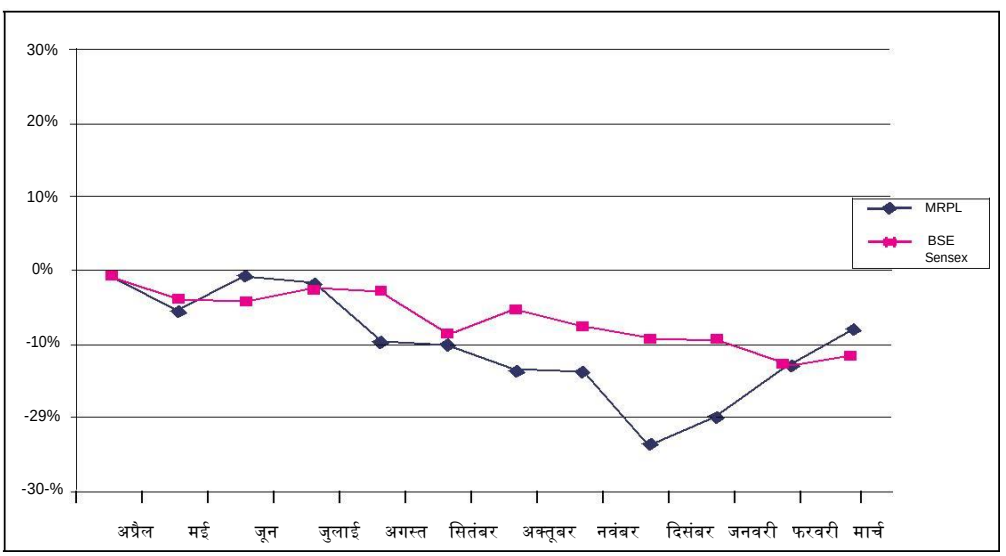

x) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट:

मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड
सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड
एल.बी.एस. मार्ग, भंडूप(पश्चिम),
मुंबई – 400 078
ई-मेल ID: mrplirc@linkintime.co.in.

xi) शेयर अंतरण प्रणाली:

मूर्त रूप में शेयरों का अंतरण, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट द्वारा, उसकी प्राप्ति दिनांक से सात दिनों के अंदर प्रोसेस कर पूरा किया जाता है बशर्ते कि सारे दस्तावेज ठीक हों. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के मामले में, अंतरण, संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के जरिए NSDL/CDSL द्वारा प्रोसेस किया जाता है. शेयर बाजारों से संबंधित SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 का अनुपालन करते हुए, पेशेवर कंपनी सचिव, अंतरण प्रणाली की लेखा परीक्षा करते हैं और उस बारे में एक प्रमाणपत्र जारी करते हैं.

xii) 31/03/2016 को शेयरधारण का वितरण

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने इस रूप में शेयर रखे हैं		धारित शेयर किस रूप में हैं		धारित इक्विटी पूंजी का %	
	मूर्तरूप में	डी-मैट रूप में	मूर्तरूप में	डी-मैट रूप में	मूर्तरूप में	डी-मैट रूप में
1 - 500	219981	204185	38801100	35621531	2.214	2.033
501 - 1000	868	13165	664225	10572228	0.038	0.603
1001 -2000	144	4875	209757	7427384	0.012	0.424
2001 -3000	22	1354	56425	3478950	0.003	0.198
3001 -4000	6	582	21608	2095674	0.001	0.120
4001 -5000	15	485	69550	2294835	0.004	0.131
5001 -10000	11	662	80950	4809425	0.005	0.274
10001 व उससे अधिक	8	528	303200	1646091935	0.017	93.923
कुल	**221055**	**225836**	**40206815**	**1712391962**	**2.294**	**97.706**

xiii) 31/03/2016 को शेयरधारण का स्वरूप.

विवरण	कुल शेयर	प्रतिशत
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.	1,25,53,54,097	71.63
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	29,71,53,518	16.96
निवासी व्यक्ति	10,51,02,004	5.98
अनिवासी व्यक्ति	76,69,301	0.44
देशी कंपनियां	1,53,46,258	0.88
विदेशी लिखत निवेशकर्ता/ विदेशी संविभाग निवेशकर्ता (कंपनी)	1,34,13,604	0.77
GIC व सहयोगी कंपनियां/बैंक/विदेशी बैंक व वित्तीय संस्थाएं/ बीमा/ म्यूचुअल फंड	5,85,37,670	3.34
केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाएं	2,700	0.00
न्यास	19,625	0.00
कुल	**1,75,25,98,777**	**100.00**

xiv) 31/03/2016 को अदावी/सुपुर्द न किए गए शेयर.

क्रम सं	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयर
1	शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के प्रारंभ में सुपुर्द / दावा किए बगैर पड़े रहे.	9051	1021825
2	परिवर्धन - शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान सुपुर्द / दावा किए बगैर पड़े रहे. (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016).	61	12000
3	उन शेयरधारकों की कुल संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उनके हवाले न किए गए शेयरों के सिलसिले में कंपनी से संपर्क किया और शेयर निर्गमित किए.	27	5600
4	शेयरधारकों की कुल संख्या जिनके शेयर वर्ष के अंत में 'अदावी शेयर उचंत खाते' में बकाया रहे.	9085	1028225
5	इन शेयरों के मताधिकार पर, तब तक रोक लगाई जाएगी जब तक इन शेयरों के वैध मालिक, शेयरों का दावा न करें.		

(xv) बकाया GDR/ ADR/वारंट अथवा किसी परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तारीख और इक्विटी पर उसका प्रभाव: **कुछ नहीं**

(xvi) रिफाइनरी का स्थान: मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर,
मार्ग काटिपल्ला,
मंगलूर - 575 030,
कर्नाटक, भारत.

xvii) पत्राचार का पता:

श्री दिनेश मिश्रा

कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी और मुख्य निवेशकर्ता संबंध अधिकारी

- **पंजीकृत कार्यालय/कंपनी का निवेशकर्ता संबंध कक्ष:**
  मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर
  मार्ग काटिपल्ला,
  मंगलूर - 575 030
  कर्नाटक.
  टेलीफोन: 0824-2270400
  ई-मेल: investor@mrpl.co.in.
  वेबसाइट: www.mrpl.co.in

- LGF, मर्केंटाइल हाउस,
  15, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001.
  टेलीफोन: 011-23463100
  ई-मेल: investor@mrpl.co.in

- मेकर टावर्स,
  15वीं मंजिल, " E" स्कंध, कफ परेड,
  मुंबई – 400005.
  टेलीफोन: 022-22173000
  ई-मेल: investor@mrpl.co.in

- प्लॉट A-1, KSSIDC A.O. भवन के सामने,
  इंडस्ट्रियल एस्टेट राजाजीनगर,
  बेंगलूरु – 560010 (कर्नाटक)
  टेलीफोन:080-22642200 फैक्स: 080-23505501

- **मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया (प्रा.) लि.,(R&T एजेंट) यूनिट: MRPL**
  सी-3, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड,
  एल.बी.एस. मार्ग, भंडूप (पश्चिम), मुंबई- 400 078
  टेलीफोन.: 022-25963838 / 25946970
  फैक्स सं.: 022-25946969
  ई-मेल: mrplirc@linkintime.co.in
  वेबसाइट: www.linkintime.co.in

यथा 31 मार्च, 2016 बोर्ड और समिति की संरचना

नाम	बोर्ड	लेखा परीक्षा	CSR	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति	मानव संसाधन विकास	परियोजना मूल्यांकन और क्रियान्वयन समिति
डी.के. सर्राफ़	■						
श्री एच. कुमार	●		●		●	●	●
श्री एम. वेंकटेश	●	●	●		●	●	●
श्री ए.के. साहू	●		●		●	●	●
श्री बी.के. नामदेव	●	●	●	●	●	●	■
श्रीमती. पेरिन देवी	●	■	■	●	●	■	
श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	●	●		■	■	●	●
श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव *	●	●		●	●	●	●
श्री विष्णु अग्रवाल #	●		●		●	●	●

* 31/01/2016 तक
# 09/03/2016 तक

■ **अध्यक्ष**

● सदस्य

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करने के बारे में लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

सदस्य,

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर

1. हमने शेयर बाजार (रों) के साथ उक्त कंपनी के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में यथा निर्दिष्ट 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा जारी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन का परीक्षण किया है.
2. निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, उक्त विनियमों और दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में अपनाई गई क्रियाविधियों एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित था. यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के बराबर है न ही उस पर हमारी राय व्यक्त करने जैसा है.
3. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा निदेशकों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा अभ्यावेदन के बलबूते पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने, SEBI (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और DPE के दिशानिर्देशों में यथा निर्दिष्ट निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है. **लेकिन, चूंकि भारत सरकार ने कंपनी के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है इसलिए नीचे उल्लिखित विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है :-**

क. चूंकि बोर्ड के अध्यक्ष, नियंत्रक कंपनी के कार्यकारी निदेशक है, इसलिए बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य, स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए.

ख. लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक होंगे और दो तिहाई सदस्य, स्वतंत्र निदेशक होंगे

ग. नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और सदस्यों में तीन या उससे अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए जिनमें से आधे, स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए.

घ. कंपनी का निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र और गैर-स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठक होनी चाहिए. लेकिन दिनांक 5 जून, 2015 की गज़ट अधिसूचिना सं. 372 के अनुसार, गैर-स्वतंत्र निदेशकों का गठन, निष्पादन और मूल्यांकन, सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं होता है.

ङ. लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों का कोरम.

4. हम यह भी व्यक्त करते हैं कि ऐसा अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन ने जिस दक्षता या प्रभाविता से अपना कामकाज संभाला, उसका आश्वासन है.

कृते ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S
हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं: 019798
स्थान: मंगलूरु
दिनांक: 10 जून, 2016

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S
हस्ता/-
सी.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं: 024314

CEO और CFO प्रमाणीकरण

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (" the Company") के (CEO/प्रबंध निदेशक और CFO/निदेशक(वित्त) के रूप में अपनी संबंधित हैसियत से, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार यह प्रमाणित करते हैं कि:

अ. हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह कि अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम यह व्यक्त करते हैं कि:

1. इन विवरणों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण नहीं है न ही इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य अथवा ऐसा कोई बयान दिया गया है जो भ्रामक हो.

2. ये विवरण एक साथ कंपनी के कामकाज का सही एवं निष्पक्ष चित्र पेश करते हैं और इनमें मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का पालन किया गया है.

आ. हम आगे स्पष्ट करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेन-देन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हों अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करें.

इ. हम, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रक स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और यह कि हमने, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्रों की प्रभाविता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को, आंतरिक नियंत्रकों के डिज़ाइन अथवा प्रचालन में उन कमियां को, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को ठीक करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं अथवा उठाना चाहते हैं उनके बारे में प्रकट किया है.

ई. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को यह संकेत दिया है:

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण में अगर कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हो तो उनके बारे में.

2. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हों तो उनके बारे में और यह कि उनको वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; और

3. उल्लेखनीय धोखाधड़ी की ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हमें जानकारी मिली हो और जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले प्रबंधन के कर्मचारी अथवा कर्मचारी शामिल हुए हों.

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक (वित्त) और CFO
DIN: 07355933

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक और CEO
DIN: 06851988

वार्षिक कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (ABRR)

खंड क: सामान्य जानकारी

1 **कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या** (CIN) : L85110KA1988GOI008959

2 **कंपनी का नाम** : मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

3 **पंजीकृत पता** : मुडपदव, डाक घर कुत्तेतूर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर- 575 030, कर्नाटक

4 **वेबसाइट** : www.mrpl.co.in

5 **ई-मेल** id : investor@mrpl.co.in

6 **रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष** : 2015 -16

7 **कंपनी किस क्षेत्र(त्रों) से जुड़ी है (औद्योगिक: गतिविधि कूट-वार)*** : पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल्स

समूह	श्रेणी	उप-श्रेणी	वर्णन
232	2320		परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण
		23201	द्रवीभूत अथवा गैस सदृश्य ईंधनों, प्रदीपक तेल, स्नेहन तेल अथवा ग्रीस अथवा क्रूड पेट्रोलियम से अन्य उत्पादों का उत्पादन
		23209	अन्य पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोलियम बिटुमिन का विनिर्माण

*NIC-2004-कंपनी कार्य मंत्रालय के अनुसार

8 **तीन महत्वपूर्ण उत्पादों/सेवाओं की, जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/जिनको कंपनी प्रदान करती हैं, सूची दें (जिसे तुलन पत्र में दर्शाया गया हो):**

- हाई स्पीड डीज़ल (HSD)
- ईंधन तेल
- विमानन टर्बाईन ईंधन

9 **कंपनी द्वारा कुल कितने स्थानों पर कारोबार गतिविधि चलाई जाती है:** **9**

i **अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या : (5 ख़ास स्थानों के ब्यौरे दें)** **कुछ नहीं**

ii **राष्ट्रीय स्थानों की संख्या**

- एमआरपीएल, विनिर्माण गतिविधियों सहित अपनी प्रमुख कारोबार गतिविधियां कर्नाटक राज्य में मंगलूर नामक एक ही स्थान पर चलाता है.
- एमआरपीएल, अपनी विपणन गतिविधियां, बेंगलूर स्थित विपणन प्रधान कार्यालय से चलाता है.
- कंपनी के 4 कार्यालय हैं जो मंगलूर, बेंगलूर, मुंबई और दिल्ली में हैं जहां से उत्पादन, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विपणन जैसे विविध कामकाज चलाए जाते हैं.
- 3 डिपो, कासरगोड़ (केरल), हिंदूपुर (आंध्र प्रदेश) और होसूर (तमिल नाडू) में एक-एक.
- 2 खुदरा केंद्र, कर्नाटक राज्य में मद्दूर और हुब्ली में एक-एक.

10 **कंपनी किन-किन बाजारों को कवर करती हैं - स्थानीय/राज्य/: राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय** राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 16 देशों में

खंड ख: वित्तीय परिणाम (वित्त-2015-16)

1 **प्रदत्त पूंजी** : ₹ 1,752 करोड़

2 **कुल कारोबार** : ₹ 50,864 करोड़

3 **कर उपरांत लाभ** (PAT) : ₹ 1148 करोड़

4. **निगमित सामाजिक दायित्व** (CSR) **पर किया गया कुल खर्च**
कंपनी ने 2015-16 के दौरान **CSR** पर ₹ 4.11 करोड़ खर्च किए.

5 **उन गतिविधियों की सूची जिन पर** CSR **संबंधी व्यय किया गया.**
उक्त व्यय इन प्रमुख क्षेत्रों में किया गया जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, जीविकोपार्जन के लिए समर्थन और सामुदायिक विकास परियोजनाएं.

खंड ग: अन्य ब्यौरे

1 **सहयोगी कंपनी.**
कंपनी की एकमात्र सहयोगी कंपनी है ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL). कंपनी का OMPL की शेयर पूंजी में 51% का हिस्सा है.

2 **मूल कंपनी की BR संबंधी पहल में सहयोगी कंपनी/कंपनियों की सहभागिता.**
चूंकि OMPL एक अलग उद्यम है इसलिए वह कंपनी के लिए लागू नीतियों के अनुसार अपनी तरफ से कारोबार जिम्मेदारी संबंधी पहल करता है.

3 **कंपनी के साथ कारोबार करने वाली कंपनी की** BR **संबंधी पहले में भाग लेने वाले अन्य उद्यम/उद्यमों (उदा: आपूर्तिकर्ता/वितरक आदि) की सहभागिता और प्रतिशतता**
एक सूचीबद्ध PSE होने के नाते एमआरपीएल, निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नीतियों, SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 और विशेषकर DPE के और आम तौर पर भारत सरकार के अन्य दिशानिर्देशों एवं नीतियों के अनुसार नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ कारोबार और शासन चलाता है. एमआरपीएल, अपनी स्वेच्छा से नीति संबंधी कुछ पहल करता है और ये हिस्सेदार, एमआरपीएल को उसकी कारोबार जिम्मेदारी संभालने में मदद करते हैं. यह बताना मुश्किल है कि एमआरपीएल की कारोबार जिम्मेदारी संबंधी पहल सुसाध्य बनाने में इनका समर्थन किस हद तक कारगर सिद्ध हुआ है.

खंड घ: BR संबंधी जानकारी

1 BR **के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे**

क) BR संबंधी नीति/नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे
श्री एम. वेंकटेश, निदेशक(रिफाइनरी) और अधिष्ठाता (DIN : 07025342)

ख) BR संभालने वाले के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरे
1	DIN	07025342
2	नाम	श्री एम. वेंकटेश
3	पदनाम	निदेशक (रिफाइनरी)
4	टेलीफोन संख्या	0824-2270400
5	ई-मेल id	venky_m@mrpl.co.in

2. सिद्धांत(P)-वार (NVG के अनुसार) BR संबंधी नीति/नीतियां

P 1	कारोबार, नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ चलाना होगा.
P 2	कारोबार में ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी होंगी जो सुरक्षित हों और उनके जीवन चक्र के दौरान हर दम संधारणीयता से योगदान देने के काबिल हों.
P 3	कारोबार से तमाम कर्मचारियों का कल्याण हो.
P 4	कारोबार करते समय, सभी हिस्सेदारों और खासकर अल्पसुविधा प्राप्त, दुर्बल एवं दरकिनार किए गए लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति अनुक्रियाशील होना चाहिए.
P 5	कारोबार करते समय मानव अधिकारों की कद्र करनी चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए.
P 6	कारोबार करते समय पर्यावरण के प्रति आदर होना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे बरकरार रखने के प्रयास किए जाने चाहिए.
P 7	सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने वाले कारोबार करते समय जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए.
P 8	कारोबार करते समय समावेशी वृद्धि और समान विकास का समर्थन करना चाहिए.
P 9	कारोबार करते समय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को मूल्य दिलाने में जिम्मेदार तरीके से पेश आना चाहिए.

क्रम सं.	प्रश्न	कारोबार की नैतिकता	उत्पाद की जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	हिस्सेदारों को मुकर्रर करना व CSR	मानव अधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	CSR	ग्राहक के साथ संबंध
		P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1	**क्या आप कोई नीति/नीतियां अपना रहे हैं**	हां एक सूचीबद्ध PSE होने के नाते एमआरपीएल, निगमित अभिशासन के बारे में DPE के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नीतियों, SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 और विशेषकर DPE के एवं आम तौर पर भारत सरकार के अन्य दिशानिर्देशों तथा नीतियों के अनुसार नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ कारोबार और शासन चलाता है.	हां- उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी मैनुअल (BIS / अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित)	हां कंपनी ने तमाम कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की मासं नीतियां बनाई हैं	हां	हां कंपनी की तमाम नीतियों में न केवल कर्मचारियों के बल्कि कंपनी के प्रचालन से प्रभावित होने वाले लोगों के मानव अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है.	हां	एमआरपीएल, सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने का काम नहीं करता है. लेकिन PSE होने के नाते अपना कारोबार हमेशा जिम्मेदारी के साथ निभाता है और हमेशा बेहतरीन नैतिक व्यावहारिक पद्धति अपनाता है.	हां	हां
2	**क्या नीति बनाते समय संबंधित हिस्सेदारों के साथ परामर्श किया जाता रहा है?**	हां	हां	हां	हां	एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम होने के नाते एमआरपीएल, भारत सरकार की नीतियों का पालन करता है.	हां	हां	हां. CSR और SD संबंधी नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और DPE के दिशानिर्देशों के अनुरूप है.	हां
3	**क्या नीति, किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? अगर हां तो निर्दिष्ट करें?**	हां नीति व निर्धारित कार्यविधियां, कानून एवं भारत सरकार, की नीतियों, DPE व अन्य सांविधिक निकायों के अनुरूप हैं.	हां (BIS/अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों और मानकों के अनुसार है)	हां	हां. नीति व निर्धारित कार्यविधियां, कानून एवं भारत सरकार, की नीतियों, के अनुरूप हैं.	हां. प्रचालन और कारोबार की दृष्टि से नीतियां, राष्ट्रीय मानकों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार हैं.	हां. ISO 14001: 2004 मानक	हां. कंपनी, अपना कारोबार जिम्मेदार तरीके से चलाती है.	हां. DPE के दिशानिर्देशों के अनुरूप है	हां. (गुणवत्ता के मामले में ISO:9001 और पर्यावरण के मामले में ISO:14001

क्रम सं.	प्रश्न	कारोबार की नैतिकता	उत्पाद की जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	हिस्सेदारों को मुकर्रर करना व CSR	मानव अधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	CSR	ग्राहक के साथ संबंध
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
4	**क्या नीति के लिए बोर्ड ने अनुमोदन दिया? अगर हां तो उस पर MD/मालिक/CEO/ बोर्ड के उचित निदेशक ने अपने हस्ताक्षर किए हैं?**	हां. भारत सरकार, DPE और अन्य भारतीय सांविधिक निकायों के अधिदेशों के अनुसार सभी नीतियों का, कंपनी के बोर्ड से अनुमोदन मिलने के बाद पालन किया जाता है.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां. कंपनी, भारत सरकार की नीतियों का पालन करती है. कंपनी की सभी नीतियों के लिए निदेशक मंडल का अनुमोदन लिया जाता है.	हां.	हां.
5	**क्या नीति पर निगरानी रखने के लिए कंपनी में बोर्ड/ निदेशक/अधिकारी समेत किसी निर्दिष्ट समिति का गठन किया गया है?**	हां.	मंडल की समितियां, नीति के अनुपालन और कार्यान्वयन पर निगरानी रखती हैं.	हां.	हां. CSR और SD संबंधी समिति द्वारा इस पर निगरानी रखी जाती है.	हां.	हां. नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कंपनी में PAEC/ HSE समिति का गठन किया गया है.	हां. निगमित अभिशासन रिपोर्ट में कंपनी की अनेक बोर्ड समितियों का जिक्र किया गया है.	हां.	हां.
6	**नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक प्रदान करें?**	मुखबिर नीति और सत्यनिष्ठा संबंधी समझौते को www.mrpl.co.in में देखा जा सकता है	www.mrpl.co.in	कर्मचारी पोर्टल पर उपलब्ध है	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in	कंपनी की विभिन्न नीतियों को www.mrpl. co.in में देखा जा सकता है	www.mrpl.co.in	www.mrpl.co.in

क्रम सं.	प्रश्न	कारोबार की नैतिकता	उत्पाद की जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	हिस्सेदारों को मुकर्रर करना व CSR	मानव अधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	CSR	ग्राहक के साथ संबंध
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
7	**क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सभी संबंधित आंतरिक एवं बाह्य हिस्सेदारों को सूचित किया गया है?**	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.
8	**नीति/नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए क्या कंपनी में कोई आंतरिक ढांचा है?**	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.
9	**नीति/नीतियों के बारे में हिस्सेदारों की शिकायतों का निवारण करने के लिए क्या कंपनी ने कोई निवारक तंत्र बनाया है?**	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां.
10	**क्या कंपनी ने इस नीति के कार्य संचालन की किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से लेखा परीक्षण/ मूल्यांकन करवाया है?**	निगमित अभिशासन के बारे में SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है.	हां.	हां.	हां.	हां.	हां. ISO सिस्टम संबंधी लेखा परीक्षा लागू की गई है.	हां. एक PSE होने के नाते कंपनी की CAG लेखा परीक्षा की जाती है .	हां.	हां.

क्रम सं.	प्रश्न	कारोबार की नैतिकता	उत्पाद की जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	हिस्सेदारों को मुकर्रर करना व CSR	मानव अधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	CSR	ग्राहक के साथ संबंध
		P1	P2	P 3	P 4	P 5	P 6	P7	P8	P 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है.	लागू नहीं								
2	कंपनी एक ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर नीतियां बनाकर लागू करे.									
3	कंपनी के पास अपने कार्य करने के लिए कोई वित्तीय अथवा श्रमशक्ति संबंधी संसाधन नहीं हैं									
4	अगले 6 महीनों के अंदर करने का विचार है.									
5	अगले 1 वर्ष के अंदर करने का विचार है.									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें).									

3. BR से संबंधित अभिशासन

- **कंपनी के BR संबंधी निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा CEO की बारंबारता**
  बोर्ड, कंपनी के कारोबार जिम्मेदारी संबंधी निष्पादन का वर्ष में एक बार आकलन करता है.
- **BR अथवा संधारणीयता रिपोर्ट का प्रकाशन, प्रकाशित रिपोर्टों की बारंबारता और हाइपरलिंक.**
  भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट 2015-16, 28वीं वार्षिक रिपोर्ट का ही एक अंग है. यह कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर भी उपलब्ध है.

खंड ङ: सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1 - नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेवारी

1. **नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति में कंपनी और उसके समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/एनजीओ/दूसरों को शामिल किया जाता है.**
   नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित कंपनी की नीति में कर्मचारियों और निदेशकों एवं अन्य हिस्सेदारों को शामिल किया जाता है.
2. **पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हिस्सेदार की शिकायतें और प्रबंधन ने, कितने प्रतिशत तक शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निवारण किया.**

   कंपनी में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समिति का गठन किया गया है. यह समिति, शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश का भुगतान, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र न मिलने और विचारार्थ विषय के अनुसार दूसरे मुद्दों से संबंधित शेयरधारकों और निवेशकर्ताओं की शिकायतों का निवारण करने पर विशेष रूप से ध्यान देती है. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निवेशकर्ताओं से 30 शिकायतें प्राप्त कीं जिनमें से उसी वर्ष के अंदर तमाम 30 शिकायतों का निवारण किया गया.

सिद्धांत 2: उत्पाद जीवनचक्र की संधारणीयता

1. **उन उत्पादों अथवा सेवाओं की सूची जिनके डिज़ाइन में सामाजिक अथवा पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और/ अथवा अवसरों को समाविष्ट किया गया है.**
   (क) मोटर स्पिरिट उत्पाद की गुणवत्ता, BS III और BS IV के अनुरूप है.
   (ख) हाई स्पीड डीज़ल उत्पाद (HSD) की गुणवत्ता, BS III और BS IV विनिर्देश के अनुरूप है.
   (ग) विमानन टर्बाईन ईंधन.
2. **प्रति यूनिट उत्पाद, संसाधन के उपयोग के संबंध में ब्यौरे (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) (वैकल्पिक):**
   ऊर्जा की खपत और प्रति यूनिट कच्चा माल उत्पादन के बारे में संबंधित ब्यौरे, मंडल की रिपोर्ट के " अनुबंध-ख " में दिए गए हैं जो वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 का ही एक अंग है.
   i. **मूल्य चेन के दौरान पिछले वर्ष से हासिल किए गए सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण में कटौती?**
      मंडल की रिपोर्ट के " अनुबंध-ख " में दर्शाया गया है.
   ii. **क्या उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान कटौती पिछले वर्ष से हासिल की गई है?**
      मंडल की रिपोर्ट के " अनुबंध-ख " में दर्शाया गया है.
3. **संधारणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए लागू की गई कार्यविधि और संधारणीय तरीके से उपलब्ध कराई गई निविष्टियों का प्रतिशत.**
   कंपनी में, सुपरिभाषित क्रूड खरीदारी संबंधी कार्यविधि अपनाई जा रही है.
4. **समुदायों सहित स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों से वस्तुएं और सेवाएं हासिल करने के लिए उठाए गए कदम और स्थानीय एवं छोटे विक्रेताओं की खातिर चलाई गईं क्षमता वर्धन गतिविधियां?**

क्रूड तेल का परिष्करण करने वाली कंपनी होने के नाते कंपनी, अधिकतर उपकरणों, अतिरिक्त पुर्जों और रासायनिक पदार्थों की खरीदारी, हमेशा, स्थापित स्रोतों से करती है. ये निविष्टियां, उस स्थानीय इलाके में, जहां रिफाइनरी स्थापित की गई है, उपलब्ध नहीं हैं. लेकिन हाउसकीपिंग, बगीचे की देखभाल जैसी सेवाओं के लिए स्थानीय समुदाय को मुकर्रर किया गया.

5. **उत्पादों और अपशिष्ट का पुन:चक्रण करने का तंत्र और उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुन:चक्रण का प्रतिशत (अलग रूप से <5%, 5-10%, >10% के रूप में).**

कंपनी, उपचारित बहिस्राव जल के कम से 70% का पुन:चक्रण करती है और उसका प्रतिपूरक जल की तरह दोबारा उपयोग करती है. आगे, कंपनी ने उपचारित बहिस्राव पुन:चक्रण बढ़ाने के लिए RO संयंत्र स्थापित किया है.

सिद्धांत 3- कर्मचारी का कल्याण

1. कर्मचारियों की कुल संख्या.
   1812
2. अस्थाई/ठेके/अनियत आधार पर मुकर्रर किए गए कर्मचारियों की संख्या.
   हाउस कीपिंग, सुरक्षा सेवाओं, बगीचे की देखभाल, यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल एवं सिविल अनुरक्षण तथा कैंटीन सेवाओं जैसे विभिन्न प्रकार के कार्य, बाह्य ठेके पर दिए गए जाते हैं. 31.3.2016 को कुल मिलाकर 3898 कर्मचारियों को ठेके के आधार पर काम पर रखा गया था.
3. स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या.
   130
4. अपंगता से ग्रस्त स्थाई कर्मचारियों की संख्या.
   26
5. क्या आपके यहां कोई ऐसा कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन ने मान्यता दी है.
   हां
6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में सदस्यों के रूप में आपके स्थाई कर्मचारियों का प्रतिशत?
   100%
7. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बाल मज़दूर, बलात् मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें मिलीं और इनमें से वित्तीय वर्ष **के अंत में कितनी लंबित रहीं.**

क्रम सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गईं शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूर/बलात् मजदूर/अनैच्छिक मजदूर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	यौन उत्पीड़न	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	02	कुछ नहीं

8. **पिछले वर्ष नीचे उल्लिखित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को संरक्षा और कुशलता उन्नयन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया.**

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने प्रशिक्षण, विकास और सीखने के लिए 3669 श्रम दिवस लगाए जो प्रति कर्मचारी 2.16 श्रम दिवस बनता है.

सिद्धांत 4 - हिस्सेदारों को मुकर्रर करना

1. **अपने आंतरिक और बाह्य हिस्सेदारों को मुकर्रर किया गया.**
   हां, हिस्सेदारों को नीचे बताए गए तरीके से मुकर्रर किया गया:
   क. निवेशकर्ता और हिस्सेदार.
   ख. कर्मचारी.
   ग. स्थानीय समुदाय.
   घ. आपूर्तिकर्ता और ग्राहक.
   ड. सरकारी नियामक प्राधिकारी.
2. **वंचित, दुर्बल और दरकिनार किए गए हिस्सेदारों को पहचानना.**
   एमआरपीएल, DOPT द्वारा जारी दिशानिर्देशों का और अपंगता से पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की खातिर सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी अपंगता से पीडित व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की सूची का पालन करता है.
3. **वंचित, दुर्बल और दर किनारे किए गए हिस्सेदारों को मुकर्रर करने के लिए कंपनी द्वारा की गईं विशेष पहल.**
   एमआरपीएल ने अपंगता से पीडित व्यक्तियों के लिए पहचाने गए 24 पद भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान छेड़ा जिसमें से 22 पद भरे गए हैं, एक चुने गए अभ्यर्थी को पेशकश जारी की गई है और शेष एक पद के मामले में समाचार पत्र में शीघ्र ही दोबारा विज्ञापन जारी किया जाएगा.

सिद्धांत 5 - मानव अधिकार

1. **मानव अधिकार संबंधी कंपनी नीति की व्याप्ति और उसमें समूह /संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ दूसरों को शामिल करना.**
   एमआरपीएल, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है जो सरकारी दिशानिर्देशों और लागू कानूनों से मार्गदर्शित होता है जो आम तौर पर मानव अधिकारों का संरक्षण करता है और यह बात दूसरे हिस्सेदारों के लिए लागू होती है.
2. **पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हिस्सेदारों की शिकायतें और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से सुलझाई गईं शिकायतों का प्रतिशत.**
   वर्ष 2015-16 के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली.

सिद्धांत 6 - पर्यावरण प्रबंधन

1. **सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी नीति की व्याप्ति और उसमें समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/दूसरों को शामिल करना.**
   दीर्घावधि संधारणीयता के लिए पर्यावरण का पोषण और संरक्षण करना, एमआरपीएल की पर्यावरण नीति का मूल उद्देश्य है. यद्यपि यह नीति सिर्फ़ कंपनी तक सीमित है लेकिन कंपनी, पर्यावरण का परिरक्षण करने की जिम्मेदारी लेने का प्रयास करती रही है और ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय समुदाय जैसे अन्य हिस्सेदारों के समूहों में से प्रबंधन, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी उठाता रहा है.
2. **मौसम में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दे सुलझाने के लिए कंपनी की रणनीतियां/ पहल .**
   स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानदंडों में वैश्विक दर्जा कायम करने के साथ सामुदायिक कल्याण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता दिखाना.

3. संभावित पर्यावरणीय जोखिम को पहचानना और आंकना.

हां, एमआरपीएल ने रिफाइनरी की अपनी तमाम यूनिटों में संभावित पर्यावरणीय जोखिम को पहचानकर आंकने का तंत्र लागू किया है. पर्यावरण का पोषण करने के लिए शमन उपाय किए जाते हैं और परियोजना के डिज़ाइन स्तर पर, कार्यान्वयन, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण स्तर पर पर्यावरण की देखभाल की जाती है.

कंपनी की उत्पादन सुविधाओं को ISO 9001, ISO 14001 और ISO 50001 से प्रमाणित किया गया है. आवधिक लेखा परीक्षा करने से, एमआरपीएल को पर्यावरण में संभावित जोखिम को पहचानकर आंकने में मदद मिलती है.

4. स्वच्छ विकास तंत्र की दिशा में कंपनी की पहल?

एमआरपीएल, ONGC समूह की कंपनी है जिसने अपने स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाओं में ONGC के साथ हाथ जोड़ा है.

5. स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा की बचत, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के प्रति कंपनी की पहल.

वर्ष के दौरान ऊर्जा बचाने आदि के लिए कंपनी द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की पहल के बारे में मंडल की रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है.

6. CPCB/SPCB द्वारा अनुमत सीमाओं के अंदर कंपनी के उत्सर्जन/अपशिष्ट के बारे में रिपोर्ट करना.

हां, इस बारे में KSPCB को वक्त-वक्त पर ख़बर दी जाती है.

7. वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में लंबित (अर्थात्; जिनको संतोषजनक ढंग से न निपटाया गया हो), CPCB/SPCB से प्राप्त कारण बताओं नोटिस/कानूनी नोटिस की संख्या.

धूल, ध्वनि और गंध को लेकर आस पास के गांवों से मिली शिकायतों के बारे में KSPCB/ CPCB से नौ कारण बताओ नोटिस मिलीं. KSPCB/ CPCB को बिंदु-वार जवाब दिया गया और निश्चित लक्ष्य तारीख के साथ सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है.

<u>सिद्धांत 7 - सार्वजनिक वकालत</u>

1. व्यापार और चेंबर अथवा संघ में अभ्यावेदन.

हां, कंपनी ने नीचे उल्लिखित संघों/निकायों में सदस्यता ली है.

1. कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII),
2. सार्वजनिक उद्यम संबंधी स्थाई समिति (SCOPE),
3. पेट्रोलियम कंज़र्वेटिव रिसर्च एसोसिएशन (PCRA),
4. राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला मान्यता बोर्ड (NABL),
5. पेट्रोलियम फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (PETROFED)
6. फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइज़ेशन्स (FIEO)

2. जनता की उन्नति के लिए उक्त संघों में वकालत की गई/तरफदारी की गई.

लोगों की उन्नति के लिए कंपनी, संघ के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती रही है.

<u>सिद्धांत 8: समावेशी वृद्धि</u>

1. सिद्धांत 8 से संबंधित नीति लागू करने की दिशा में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं.

MRPL ने CSR और SD संबंधी नीति बनाई जिसमें समावेशी वृद्धि और सामुदायिक विकास पर जोर दिया जाता है. इसके अलावा कंपनी ने CSR के संबंध में विभिन्न पहली की है (मंडल की रिपोर्ट " अनुबंध-घ " में ब्यौरे दिए गए हैं).

2. आंतरिक टीम/खुद के फाउंडेशन/बाह्य NGO/सरकारी ढांचे/ किसी दूसरे संगठन के जरिए हाथ में लिए गए कार्यक्रम/परियोजनाएं.

कंपनी द्वारा CSR के अधीन परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं.

3. पहल का प्रभाव आंकना.

परियोजना पूरी होने के बाद हमारे नकली अवयव शिविर, कुशलता उन्नयन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के हिताधिकारियों से मिले फ़ीडबैक के आधार पर प्रभाव का आकलन किया जाता है. इसके अलावा, छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों के बाद छात्रों की उपस्थिति, समग्र तरक्की और शैक्षिक निष्पादन में सुधार के बारे में स्कूल के प्राधिकारियों से फ़ीडबैक लिया जाता है. जहां कहीं एमआरपीएल, CSR के जरिए विभिन्न प्रयोजनों के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा हो, ग्राम पंचायत से भी सुधार के बारे में इसी प्रकार का फ़ीडबैक लिया जाता है.

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान.

वर्ष 2015-16 के दौरान एमआरपीएल ने शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, जीविकोपर्जक समर्थन आदि से संबंधित सामुदायिक विकास परियोजनाओं के प्रति ₹ 4.11 करोड़ खर्च किए.

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि समुदाय, इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाता है.

कंपनी की CSR संबंधी पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक अपनाया है. गांव और समाज के दलित समुदाय हेतु शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए हैं. गांवों में बसे अ.जा./अ.ज.जा. के समुदायों में स्वच्छता को लेकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. कंपनी के स्वरोजगार कार्यक्रम अथवा कुशलता विकास कार्यक्रम की बदौलत दर किनारे किए गए समुदाय के जीवन में सुधार आया है.

<u>सिद्धांत 9: ग्राहकों के लिए मूल्य.</u>

1. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहकों की शिकायतों/उपभोक्ता से संबंधित मामलों का प्रतिशत.

कुछ नहीं

2. उत्पाद के लेबलिंग पर उत्पाद की जानकारी.

MANGPOL ब्रांड के अधीन पॉलीप्रॉपीलीन थैलियों पर उत्पाद/ब्रांड नाम/विनिर्माता के ब्यौरे जैसे पता, संपर्क, ई-मेल आईडी/ग्रेड/लॉट संख्या प्रदर्शित किए जाते हैं.

3. पिछले पांच वर्ष के दौरान और वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुचित व्यापार प्रथा, गैर-जिम्मेदार तरीके से विज्ञापन देने और/अथवा प्रतिस्पर्धात्मक विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी हिस्सेदार द्वारा दर्ज किया गया कोई मामला.

कुछ नहीं

4. कंपनी द्वारा किया गया उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता के संतोष की प्रवृत्ति.

अर्ध वार्षिक आधार पर किए गए ग्राहक संतोष के बारे में सर्वेक्षण के दौरान ग्राहक के संतोष में विव 2014-15 के 94.64% से विव 2015-16 में 95.02% तक सुधार हुआ है.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** के सदस्य
स्वतंत्र वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट.

हमने, **मं**गलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (" दी कंपनी ") के संलग्न किए गए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2016 तक के समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण, उस वर्ष को समाप्त नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समाविष्ट की गई हैं.

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (" the Act ") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाते हैं. इस जिम्मेदारी में ऐसी बातें शामिल हैं जैसे कंपनी की आस्तियों की हिफ़ाजत करना तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन कर उनको लागू करना, ऐसे फैसले और आकलन करना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, उसका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जो सही और निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले और चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, लेखा रेकॉर्ड की यथातथ्यता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रेकॉर्ड रखना.

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, लेखा परीक्षा के आधार पर इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है.

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखा परीक्षा मानकों और उन मामलों पर ध्यान दिया है जिनको अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है.

हमने, अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की. इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम, नैतिक अपेक्षाएं पूरी करें और योजना बनाकर लेखा परीक्षा का इस तरह से निर्वाह करे जिससे यह उचित आश्वासन मिले कि क्या वित्तीय विवरण, महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त हैं.

लेखा परीक्षा में शामिल है, वित्तीय विवरणों में रकम और प्रकटन के बारे में सबूत पाने के इरादे से अपनाई जाती रहीं क्रियाविधियां. चुनी गईं क्रियाविधियां, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, वित्तीय विवरणों में तथ्यों की गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षकों के फ़ैसले पर निर्भर होंगी. जोखिम संबंधी ऐसे निर्धारण करते समय, लेखा परीक्षक, नियंत्रक कंपनी का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले वित्तीय विवरण से प्रासंगिक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे कि लेखा परीक्षा से संबंधित क्रियाविधियां इस तरह से बनाई जाएं जो परिस्थितियों के अनुरूप हों. लेखा परीक्षा में यह भी शामिल हैं जैसे; प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखा संबंधी आकलन का निर्धारण करना एवं समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना.

हम मानते हैं कि हमें लेखा परीक्षा के बारे में जो सबूत मिले हैं वे स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं.

राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में, 31 मार्च, 2016 तक के कंपनी के कामकाज की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष की उसकी हानि तथा नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने वाली, अधिनियम में अपेक्षित तरीके से जानकारी दी गई है जो भारत में आम तौर पर अपनाए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाती है.

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("the Order") की अपेक्षाओं के अनुरूप, हमने, जहां तक लागू हो, आदेश के परिच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण, अनुबंध ''क'' के रूप में दिया है.

2. कंपनी के रेकॉर्डों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के बलबूते पर, हम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर यहां नीचे अपनी रिपोर्ट देते हैं:

क. पूर्ण स्वमित्व वाली और पट्टाधृत भूमि के संबंध में कंपनी के पास स्पष्ट हक/पट्टा संबंधी विलेख हैं.

ख. तेल विपणन कंपनियों को की गई ₹ 2,183.92 दशलक्ष की बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर के अलावा ₹ 0.70 दशलक्ष की रकम के कर्ज को बट्टे खाते डाला गया एक मामला है और दोनों को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है जब कि उत्तरवर्ती मामला, विद्यमान उद्योग प्रथा के कारण उत्पन्न हुआ है.

ग. कंपनी ने अन्य पक्षकारों के पास पड़े रहे स्टॉक के संबंध में पर्याप्त रेकॉर्ड रखे हैं. कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई आस्तियां नहीं मिली हैं.

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमने ऐसी तमाम जानकारी और स्पष्टीकरण मांग कर प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारे परीक्षा से लगता है कि कंपनी ने कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां ठीक तरह से रखी हैं.

ग. इस रिपोर्ट में समाविष्ट किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

घ. हमारी राय में, उक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

ङ. धारा 164(2) के अधीन उल्लिखित निदेशकों की अनर्हता, कंपनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं होती है.

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की पर्याप्तता और इन नियंत्रकों की प्रचालन प्रभाविता के संबंध में अनुबंध ख में अलग रूप से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

छ. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i) कंपनी ने, अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित कानूनी मामलों का प्रभाव प्रकट किया है - देखें वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31.14.03 और 31.14.04;

ii) कंपनी ने, व्युत्पन्न ठेकों सहित दीर्घावधि ठेकों पर, यदि कोई हो तो, पूर्वानुमान लगाने लायक महत्वपूर्ण हानि के बारे में यथा लागू कानून अथवा लेखा मानकों के तहत यथापेक्षित प्रावधान किए हैं.

iii) निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित रकम का हस्तांतरण करने में कोई विलंब नहीं रहा.

कृते ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. : 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003957S

हस्ता/-
सीए. के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. : 024314

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 12 मई, 2016

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के तहत निर्दिष्ट अनुबंध ' क '

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय विवरण पर मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के शीर्षक ' अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं ' के अधीन रिपोर्ट के परिच्छेद 1 में निर्दिष्ट अनुबंध ' क ' के संदर्भ में, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

i.

(क) कंपनी ने परिमाणात्मक ब्योरों और अचल आस्तियों के स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रेकॉर्ड रखे हैं.

(ख) प्रबंधन ने, वर्ष के दौरान तमाम आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया लेकिन सत्यापन करने का एक नियमित कार्यक्रम बनाया गया है जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए उचित है. कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नजर नहीं आई हैं.

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और हमारी ओर से किए गए कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार अचल संपत्ति के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम हैं.

ii. प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान निरंतर स्टॉक कार्यक्रम के अनुसार भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है. अन्य मदों के स्टॉक का, वर्षांत में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जिसकी बारंबारता, हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके कारोबार स्वरूप को देखते हुए उचित है. कंपनी द्वारा पेश की गईं रिपोर्टों के अनुसार ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नज़र नहीं आईं.

iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फ़र्मों अथवा सीमित देयताओं वाले साझेदारों अथवा अन्य पक्षकारों को कोई ऋण, चाहे जमानती हो या गैर-जमानती, नहीं दिया है. तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क), (ख) और (ग) के अधीन रिपोर्ट करने का सवाल नहीं उठता.

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 185 के तहत आनेवाले पक्षकारों को कोई ऋण, कोई गारंटी अथवा कोई जमानत नहीं दी है और कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है न ही कोई निवेश किया है. तदनुसार आदेश के खंड 3(iv) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संबंधित प्रावधानों के अर्थ के अंदर कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है. तदनुसार आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत संबंधी रेकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है. हमने कंपनी द्वारा रखे गए लागत संबंधी रेकॉर्डों की स्थूल रूप से समीक्षा की और यह रिपोर्ट करते हैं कि लागत संबंधी रेकॉर्ड रखने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों का, जहां कहीं लागू हो, पालन किया गया है.

vii.

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से परखे गए कंपनी के रेकॉर्डों के अनुसार कंपनी, वर्ष के दौरान, उचित प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सांविधिक देयताओं सहित विवादरहित सांविधिक देयताएं आम तौर पर नियमित रूप से जमा कराती रही है. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2016 को बकाया भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सांविधिक देयताओं के संबंध में देय विवादरहित रकम, देय हुए दिनांक से छह महीने से अधिक समय तक बाकी नहीं रही.

ख. हमें दी गई जानकारी और कंपनी के रेकॉर्डों का सत्यापन करने से ऐसी विवादित कर देयता, जिसे 31 मार्च, 2016 तक उचित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं कराया गया है, निम्नानुसार है:

अधिनियम का नाम	देय राशि का स्वरूप	कुल मांग (₹ दशलक्ष में)	अभ्यापत्ति के अधीन प्रदत्त/ समायोजित कुल रकम (₹ दशलक्ष में)	रकम, किस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	किस मंच पर विवाद लंबित है
दी कर्नाटका सेल्स टैक्स ऐक्ट 1957/ केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर - दंड	4.53	कुछ नहीं	2009-10	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
	केंद्रीय बिक्री कर – ब्याज	18.33	12.10	2009-10	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	0.43	0.21	2006-07	अपील न्यायाधिकरण– मंगलूर
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	0.13	0.13	2009-10	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	0.66	0.66	2010-11	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
	मूल्य वर्धित कर – दंड	3.48	कुछ नहीं	2011-12	अपील प्राधिकरण – मंगलूर
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	4.80	2.48	2011-12	अपील प्राधिकरण – मंगलूर
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर / ब्याज / दंड	296.30	296.30	AY 1993-03	मुंबई उच्च न्यायालय
		10.93	10.93	AY 2003-04	आय कर अपील न्यायाधिकरण– मुंबई
		233.50	111.10	AY 2006-07	आय कर अपील न्यायाधिकरण– मुंबई
		129.39	129.39	AY 2007-08	आय कर अपील न्यायाधिकरण– मुंबई
		362.49	362.49	AY 2008-09	आय कर अपील न्यायाधिकरण– मुंबई
		1,014.82	1,014.82	AY 2009-10	आय कर अपील न्यायाधिकरण– मुंबई
		126.72	कुछ नहीं	AY 2008-09	आय कर आयुक्त (अपील) – मुंबई
		754.77	698.00	AY 2010-11	आय कर आयुक्त (अपील) – मुंबई
		594.02	297.00	AY 2011-12	आय कर आयुक्त (अपील) – मुंबई
		546.70	453.70	AY 2012-13	आय कर आयुक्त (अपील) – मुंबई

अधिनियम का नाम	देय राशि का स्वरूप	कुल मांग (₹ दशलक्ष में)	अभ्यापत्ति के अधीन प्रदत्त/ समायोजित कुल रकम	रकम, किस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	किस मंच पर विवाद लंबित है
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क / ब्याज / दंड	55.57	कुछ नहीं	1997-2000	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
		682.26	कुछ नहीं	1997-2000	CESTAT – बेंगलूर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर/ ब्याज / दंड	23.40	0.30	2009-10 से 2015-16	आयुक्त (अपील) - मंगलूर
		205.06	37.12	1996-97 से 2013-14	CESTAT - बेंगलूर
		2.33	0.72	2002-03 से 2015-16	संयुक्त सचिव, MOF
		53.70	21.64	1999-2000 से 2010-11	आयुक्त - मंगलूर
		20.31	—	1996-97 से 2003-2004	सर्वोच्च न्यायालय
कुल		**5,144.63**	**3,449.09**		

viii. हमारी तरफ से कंपनी के रेकॉर्डों को परखने से और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी बैंक अथवा सरकार को ऋण या उधार चुकाने में कोई चूक नहीं की है. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है न ही कोई डिबेंचर निर्गमित किए हैं.

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश के रूप में (कर्ज संबंधी लिखतों सहित) न कोई पैसे जुटाए हैं न ही कोई सावधि ऋण लिए हैं. तदनुसार आदेश के खंड 3(ix) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

x. कंपनी की बहियों और रेकॉर्डों का हमारी तरफ से, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथा के अनुसार किए गए परीक्षण के दौरान और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे ध्यान में कंपनी में धोखाधड़ी की कोई घटना नज़र नहीं आई न ही कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी करने की कोई घटना नज़र आई न ही उस बारे में कोई खबर मिली न ही प्रबंधन ने हमें ऐसी घटना के बारे में कोई सूचना दी है.

xi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से कंपनी के रेकॉर्डों को परखने पर हमारी राय में प्रबंधकीय पारिश्रमिक को DPE के दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किया गया है.

xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, निधि कंपनी नहीं है. तदनुसार आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी तरफ से कंपनी के रेकॉर्डों को परखने पर, हमारी राय में, संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन करते समय, जहां कहीं लागू हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है और लागू लेखा मानकों की अपेक्षानुसार इसके ब्यौरे, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं.

xiv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णत: अथवा अंशत: परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आबंटन अथवा निजी विक्रय नहीं किया है. तदनुसार आदेश के खंड 3(xiv) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशकों अथवा निदेशकों के साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नकद रहित लेन-देन नहीं किया है. तदनुसार आदेश के खंड 3(xv) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

xvi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत कराने की ज़रूरत नहीं है. तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

कृते ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. : 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003957S

हस्ता/-
सीए. के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. : 024314

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 12 मई, 2016

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (" the Act") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के बारे में रिपोर्ट

हमने, 31 मार्च, 2016 को मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (" the Company") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ की.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (' ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रक के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित कर बनाए रखे. इन जिम्मेदारियों में शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित तरीके से, प्रभावशाली ढंग से काम करते रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का डिज़ाइन बनाना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की नीतियों का अनुपालन किया जाता है, उसकी आस्तियों की हिफ़ाज़त की जाती है, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोका जाता है और उनका पता लगाया जाता है, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता बरकरार रखी जाती है और भरोसेमंद वित्तीय प्रकटन की वक्त पर तैयारी करने सहित कारोबार को व्यवस्थित ढंग से और दक्षता से चलाया जाता है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर राय व्यक्त करना. हमने अपनी लेखा परीक्षा, ICAI द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित किए गए मान लिए गए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों पर मार्गदर्शन नोट (the" Guidance Note") के अनुसार, उस हद तक की जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं और जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, दोनों के लिए लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की गई है कि हम, नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा करते हुए इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा ऐसे नियंत्रक, सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसी कार्यविधियां अपनाई गईं जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में लेखा परीक्षा के जरिए सबूत प्राप्त किया जा सके. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की हमारी लेखा परीक्षा में शामिल था, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को समझना, ख़ास कमजोरी में निहित जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना. चुनी गईं कार्यविधियां, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, वित्तीय विवरणों में दी गई महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं.

हम मानते हैं कि हमने, लेखा परीक्षा संबंधी जो सबूत हासिल किया है वह, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन दिलाने और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने की दृष्टि से बनाया गया है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं जो

(1) ऐसे रेकॉर्ड रखने से संबंधित है जो उचित ब्यौरे के साथ कंपनी के लेन-देनों और आस्तियों के निपटान का सही एवं निष्पक्ष चित्रण पेश कर सके.

(2) ऐसा उचित आश्वासन दिलाए कि लेन-देनों के यथा आवश्यक रेकॉर्ड रखे जाते हैं जिससे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति मिले और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय, प्रबंधन एवं कंपनी निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जाते हैं; और

(3) कंपनी की उन आस्तियों के, अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम करने अथवा उसका वक्त पर पता लगाने के बारे में, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़े, उचित आश्वासन दिलाए.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के परे अनुचित सांठगांठ अथवा प्रबंधन, ऐसी गलती अथवा धोखाधड़ी के कारण, जिसका पता न लगाया जाए, महत्वपूर्ण गलत बयान की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण. साथ ही, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन पर आधारित प्रक्षेपण में जोखिम की ऐसी संभावना होती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों का अनुपालन करने की मात्रा अथवा कार्यविधियों की अवनति के कारण पर्याप्त न लगे.

राय

हमारी राय में, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च, 2016 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

कृते ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. : 019798
स्थान : बेंगलूरु

दिनांक: 12 मई, 2016

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 003957S

हस्ता/-
सीए. के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. : 024314

31 मार्च, 2016 को इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण

(₹ दशलक्ष में)

	इक्विटी धारकों के कारण					कुल इक्विटी
	प्रदत्त शेयर पूंजी	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिभूतियों पर प्रीमियम	सामान्य आरक्षित निधि	अधिशेष	
01.04.2014 को शेष	**17,526.64**	**91.86**	**3,490.53**	**1,192.00**	**48,387.69**	**70,688.72**
वर्ष का लाभ / (हानि)	-	-	-	-	(17,122.34)	**(17,122.34)**
समायोजन: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुरूप **(देखें: वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 3)**					(516.79)	**(516.79)**
31.03.2015 को शेषराशि	**17,526.64**	**91.86**	**3,490.53**	**1,192.00**	**30,748.56**	**53,049.59**
01.04.2015 को शेषराशि	**17,526.64**	**91.86**	**3,490.53**	**1,192.00**	**30,748.56**	**53,049.59**
वर्ष का लाभ / (हानि)	-	-	-	-	11,481.59	**11,481.59**
समायोजन: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुरूप **(देखें: वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 3)**		-	-	-	(326.74)	**(326.74)**
31.03.2016 को शेषराशि	**17,526.64**	**91.86**	**3,490.53**	**1,192.00**	**41,903.41**	**64,204.44**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

31 मार्च, 2016 तक का तुलन-पत्र

(₹ दशलक्ष में)

विवरण		टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
I	**इक्विटी और देयताएं**			
I.	**1 शेयरधारकों की निधि**			
	(क) शेयर पूंजी	2	**17,526.64**	17,526.64
	(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	**46,677.80**	35,522.95
	2 गैर-चालू देयताएं			
	(क) दीर्घावधि उधार	4	**68,204.19**	78,646.53
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	5	**806.31**	-
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	**-**	0.13
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7	**403.72**	346.27
	3 चालू देयताएं			
	(क) अल्पावधि उधार	8	**25.61**	108.73
	(ख) व्यापार देयताएं	9		
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं		**9.07**	8.46
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		**213,379.64**	183,301.55
	(ग) अन्य चालू देयताएं	10	**22,975.53**	25,798.56
	(घ) अल्पावधि प्रावधान	11	**3,543.83**	2,097.39
	कुल		**373,552.34**	**343,357.21**
II.	**आस्तियां**			
	1 गैर-चालू आस्तियां			
	(क) अचल आस्तियां	12		
	(i) मूर्त आस्तियां		**149,211.81**	141,087.06
	(ii) अमूर्त आस्तियां		**2.84**	5.42
	(iii) प्रगति में पूंजीगत कार्य		**1,830.76**	13,775.10
	(ख) गैर-चालू निवेश	13	**13,496.73**	13,496.73
	(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	14	**6,792.30**	3,583.25
	(घ) गैर-चालू आस्तियां	15	**3,420.36**	2,614.19
	2 चालू आस्तियां			
	(क) स्टॉक	16	**31,967.20**	33,996.05
	(ख) प्राप्य व्यापारी राशियां	17	**23,690.30**	23,588.16
	(ग) नकदी और बैंक शेष	18	**137,127.28**	102,687.12
	(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	19	**4,236.09**	6,899.97
	(ङ) अन्य चालू आस्तियां	20	**1,776.67**	1,624.16
	कुल		**373,552.34**	**343,357.21**
उल्लेखनीय लेखा नीतियां		**1**		
अन्य प्रकटन		**31**		

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सी. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण

(₹ दशलक्ष में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
I.	**परिचालन से राजस्व**	21	508,795.78	624,171.42
	घटाएं: उत्पाद शुल्क		112,321.37	49,546.09
	परिचालन से निवल राजस्व		396,474.41	574,625.33
II.	अन्य आय	22	8,571.23	8,049.92
III.	**कुल राजस्व (I + II)**		**405,045.64**	582,675.25
IV.	**खर्च:**			
	खपाई गई सामग्री की लागत	23	345,516.10	559,615.14
	तैयार माल के स्टॉक, प्रक्रियागत स्टॉक, व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन	24	6,831.66	18,861.34
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	25	2,850.26	2,407.42
	वित्त लागत	26	5,778.35	4,070.88
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	27	7,124.05	4,986.10
	अन्य खर्च	28	23,380.18	14,627.76
	कुल खर्च		**391,480.60**	604,568.64
V.	**अपवादात्मक और असाधारण मदों से और कर पर्व लाभ/(ह्रानि (III-IV)**		**13,565.04**	(21,893.39)
VI.	अपवादात्मक मद (आय)/खर्च: निवल	29	1,829.94	(334.47)
VII.	**अपवादात्मक और असाधारण मदों से और कर पूर्व लाभ/(ह्रानि ((V - VI)**		**11,735.10**	(21,558.92)
VIII.	असाधारण मद		—	—
IX.	**कर पूर्व लाभ/(ह्रानि) (VII- VIII)**		**11,735.10**	(21,558.92)
X	**कर संबंधी खर्च:**			
	(1) वर्तमान/मैट कर		2,345.58	—
	(2) MAT क्रेडिट संबंधी हकदारी		(2,345.58)	—
	(3) पिछले वर्ष के कर समायोजन		(725.73)	—
	(4) आस्थगित कर **(देखें टिप्पणी 31.11)**		979.24	(4,436.58)
XI	**वर्ष का कर उपरांत लाभ/(ह्रानि) (IX - X)**		**11,481.59**	**(17,122.34)**
XII	प्रति इक्विटी अर्जन:	30		
	(1) मूल		6.55	(9.77)
	(2) आंशिक		6.55	(9.77)
	उल्लेखनीय लेखा नीतियां	1		
	अन्य प्रकटन	31		

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ दशलक्ष में)

विवरण		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
क प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कराधान पूर्व निवल लाभ/हानि, और असाधारण मद		11,735.10	(21,558.92)
इनके लिए समायोजन:			
— मूल्यह्रास / परिशोधन		7,124.44	5,005.27
— अचल आस्तियों की बिक्री से हानि/(लाभ)		3.82	(3.44)
— प्रतिलेखित, अब ज़रूरी न पड़ने वाले प्रावधान/देयता		(363.45)	(67.04)
— संदिग्ध कर्ज / अग्रिमों / जमाराशियों और बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधान		378.49	212.21
— विदेशी मुद्रा रूपांतरण – निवल		8,094.00	4,947.59
— वित्त लागत		5,778.35	4,070.88
— ब्याज / लाभांश आय		(8,140.27)	(7,904.55)
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन होने से पहले परिचालन लाभ/(हानि)		24,610.48	(15,298.00)
इनके लिए समायोजन:			
— व्यापार और अन्य प्राप्य रकम		23,116.30	(9,516.91)
— स्टॉक		2,028.85	50,493.56
— देय व्यापार और उसके लिए प्रावधान		24,172.63	(30,537.07)
परिचालन से उत्पन्न नकद		73,928.26	(4,858.42)
— प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल धन वापसी)		(1,721.17)	(894.27)
अवधि वाली मदों से पहले नकदी प्रवाह		72,207.09	(5,752.69)
— अवधि वाली मदें (नकदेतर मदें)		77.21	(5.51)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(क)**	**72,284.30**	**(5,758.20)**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
अचल आस्तियों की खरीदारी		(3,923.90)	(8,922.21)
अचल आस्तियों की बिक्री		2.52	12.68
प्राप्त ब्याज / लाभांश आय		8,181.12	8,333.18
ब्याज / रॉयल्टी आय पर प्रदत्त कर		(667.63)	(756.56)
निवेश (निवल)		-	(12,746.22)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(ख)**	**3,592.11**	**(14,079.13)**
ग वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां/(चुकौती): निवल		(11,624.56)	(9,391.54)
अल्पावधि उधार से प्राप्तियां/(चुकौती): निवल		(83.12)	108.73
प्रदत्त वित्त लागत		(5,799.78)	(5,748.25)
प्रदत्त लाभांश और लाभांश कर		-	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(ग)**	**(17,507.46)**	**(15,031.06)**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(गिरावट)	**(क+ख+ग))**	**58,368.95**	**(34,868.39)**
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य		**71,690.55**	**106,558.94**
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		**130,059.50**	**71,690.55**
		58,368.95	**(34,868.39)**

नकद और नकदी समतुल्य	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016 (₹ दशलक्ष में)	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015 (₹ दशलक्ष में)
अग्रदाय सहित नकदी शेषराशि	0.95	1.78
अनुसूचित बैंकों में बैंक शेषराशि **	130,058.55	71,688.77
	130,059.50	71,690.55

** बैंकों / सरकारी प्राधिकरण के पास धारणाधिकार, गिरवी के अधीन ब्याज वारंट से संबंधित चालू खाते / जमा खाते में उपलब्ध ₹ 7,067.78 दशलक्ष को छोड़कर (पिछले वर्ष ₹ 30,996.57 दशलक्ष)

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप जहां कहीं ज़रूरी हो पुनर्वर्गीकृत / पुन:व्यवस्थित किया गया है.

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

मंडल के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

नोट 1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा परिपाटी और प्रस्तुतीकरण/लेखाकरण का आधार

1.1 वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP), कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत, तैयार किए जाते हैं.

1.2 ऐसे तमाम आय और उचित निश्चितता के साथ प्राप्य/देय समझी जाने वाली समस्त आय और खर्च को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है.

2. आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, ऐसे आकलन और ऐसी परिकल्पनाएं करनी पड़ेंगी जो वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम को और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और खर्च संबंधी दर्शाई गई रकम को प्रभावित करें. वास्तविक परिणामों और आकलन के बीच का अंतर, उस अवधि में जाना जा सकेगा जिसमें परिणाम ज्ञात हों/प्रकट हों.

3. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानक-3 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथापेक्षित परोक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है.

4. अचल आस्तियां

4.1 भूमि को, जहां कहीं लागू हो, परिशोधन को घटाने के बाद ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है.

4.2 अन्य अचल आस्तियों को, संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानि को घटाने के बाद ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है.

4.3 संयंत्र अथवा उपकरणों के साथ प्राप्त और निर्दिष्ट मशीनों की ख़ातिर बाद में खरीदे गए और अनियमित उपयोग वाले अतिरिक्त पुर्जों का पूंजीकरण किया जाता है.

4.4 निर्माण की अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष रूप से पहचानने लायक खर्च को पहली बार पूंजीकृत किया जाता है और सभी अन्य आबंटनीय खर्च को आस्तियों के मूल्य के आधार पर यथानुपात पूंजीकृत किया जाता है.

4.5 इस प्रयोजन के लिए लागत में शामिल हैं, क्रय कीमतें, कर(केंद्रीय निवल कर जमा) और शुल्क, प्रासंगिक खर्च, स्थापना/चालू करने संबंधी खर्च, तकनीकी जानकारी शुल्क, पेशेवर शुल्क और जिस तारीख तक आस्ति का उपयोग किया गया हो उस तारीख तक ब्याज आदि और अवक्षय आस्तियों आदि की खरीदारी से संबंधित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा संबंधी मदों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा दर में अंतर.

5. हानि

जहां कहीं रखाव-लागत, उच्चतर निवल वसूलने योग्य रकम होने के नाते वसूलने योग्य रकम और उपयोग में लाए गए मूल्य से अधिक हो, नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों/आस्तियों को हुई हानि का पता लगाकर उस पर विचार किया जाता है .

6. मूल्यह्रास/परिशोधन

6.1 संयंत्र और उपकरण के कुछ घटकों को छोड़कर जिनकी उपयोगी अवधि का तकनीकी मूल्यांकन आधार पर निर्धारण किया जाता है अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास(पट्टे पर ली गई आस्तियों सहित) सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट दरों पर और तरीके से किया जाता है.

6.2 उत्प्रेरक का, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक होती है, आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत उपयोगी अवधि के आधार पर पूंजीकरण और मूल्यह्रास किया जाता है.

6.3 पट्टे वाली भूमि की लागत का परिशोधन पट्टा अवधि में किया जाता है. ऐसी पट्टे वाली भूमि की लागत का, जहां पट्टा अवधि समाप्त होने पर कंपनी के स्वामित्व का अंतरण आखिरकार निश्चित हो, परिशोधन नहीं किया जाता है.

6.4 विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के निमित्त पूंजीकृत रकम पर मूल्यह्रास के लिए आस्तियों की शेष अवधि पर भविष्यलक्षी प्रभाव से प्रावधान किया जाता है.

6.5 नियमित रूप से इस्तेमाल न किए जाने वाले और निर्दिष्ट मशीनें स्थापित किए जाने के बाद खरीदे गए अतिरिक्त पुर्ज़ों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, निर्दिष्ट मशीनों की शेष अवधि पर भविष्यलक्षी प्रभाव से किया जाता है और अतिरिक्त पुर्ज़ों का अवलेखित मूल्य, जब कभी बदला जाए, लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है.

7. अमूर्त आस्तियाँ

भावी आर्थिक लाभ में परिलक्षित होने वाली अमूर्त आस्तियों पर उठाई गई लागत का अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इन आस्तियों का, अनुमानित उपयोगी अवधि में, समीकरण आधार पर परिशोधन किया जाता है.

8. निवेश

8.1 दीर्घावधि निवेश का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है. खातों में अस्थाई अवनति को छोड़कर किसी दूसरी तरह की अवनति के लिए प्रावधान किया जाता है.

8.2 चालू निवेश का मूल्यांकन, निम्नतर लागत पर और उचित मूल्य पर किया जाता है.

9. स्टॉक

स्टॉक का मूल्यांकन निम्नतर लागत पर अथवा निवल वसूलने योग्य मूल्य पर किया जाता है. स्टॉक की लागत में, स्टॉक को उसके वर्तमान स्थान पर और मौजूदा हालत में लाने के लिए उठाई गई क्रय लागत और अन्य लागत, स्टॉक की लागत में शामिल हैं. लागत का निर्धारण इस तरह किया गया है:

9.1	कच्चा माल	प्रथम आवक प्रथम जावक मूल्यन विधि (फिफो)के आधार पर.
9.2	तैयार माल	कच्चा माल, परिवर्तन लागत और उत्पाद शुल्क पर.
9.3	प्रक्रियागत स्टॉक	कच्चा माल और यथानुपात परिवर्तन लागत पर.
9.4	भंडार, अतिरिक्त पुर्ज़े और अन्य व्यापारी माल	भारित औसत लागत आधार पर.

10. राजस्व की गणना

10.1 ग्राहक की अभिरक्षा में अंतरण होने पर बिक्री दर्शाई जाती है और इसमें शामिल हैं मूल्य संवर्धित कर (वैट) को छोड़कर सभी सांविधिक उगाही और निवल बट्टा.

10.2 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार सिद्ध होने पर लाभांश आय को मान्यता दी जाती है.

10.3 ब्याज आय को समय अनुपात आधार पर दर्शाया जाता है.

10.4 स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त राजस्व को, ग्राहकों के हवाले करने पर मान्यता दी जाती है.

10.5 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से निर्णीत हर्जाने के संबंध में राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब यह तय हो गया हो कि उसे देना नहीं पड़ेगा.

10.6 ग्राहकों से की गई उत्पाद शुल्क की वसूली, कुल कारोबार (कुल) से घटाई जाती है . उत्पाद शुल्क देने लायक वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच का उत्पाद शुल्क, अन्य व्यय के अधीन जोड़ा जाता है.

11 दावे

11.1 पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष, भारत सरकार पर किए गए दावों/के प्रति अभ्यर्पण को यथा निर्दिष्ट अंतिम समायोजन के अधीन उपलब्ध अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के आधार पर उसकी 'सैद्धांतिक स्वीकृति' पर बुक किया जाता है.

11.2.1 आस्ति का पूरी तरह से नुकसान होने पर, बीमाकर्ता को सूचित करने के उपरांत, या तो रखाव-लागत को या बीमा मूल्य (काटने लायक अतिरिक्त मूल्य के अधीन) को, जो भी कम हो, बीमा कंपनी से वसूल करने योग्य दावे के रूप में माना जाएगा. अगर बीमा संबंधी दावा, आस्ति की रखाव-लागत से कम हो तो अंतर को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाएगा.

11.2.2 अगर नुकसान आंशिक स्वरूप का हो या अन्य किस्म का हो तो, अन्य पक्षकार अथवा अन्य देयताओं को, यदि कोई हो तो, उनकी पूर्ति करने (काटने लायक अतिरिक्त रकम को घटाने के बाद) की दृष्टि से इन आस्तियों को वापस प्रयोग में लाने के लिए किए गए खर्च/भुगतान को बीमा कंपनी से वसूल करने लायक दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. काटने लायक बीमा पॉलिसी आधिक्य को उस तदनुरूपी वर्ष में खर्च किया जाएगा जिसमें उसे उठाया गया हो.

11.2.3 जब कभी दावे बीमा कंपनी से अंतिम रूप में प्राप्त हों, बीमा से प्राप्य दावे और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसका समायोजन लाभ-हानि लेखा में किया जाता है.

11.3 सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर बुक किया जाता है.

12. विदेशी मुद्रा लेन-देन

12.1 विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है.

12.2 मौद्रिक मदों की विदेशी मुद्रा आस्तियों/देयताओं को रिपोर्ट तारीख को विद्यमान विनिमय दर के आधार पर रूपांतरित किया जाता है.

12.3 रिपोर्ट तारीख को विदेशी मुद्रा लेन-देन का रूपांतरण करने पर पाए गए विनिमय अंतर को आय या व्यय के रूप में मानते हुए लाभ-हानि लेखा में समायोजित किया जाता है जब कि इसके लिए अपवाद है, अवक्षयी पूंजीगत आस्तियों की खरीदारी से संबंधित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक मदों को रिपोर्ट करने पर उत्पन्न ऐसा विनिमय अंतर जिसे आस्तियों की लागत में जोड़ा जाता है/या लागत से घटाया जाता है.

12.4 मौजूदा ठेके के प्रति भावी निर्यात बिक्री के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन के जोखिम से बचने के लिए तय किए गए असमाप्त वायदा ठेकों के संबंध में बेचने के लिए अंकित हानि (निवल) को लाभ-हानि लेखा में दर्शाया जाता है.

13. कर्मचारियों के लाभ

13.1 कर्मचारियों को मिलने वाले सभी अल्पावधि लाभ को उनकी बट्टा रहित रकम पर, उस लेखा अवधि में जिसमें उसे दिया गया हो, दर्शाया जाता है. भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को, योजना के प्रति कंपनी के बट्टा रहित दायित्व के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. इनका भुगतान, क्रमशः भविष्य निधि प्राधिकरणों और भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है और इनको वर्ष के दौरान खर्च के अधीन दर्शाया जाता है.

13.2 उपदान,छुट्टी नकदीकरण, दीर्घावधि सेवा चिह्न, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य दीर्घावधि सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर, जिसका परिकलन प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, लेखाबद्ध किया जाता है. उपदान के संबंध में संबंधित योजना आस्तियों से अधिक वास्तविक देयता को वर्ष के दौरान लेखाबद्ध किया जाता है.

13.3 वास्तविक अभिलाभ और हानि को लाभ-हानि लेखा में आय या खर्च के रूप में दर्शाया जाता है.

13.4 अनर्जित अवकाश के निमित्त अल्पावधि देयता की बट्टा रहित रकम का वर्षांत में निर्धारण कर उसके लिए प्रावधान किया जाता है.

13.5 वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार उपदान के लिए प्रावधान की निधि, एक अलग न्यास में रखी जाती है.

14. पट्टे

14.1 वित्तीय पट्टे के संबंध में पट्टा किराए को, प्रतिफल की स्पष्ट दर लगाते हुए आस्तियों की लागत और ब्याज घटक में पृथक किया जाता है.

14.2 पट्टे पर खरीदी गईं आस्तियों का, जहां स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफल का उल्लेखनीय हिस्सा पट्टेदार द्वारा रखा जाता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया जाता है. पट्टा किराए को उपचय आधार पर लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है.

15. उधार संबंधी लागत

उधार संबंधी लागत को, जो अर्हक आस्तियों की खरीदारी, निर्माण अथवा उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है, इन आस्तियों की लागत के अंश के रूप में पूंजीकृत किया जाता है. अर्हक आस्तियां उनको कहा जाता है जो निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार होने के लिए काफी समय लेती हैं. उधार संबंधी दूसरी सब प्रकार की लागत को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है.

16. अनुसंधान और विकास संबंधी व्यय

अनुसंधान और विकास संबंधी पूंजीगत व्यय को, संबंधित अचल आस्तियों के तहत पूंजीकृत किया जाता है. उस पर राजस्व व्यय को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है.

17. आय पर देय कर

17.1 चालू कर का निर्धारण, आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है.

17.2 आस्थगित कर को, किसी एक अवधि में उत्पन्न होने वाली और बाद में किसी एक अवधि में या उससे अधिक अवधि में प्रतिगामी होने वाली कर योग्य और लेखाबद्ध की जाने वाली आय/खर्च के बीच के समय अंतर के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. आस्थगित कर संबंधी आस्ति को, यथा लागू उसकी वसूली योग्यता के बारे में वास्तविक/यथोचित निश्चितता के आधार पर दर्शाया जाता है.

17.3 आस्थगित कर आस्तियों की आवर्ती रकम की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है.

18. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

जिन प्रावधानों को नापने के लिए काफी हद तक आकलन का सहारा लिया जाता है, उनको तब दर्शाया जाता है जब गत घटनाओं के कारण वर्तमान बाध्यता उत्पन्न हुई हो और संसाधनों का बाह्य प्रवाह होने की संभावना हो. आकस्मिक देयताओं को, अगर महत्वपूर्ण हो तो टिप्पणियों के जरिए प्रकट किया जाता है. आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में न लेखाबद्ध किया जाता है न ही प्रकट किया जाता है.

टिप्पणी 2 शेयर पूंजी

2.1 प्राधिकृत, निर्गमित और अभिदत्त तथा प्रदत्त शेयर पूंजी के ब्यौरे

2.1.1 शेयर पूंजी	यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
	संख्या	₹ दशलक्ष में	संख्या	₹ दशलक्ष में
प्राधिकृत				
प्रत्येक ₹10 के शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10)	2,900,000,000	29,000.00	2,900,000,000	29,000.00
प्रतिदेय अधिमान शेयर प्रत्येक ₹ 10 (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10)	100,000,000	1,000.00	100,000,000	1,000.00
कुल	**3,000,000,000**	**30,000.00**	**3,000,000,000**	**30,000.00**
2.1.2 **इक्विटी शेयर पूंजी**				
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त				
प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10)	1,752,598,777	17,525.99	1,752,598,777	17,525.99
जब्त शेयर (धन प्राप्त)	-	0.65	-	0.65
कुल	**1,752,598,777**	**17,526.64**	**1,752,598,777**	**17,526.64**

2.2. शेयरों का समाधान

इक्विटी शेयर

वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	1,752,598,777	17,525.99	1,752,598,777	17,525.99
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	1,752,598,777	17,525.99	1,752,598,777	17,525.99

2.3 अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

विवरण	इक्विटी शेयर
लाभांश वितरण	कंपनी के पास सिर्फ़ इक्विटी शेयर है जिसका सम मूल्य ₹10 प्रति शेयर है जो निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त हैं. इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक, प्रति शेयर एक वोट पाने का हकदार है. निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.
पूंजी की वापसी	कंपनी का परिसमापन होने पर इक्विटी शेयर धारकों को तमाम अधिमानी रकम वितरण करने के बाद बची कंपनी आस्तियां प्राप्त करने का हक होगा. शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा.

2.4 नियंत्रक अथवा अंतिम नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहयोगी अथवा सहबद्ध कंपनियों द्वारा धारित शेयर

नियंत्रक कंपनी, ONGC लिमिटेड के पास 1, 255,354,097 इक्विटी शेयर (1,255,354,097 इक्विटी शेयर) हैं.

2.5 कुल शेयरों में से 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

इक्विटी शेयर

शेयरधारक का नाम	यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
	धारित कुल शेयर	धारण का %	धारित कुल शेयर	धारण का %
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255,354,097	71.63%	1,255,354,097	71.63%
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297,153,518	16.96%	297,153,518	16.96%

2.6 शेयर बेचने / विनिवेश करने की खातिर विकल्प और ठेकों/वायदों के तहत जारी करने के लिए कोई शेयर आरक्षित नहीं किए गए हैं

2.7 जब्त शेयर

यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
जब्त शेयरों की संख्या	₹ दशलक्ष में प्रदत्त रकम	जब्त शेयरों की संख्या	₹ दशलक्ष में प्रदत्त रकम
-	0.65	-	0.65

टिप्पणी 3 आरक्षित निधि और अधिशेष

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
3.1	**पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि (देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	91.86	91.86
	लाभ-हानि लेखा से अंतरण	-	-
	अंतिम शेष	**91.86**	**91.86**
3.2	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,490.53	3,490.53
	वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
	अंतिम शेष	**3,490.53**	**3,490.53**
3.3	**सामान्य आरक्षित निधि**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,192.00	1,192.00
	जोड़ें: चालू वर्ष में अंतरण	-	-
	अंतिम शेष	**1,192.00**	**1,192.00**
3.4	**अधिशेष**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	30,748.56	48,387.69
	जोड़ें: कर उपरांत वर्ष का लाभ/(हानि)	11,481.59	(17,122.34)
	घटाएं: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II का अनुसरण करते हुए समायोजन (निवल कर) **(देखें टिप्पणी 31.04)**	326.74	516.79
	अंतिम शेष	**41,903.41**	**30,748.56**
	कुल	**46,677.80**	**35,522.95**

टिप्पणियां

क) 2011-12 और 2012-13 के दौरान ₹ 91.86 दशलक्ष की अधिमान शेयर पूंजी के शोधन पर निर्मित पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि

टिप्पणी 4 दीर्घावधि उधार

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
4.1	**जमानती**		
	सावधि ऋण : बैंकों से		
4.1.1	**बाह्य वाणिज्यिक उधार(ECB) (देखें नीचे दी गई टिप्पणी क और ग)**	38,844.92	39,221.89
	चुकौती की शर्तें: :		
	2016-17 के दौरान : ₹ 2,733.23 दशलक्ष		
	2017-18 के दौरान : ₹ 10,270.30 दशलक्ष		
	2018-19 के दौरान : ₹ 27,083.78 दशलक्ष		
	2019-20 के दौरान : ₹ 993.90 दशलक्ष		
	2020-21 के दौरान : ₹ 496.94 दशलक्ष		
4.1.2	**अन्य से : OIDB से सावधि ऋण (देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख और ग)**	2,500.00	-
	चुकौती की शर्तें:		
	2016-17 के दौरान : ₹ 2,750.00 दशलक्ष		
	2017-18 के दौरान : ₹ 1,750.00 दशलक्ष		
	2018-19 के दौरान : ₹ 750.00 दशलक्ष		
		41,344.92	**39,221.89**

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
4.2	**गैर-जमानती**		
4.2.1	**अन्य से : OIDB से सावधि ऋण (देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख और ग)**	-	5,250.00
4.2.2	**आस्थगित भुगतान संबंधी देयताएं (देखें नीचे दी गई टिप्पणी घ)**	1,145.17	1,603.34
	चुकौती की शर्तें:		
	2016-17 के दौरान : ₹ 458.17 दशलक्ष		
	2017-18 के दौरान : ₹ 526.54 दशलक्ष		
	2018-19 के दौरान : ₹ 400.00 दशलक्ष		
	2019-20 के दौरान : ₹ 218.63 दशलक्ष		
4.2.3	**संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (देखें नीचे दी गई टिप्पणी ङ)**		
	चुकौती की शर्तें:	25,714.10	32,571.30
	2016-17 के दौरान: ₹ 6,857.20 दशलक्ष		
	2017-18 के दौरान: ₹ 6,857.20 दशलक्ष		
	2018-19 के दौरान: ₹ 6,857.20 दशलक्ष		
	2019-20 के दौरान: ₹ 6,857.20 दशलक्ष		
	2020-21 के दौरान: ₹ 5,142.50 दशलक्ष		
		26,859.27	39,424.64
	कुल	**68,204.19**	**78,646.53**

टिप्पणियां :

क. ECB के लिए ब्याज दर है, 6 महीने का LIBOR+ अंतर. ₹ 6,626.00 दशलक्ष , ₹ 8,448.15 दशलक्ष, ₹ 19,878.00 दशलक्ष, ₹ 3,313.00 दशलक्ष और ₹ 3,313.00 दशलक्ष पर प्रभावशाली ब्याज हैं क्रमश:3.4337%, 4.2109%, 3.0760%, 2.6960% और 3.3605%.

ख. OIDB सावधि ऋण के लिए ₹ 912.50 दशलक्ष, ₹ 87.50 दशलक्ष, ₹ 625.00, ₹ 1,375.00, ₹ 65.92 दशलक्ष, , ₹ 1,672.50 दशलक्ष, ₹ 299.70 दशलक्ष और ₹ 211.88 दशलक्ष पर प्रभावशाली ब्याज दर है क्रमश 8.89 %,9.04%, 8.73%, 8.98%, 8.94%, 9.27%, 9.06% और 9.15%. वर्ष के दौरान ऋण का पिछले वर्ष के गैर जमानती के प्रति जमानती के रूप में पुनर्वर्गीकरण किया गया है.

ग. वर्तमान एवं भविष्य दोनों तरह की अचल आस्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार और चल आस्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार से प्रतिभूत किया गया है.

घ. बिक्री कर आस्थगन दर्शाने वाली आस्थगित देयता, शून्य ब्याज दर के साथ है.

ङ. संबद्ध पक्षकारों अर्थात् ओएनजीसी से लिए गए सावधि ऋण पर ब्याज दर है ₹ 32,571.30 दशलक्ष पर 10.60%(SBAR घटाएं 3.85%).

च. ₹ 12,798.60 दशलक्ष – जमानती और गैर जमानती (पिछले वर्ष सिर्फ गैर जमानती ₹ 11,569.39), एक वर्ष के अंदर चुकाने होंगे और इसे, टिप्पणी 10 के तहत " दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्व रकम " के रूप में दर्शाया गया है.

टिप्पणियां 5 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

31 मार्च, 2016 को कंपनी के पास ₹ 806.31 दशलक्ष आस्थगित कर देयताएं रहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं). आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है:

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
5.1	**आस्थगित कर देयताएं (देखें टिप्पणी 31.11)**		
	आस्तियों पर WDV अंतर	22,780.92	18,360.96
	घटाएं: प्रतिधारित अर्जन के प्रारंभिक शेष के प्रति मूल्यह्रास प्रभार पर कर का प्रभाव **(देखें टिप्पणी 31.04)**	172.93	266.11
	कुल 5.1	**22,607.99**	**18,094.85**
5.2	**आस्थगित कर देयताएं (देखें टिप्पणी 31.11)**		
	43B अस्वीकृतियां	10.87	10.68
	आगे ले जाया गया मूल्यह्रास/हानि	21,246.97	17,678.45
	अन्य	543.84	405.72
	कुल 5.2	**21,801.68**	**18,094.85**
	निवल आस्थगित कर देयताएं (5.1-5.2)	**806.31**	-

टिप्पणी 6 अन्य दीर्घावधि देयताएं

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
अन्य देयताएं	—	0.13
कुल	—	**0.13**

टिप्पणी 7 दीर्घावधि प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
छुट्टी नकदीकरण (अनिधिक) (देखें टिप्पणी **31.14.02**)	338.79	287.76
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ (अनिधिक) (**देखें टिप्पणी 31.14.02**)	64.93	58.51
कुल	**403.72**	**346.27**

टिप्पणी 8 अल्पावधि उधार

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
जमानती		
बैंकों से अल्पावधि ऋण : कार्यकारी पूंजी वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की कंपनी की अचल और चल संपत्तियों के दृष्टिबंधक के रूप में जमानत दी गई है.	25.61	108.73
कुल	**25.61**	**108.73**

टिप्पणी 9 व्यापार देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
व्यापार देयताएं (देखें नीचे दी गई टिप्पणी क और ख तथा टिप्पणी 31.16)	213,388.71	183,310.01
कुल	**213,388.71**	**183,310.01**

टिप्पणी

क. ₹ 4,638.87 दशलक्ष शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 3,282.95 दशलक्ष) जिसके लिए मूल कंपनी - ONGC की गारंटी का समर्थन है.

ख. सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों से संबंधित प्रकटन.

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
i उस पर देय मूल धनराशि, वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदत्त रही.	9.07	8.46
ii उस पर देय ब्याज , वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदत्त रहा.	-	-
iii सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज राशि.	-	-
iv सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए बाकी और देय ब्याज राशि (जिसे अदा किया गया हो परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद अदा किया गया हो).	-	-
v प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित एवं अदत्त पड़ी रही ब्याज राशि ; और	-	-
vi उत्तरवर्ती वर्षों में भी उस तारीख तक बाकी पड़ी रही और देय अतिरिक्त ब्याज राशि जब सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन काटने योग्य व्यय को अस्वीकार करने के लिए उक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को अदा किया गया हो.	-	-

टिप्पणी 10 अन्य चालू देयताएं

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता **(देखें टिप्पणी 4.1.1 और 4.1.2)**	5,483.23	1,406.36
देखें टिप्पणी 4 (बिंदु सं क, ख, ग और च).		
दीर्घावधि कर्ज (गैर-जमानती) की चालू परिपक्वता **(देखें टिप्पणी 4.2.1, 4.2.2 और 4.2.3)**	7,315.37	10,163.03
देखें टिप्पणी 4 (बिंदु सं घ, ङ और च).		
अदत्त लाभांश **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)**	101.24	124.49
परिपक्व डिबेंचरों पर ब्याज **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख)**	0.19	0.19
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/अन्य से प्राप्त जमाराशियां	192.50	141.24
उपदान के लिए देयता **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी ग)**	27.08	24.98
पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय रकम **(देखें टिप्पणी 31.23)**	6,863.46	8,468.68
सांविधिक भुगतान के लिए देयता	1,252.01	1,048.15
कर्मचारियों के निमित्त देयता	304.25	164.73
ब्याज जो उपचित है परंतु बाकी नहीं है	448.97	343.62
वाणिज्यिक कर से धन वापस मिलने पर तेल कंपनियों को देय राशियां **(देखें टिप्पणी 31.21)**	-	2,884.48
अन्य देय राशियां	987.23	1,028.61
कुल	**22,975.53**	**25,798.56**

टिप्पणियां

क निवेशकर्ता शिक्षा संरक्षण निधि में भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है.

ख विवादग्रस्त दावों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान

ग उपदान न्यास से प्राप्य / को देय निवल रकम

टिप्पणी 11 अल्पावधि प्रावधान

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
11.1	**कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान**		
	छुट्टी (अनिधिक) के लिए **(देखें टिप्पणी 31.14.02)**	34.91	33.10
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ (अनिधिक)के लिए **(देखें टिप्पणी 31.14.02)**	1.94	1.92
11.2	**अन्य**		
	अन्य **(देखें नीच दी गई टिप्पणी क)**	3,506.98	2,062.37
	कुल	**3,543.83**	**2,097.39**

टिप्पणी

क. कंपनी ने काफी हद तक आकलन करने के बाद 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2015 को स्टॉक में पड़ी रहीं वस्तुएं खाली करने पर देय उत्पाद शुल्क के लिए क्रमश: ₹ 3,506.98 दशलक्ष और ₹ 2,057.60 दशलक्ष की देयता स्वीकार की थी.

टिप्पणी 12 अचल आस्तियां

₹ दशलक्ष में

अचल आस्तियां	देखें टिप्पणी	आयु, उपयोगी वर्षों में	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास / परिशोधन					निवल ब्लॉक	
			यथा 1 अप्रैल, 2015	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	यथा 31 मार्च , 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015	वर्ष के लिए प्रभार	प्रतिधारित अर्जन में अंतरित	वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	यथा 31 मार्च , 2016	यथा 31 मार्च , 2016	यथा 31 मार्च , 2015
भूमि : पूर्ण स्वामित्व वाली			17.65	-	-	17.65	-	-	-	-	-	17.65	17.65
पट्टे पर दी गई भूमि	क,ख		257.70	3.29	-	260.99	0.77	0.08	-	-	0.85	260.14	256.93
भवन			4,183.08	149.40	-	4,332.48	1,727.21	137.11	-	-	1,864.32	2,468.16	2,455.87
संयंत्र व उपकरण	ग ,घ, ङ		204,460.23	15,576.32	53.82	219,982.73	66,234.13	6,961.09	499.67	50.02	73,644.87	146,337.86	138,226.10
कार्यालय उपकरण			95.34	0.02	2.23	93.13	70.28	5.25	-	1.88	73.65	19.48	25.06
फर्नीचर और जुड़नार	घ		191.27	19.36	4.16	206.47	100.59	15.43	-	3.72	112.30	94.17	90.68
वाहन	घ		25.96	4.65	4.10	26.51	11.19	3.32	-	2.35	12.16	14.35	14.77
कुल मूर्त आस्तियां			**209,231.23**	**15,753.04**	**64.31**	**224,919.96**	**68,144.17**	**7,122.28**	**499.67**	**57.97**	**75,708.15**	**149,211.81**	**141,087.06**
अमूर्त आस्तियां												-	-
सुनाम	च	10	20.13	-	-	20.13	16.09	2.01	-	-	18.10	2.03	4.04
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		10	4.47	-	-	4.47	3.24	0.45	-	-	3.69	0.78	1.23
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		3	95.28	-	-	95.28	95.25	-	-	-	95.25	0.03	0.03
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		7	0.81	-	-	0.81	0.69	0.12	-	-	0.81	-	0.12
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		4	7.39	-	-	7.39	7.39	-	-	-	7.39	-	-
लाइसेंस और विशेष विक्रय अधिकार		3	56.50	-	-	56.50	56.50	-	-	-	56.50	-	-
कुल अमूर्त आस्तियां			**184.58**	**-**	**-**	**184.58**	**179.16**	**2.58**	**-**	**-**	**181.74**	**2.84**	**5.42**
कुल			**209,415.81**	**15,753.04**	**64.31**	**225,104.54**	**68,323.33**	**7,124.86**	**499.67**	**57.97**	**75,889.89**	**149,214.65**	**141,092.48**
पिछले वर्ष			**122,509.76**	**86,977.45**	**71.40**	**209,415.81**	**62,595.55**	**5,007.04**	**782.90**	**62.16**	**68,323.33**	**141,092.48**	**59,914.21**
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	ज											**1,830.76**	**13,775.10**

टिप्पणियां

क. इसमें शामिल हैं ₹ 253.25 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 249.96 दशलक्ष)जिसका इस कारण परिशोधन नहीं किया गया है कि पट्टा अवधि समाप्त होने पर अंत में स्वामित्व का हस्तांतरण कंपनी के नाम हो जाएगा.

ख. इसमें शामिल है ₹28.82 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹28.82 दशलक्ष) का भूमि मूल्य जो कंपनी के कब्जे में, जिसके प्रति औपचारिक पट्टा विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं. निवल ब्लॉक ₹ 28.82 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹28.82 दशलक्ष).

ग. इसमें शामिल हैं ₹782.98 दशलक्ष) (पिछले वर्ष ₹ 782.98 दशलक्ष) जो दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली आस्ति का कंपनी का अंश है . निवल ब्लॉक ₹39.15 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹39.15 दशलक्ष).

घ. ऐसी आस्तियां शामिल हैं जिनकी अवधि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट अवधि से भिन्न है और कंपनी की नीति के आधार पर हैं.

आस्तियों का प्रकार	अपनाई गई अवधि	कुल मूल्य	WDV
संयंत्र और उपकरण (कर्मचारी योजना संबंधी कंप्यूटर)	4 वर्ष	58.53	30.02
फर्नीचर और जुडनार (कर्मचारी योजना संबंधी फर्नीचर)	7 वर्ष	60.45	37.12
वाहन (कर्मचारी योजना संबंधी वाहन)	4 वर्ष	5.88	4.61

ङ) उन आस्तियों के, जिनकी अवधि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट अवधि से भिन्न है, घटक शामिल हैं और तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित हैं.

आस्तियों का प्रकार (घटक)	अपनाई गई अवधि
संयंत्र और उपकरण (यंत्रीकरण मद और DCS)	15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण (उत्प्रेरक)	आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत उपयोगी अवधि

च) खरीदी गईं निवल आस्तियों के बही मूल्य से अधिक कारोबार (नाइट्रोजन संयंत्र) की खरीदारी के लिए प्रतिफल दर्शाता है.

छ) कंपनी, प्रगति पर पूंजीगत कार्य (CWIP) में उधार लागत और विनिमय अंतर का पूंजीकरण करती है और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजीकृत रकम क्रमश: ₹126.78 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹1,686.27 दशलक्ष) और ₹ 2,411.43 दशलक्ष है (पिछले वर्ष ₹1,680.25 दशलक्ष). उधार लागत और विनियम में अंतर का पूंजीकरण करने के बाद उसे विभिन्न श्रेणी की आस्तियों के " वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन " स्तंभ में प्रकट किया जाता है. इनके आस्ति-वार ब्यौरे अचल आस्तियों के प्रमुख शीर्षों के अधीन समाविष्ट किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

₹ दशलक्ष में

वर्ष	2015-16		2014-15	
आस्ति की श्रेणी	विनिमय अंतर	उधार लागत	विनिमय अंतर	उधार लागत
भवन	18.17	2.11	12.22	8.33
संयंत्र और उपकरण	2,388.00	122.06	1,479.04	1,112.58
CWIP के विभिन्न शीर्षों में आबंटित	5.26	2.61	188.99	565.36
कुल	**2,411.43**	**126.78**	**1,680.25**	**1,686.27**

छ) प्रगति पर पूंजीगत कार्य (उचित रूप से पूंजीकृत किए जाने वाले परियोजना खर्च सहित)

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च 2016	यथा 31 मार्च 2015
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	17,182.98	100,649.52
घटाएं: वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में पंजीकृत रकम	15,352.22	86,874.42
प्रगति पर निवल पूंजीगत कार्य	**1,830.76**	**13,775.10**

ज) मूल्यह्रास नीति में परिवर्तन **(देखें टिप्पणी 31.04)**

झ) वर्ष के लिए मूर्त और अमूर्त आस्तियों के मूल्यह्रास/परिशोधन का विनियोजन इस प्रकार किया गया है: :

₹ दशलक्ष में

क्रम सं	विवरण	यथा 31 मार्च 2016	यथा 31 मार्च 2015
i	लाभ-हानि विवरण में प्रभारित	7,124.05	4,986.10
ii	निर्माण अवधि के दौरान व्यय में अंतरित (निवल)	0.42	1.77
iii	पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन (निवल)	0.39	19.17
	कुल	**7,124.86**	**5,007.04**

ञ) उन आस्तियों को, जिनका उपयोग न किया जा रहा हो और उनको बेचने के लिए रखा गया है, अन्य चालू आस्तियों के तहत दर्शाया गया है.

टिप्पणी 13 गैर चालू निवेश

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
व्यापार निवेश (दीर्घावधि निवेश)		
इक्विटी लिखतों में निवेश: लागत पर कोट न किए गए		
सहयोगी कंपनियों में निवेश		
ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त 957,621,500 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10 के 957,621,500 इक्विटी शेयर) **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)**	13,346.23	13,346.23
संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों में निवेश		
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड. (पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर(पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10 के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर)**(देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख)**	150.00	150.00
मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक 10 के 49,960 इक्विटी शेयर) (पिछले वर्ष 49,960 इक्विटी शेयर) **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी ग)**	0.50	0.50
कुल	**13,496.73**	**13,496.73**

टिप्पणी

	कंपनी का नाम	कुल इक्विटी शेयर	अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹	कुल (₹ दशलक्ष में)
क)	ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	957,621,500	10.00	13,346.23
ख)	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	15,000,000	10.00	150.00
ग)	मंगलम् रीलेट सर्विसेस लिमिटेड	49,960	10.00	0.50

घ) कंपनी ने, पिछले वर्ष 2014-15 के दौरान ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (OMPL)के 51.0017% इक्विटी शेयर खरीदे और फलस्वरूप 28 फरवरी, 2015 से OMPL, सहयोगी कंपनी बन गई. इसके ब्यौरे यहां नीचे दिए गए हैं:

विवरण	शेयरों की संखा	कुल(₹ दशलक्ष में)
अलग-अलग शेयरधारकों से ₹ 4.94 प्रति शेयर के प्रीमियम पर इक्विटी की खरीदारी.	21,000	0.31
हितकारी लाभ के रूप में रखे गए शेयर.	500	-
इक्विटी के प्रति अग्रिम के आधार पर इक्विटी का आबंटन.	59,998,500	599.99
अनभिदत्त इक्विटी शेयरों से 438,611,475 इक्विटी शेयरों सहित ₹ 4.20 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिकार निर्गम के प्रति इक्विटी अभिदान.	897,600,000	12,745.93

ङ) कोट न किए गए निवेशों का कुल मूल्य ₹ 13,496.73 दशलक्ष(पिछले वर्ष ₹ 13,496.73 दशलक्ष)

टिप्पणी 14 दीर्घावधि सावधि ऋण और अग्रिम

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो गैर जमानती और शोध्य समझे गए)

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
संबद्ध पक्षकारों के प्रति				
मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड				
पूंजीगत अग्रिम	956.00		131.50	
जमाराशि	12.68	968.68	5.27	136.77
अन्य				
पूंजीगत अग्रिम	737.15		718.15	
गैर जमानती, संदिग्ध समझे गए	3.40		3.40	
घटाएं: संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3.40	737.15	3.40	718.15
कर्मचारी को दिए गए अग्रिम (देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)		260.03		254.96
सीमा शुल्क, बंदरगाह प्राधिकरण आदि के पास जमा राशियां		0.01		0.01
MAT क्रेडिट संबंधी हकदारी		3,071.31		-
प्रदत्त आय कर (निवल प्रावधान)		1,254.88		1,975.35
अन्य के पास जमा राशियां		500.24		498.01
कुल		**6,792.30**		**3,583.25**

टिप्पणी

क. ऐसे ऋण शामिल हैं जिनकी चुकौती अवधि 7 वर्ष से अधिक हो

ऊपर उल्लिखित कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों में शामिल हैं:

₹ दशलक्ष में

	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
निदेशक	1.01	-
कंपनी के अन्य अधिकारी	0.22	0.26
	1.23	**0.26**

टिप्पणी 15 अन्य गैर चालू आस्तियां

₹ दशलक्ष में

विवरण	**यथा 31 मार्च, 2016**	**यथा 31 मार्च, 2015**
कर्मचारी ऋण योजना पर उपचित ब्याज	46.66	34.94
विवाद के अधीन प्रदत्त आय कर	3,373.70	2,579.25
कुल	**3,420.36**	**2,614.19**

टिप्पणी 16 स्टॉक *

₹ दशलक्ष में

विवरण	**यथा 31 मार्च, 2016**		**यथा 31 मार्च, 2015**	
कच्चा माल	9,053.33		6,383.37	
मार्ग में कच्चा माल	6,013.76	15,067.09	4,785.51	11,168.88
प्रक्रियागत स्टॉक		3,185.52		3,757.27
तैयार माल	10,913.11		17,173.02	
घटाएं: स्टॉक हानि के लिए प्रावधान	5.91	10,907.20	5.91	17,167.11
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	2,742.54		1,765.06	
मार्ग में भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	150.33		223.21	
घटाएं: अक्रियाशील/रुके हुए स्टॉक के लिए प्रावधान	85.48	2,807.39	85.48	1,902.79
कुल		**31,967.20**		**33,996.05**

* लेखा नीति सं. 9 के अनुसार मूल्य निर्धारित

टिप्पणी 17 प्राप्य व्यापार राशियां

₹ दशलक्ष में

प्राप्य व्यापार राशियां (गैर जमानती)	**यथा 31 मार्च, 2016**	**यथा 31 मार्च, 2015**
छह महीने से कम अवधि तक बकाया		
शोध्य माने गए **(देखें टिप्पणी क)**	23,690.30	23,588.16
संदिग्ध माने गए	137.40	177.51
घटाएं: संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	137.40	177.51
	23,690.30	23,588.16
छह महीने से अधिक समय से बकाया		
शोध्य माने गए	—	—
संदिग्ध माने गए	1,331.55	913.65
घटाएं: संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	1,331.55	913.65
	—	—
कुल	**23,690.30**	**23,588.16**

टिप्पणी

क) अग्रिम में शामिल है बैंक गारंटी द्वारा समर्थित ₹ 318.20 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 515.50 दशलक्ष).

ऊपर उल्लिखित प्राप्य व्यापार राशियों में शामिल है इनके द्वारा बाकी कर्ज:

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
उस कंपनी का नाम जिसमें कंपनी का निदेशक, निदेशक है		
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	209.13	289.57
कुल	**209.13**	**289.57**

टिप्पणी 18 नकदी और बैंक शेष

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
18.1 नकद और नकदी समतुल्य				
बैंकों में शेष राशियां				
चालू खाते	8,079.45		3.24	
जमा खाते : 3 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाले **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)**	95,100.00	103,179.45	41,134.63	41,137.87
हाथ में नकद (अग्रदाय सहित) और सोने के सिक्के **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख)**		0.95		1.78
18.2 अन्य बैंक में शेष राशियां				
जमा खाते : 3 से 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाले **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)**	26,879.10		30,550.90	
डिबेंचर खाते पर अदत्त ब्याज	0.19		0.19	
अदत्त लाभांश खाता	101.24		124.49	
कर्मचारी हितकारी निधि	8.15		7.27	
बैंकों में ओवरड्राफ्ट सुविधा के प्रति ग्रहणाधिकार के रूप में और सांविधिक प्राधिकरणों में प्रतिभूति के रूप में जमाराशि.	6,958.20	33,946.88	30,864.62	61,547.47
		137,127.28		**102,687.12**

टिप्पणियां

क) कंपनी, बैंकों में रखी गईं अपनी जमाराशियां, कोई सूचना दिए बगैर अथवा मूल धनराशि पर दंड दिए बगैर किसी भी समय निकाल सकेगी

ख) इसमें शामिल है सोने के सिक्के जिसका मूल्य है ₹ 0.91 दशलक्ष(पिछले वर्ष ₹ 0.94दशलक्ष)

टिप्पणी 19: अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो गैर जमानती और शोध्य समझे गए)

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
19.1 संबद्ध पक्षकारों के प्रति				
ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	17.58		17.19	
मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड	0.31		0.47	
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड.	0.01		0.01	
मंगलम् रीलेट सर्विसेस लिमिटेड	0.06		0.05	
पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	8.04	26.00	2.54	20.26
19.2 दूसरे पक्षकारों के प्रति				
सीमा शुल्क, पोर्ट ट्रस्ट आदि के पास शेषराशि **(देखें टिप्पणी 31.21)**		111.20		3,632.12
ग्राहकों के पास बयाना				
संदिग्ध माने गए	6.84		6.87	
घटाएं: संदिग्ध जमाराशियों के लिए प्रावधान	6.84	-	6.87	-
कर्मचारियों को अग्रिम	47.69		43.61	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.81	46.88	0.81	42.80
नकद अथवा वस्तु रूप में वसूल करने योग्य अन्य अग्रिम अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य और जमाराशियाँ		4,052.01		3,204.79
कुल		**4,236.09**		**6,899.97**

ऊपर उल्लिखित कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम में शामिल है:

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
निदेशक	0.20	-
कंपनी के अन्य अधिकारी	0.04	0.04
कुल	**0.24**	**0.04**

टिप्पणी 20 अन्य चालू आस्तियां

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
ब्याज जो बैंक जमाराशियों पर उपचित है परंतु देय नहीं है	1,698.66	1,546.15
बीमा कंपनियों से प्राप्य दावा	0.05	0.05
बिक्री के लिए रखी गई अचल आस्तियाँ **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क और ख)**	77.96	77.96
कुल	**1,776.67**	**1,624.16**

टिप्पणी

क. इसमें शामिल है पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित संयंत्र और अन्य अवक्षयी आस्तियां और लागत पर मुक्त भूमि.

ख. बिक्री के लिए रखी गईं अचल आस्तियों का निम्नतर लागत पर अथवा अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है.

टिप्पणी 21 परिचालन से राजस्व

₹ दशलक्ष में

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
21.1	**उत्पादों की बिक्री**		
	देश में बिक्री	382,486.41	396,221.23
	निर्यात बिक्री	126,155.36	227,898.55
21.2	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	स्क्रैप की बिक्री	81.85	22.13
	सुगमीकरण प्रभार	41.70	3.03
	निर्णीत हर्जाने	30.46	26.48
		154.01	**51.64**
	कुल	**508,795.78**	**624,171.42**

टिप्पणी 22 : अन्य आय

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
22.1 ब्याज आय		
बैंक जमाराशि पर (स्रोत पर काटा गया कर ₹ 635.97 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 635.47 दशलक्ष)	6,796.49	6,212.43
अंतर कार्पोरेट जमाराशि पर (स्रोत पर काटा गया कर ₹ शून्य दशलक्ष) (पिछले वर्ष ₹ 18.26 दशलक्ष)	-	182.56
प्रत्यक्ष विपणन ग्राहकों से	24.20	62.17
ठेकेदार द्वारा अग्रिम संग्रहण	41.29	10.43
कर्मचारी ऋण योजना पर	20.50	13.95
दूसरे पक्षकारों पर	80.69	30.74
कुल	**6,963.17**	**6,512.28**
22.2 लाभांश आय		
म्यूचुअल फंड निवेशों पर प्राप्त लाभांश (अल्पावधि निवेश)	1,168.10	1,377.27
शेल्ल निवेश पर प्राप्त लाभांश (दीर्घावधि निवेश)	9.00	15.00
22.3 अन्य गैर-प्रचालन आय		
रॉयल्टी आय (स्रोत पर काटा गया कर ₹ 0.26 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 0.53 दशलक्ष)	4.39	9.99
देयता, जिसे प्रतिलेखित करने की ज़रूरत नहीं है	362.72	66.39
प्रतिलेखित अतिशय प्रावधान	0.73	0.65
टेंडर फार्म की बिक्री	1.01	1.21
किराया प्रभार	4.10	4.81
कर्मचारियों से वसूली	9.05	8.04
विविध प्राप्तियां	48.96	54.28
	430.96	**145.37**
कुल	**8,571.23**	**8,049.92**

टिप्पणी 23 : उपभुक्त सामग्री की लागत

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
कच्चा माल: क्रूड तेल		
आयातित	301,442.61	508,507.75
देशी	36,849.57	48,052.34
कच्चा माल: अन्य		
आयातित		
हाइड्रोजन	1,476.11	428.93
पैराफिन रैफिनेट	4,707.47	2,622.99
रीफॉर्मेट	1,033.52	-
देशी		
CRMB मॉडिफायर	6.70	2.57
व्यापारी वस्तुएं		
देशी	0.12	0.56
कुल	**345,516.10**	**559,615.14**

टिप्पणी 24 : तैयार माल के स्टॉक, प्रक्रियागत स्टॉक और व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
अंतिम स्टॉक:		
तैयार माल	10,913.11	17,173.02
प्रक्रियागत स्टॉक	3,185.52	3,757.27
कुल अंतिम स्टॉक	**14,098.63**	**20,930.29**
प्रारंभिक स्टॉक:		
तैयार माल	17,173.02	35,129.97
प्रक्रियागत स्टॉक	3,757.27	4,661.66
कुल प्रारंभिक स्टॉक	**20,930.29**	**39,791.63**
स्टॉक में वृद्धि/(-) अवनति	**6,831.66**	**18,861.34**

टिप्पणी 25 : कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
वेतन और मज़दूरी	2,284.07	1,855.64
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	283.23	225.52
स्टाफ कल्याण के प्रति खर्च	130.60	102.54
छुट्टी के लिए प्रावधान	112.97	181.48
उपदान के लिए प्रावधान	28.95	31.68
सेवानिवृत्ति उपरांत, चिकित्सा और अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए प्रावधान	10.44	10.56
कुल	**2,850.26**	**2,407.42**

टिप्पणी 26: वित्त लागत

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
ब्याज खर्च	5,748.18	4,062.71
अन्य उधार लागत	30.17	8.17
कुल	**5,778.35**	**4,070.88**

टिप्पणी 27 : मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
मूर्त आस्तियों पर	7,121.47	4,977.53
अमूर्त आस्तियों पर	2.58	8.57
कुल	**7,124.05**	**4,986.10**

टिप्पणी 28: अन्य खर्च

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016		समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015	
28.1 अन्य खर्च				
बिजली, उपयोगिता और ईंधन शुल्क	26,978.88		45,054.69	
घटाएं: स्वयं खपत	24,872.26	2,106.62	44,347.65	707.04
मरम्मत और अनुरक्षण				
संयंत्र और मशीन	2,112.69		1,651.02	
भवन	8.84		3.37	
अन्य	513.74	2,635.27	222.64	1,877.03
खपाए गए भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थ	1,659.58		1,316.02	
घटाएं: अन्य शीर्षों के अधीन दर्शाए गए	807.96	851.62	505.99	810.03
खपाई गई पैकिंग सामग्री		45.80		52.04
किराया		73.36		72.48
बीमा		242.50		226.99
दर और कर		2,199.61		1,951.08
स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवल)		1,588.96		916.85
विनिमय दर में घट-बढ़ से हानि		11,902.67		6,835.01
निदेशकों के बैठक शुल्क		-		0.59
अचल आस्तियों की बिक्री से हानि		3.86		4.11
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
लेखा परीक्षा शुल्क	1.90		1.90	
कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.50		0.50	
प्रमाणीकरण शुल्क के लिए	1.50		1.30	
खर्च की प्रतिपूर्ति	3.06	6.96	1.00	4.70
निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी खर्च		23.40		48.10
विविध खर्च		1,241.48		895.84
कुल		**22,922.11**		**14,401.89**
28.2 प्रावधान				
संदिग्ध ऋणों के लिए		378.49		212.21
कुल		**378.49**		**212.21**
28.3 बट्टे खाते लिखे गए				
संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए		0.70		-
कुल		**0.70**		-
28.4 पूर्व अवधि वाली मद (निवल)				
मूल्यह्रास (निवल)		0.39		19.17
उपभुक्त सामग्री की लागत		1.28		-
मरम्मत और अनुरक्षण		(20.47)		(3.48)
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च		-		(2.42)
अन्य		97.68		0.39
कुल		**78.88**		**13.66**
सकल योग (28.1+28.2+28.3+28.4)		**23,380.18**		**14,627.76**

टिप्पणी 29: अपवादात्मक मद (देखें टिप्पणी 31.03)

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
उपभुक्त सामग्री की लागत	988.16	-754.59
बिक्री पर छूट	-	192.24
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	211.15	-
विविध खर्च	630.63	227.88
कुल	**1,829.94**	**-334.47**

टिप्पणी 30: प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
अंश: निवल लाभ (₹ दशलक्ष में)		
मूल	11,481.59	(17,122.34)
आंशिक	11,481.59	(17,122.34)
डिनॉमिनेटर : वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या		
मूल	1,752,598,777	1,752,598,777
आंशिक	1,752,598,777	1,752,598,777
प्रति शेयर नाम मात्र मूल्य		
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)		
मूल / आंशिक (₹ में)	6.55	(9.77)
प्रति शेयर मूल और आंशिक अर्जन का समाधान		
निवल लाभ (₹ दशलक्ष में)	11,481.59	(17,122.34)
जोड़ें: ऋणों के आंशिक भाग पर ब्याज (निवल कर) (₹ दशलक्ष में)	-	-
कुल	**11,481.59**	**(17,122.34)**
इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	1,752,598,777	1,752,598,777
रूपांतरण खंड वाले ऋणों के संबंध में शेयरों की संख्या	-	-
प्रति शेयर आंशिक अर्जन के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	1,752,598,777	1,752,598,777

टिप्पणी 31 : अन्य प्रकटन

31.1 स्टॉक का मूल्यांकन (तैयार माल) (AS-2)

तमाम संयुक्त उत्पादों का समग्र कुल मार्जिन प्रतिशत, प्रत्येक उत्पाद के अंतिम निवल वसूल करने योग्य मूल्य से घटाया जाता है जिससे कि प्रत्येक उत्पाद की कुल लागत का निर्धारण किया जा सके, जिसके आधार पर अंतिम उत्पादों के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है (देखें टिप्पणी में नीति सं. 9.2 – '' उल्लेखनीय लेखा नीतियों का विवरण '').

31.2 नकदी प्रवाह विवरण (AS-3)

नकदी प्रवाह विवरण, ''भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान'' द्वारा लेखा मानक (AS-3)में यथा निर्धारित 'परोक्ष पद्धति' के तहत तैयार किया गया है.

31.3 अपवादात्मक मद (AS-5)

अपवादात्मक मदों में शामिल हैं, जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 16.10.2009 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए विभेदक घाट शुल्क के निमित्त ₹1,541.87 दशलक्ष खर्च, हस्ताक्षरित एवं 01/04/2007 से प्रभावी दीर्घावधि समझौते के अनुसार गैर प्रबंधन स्टाफ के लिए अधिवर्षिता लाभ संबंधी निधि में अंशदान के प्रति ₹211.15 दशलक्ष(अंशदान, अप्रैल 2007 से मार्च 2015 से संबंधित है) और एमआरपीएल की सिविल अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर पुन: तैयार किए गए उत्पाद शुल्क के निमित्त ₹76.92 दशलक्ष.

31.04 मूल्यह्रास का लेखाकरण(AS-6)

कंपनी अधिनियम, 2013 (" The Act"),की अनुसूची II के भाग ग, परिच्छेद 4 (क) से (ग) पर एमसीए की दिनांक 29 अगस्त, 2014 की अधिसूचना का अनुसरण करते हुए कंपनी ने, सिवाय संयंत्र और उपकरण के कुछ घटकों के, जिनकी उपयोगी आयु का निर्धारण, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आयु से भिन्न होता है, विभिन्न अचल आस्तियों के घटकों की उपयोगी आयु का निर्धारण किया है. तदनुसार, 1 अप्रैल, 2015 को आस्तियों की रखाव रकम का अचल आस्तियों की बची हुई उपयोगी आयु में मूल्यह्रास किया गया है. फलस्वरूप, वर्ष का मूल्यह्रास प्रभार अधिक है और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का कर पूर्व लाभ, 728.19 दशलक्ष तक कम रहा.

आगे, 1 अप्रैल, 2015 को ₹ 499.67 दशलक्ष (₹ 326.74 दशलक्ष का निवल कर) की रकम को, जो अचल आस्तियों की रखाव रकम दर्शाती है और जिसकी उपयोगी आयु कुछ नहीं है, अधिनियम की अनुसूची II की अपेक्षानुसार, 1 अप्रैल, 2015 को अधिशेष की प्रारंभिक शेषराशि में दर्शाया गया है.

31.05 विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव (AS-11)

एमसीए द्वार जारी " अधिसूचना सं.जीएसआर (914)ई दिनांक 29 दिसंबर, 2011 का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से उन दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को, जिनका इन आस्तियों की लागत के प्रति मूल्यह्रास करने लायक आस्तियों का अधिग्रहण करने का संबंध हो, रिपोर्ट करने से उत्पन्न विनिमय अंतर का समायोजन करने और उक्त समायोजन का, आस्तियों की बची हुई आयु में मूल्यह्रास करने का विकल्प चुना है.

एमसीए द्वारा जारी दिनांक 9 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. 17/133/2008-सीएल-वी का अनुसरण करते हुए कंपनी ने आस्तियों के पूंजीकरण के बाद की अवधि को समाविष्ट करते हुए विनिमय अंतर का पूंजीकरण किया है. अगर ऐसा न किया होता तो पूंजीकृत आस्तियों से संबंधित ₹2,348.94 दशलक्ष(पिछले वर्ष ₹1,116.87 दशलक्ष) की विनिमय अंतर की रकम, लाभ-हानि लेखा विवरण में नामे डाली गई होती और अचल आस्तियां, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में उस हद तक कम हुई होतीं.

31.6 कर्मचारी संबंधी लाभ (AS-15)

31.06.1 संक्षिप्त वर्णन: परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रकार पर एक सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

क. अर्जित छुट्टी संबंधी लाभ (EL):

उपचय - प्रति वर्ष 32 दिन

300 दिनों तक संचित किया जा सकेगा
15 दिन से अधिक संचित EL का, सेवा में रहते समय नकदीकरण किया जा सकेगा बशर्ते कि कम से कम 5 दिन EL का नकदीकरण कराया जाए.

ख. अर्ध वेतन छुट्टी (HPL)

उपचय - प्रति वर्ष 20 दिन

सेवा में रहते समय नकदीकरण नहीं किया जा सकेगा सेवानिवृत्ति के उपरांत नकदीकरण किया जा सकेगा; जिसे अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिनों तक सीमित किया गया है.

ग. उपदान:

पूरे किए गए हर एक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान ₹1 दशलक्ष तक सीमित किया गया है.

घ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

सेवानिवृत्ति के बाद, एकबारगी एकमुश्त अंशदान करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी आश्रित पत्नी/उसके आश्रित पति को, कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ की रक्षा प्रदान की जाएगी.

ङ. सेवानिवृत्ति लाभ:

सेवानिवृत्त होने पर, कर्मचारियों को पुन:व्यस्थापन रियायत दी जाएगी. ये लाभ कर्मचारी को स्थानांतरण के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए दिए जाएंगे जैसे व्यवस्थापन भत्ता, विस्थापन भत्ता (सिर्फ़ 30 दिन का DA), परिवहन भत्ता, चढ़ाई/उतराई शुल्क, घरेलू सामान के लिए बीमा, अतिशय बैगेज, चुंगी शुल्क, पैकिंग शुल्क (सिर्फ़ प्रबंधन कर्मचारियों के लिए) और यात्रा खर्च.

31.06.02परिभाषित अंशदान योजनाओं के प्रति किए गए नीचे उल्लिखित अंशदान को वर्ष 2015-16 के दौरान खर्च की तरह माना जाएगा:

(₹ दशलक्ष में)

परिभाषित अंशदान योजना	स्वीकृत कुल खर्च	प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के प्रति अंशदान
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	152.73	0.85
	(138.64)	(0.78)
सेवानिवृत्ति निधि में नियोजक का अंशदान	338.38	0.79
	(84.03)	(0.92)

31.06.03 रोजगार उपरांत लाभ योजनाओं के लिए तुलन पत्र में दर्शाई रकम इस प्रकार है:

₹ दशलक्ष में

क्रम सं.	विवरण	उपदान (निधिक)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (अनिधिक)	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (अनिधिक)
1	निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	563.39	-	-
		(508.85)		
2	योजना आस्ति का उचित मूल्य	534.44	-	-
		(477.16)		
3	अनिधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	57.06	9.81
			(51.06)	(9.37)
4	अस्वीकृत गत सेवा संबंधी लागत	-	-	
5	निवल देयता	28.95	57.06	9.81
		(31.69)	(51.06)	(9.37)

31.06.04 उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल की गईं रकम निम्नानुसार हैं:

(₹ दशलक्ष में)

परिभाषित अंशदान योजना	2015-16	2014-15
उद्यम के खुद के वित्तीय लिखतों के बारे में रिपोर्ट करना	कुछ नहीं	कुछ नहीं
रिपोर्टिंग उद्यम के कब्जे में रही अथवा उसके द्वारा प्रयुक्त अन्य आस्तियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं

31.06.05 तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता में अवधि के दौरान चलन दर्शाने वाला समाधान विवरण:

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं.	विवरण	उपदान (निधिक)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा संबंधी लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
1	प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	508.85	51.06	9.37
		(448.65)	(44.85)	(8.52)
2	सेवा संबंधी लागत	26.94	3.59	1.13
		(25.79)	(3.04)	(1.09)
3	ब्याज लागत	43.25	4.34	0.79
		(39.26)	(3.92)	(0.75)
4	बीमांकिक हानि /(अभिलाभ)	-3.61	0.24	0.36
		(13.39)	(1.22)	(0.53)
5	देयता अंतरण	1.07	-	-
		(0.07)		
6	प्रदत्त लाभ	-13.11	-2.17	-1.84
		(-18.31)	(-1.97)	(-1.52)
7	अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	563.39	57.06	9.81
		(508.85)	(51.06)	(9.37)

31.06.06 लाभ-हानि विवरण में स्वीकृत कुल खर्च निम्नानुसार है:

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं.	विवरण	उपदान (निधिक)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
1	चालू सेवा लागत	26.94	3.59	1.13
		(25.79)	(3.04)	(1.09)
2	दायित्व पर ब्याज	43.25	4.34	0.79
		(39.26)	(3.92)	(0.75)
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-40.56	-	-
		(-37.32)	-	-
4	वर्ष में सम्मिलित निवल बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	-5.52	0.24	0.36
		(9.19)	(1.22)	(0.53)
5	गत सेवा संबंधी लागत	-	-	-
		(-)	(-)	(-)
6	कटौतियों और निपटान पर हानि/ (अभिलाभ)	-	-	-
7	' कर्मचारी लाभ खर्च' में सम्मिलित कुल	24.11	8.17	2.28
		(36.92)	(8.18)	(2.37)
8	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	42.47	-	-
		(41.51)	-	-

31.06.07 उपदान के संबंध में योजना आस्तियों के उचित मूल्य के शेष का समाधान करने संबंधी विवरण:-

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
1	अवधि के प्रारंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	477.16	428.96
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	40.56	37.32
3	अंशदान	24.98	18.22
4	अन्य कंपनी से अंतरण	1.07	0.07
5	(अन्य कंपनी में अंतरण)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6	(प्रदत्त लाभ)	-11.24	-11.60
7	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अभिलाभ/(हानि)	1.91	4.19
8	अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	534.44	477.16

31.06.08 अन्य प्रकटन

(₹ दशलक्ष में)

उपदान	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
अवधि के अंत में निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	563.39	508.85	448.64	402.28	294.21
अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	534.44	477.16	428.96	307.22	261.55
अधिशेष/(घाटा)	-28.95	(31.69)	(19.68)	(95.06)	(32.66)

उपदान	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
योजना देयताओं पर समायोजन से हानि/ (अभिलाभ)	1.88	0.02	22.23	10.12	24.33
योजना आस्तियों पर समायोजन से हानि/ (अभिलाभ)	1.91	4.19	7.94	1.15	4.07

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
अवधि के अंत में अनिधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	57.06	51.06	44.85	43.61	35.60
योजना देयताओं पर समायोजन से हानि/ (अभिलाभ)	(3.06)	-0.51	0.11	1.65	1.29

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
अवधि के अंत में अनिधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	9.81	9.37	8.52	8.55	6.61
योजना देयताओं पर समायोजन से हानि/ (अभिलाभ)	0.48	-0.21	(0.45)	1.1	0.28

31.06.09 तुलन पत्र की तारीख को मूल वास्तविक परिकल्पनाएं (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त):

क्रम सं	विवरण	उपदान (निधिक)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
1	बट्टा दर	8.08%	8.08%	8.08%
		(8.50%)	(8.50%)	(8.50%)
2	पूर्व योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	8.08%	(लागू नहीं)	(लागू नहीं)
		(8.50%)		
3	चिकित्सा दावा पॉलिसी के प्रीमियम में वार्षिक वृद्धि	(लागू नहीं)	(लागू नहीं)	(लागू नहीं)
4	वेतन में वार्षिक वृद्धि	5.50%	5.50%	5.50%
		(6.00%)	(6.00%)	(6.00%)

31.06.10 उपदान (निधि) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व - योजना आस्तियों की श्रेणी

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
1	भारत सरकार के बांड	151.33	153.49	153.48
		28.32%	32.17%	35.78%
2	कंपनी बांड	105.00	122.99	122.52
		19.64%	25.77%	28.56%
3	अन्य *	278.11	200.68	152.96
		52.04%	42.06%	35.66%
4	कुल	534.44	477.16	428.96
		100.00%	100.00%	100.00%

* इसमें बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड में किए गए ₹ 248.10 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 199.64 दशलक्ष)के निवेश शामिल हैं

31.06.11 सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा खर्च की संवेदनशीलता

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं	विवरण	2015-16	2014-15	2013-14
1	बट्टा दर में 1% वृद्धि के लिए देयता में परिवर्तन	-7.40	-6.42	-5.62
2	बट्टा दर में 1% घटाने के लिए देयता में परिवर्तन	9.18	7.93	6.94
3	बट्टा दर में 1% बढ़ाने के लिए सेवा लागत में परिवर्तन	-	-	-
4	बट्टा दर में 1% घटाने के लिए देयता में परिवर्तन	-	-	-

नोट: कोष्ठकों () में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष से संबंधित हैं.

31.07 उधार लागत (AS-16)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत की रकम है ₹ 126.78 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 1,686.27 दशलक्ष)

31.08 खंडवार रिपोर्टिंग (AS 17)

खंडवार राजस्व, परिणाम और विनियोजित पूंजी

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष, 31 मार्च, 2015
		लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
1	**खंड राजस्व**		
	क. देशी बिक्री	270,165.04	346,675.14
	ख. निर्यात बिक्री	126,155.36	227,898.55
	परिचालन से निवल बिक्री/आय	**396,320.40**	**574,573.69**
2	**कर पूर्व खंड परिणाम लाभ/ (हानि) और प्रत्येक खंड से ब्याज**		
	क. देशी	17,166.92	-6,646.20
	ख. निर्यात	5,498.67	-10,585.00
	कुल	**22,665.59**	**-17,231.20**
	घटाएं:		
	i. ब्याज का भुगतान	5,778.35	4,070.88
	ii. निवल अनाबंटनीय आय का अन्य अनाबंटनीय व्यय	5,152.14	256.84
	कर पूर्व लाभ/ (हानि) और असाधारण मद	**11,735.10**	**-21,558.92**
	असाधारण मद	-	-
	कर पूर्व लाभ/ (हानि)	**11,735.10**	**-21,558.92**
3	**लगाई गई पूंजी (खंड आस्तियां-खंड देयताएं**		
	क. देशी बिक्री	19,176.19	16,909.95
	ख. निर्यात बिक्री	4,514.11	6,678.21
	कुल	**23,690.30**	**23,588.16**
	अनाबंटित	40,514.14	29,461.43
	लगाई गई कुल पूंजी	**64,204.44**	**53,049.59**
	पूंजीगत व्यय	**3,739.30**	**15,143.01**
	मूल्यह्रास और परिशोधन	**7,124.86**	**5,007.04**
	अन्य नकद रहित खर्च	**8,112.87**	**5,089.32**

31.9 संबद्ध पक्षकार के बारे में प्रकटन (AS-18)

31.09.1 कंपनी, सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम है और इसलिए AS-18 के अनुसार अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन-देन प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है.

31.09.2 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी: मूल कंपनी

(i) श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक - पारिश्रमिक अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 - ₹ 3.88 दशलक्ष.

(ii) श्री विष्णु अग्रवाल, निदेशक (वित्त) - पारिश्रमिक अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2016 - ₹ 4.55 दशलक्ष.

(iii) श्री एम. वेंकटेश निदेशक (रिफाइनरी) - पारिश्रमिक अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 - ₹ 2.98 दशलक्ष.

(iv) श्री ए.के. साहू, निदेशक (वित्त) - पारिश्रमिक फरवरी, 2016 से मार्च, 2016 - ₹ 0.50 दशलक्ष.

(v) श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव - पारिश्रमिक अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 - ₹ 2.32 दशलक्ष.

31.09.03 संबद्ध पक्षकार के ब्यौरे:

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि	मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड
संबंध	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	सहबद्ध कंपनी	सहबद्ध कंपनी
उत्पादों की बिक्री	2,597.06	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(5792.34)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
रॉयल्टी आय/ब्याज आय/अन्य	5.01	कुछ नहीं	0.03	कुछ नहीं
	(11.22)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
सेवाओं के निमित्त निविष्टियों की खरीदारी/देय राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1588.55	कुछ नहीं
	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(700.26)	(कुछ नहीं)
देय परिवहन प्रभार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	13.89
	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(19.95)
एमआरपीएल द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति(पूंजीगत व्यय सहित)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	36.70
	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(28.72)
एमआरपीएल द्वारा किए गए वेतन व स्थापना से जुड़े ऐसे खर्च जिनकी जेवी/एसोसिएट द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी.	0.05	0.01	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(0.17)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
प्राप्त लाभांश	9.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(15.00)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
इक्विटी शेयरों में निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(कुछ नहीं)	(0.50)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
जेवी/एसोसिएट में इक्विटी शेयरों के प्रति अग्रिम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
31 मार्च 2016 को प्राप्य/समायोजनीय निवल रकम.	209.14	0.06	900.13	1.21
	(289.10)	(0.05)	(67.96)	(0.20)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं

31.10 पट्टे (AS-19)

31.10.01 कंपनी ने विभिन्न परिसर, रद्द करने लायक प्रचालन पट्टे पर लिए हैं.

31.10.02 इन क़रारनामों की, आम तौर पर, अवधि समाप्त होने पर समीक्षा की जाती है.

31.10.03 प्रचालन पट्टे के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टा संबंधी किराया खर्च हैं ₹ 37.05 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 7.73 दशलक्ष).

31.11 आस्थगित कर (AS-22)

कंपनी ने ₹ 979.24 दशलक्ष की आस्थगित कर देयता (जिसे " लाभ-हानि लेखा विवरण " के तहत कर संबंधी खर्च के रूप में प्रकट किया गया है) स्वीकार की है (पिछले वर्ष ₹ 4,436.58 दशलक्ष की आस्थगित कर आस्ति).

31.12 अमूर्त आस्तियां - अनुसंधान और विकास (AS-26)

31 मार्च, 2015 के दौरान, कंपनी ने, अपनी अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों के अंग के तौर पर रिफाइनरी भुक्तशेष कास्टिक उपचार से संबंधित गतिविधियां चलाईं और सल्फाइडिक एवं फेनॉलिक भुक्तशेष कास्टिक के लिए ऑक्सीकरणी उपचार पर आधारित नैनो उत्प्रेरक का विकास किया जिसके लिए नीचे उल्लिखित व्यय किया गया. इस व्यय को व्यय के संबंधित स्वाभाविक शीर्षों में बुक किया गया है.

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल
R&D व्यय	5.50	0.00	5.50
	(6.15)	(43.82)	(49.97)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं.

31.13 संयुक्त उद्यमों में हितों के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग (AS-27)

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड		मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	
स्वामित्व वाले हित का अनुपात	50%		49.98%	
निगमन देश	भारत		भारत	
संयुक्त उद्यम में कुल ब्याज राशि (एमआरपीएल का अंश)	2015-16 (लेखा परीक्षित)	2014-15 (लेखा परीक्षित)	2015-16 (लेखा परीक्षित)	2014-15 (लेखा परीक्षित)
आस्तियां	897.31	1,025.15	0.67	0.67
देयताएं	530.36	668.83	0.09	0.10
आय	1,621.31	3,179.63	0.06	-
कर संबंधी खर्च सहित व्यय	1,602.20	3,140.94	0.04	0.03
आकस्मिक देयताएं	5.03	5.03	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

31.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (AS -29)

31.14.01 प्रावधान में घट-बढ

(₹ दशलक्ष में)

वर्ष	2015-16		2014-15	
विवरण	देनदार	अन्य	देनदार	अन्य
प्रारंभिक शेष	1,091.16	102.47	878.95	103.12
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	378.49	-	212.21	-
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रतिलेखित/ पुनर्वर्गीकृत/ घटाए गए प्रावधान	0.70	0.03	-	0.65
अंतिम शेष	**1,468.95**	**102.44**	**1,091.16**	**102.47**

31.14.02 कर्मचारियों के लिए लाभ (दीर्घावधि और अल्पावधि प्रावधान सहित)

(₹ दशलक्ष में)

वर्ष	2015-16		2014-15	
विवरण	छुट्टी	अन्य लाभ	छुट्टी	अन्य लाभ
प्रारंभिक शेष	320.86	60.43	420.33	100.83
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	112.97	10.44	181.48	10.56
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रतिलेखित/ पुनर्वर्गीकृत/ घटाए गए प्रावधान	60.13	4.00	280.95	50.96
अंतिम शेष	**373.70**	**66.87**	**320.86**	**60.43**

31.14.03 कंपनी के खिलाफ उन दावों के संबंध में, जिनको कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
1	**माध्यस्थम् / अदालत में ठेकेदारों / विक्रेताओं के दावे**		
	उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढाई गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है और अतिरिक्त दावे आदि किए गए हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित ठेकों के प्रावधानों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है. अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम, ₹ 1,969.75 दशलक्ष को पूंजीकृत किया जाएगा / ₹ 37.31 दशलक्ष को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा. (पिछले वर्ष क्रमशः ₹ 340.73 दशलक्ष और ₹ 38.13 दशलक्ष)	2,007.06	378.86
2	**ग्राहकों के दावे / प्रतिदावे**		
	ग्राहकों में से एक ने वक्त से पहले ठेका बंद करने पर हर्जाने के तौर पर दावा पेश किया है. कंपनी ने इसे एक अपरिहार्य घटना करारते हुए इस दावे को चुनौती दी है. अगर कंपनी का रुख ठुकराया गया तो रकम लाभ-हानि लेखा में नामे डाली जाएगी.	85.20	85.20
3	**अन्य**		
(क)	न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट(NMPT) कंपनी से, एमओयू के बाद की अवधि के लिए (16 अक्तूबर 2009 से 31 मार्च, 2015 तक बर्थ सं. 10 और 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2015 तक बर्थ सं. 11) तेल बर्थ पर कार्गो संभालने के लिए अधिसूचित घाट शुल्क अदा करने की मांग की है. कंपनी ने दावा किया है कि सहमति पत्र में, MOU अवधि के बाद सरकार/TAMP के अनुमोदन के अधीन (महत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण) आपस में सहमत करने योग्य दर तय करने की बात कही गई है. यह मामला वित्तीय वर्ष 2015-16 में निपटाया गया है.	कुछ नहीं	2,105.44
(ख)	यह ऐसी संभावित देयता दर्शाता है जिसे कंपनी ने पट्टेदारों को उनके संबंधित कर निर्धारण में कोई देयता होने पर उसकी प्रतिपूर्ति के प्रति उठाया हो. चूंकि पट्टेदारों से कोई सूचना नहीं मिली है इसलिए यह रकम वर्ष 2015-16 के दौरान निकाली गई.	कुछ नहीं	133.67
(ग)	भूमि और पुनर्वास एवं पुनःव्यवस्थापन कार्य के लिए प्रदत्त अग्रिम से अधिक मंगलूर एसईज़ेड लि. का दावा	16.71	109.25
	कुल	**2,108.97**	**2,812.42**

इन तमाम दावों को अस्वीकार करते हुए कंपनी द्वारा इनको चुनौती दी जा रही है. माध्यस्थम्/अदालत से समाधान/फैसला मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा.

31.14.04 यथा 31 मार्च, 2016 अपील में लंबित विवादित कर / शुल्क संबंधी मांगे

क) आय कर:₹ 6,649.42 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 5,942.35 दशलक्ष).इसके प्रति ₹3,373.70 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹2,579.25 दशलक्ष) का अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है और इसे चालू आस्तियों से संबंधित टिप्पणी 15 के अधीन शामिल किया गया है.

ख) वाणिज्यिक कर: ₹32.36 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹32.36 दशलक्ष)इसके प्रति ₹15.58 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹15.58 दशलक्ष) का अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है और इसे ऋण और अग्रिमों से संबंधित टिप्पणी 19 के तहत दर्शाया गया है)

ग) उत्पाद शुल्क: ₹304.80 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 315.27 दशलक्ष) इसके प्रति ₹ 59.78 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹72.87 दशलक्ष) अभ्यापत्ति के अधीन अदा किया गया और इसे ऋणों और अग्रिमों से संबंधित टिप्पणी-19 के तहत दर्शाया गया है.

घ) सीमा शुल्क: ₹ 737.82 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 747.56 दशलक्ष).

31.14.05 पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं

क) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए ठेकों की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 31 मार्च, 2016 को ₹1,153.52 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹1,602.96 दशलक्ष)

कंपनी ने KIADB से चरण IV विस्तार के लिए 1050 एकड़ भूमि आबंटित करने की दरख्वास्त ही है. पत्र सं. KIADB/ Central Ofc/LA-MNG/2480/ 16195/ 2015-16, दिनांक 22/02/2016 के अनुसार इस संबंध में कुल पूंजीगत प्रतिबद्धता है ₹6,946.81.

ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

मेसर्स शेल्ल ग्लोबल इंटरनैशनल सोल्यूशन (मेसर्स शेल्ल

GIS) द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार करने के कार्यक्रम के निमित्त किया गया वायदा पूरा होने तक अमेरिकी डॉलर 2.06 दशलक्ष. (पिछले वर्ष अमेरिकी डॉलर 2.44 दशलक्ष).

पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर EPCG लाइसेंस योजना के तहत लिए गए रियायती दर पर सीमा शुल्क के निमित्त कंपनी को ₹1,556.36 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹1,346.93 दशलक्ष) तक निर्यात की बाध्यता पूरी करनी है.

31.15 बीमा रक्षा

कंपनी ने, अपनी अचल आस्तियों के मेगा रिस्क बीमा पॉलिसी के तहत बीमा रक्षा प्रदान की है जो पाबंदी संबंधी सीमाओं और UK, EU और UN द्वारा अपवर्जन के अधीन है. पाबंदी हटाने के बाद नीति संबंधी शर्तों में दी गई रियायत का अभी पालन नहीं किया गया है.

31.16 व्यापारी देयताएं

टिप्पणी सं. 9 में निर्दिष्ट व्यापारी देयताओं में शामिल है, ₹177,990.35 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹147,854.73 दशलक्ष) जो UN/US/EU द्वारा समर्थित पाबंदी के कारण प्रेषण माध्यम तय करने में नाकाम होने की वजह से समझौता होने तक नैशनल इरानियन ऑइल कंपनी (NIOC)को देय अतिदेय रकम है.

31.17 HPCL भूमि का उपयोग

एमआरपीएल के पास अनंतिम रूप से मापी गई 39.76 एकड़ की भूमि है जिसे HPCL ने चरण III विस्तार एवं उन्नयन कार्य के के सिलसिले में उपयोग करने के लिए MRPL के हवाले किया है. इस भूमि के लिए प्रतिफल स्वरूप, MRPL/ HPCL के बीच परस्पर यह सहमति हुई है कि भूमि की अदला-बदली की जाएगी. इस संबंध में अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना बाकी है.

31.18 विदेश मुद्रा में एक्सपोज़र्स

31.18.01 ऐसे एक्सपोज़र्स जिनसे बचने के लिए कोई व्युत्पन्न लिखत अथवा अन्यथा नहीं है:

कंपनी के पास तुलन पत्र की तारीख को विदेशी मुद्रा में प्राप्य एवं देय राशियां हैं. इन विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र्स के लिए किसी व्युत्पन्न लिखतों के जरिए अथवा अन्यथा कोई बचने की व्यवस्था नहीं की गई है.

.

31.18.02 CIF आधार पर आयातों का मूल्य:

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	2015-2016	2014-2015
पूंजीगत वस्तुएं	149.21	301.33
कच्चा माल	307,789.84	488,328.76
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थ	1434.56	228.62

31.18.03 विदेशी मुद्रा में व्यय:

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	2015-2016	2014-2015
ब्याज	1,312.93	1,249.99
अन्य	1,321.81	1,206.29

31.18.04 विदेशी मुद्रा में अर्जन

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	2015-2016	2014-2015
निर्यात (FOB मूल्य)	87,461.48	195,078.35

31.19 कच्चा माल, व्यापारी वस्तुओं, अतिरिक्त पुर्जों और रासायनिक पदार्थों की खपत

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	2015-16		2014-15	
	मूल्य ₹, दशलक्ष में	(%)	मूल्य ₹, दशलक्ष में	(%)
कच्चा माल: क्रूड तेल				
आयातित	301,442.61	87.24%	508,507.75	90.86%
देशी	36,849.57	10.67%	48,052.34	8.59%
कच्चा माल: अन्य				
आयातित	7,217.10	2.09%	3,051.92	0.55%
देशी	-	0.00%	-	0.00%
CRMB मॉडिफायर लागत				
आयातित				
देशी	6.70	0.00%	2.57	0.00%
कुल	**345,515.98**	**100.00%**	**559,614.58**	**100.00%**
व्यापारी वस्तुएं	0.12		0.56	
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थ(कुल)				
आयातित	566.58	34.14%	615.02	46.73%
देशी	1,093.00	65.86%	701.00	53.27%
कुल	**1,659.58**	**100.00%**	**1,316.02**	**100.00%**

31.20 अनिवासी शेयरधारकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
अनिवासी शेयरधारकों की संख्या	17,857	18,198
अनिवासी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या	21,083,055	20,635,379
वर्ष के दौरान अनिवासी शेयरधारकों को प्रेषित लाभांश	कुछ नहीं	कुछ नहीं

31.21 ऋण और अग्रिम:

ऋणों और अग्रिमों में (टिप्पणी 14), परियोजना आयात पर सीमा शुल्क के लिए ₹ 378.71 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 378.71 दशलक्ष) के धन वापसी दावे सम्मिलित है. वाणिज्यिक कर के प्रति देय ₹ 2884.43 दशलक्ष(पिछले वर्ष ₹ 2884.43 दशलक्ष) (देखें टिप्पणी सं 19) की अतिरिक्त धन वापसी को भी उसमें सम्मिलित किया गया है जिसके लिए धन वापसी प्राप्त होने पर ग्राहकों को भुगतान किया जाता है जिसे अन्य चालू देयताओं-वाणिज्यिक करों की धन वापसी होने पर तेल कंपनियों को देय रकम के अधीन सम्मिलित किया गया है (टिप्पणी 10) और राय के अनुसार, पुन:बिक्री कर, एमआरपीएल द्वारा तेल विपणन से पूरी तरह

से वसूल किया जाता है और सरकार के खाते में जमा किया जाता है तथा KAT अथवा उच्च न्यायालय अथवा शीर्ष न्यायालय का फैसला अनुकूल होने पर भी धन वापसी की समग्र प्रक्रिया का एमआरपीएल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विरोध के अधीन प्रदत्त जमाराशि के प्रत्यावर्तन एवं RST को वापस लेखा बहियों में अदा करने की देयता का भी कोई असर नहीं होगा. इसलिए इसे वर्ष के दौरान ठीक किया गया है.

31.22 वाणिज्यिक कर संबंधी प्रोत्साहन:

कर्नाटक सरकार की अधिसूचना के अनुसार कंपनी, बिक्री कर आस्थगन/छूट पाने की इस प्रकार हकदार है:
कंपनी, कर्नाटक सरकार के आदेश और अधिसूचना के अनुसार नीचे उल्लिखित फायदे पाने की हकदार है

i) 01.04.2012 से 15 वर्ष तक 12.65 MMTPA से अधिक क्रूड का प्रसंस्करण करने पर प्रवेश कर देने से छूट.

ii) 01.04.2012 से 15 वर्ष तक पॉलीप्रॉपीलीन और पेट्रोलियम कोक की बिक्री करने पर केंद्रीय बिक्री कर से पूरी छूट. 01.04.2012 से 15 वर्ष तक 12.65 MMTPA से अधिक थ्रूपुट की मदद से बनाए गए एलपीजी, मिश्रित ज़ाइलीन, नैफ़्ता, LSHS और रीफॉर्मेट की बिक्री पर CST से छूट.

iii) पॉलीप्रॉपीलीन, पेट्रोलियम कोक, मिश्रित ज़ाइलीन, नैफ़्ता, LSHS और रीफॉर्मेट की बिक्री पर पात्र कुल VAT के 60% तक (प्रारंभिक तीन वर्षों में 100%)ब्याज मुक्त सुलभ ऋण जब कि प्रति वर्ष सीमा ₹ 5,000 दशलक्ष है. इसका संवितरण अभी नहीं किया गया है.

31.23 कीमत घटाने संबंधी खंड

टिप्पणी सं.10 - अन्य चालू देयताओं में ₹ 2,024.28 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 1,557.42 दशलक्ष) की रकम शामिल है जो 31 मार्च, 2016 को पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय है, जिसे वितरण में विलंब होने पर कीमत कटौती खंड का अनुसरण करते हुए और कार्यवाहियां को अंजाम देने तक विक्रेताओं से रोक रखा गया था. इस कारण, अचल आस्तियों, मूल्यह्रास और आस्ति के WDV में, उस वर्ष, जिसमें रोक रखी गई रकम का विनियोजन करने संबंधी कार्रवाई को अंजाम देकर विनियोजित किया जाता है, संशोधन हो सकता है.

31.24 कंपनी को, कुछ व्यापारी प्राप्य राशियों, ऋणों और अग्रिमों एवं व्यापारी देयताओं के संबंध में उसके पुष्टीकरण पत्रों का अभी जवाब नहीं मिला है. जिनके संबंध में पुष्टीकरण मिला है उनका अभी मिलान करना बाकी है, जिसका प्रबंधन की राय में, प्रभाव, उल्लेखनीय नहीं है.

31.25 नीचे उल्लिखित खर्च को अन्य खर्च शीर्षों के तहत सम्मिलित किया गया है

क्रूड की खरीदारी और स्टाफ कल्याण से संबंधित ₹ 10.98 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 14.17 दशलक्ष) की बीमा प्रभार की रकम को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष से संबंधित शीर्षों के तहत दर्शाया गया है.

31.26 लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 32 के अपेक्षानुसार प्रकटन
ऋण के रूप में कोई ऋण और अग्रिम नहीं रहा जिसे सहयोगी, सहबद्ध और संयुक्त उद्यमों को दिया गया हो.

31.27 चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:समूहन/पुन:वर्गीकरण किया गया है.

संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

बोर्ड के लिए और उसकी तरफ से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** के सदस्य
समेकित वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट.

हमने **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** (जिसे इसके आगे " नियंत्रक कंपनी " कहा गया है), उसकी सहयोगी कंपनी **" ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड "** (नियंत्रक कंपनी और उसकी सहयोगी, जिनको इसके आगे एक साथ " समूह " के रूप में कहा गया है) और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम **" शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड "** और **" मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड "** के संलग्न किए गए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2015 तक के समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण, उस वर्ष को समाप्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे इसके आगे " समेकित वित्तीय विवरण " कहा गया है) समाविष्ट की गई हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसके आगे " the Act " कहा गया है) की अपेक्षाओं के अनुसार ये समेकित विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाते हैं. समूह में शामिल किए गए कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम, इन बातों के लिए जिम्मेदार हैं जैसे समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों की आस्तियों की हिफ़ाजत करना तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन कर उनको लागू करना, ऐसे फैसले और आकलन करना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, उसका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जो सही और निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले और चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, ऊपर उल्लिखित नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा इस्तेमाल किए गए लेखा रेकॉर्ड की यथातथ्यता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रेकॉर्ड रखना.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है. लेखा परीक्षा करते समय, हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखा परीक्षा मानकों और उन मामलों पर ध्यान दिया है जिनको अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है.

हमने, अपनी लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की. इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम, नैतिक अपेक्षाएं पूरी करें और योजना बनाकर लेखा परीक्षा का इस तरह से निर्वाह करे जिससे यह उचित आश्वासन मिले कि क्या समेकित वित्तीय विवरण, महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त हैं.

लेखा परीक्षा में शामिल है, समेकित वित्तीय विवरणों में रकम और प्रकटन के बारे में सबूत पाने के इरादे से अपनाई जाती रहीं क्रियाविधियां. चुनी गईं क्रियाविधियां, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, वित्तीय विवरणों में तथ्यों के गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षकों के फ़ैसले पर निर्भर होंगी. जोखिम संबंधी ऐसे निर्धारण करते समय, लेखा परीक्षक, नियंत्रक कंपनी का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले वित्तीय विवरण से प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे कि लेखा परीक्षा से संबंधित क्रियाविधियां इस तरह से बनाई जाएं जो परिस्थितियों के अनुरूप हों और ऐसे नियंत्रण को प्रभावशाली ढंग से चला रही हों. लेखा परीक्षा में यह भी शामिल हैं जैसे; प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखा संबंधी आकलन का निर्धारण करना एवं समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना.

हम मानते हैं कि हमें लेखा परीक्षा के बारे में जो सबूत मिले हैं और नीचे दिए गए परिच्छेद में अन्य मामलों में निर्दिष्ट अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अनुसार लेखा परीक्षा के बारे में उनको जो सबूत मिले हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय देने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं.

राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों में, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के 31 मार्च, 2016 तक के कामकाज की समेकित स्थिति पर उस तारीख को समाप्त वर्ष की उनकी समेकित हानि तथा समेकित नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाली अधिनियम में अपेक्षित तरीके से जानकारी दी गई है जो भारत में आम तौर पर अपनाए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाती है.

अन्य मामले

हमने, एक सहयोगी और दो संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की समीक्षा नहीं की जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी में, 31 मार्च, 2016 को ₹77,500.68 दशलक्ष की कुल आस्तियों, ₹43,510.04 दशलक्ष का कुल राजस्व और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹135.83 दशलक्ष का निवल नकदी प्रवाह परिलक्षित होते हैं जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है. इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की अन्य लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा की है जिनकी रिपोर्टें, प्रबंधन ने हमें उपलब्ध कराई हैं और जहां तक सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के संबंध में समाविष्ट की गई राशियों और प्रकटन का संबंध है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अनुसार जहां तक उसका उक्त सहयोगी और संयुक्त प्रतिष्ठानों से संबंध है, हमारी रिपोर्ट, सिर्फ़ अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और अन्य कानूनी एवं नीचे दी गई नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट में, किए गए हमारे कार्य की निर्भरता के संबंध में उक्त मामलों में और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों में कोई आशोधन नहीं किया गया है.

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. नियंत्रक कंपनी, सहयोगी कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों के आधार पर अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (" the Order ") की अपेक्षाओं के अनुरूप, हमने, जहां तक लागू हो, आदेश के परिच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण, अनुबंध क के रूप में दिया है.

2. नियंत्रक कंपनी के रेकॉर्डों एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के सत्यापन के आधार पर हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप यहां नीचे अपनी रिपोर्ट पेश की है. सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं.

   क) पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाधृत भूमि के मामले में नियंत्रक कंपनी के पास स्पष्ट हक/पट्टा संबंधी विलेख हैं

   ख) सरकारी क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों के साथ की गई बिक्री पर ₹2,183.92 दशलक्ष के केंद्रीय बिक्री कर के अतिरिक्त ₹0.70 दशलक्ष के कर्ज को बट्टे खाते डालने का मामला है और इन दोनों को लाभ-हानि लेखा में दर्शाया जा रहा है, जो उद्योग में मौजूदा परिपाटी के निमित्त उत्पन्न हुई है.

   ग) नियंत्रक कंपनी ने अन्य पक्षकारों के पास पड़े रहे स्टॉक के संबंध में पर्याप्त रेकॉर्ड रखे हैं. नियंत्रक कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई आस्तियां नहीं मिली हैं.

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं जानकारी के अनुसार हम उस हद तक यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने ऐसी तमाम जानकारी और स्पष्टीकरण मांग कर प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, ऊपर उल्लिखित समेकित विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे.

   ख) हमारी राय में, ऊपर उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां, इन बहियों की और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी परीक्षा से लगता है कि ठीक तरह से रखी गई हैं.

   ग) इस रिपोर्ट में समाविष्ट किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से रखी गईं संबंधित लेखा बहियों के अनुरूप हैं

   घ) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

   ङ)

   i) जहां तक नियंत्रक कंपनी और सहयोगी कंपनी का संबंध है, अधिनियम की धारा 164(2) के तहत उल्लिखित निदेशकों की अनर्हता, कंपनी कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनी को लागू नहीं होती है.

   ii) 31 मार्च, 2016 को प्राप्त सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टों और निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर जिसे भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के निदेशक मंडल ने रेकॉर्ड में लिया, संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के संबंध में, संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अनर्ह नहीं किया गया है.

   च) नियंत्रक कंपनी, सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की पर्याप्तता और इन नियंत्रकों की प्रचालन प्रभावित के संबंध में, हमारा अलग रूप से दिया गया अनुबंध ख देखें.

   छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) के नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

   i) समेकित वित्तीय विवरणों में, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों की समेकित वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित कानूनी मामलों का प्रभाव प्रकट करते हैं.– देखें समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी सं 31.05 और 31.06;

   ii) समेकित वित्तीय विवरणों में, व्युत्पन्न ठेकों सहित दीर्घावधि ठेकों पर, यदि कोई हो तो, पूर्वानुमान लगाने लायक महत्वपूर्ण हानि के बारे में यथा लागू कानून अथवा लेखा मानकों के तहत यथापेक्षित प्रावधान किए गए हैं.

   iii) नियंत्रक कंपनी, उसकी सहयोगी कंपनी और भारत में निगमित उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों द्वारा निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित करने के लिए अपेक्षित रकम का हस्तांतरण करने में कोई विलंब नहीं रहा.

कृते ए.राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S
हस्ता/
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं: 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S
हस्ता/
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं: 024314

स्थान: बेंगलूरु

दिनांक: 12 मई, 2016

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के परिच्छेद 1 के तहत निर्दिष्ट अनुबंध 1

(i) (क) समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों ने, परिमाणात्मक ब्योरों और अचल आस्तियों के स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रेकॉर्ड रखे हैं.

(ख) नियंत्रक कंपनी, उसकी सहयोगी कंपनी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के प्रबंधन ने, वर्ष के दौरान तमाम आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया लेकिन सत्यापन करने का एक नियमित कार्यक्रम बनाया गया है जो हमारी राय में, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के आकार और उनकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए उचित है. नियंत्रक कंपनी, उसकी सहयोगी कंपनी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा सत्यापन करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नजर नहीं आई हैं.

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा नियंत्रक कंपनी के रेकॉर्डों के अनुसार और सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के पास अचल संपत्तियों के उचित स्वत्व विलेख हैं जो संबंधित कंपनी के नाम हैं.

(ii) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर और सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान निरंतर स्टॉक कार्यक्रम के अनुसार भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है. अन्य मदों के स्टॉक का, वर्षांत में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जिसकी बारंबारता, हमारी राय में, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के आकार और उनके कारोबार के स्वरूप को देखते हुए उचित है.

(iii) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर और सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में कंपनियों, फ़र्मों अथवा अन्य पक्षकारों को कोई ऋण, चाहे जमानती हो या गैर-जमानती, नहीं दिया है. तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) और (ख) के प्रावधान, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के लिए लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

(iv) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर और सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों ने, धारा 185 के तहत शामिल किए गए पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है न ही कोई गारंटी या जमानत दी है और समूह कंपनी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है न ही कोई निवेश किया है. तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के तहत रिपोर्ट करने का सवाल नहीं उठता है.

(v) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर और सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों ने, अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के अंदर अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के दूसरे किसी संबंधित प्रावधानों और उसके अधीन बनाए नियमों के अंदर कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है. तदनुसार, खंड 3(v) के तहत रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता.

(vi) जहां तक नियंत्रक कंपनी का संबंध है, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत संबंधी रेकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है. नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि लागत संबंधी रेकॉर्ड रखने के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों का नियंत्रक कंपनी ने पालन किया है. लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर सहयोगी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के लिए लागत संबंधी रेकॉर्ड रखने का निर्देश नहीं दिया गया है.

(vii) (क) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर और सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम, वर्ष के दौरान, उचित प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सांविधिक देयताओं सहित विवादरहित सांविधिक देयताएं नियमित रूप से जमा कराते रहे हैं. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सांविधिक देयताओं के संबंध में 31 मार्च, 2016 को बकाया स्वरूप की विवादरहित कोई महत्वपूर्ण सांविधिक देयता, देय हुए दिनांक से छह महीने से अधिक समय तक बाकी नहीं रही.

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टरीकरण के अनुसार और समूह कंपनी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के रेकॉर्डों के हमारी ओर से किए गए सत्यापन के अनुसार, ऐसी विवादित कर देयता, जिसे 31 मार्च, 2016 तक उचित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं कराया गया है, निम्नानुसार है:

अधिनियम का नाम	देय राशि का स्वरूप	कुल मांग (₹ दशलक्ष में)	अभ्यापत्ति के अधीन प्रदत्त/ समायोजित कुल रकम (₹ दशलक्ष में)	रकम, किस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	किस मंच पर विवाद लंबित है
दी कर्नाटका सेल्स टैक्स ऐक्ट 1957/ केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर - दंड	4.53	कुछ नहीं	2009-10	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
	केंद्रीय बिक्री कर – ब्याज	18.33	12.10	2009-10	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	0.43	0.21	2006-07	अपील न्यायाधिकरण – मंगलूर
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	0.13	0.13	2009-10	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	0.66	0.66	2010-11	कर्नाटका अपील न्यायाधिकरण
	मूल्य वर्धित कर – दंड	3.48	कुछ नहीं	2011-12	अपील प्राधिकरण – मंगलूर
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	4.80	2.48	2011-12	अपील प्राधिकरण – मंगलूर
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर / ब्याज / दंड	296.30	296.30	AY 1993-03	मुंबई उच्च न्यायालय
		10.93	10.93	AY 2003-04	आय कर अपील न्यायाधिकरण – मुंबई
		233.50	111.10	AY 2006-07	आय कर अपील न्यायाधिकरण – मुंबई
		129.39	129.39	AY 2007-08	आय कर अपील न्यायाधिकरण – मुंबई
		362.49	362.49	AY 2008-09	आय कर अपील न्यायाधिकरण – मुंबई
		1,014.82	1,014.82	AY 2009-10	आय कर अपील न्यायाधिकरण – मुंबई
		126.72	कुछ नहीं	AY 2008-09	आय कर आयुक्त (अपील) – मुंबई
		754.77	698.00	AY 2010-11	आय कर आयुक्त (अपील) – मुंबई
		594.02	297.00	AY 2011-12	आय कर आयुक्त (अपील) – मुंबई
		546.70	453.70	AY 2012-13	आय कर आयुक्त (अपील) – मुंबई
	आय कर अधिनियम की धारा 14क के तहत अस्वीकृति	10.05	3.22	AY 2011-12	आय कर आयुक्त (अपील)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क / ब्याज / दंड	55.57	कुछ नहीं	1997-2000	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
		682.26	कुछ नहीं	1997-2000	CESTAT – बेंगलूर
		23.40	0.30	2009-10 से 2015-16	आयुक्त (अपील) - मंगलूर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर / ब्याज / दंड	205.06	37.12	1996-97 से 2013-14	CESTAT - बेंगलूर
		2.33	0.72	2002-03 से 2015-16	संयुक्त सचिव, MOF
		53.70	21.64	1999-2000 से 2010-11	आयुक्त - मंगलूर
		20.31	-	1996-1997 से 2003-2004	सर्वोच्च न्यायालय
कुल		**5,154.68**	**3,452.31**		

(viii) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर और सहयोगी एवं उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, नियंत्रक कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी बैंक अथवा सरकार को ऋण अथवा उधार चुकाने में कोई चूक नहीं की है न ही नियंत्रक कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था से कोई ऋण अथवा उधार लिया है. सहयोगी एवं उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों ने बैंक अथवा सरकार को ऋण अथवा उधार चुकाने में कोई चूक नहीं की है न ही उन्होंने किसी वित्तीय संस्था अथवा सरकार से कोई ऋण अथवा उधार लिया है और समूह एवं उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों ने कोई डिबेंचर निर्गमित नहीं किए हैं.

(ix) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर तथा सहयोगी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों ने वर्ष के दौरान, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश के रूप में (कर्ज संबंधी लिखतों सहित) न कोई पैसे जुटाए हैं न ही कोई सावधि ऋण लिए हैं. तदनुसार आदेश के खंड 3(ix) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

(x) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथा के अनुसार की गई सहयोगी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्टों के आधार पर, हमारे ध्यान में समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना नज़र नहीं आई न ही अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों में धोखाधड़ी करने की कोई घटना नज़र आई न ही उस बारे में कोई खबर मिली न ही प्रबंधन ने हमें ऐसी घटना के बारे में कोई सूचना दी है.

(xi) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर तथा सहयोगी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्टों के आधार पर, हमारी राय में प्रबंधकीय पारिश्रमिक को जहां कहीं लागू हो, DPE के दिशानिर्देशों/कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों में दिए अध्यादेश के अनुसार अपेक्षित अनुमोदन के साथ अदा किया गया है.

(xii) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर तथा सहयोगी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम, निधि कंपनी नहीं हैं. तदनुसार आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

(xiii) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर तथा सहयोगी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, हमारी राय में, संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन करते समय, जहां कहीं लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है और लागू लेखा मानकों की अपेक्षानुसार इसके ब्यौरे, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं.

(xiv) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर तथा सहयोगी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों ने, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णत: अथवा अंशत: परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आबंटन अथवा निजी विक्रय नहीं किया है. तदनुसार आदेश के खंड 3(xiv) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

(xv) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर तथा सहयोगी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों ने, वर्ष के दौरान निदेशकों अथवा निदेशकों के साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नकद रहित लेन-देन नहीं किया है. तदनुसार आदेश के खंड 3(xv) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

(xvi) नियंत्रक कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सत्यापन के आधार पर तथा सहयोगी और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों को, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत कराने की ज़रूरत नहीं है. तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi) के तहत रिपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता.

कृते ए.राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं: 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं: 024314

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 12 मई, 2016

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम दिनांक की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (" the Act") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के बारे में रिपोर्ट

31 मार्च, 2016 को और उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के समेकित विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके आगे " नियंत्रक कंपनी " कहा गया है) और उसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की, जो उस तारीख को भारत में निगमित वित्तीय कंपनियां हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी, उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि वह, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (' ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रक के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित कर बनाए रखे. इन जिम्मेदारियों में शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित तरीके से, प्रभावशाली ढंग से काम करते रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का डिज़ाइन बनाना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की संबंधित नीतियों का अनुपालन किया जाता है, उसकी आस्तियों की हिफ़ाज़त की जाती है, धोखाधड़ी और गलतियां होने से रोका जाता है और उनका पता लगाया जाता है, लेखा संबंधी अभिलेखों की यथातथ्यता और परिपूर्णता बरकरार रखी जाती है और भरोसेमंद वित्तीय प्रकटन की वक्त पर तैयारी करने सहित कारोबार को व्यवस्थित ढंग से और दक्षता से चलाया जाता है.

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर राय व्यक्त करना. हमने अपनी लेखा परीक्षा, ICAI द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित किए गए मान लिए गए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों पर मार्गदर्शन नोट (the" Guidance Note") के अनुसार, उस हद तक की जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा के लिए लागू होते है और जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, दोनों के लिए लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. इन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षा की गई है कि हम, नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा करते हुए इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित किए गए हैं और बनाए रखे गए हैं तथा ऐसे नियंत्रक, सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ऐसी कार्यविधियाँ अपनाई गईं जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में लेखा परीक्षा के जरिए सबूत प्राप्त किया जा सके. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की हमारी लेखा परीक्षा में शामिल था, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों को समझना, ख़ास कमजोरी में निहित जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना. चुनी गईं कार्यविधियाँ, चाहे धोखाधडी के कारण हो या गलती के कारण, वित्तीय विवरणों में दी गई महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं.

हम मानते हैं कि हमने, अन्य मामलों के संबंध में नीचे उल्लिखित परिच्छेद में निर्दिष्ट उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों से मिले लेखा परीक्षा संबंधी सबूत, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन दिलाने और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने की दृष्टि से बनाया गया है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और कार्यविधियां शामिल हैं

(1) जो ऐसे रेकॉर्ड रखने से संबंधित है जो उचित ब्यौरे के साथ कंपनी के लेन-देनों और आस्तियों के निपटान का सही एवं निष्पक्ष चित्रण पेश करते हैं;

(2) ऐसा उचित आश्वासन दिलाते हैं कि लेन-देनों के यथा आवश्यक रेकॉर्ड रखे जाते हैं जिससे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति मिले और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय, प्रबंधन एवं कंपनी निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जाते हैं; और

(3) कंपनी की उन आस्तियों के, अनधिकृत अधिग्रहण की रोकथाम करने अथवा उसका वक्त पर पता लगाने के बारे में, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण असर पड़े, उचित आश्वासन दिलाते हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के परे अनुचित सांठगांठ अथवा प्रबंधन, ऐसी गलती अथवा धोखाधड़ी के कारण, जिसका पता न लगाया जाए, महत्वपूर्ण गलत बयान की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण. साथ ही, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन पर आधारित प्रक्षेपण में जोखिम की ऐसी संभावना होती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों का अनुपालन करने की मात्रा अथवा कार्यविधियों की अवनति के कारण पर्याप्त न लगे.

राय

हमारी राय में, नियंत्रक कंपनी, उसके सहयोगी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों ने, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च, 2016 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (' ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं.

अन्य मामले

हमने, एक सहयोगी और दो संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा नहीं की. संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों

में से एक के संबंध में, उस उद्यम के लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट किया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, अन्य लेखा परीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट में से एक के संबंध में, उस उद्यम के लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट किया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की लेखा परीक्षा, अन्य लेखा परीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट, प्रबंधन ने हमें दी है और जहां तक सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के बारे में सम्मिलित जानकारी का संबंध है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों पर समेकित रिपोर्ट और उक्त सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के बारे में अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के खंड 1 के अनुसार हमारी रिपोर्ट पर हमारी राय, सिर्फ़ अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

कृते ए.राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S
हस्ता/
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं: 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S
हस्ता/
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं: 024314

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 12 मई, 2016

अनुसूची-III यथा मार्च, 2016 को समेकित वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त प्रकटन

(₹ दशलक्ष में)

उद्यम का नाम	निगमन देश	निवल आस्ति (अर्थात्; कुल आस्ति घटाएं कुल देयताएं)		लाभ अथवा हानि का अंश	
		समेकित आस्तियों के % के रूप में	रकम	समेकित लाभ-हानि के % के रूप में	रकम
1		2	3	4	5
मूल कंपनी					
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	**भारत**	91.74%	56,320.88	411.24%	11,540.76
सहयोगी कंपनी					
भारतीय					
ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड OMPL	**भारत**	3.89%	2,387.03	-159.08%	(4,464.30)
सहयोगी कंपनी में अल्प हिताधिकार		3.77%	2,315.10	-152.84%	(4,289.22)
सहयोगी उद्यम वाले उद्यम					
भारतीय					
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	**भारत**	0.60%	366.96	0.68%	19.11
मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	**भारत**	0.00%	0.59	0.00%	0.02
निवल		100%	61,390.56	100%	2,806.37

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण

(₹ दशलक्ष में)

	मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण							अल्प हिताधिकार	अल्प हिताधिकार सहित कुल इक्विटी
	प्रदत्त शेयर पूंजी	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	बचाव के लिए आरक्षित निधि	सामान्य आरक्षित निधि	पूंजीगत आरक्षित निधि	अधिशेष		
यथा 01.04.2014 शेष	**17,526.64**	**91.86**	**3,490.53**	**15.53**	**1,192.00**	-	**48,581.36**	-	70,897.92
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	-	-	(18,032.94)	-	(18,032.94)
लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	(1.80)	-	(1.80)
आरक्षण में परिवर्धन/ कटौतियां/हस्तांतरण	-	-	(22.55)	(16.11)	-	0.07	-	-	(38.59)
कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II का अनुसरण करते हुए समायोजन**(देखें समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं.3)**	-	-	-	-	-	-	(517.00)	-	(517.00)
अल्प हिताधिकार	-	-	-	-	-	-	-	6,604.32	6,604.32
यथा 31.03.2015 शेषराशि	**17,526.64**	**91.86**	**3,467.98**	**(0.58)**	**1,192.00**	**0.07**	**30,029.62**	**6,604.32**	**58,911.91**
यथा 01.04.2015 शेषराशि	**17,526.64**	**91.86**	**3,467.98**	**(0.58)**	**1,192.00**	**0.07**	**30,029.62**	**6,604.32**	**58,911.91**
वर्ष का लाभ	-	-	-	-	-	-	7,095.59	-	7,095.59
लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	(1.56)	-	(1.56)
आरक्षण में परिवर्धन/ कटौतियां/हस्तांतरण	-	-	-	0.58	-	-	-	-	0.58
कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II का अनुसरण करते हुए समायोजन**(देखें समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं.3)**	-	-	-	-	-	-	(326.74)	-	(326.74)
अल्प हिताधिकार								(4,289.22)	(4,289.22)
यथा 31.03.2016 शेषराशि	**17,526.64**	**91.86**	**3,467.98**	-	**1,192.00**	**0.07**	**36,796.91**	**2,315.10**	**61,390.56**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

यथा 31 मार्च, 2016 समेकित तुलन पत्र

(₹ दशलक्ष में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**शेयरधारकों की निधि**			
(क)	शेयर पूंजी	2	**17,526.64**	17,526.64
(ख)	आरक्षित निधि और अधिशेष	3	**41,548.82**	34,780.95
(ग)	अल्प हिताधिकार		**2,315.10**	6,604.32
2	**गैर-चालू देयताएं**			
(क)	दीर्घावधि उधार	4	**89,798.29**	117,491.97
(ख)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	5	**807.75**	1.12
(ग)	अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	**-**	953.23
(घ)	दीर्घावधि प्रावधान	7	**444.15**	365.76
3	**चालू देयताएं**			
(क)	अल्पावधि उधार	8	**38,301.88**	15,475.83
(ख)	व्यापारी देयताएं	9		
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बाकी रकम		**9.07**	8.46
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बाकी रकम		**213,198.30**	184,108.22
(ग)	अन्य चालू देयताएं	10	**30,303.09**	32,739.92
(घ)	अल्पावधि प्रावधान	11	**3,551.96**	2,114.89
	कुल		**437,805.05**	**412,171.31**
II.	**आस्तियां**			
	गैर-चालू आस्तियां			
1	**(क) अचल आस्तियां**	12		
	(i) मूर्त आस्तियां		**216,650.36**	210,362.75
	(ii) अमूर्त आस्तियां		**47.44**	86.50
	(iii) प्रगति में पूंजीगत कार्य		**1,929.79**	13,886.94
(ख)	समेकन पर सुनाम		**5,956.35**	5,956.35
(ग)	गैर-चालू निवेश	13	**4.80**	4.80
(घ)	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	14	**7,746.98**	5,182.41
(ङ)	अन्य गैर-चालू आस्तियां	15	**3,420.36**	2,614.19
2	**चालू आस्तियां**			
(क)	स्टॉक	16	**33,850.62**	37,842.27
(ख)	व्यापार से प्राप्य राशियां	17	**20,634.52**	22,512.96
(ग)	नकदी और बैंक शेषराशि	18	**138,595.02**	103,066.45
(घ)	अल्पावधि ऋण और अग्रिम	19	**7,189.34**	9,031.53
(ङ)	अन्य चालू आस्तियां	20	**1,779.47**	1,624.16
	कुल		**437,805.05**	**412,171.31**
उल्लेखनीय लेखा नीतियां		**1**		
अन्य प्रकटन		**31**		

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि विवरण

(₹ दशलक्ष में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
I.	**प्रचालन से राजस्व**	21	**509,989.56**	623,530.78
	घटाएं: उत्पाद शुल्क		**112,321.37**	49,546.09
	प्रचालन से निवल राजस्व		**397,668.19**	573,984.69
II.	**अन्य आय**	22	**8,525.47**	8,085.61
III.	**कुल राजस्व (I + II)**		**406,193.66**	**582,070.30**
IV.	खर्च:			
	खपाई गई सामग्री की लागत	23	**340,930.49**	559,596.73
	तैयार माल के स्टॉक, प्रक्रियागत स्टॉक और व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन	24	**7,945.74**	18,641.75
	कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	25	**3,251.13**	2,455.82
	वित्त लागत	26	**10,578.32**	4,482.14
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	27	**10,214.38**	5,216.48
	अन्य खर्च	28	**28,379.28**	14,962.38
	कुल खर्च		**401,299.34**	**605,355.30**
V.	**अपवादात्मक और असाधारण मदों से और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**4,894.32**	**(23,285.00)**
VI.	अपवादात्मक मद (आय)/खर्च: निवल	29	**1,829.94**	(334.47)
VII.	**असाधारण मदों से और कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)**		**3,064.38**	**(22,950.53)**
VIII.	असाधारण मद		**-**	-
IX.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII- VIII)**		**3,064.38**	**(22,950.53)**
X	**कर संबंधी खर्च:**			
	(1) चालू / MAT कर		**2,349.75**	14.07
	(2) MAT क्रेडिट संबंधी हकदारी		**(2,345.58)**	-
	(3) पूर्व वर्ष के कर संबंधी समायोजन		**(725.73)**	-
	(4) आस्थगित कर		**979.57**	(4,435.90)
XI	**वर्ष का कर उपरांत लाभ /(हानि) (IX - X)**		**2,806.37**	**(18,528.70)**
XII	**घटाएं**: लाभ/(हानि) का अंश: अल्प हिताधिकार		**(4,289.22)**	(495.76)
XIII	**वर्ष का कर उपरांत समूह लाभ /(हानि) (XI - XII)**		**7,095.59**	**(18,032.94)**
XIV	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन:**	30		
	(1) मूल		**4.05**	-10.29
	(2) आंशिक		**4.05**	-10.29
	उल्लेखनीय लेखा नीतियां	1		
	अन्य प्रकटन	31		

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ दशलक्ष में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
क	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	कराधान पूर्व निवल लाभ/(हानि), और असाधारण मद		3,064.38	(22,950.53)
	इनके लिए समायोजन:			
	- मूल्यह्रास / परिशोधन		10,214.77	5,235.65
	- अचल आस्तियों की बिक्री से हानि/(लाभ)		3.82	(1.57)
	- प्रतिलेखित ऐसे प्रावधान/देयताएं जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है		(363.45)	(67.04)
	- संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों/जमाराशियों/बट्टे खाते लिखी गई रकम के लिए प्रावधान		378.49	212.21
	- विदेशी मुद्रा रूपांतरण - निवल		9,354.58	5,192.54
	- वित्त लागत		10,413.01	4,462.11
	- ब्याज / लाभांश आय		(8,172.96)	(7,938.58)
	कार्यकारी पूंजीगत परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ/(हानि)		24,892.64	(15,855.21)
	इनके लिए समायोजन:			
	- व्यापार और अन्य से प्राप्य राशियां		22,401.42	(8,391.26)
	- स्टॉक		3,991.65	49,980.49
	- व्यापार देयता और प्रावधान		26,367.34	(32,125.35)
	प्रचालन से उत्पन्न नकद		77,653.05	(6,391.33)
	- प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल धन वापसी)		(1,721.05)	(909.40)
	पूर्व अवधि वाली मदों से पहले नकदी प्रवाह		75,932.00	(7,300.73)
	- पूर्व अवधि वाली मदें (नकद रहित मद)		77.21	(5.51)
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(क)	**76,009.21**	**(7,306.24)**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	अचल आस्तियों की खरीदारी		(8,689.87)	(11,702.50)
	अचल आस्तियों की बिक्री		270.47	12.99
	प्राप्त ब्याज / लाभांश आय		8,217.39	8,384.49
	चालू निवेशों की (खरीदारी)/बिक्री (निवल)		2.46	-
	ब्याज आय पर प्रदत्त कर		(667.63)	(756.56)
	निवेश (निवल)		-	(0.31)
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(ख)	**(867.18)**	**(4,061.89)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्तियां/(चुकौती) निवल		-	(22.55)
	दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां / (चुकौती) निवल		(29,274.65)	(10,019.87)
	अल्पावधि उधार से प्राप्तियां / (चुकौती): निवल		22,725.08	(10,051.39)
	प्रदत्त वित्त लागत		(10,076.84)	(6,612.30)
	प्रदत्त लाभांश और लाभांश कर		(10.84)	(17.55)
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(ग)	**(16,637.25)**	**(26,723.66)**
	नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(अवनति)	**(क+ख+ग)**	**58,504.78**	**(38,091.79)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य		**72,063.76**	**107,034.09**
	जोड़ें: समेकन के निमित्त समायोजन (देखें नीचे दी गई टिप्पणी 2)		**-**	**3,121.46**
	वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		**130,568.54**	**72,063.76**
			58,504.78	**(38,091.79)**

1	नकद और नकदी समतुल्य		
	अग्रदाय सहित नकद शेषराशि	0.96	1.82
	अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेषराशि**	130,567.58	72,061.94
		130,568.54	**72,063.76**
	** बैंकों / सरकारी प्राधिकरणों के पास ग्रहणाधिकार के अधीन, गिरवी रखे गए ब्याज वारंट से संबंधित चालू खातों/जमा खातों में ₹ 8,026.48 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 31,002.69 दशलक्ष) की शेषराशि को छोड़कर		
2	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि. (OMPL) और मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड(MRSL) में शेयर खरीदने के कारण पिछले वर्ष 2014-15 के दौरान क्रमश: ₹ 3,120.83 दशलक्ष और ₹ 0.63 दशलक्ष की प्रारंभिक नकद और नकदी समतुल्य रकम का समायोजन किया गया.		
3	चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:समूहन/पुन:वर्गीकरण किया गया है.		

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क समेकन का सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण, नीचे उल्लिखित बातों के आधार पर तैयार किए गए हैं:

1 कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को, आंतरा-समूह शेषराशि और आंतरा-समूह लेन-देन को हटाने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय-व्यय जैसे मदों के बही मूल्यों को एक साथ जोड़ते हुए पंक्ति-दर-पंक्ति संयुक्त किया जाता है जिससे लेखा मानक (AS) 21 " समेकित वित्तीय विवरण " के अनुसार अप्राप्त लाभ-हानि होगी.

2 संयुक्त उद्यम वाले प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरणों को, लेखा मानक (AS) 27 - " संयुक्त उद्यमों में ब्याज का वित्तीय रिपोर्टिंग " के अनुसार अप्राप्त लाभ-हानि के यथानुपात अंश को हटाने के बाद आस्तियों, देयताओं और खर्च जैसी मदों पर पंक्ति-दर-पंक्ति यथानुपात समेकन पद्धति लागू करते हुए संयुक्त किया जाता है.

3 समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय एक ही तरह के लेन-देन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए लेखा नीतियों का उपयोग किया जाता है और ऐसी नीतियां, जहां तक हो सके, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, उसी तरह से पेश की जाती हैं जिस तरह से कंपनी के अलग वित्तीय विवरण पेश किए जाते हैं.

4 सहयोगी / सहबद्ध कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश लागत और सहयोगी/सहबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में शेयर खरीदते समय निवल आस्तियों के बीच अंतर, जैसे भी हो, सुनाम अथवा पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है.

5 वर्ष के लिए सहयोगी कंपनियों के निवल लाभ/हानि में अल्प हिताधिकार के हिस्से को पहचाना जाता है और उसका, कंपनी के शेयरधारकों का निवल लाभ/हानि निर्धारित करने की दृष्टि से समूह के आय के प्रति समायोजन किया जाता है. सहयोगी कंपनियों की निवल आस्तियों में अल्प हिताधिकार के हिस्से को पहचानकर उसे मूल कंपनी के मालिकों के इक्विटी से अलग रूप से इक्विटी के अंदर समेकित तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है.

ख संयुक्त उद्यमों से भिन्न उद्योगों में निवेश को लेखा मानक (AS)-13 " निवेश के लिए लेखा पद्धति " के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है

1 लेखा परिपाटी और प्रस्तुतीकरण/लेखाकरण का आधार

1.1 वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत, आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और कंपनी (लेखा)नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के तहत जारी किए गए लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं.

1.2 ऐसे तमाम आय और उचित निश्चितता के साथ प्राप्य/देय समझी जाने वाली समस्त आय और खर्च को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है.

2 आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, ऐसे आकलन और ऐसी परिकल्पनाएं करनी पड़ेंगी जो वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम को और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और खर्च संबंधी दर्शाई गई रकम को प्रभावित करें. वास्तविक परिणामों और आकलन के बीच का अंतर, उस अवधि में जाना जा सकेगा जिसमें परिणाम ज्ञात हों/प्रकट हों.

3. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथापेक्षित लेखा मानक -3 में निर्धारित परोक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है.

4. अचल आस्तियां

4.1 भूमि को, जहां कहीं लागू हो, परिशोधन को घटाने के बाद ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है.

4.2 अन्य अचल आस्तियों को, संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानि को घटाने के बाद ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है.

4.3 संयंत्र अथवा उपकरणों के साथ प्राप्त और निर्दिष्ट मशीनों की ख़ातिर बाद में खरीदे गए और अनियमित उपयोग वाले अतिरिक्त पुरजों का पूंजीकरण किया जाता है.

4.4 निर्माण की अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष रूप से पहचानने लायक खर्च को पहली बार पूंजीकृत किया जाता है और सभी अन्य आबंटनीय खर्च को आस्तियों के मूल्य के आधार पर यथानुपात पूंजीकृत किया जाता है.

4.5 इस प्रयोजन के लिए लागत में शामिल हैं, क्रय कीमतें, शुल्क(केंद्रीय निवल कर जमा), कर, प्रासंगिक खर्च, स्थापना/चालू करने संबंधी खर्च, तकनीकी जानकारी शुल्क,पेशेवर शुल्क और जिस तारीख तक आस्ति का उपयोग किया गया हो उस तारीख तक ब्याज आदि और अवक्षय आस्तियों आदि की खरीदारी से संबंधित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा संबंधी मदों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा दर में अंतर.

5 हानि

जहां कहीं रख रखाव लागत, उच्चतर निवल वसूलने योग्य रकम होने के नाते वसूलने योग्य रकम और उपयोग में लाए गए मूल्य से अधिक हो, नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों/आस्तियों को हुई हानि का पता लगाकर उस पर विचार किया जाता है .

6 मूल्यह्रास/परिशोधन

6.1 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास(पट्टे पर ली गई आस्तियों सहित) सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, संयंत्र और उपकरण के कुछ घटकों को छोडकर, जिनकी उपयोगी आयु का निर्धारण तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथा निर्दिष्ट विभिन्न आस्तियों की उपयोगी आयु पर किया जाता है.

6.2 एक से अधिक वर्ष की आयु के उत्प्रेरक का पूंजीकरण किया जाता है और आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत आयु पर मूल्यह्रास किया जाता है.

6.3 पट्टे वाली भूमि की लागत का परिशोधन पट्टा अवधि में किया जाता है. ऐसी पट्टे वाली भूमि की लागत का, जहां पट्टा अवधि समाप्त होने पर कंपनी के स्वामित्व का अंतरण आखिरकार निश्चित हो, परिशोधन नहीं किया जाता है.

6.4 विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के निमित्त पूंजीकृत रकम पर मूल्यह्रास के लिए आस्तियों की शेष अवधि पर भविष्यलक्षी प्रभाव से प्रावधान किया जाता है.

6.5 नियमित रूप से इस्तेमाल न किए जाने वाले और निर्दिष्ट मशीनें स्थापित किए जाने के बाद खरीदे गए अतिरिक्त पुर्ज़ों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, निर्दिष्ट मशीनों की शेष अवधि पर भविष्यलक्षी प्रभाव से किया जाता है और अतिरिक्त पुर्ज़े का अवलेखित मूल्य, जब कभी बदला जाए, लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है.

7 अमूर्त आस्तियाँ

भावी आर्थिक लाभ में परिलक्षित होने वाली अमूर्त आस्तियों पर उठाई गई लागत का अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इन आस्तियों का, अनुमानित उपयोगी अवधि में, समीकरण आधार पर परिशोधन किया जाता है.

8 निवेश

8.1 दीर्घावधि निवेश का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है. खातों में अस्थाई अवनति को छोड़कर किसी दूसरी तरह की अवनति के लिए प्रावधान किया जाता है.

8.2 चालू निवेश का मूल्यांकन, निम्नतर लागत पर और उचित मूल्य पर किया जाता है.

9 स्टॉक

स्टॉक का मूल्यांकन निम्नतर लागत पर और निवल वसूलने योग्य मूल्य पर किया जाता है. स्टॉक की लागत में, स्टॉक को उसके वर्तमान स्थान पर और मौजूदा हालत में लाने के लिए उठाई गई क्रय लागत और अन्य लागत, स्टॉक की लागत में शामिल हैं. लागत का निर्धारण इस तरह किया गया है:

9.1 कच्चा माल-प्रथम आवक प्रथम जावक मूल्यन विधि (FIFO))के आधार पर.

9.2 तैयार माल-कच्चा माल, परिवर्तन लागत और उत्पाद शुल्क पर.

9.3 प्रक्रियागत स्टॉक-कच्चा माल और यथानुपात परिवर्तन लागत पर.

9.4 भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और अन्य व्यापारी माल-भारित औसत लागत आधार पर.

10 राजस्व का निर्धारण

10.1 ग्राहक की अभिरक्षा में वस्तुओं का अंतरण होने पर बिक्री दर्शाई जाती है और इसमें शामिल हैं मूल्य संवर्धित कर (वैट) को छोड़कर सभी सांविधिक उगाही और निवल बट्टा.

10.2 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार सिद्ध होने पर लाभांश आय को मान्यता दी जाती है.

10.3 ब्याज आय को समय अनुपात आधार पर दर्शाया जाता है.

10.4 स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त राजस्व को, ग्राहकों के हवाले करने पर मान्यता दी जाती है.

10.5 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से निर्णीत हर्जाने के संबंध में राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब यह तय हो गया हो कि उसे देना नहीं पड़ेगा.

10.6 ग्राहकों से की गई उत्पाद शुल्क की वसूली, कुल कारोबार (कुल) से घटाई जाती है. उत्पाद शुल्क देने लायक वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच का उत्पाद शुल्क, अन्य व्यय के अधीन जोड़ा जाता है.

11 दावे

11.1 पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष, भारत सरकार पर किए गए दावों/के प्रति अभ्यर्पण को यथा निर्दिष्ट अंतिम समायोजन के अधीन उपलब्ध अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के आधार पर उसकी 'सैद्धांतिक स्वीकृति ' पर बुक किया जाता है.

11.2 बीमा संबंधी दावे

11.2.1 आस्ति का पूरी तरह से नुकसान होने पर, बीमाकर्ता को सूचित करने के उपरांत, या तो अनुरक्षण लागत को या बीमा मूल्य (काटने लायक अतिरिक्त मूल्य के अधीन) को, जो भी कम हो, बीमा कंपनी से वसूल करने योग्य दावे के रूप में माना जाएगा. अगर बीमा संबंधी दावा, आस्ति की अनुरक्षण लागत से कम हो तो अंतर को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाएगा.

11.2.2 अगर नुकसान आंशिक स्वरूप का हो या अन्य किस्म का हो तो, अन्य पक्षकार अथवा अन्य देयताओं को, यदि कोई हो तो, उनकी पूर्ति करने (काटने लायक अतिरिक्त रकम को घटाने के बाद) की दृष्टि से इन आस्तियों को वापस प्रयोग में लाने के लिए किए गए खर्च/भुगतान को बीमा कंपनी से वसूल करने लायक दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है. काटने लायक बीमा पॉलिसी आधिक्य को उस तदनुरूपी वर्ष में खर्च किया जाएगा जिसमें उसे उठाया गया हो.

11.2.3 जब कभी दावे, बीमा कंपनी से अंतिम रूप में प्राप्त हों, बीमा से प्राप्य दावे और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसका समायोजन लाभ-हानि लेखा में किया जाता है.

11.3 सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर बुक किया जाता है.

12 विदेशी मुद्रा लेन-देन

12.1 विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है.

12.2 मौद्रिक मदों की विदेशी मुद्रा आस्तियों/देयताओं को रिपोर्ट तारीख को विद्यमान विनिमय दर के आधार पर रूपांतरित किया जाता है.

12.3 रिपोर्ट तारीख को विदेशी मुद्रा लेन-देन का रूपांतरण करने पर पाए गए विनिमय अंतर को आय या व्यय के रूप में मानते हुए लाभ-हानि लेखा में समायोजित किया जाता है जब कि इसके लिए अपवाद है, अवक्षयी पूंजीगत आस्तियों की खरीदारी से संबंधित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक मदों को रिपोर्ट करने पर उत्पन्न ऐसा विनिमय अंतर जिसे आस्तियों की लागत में जोड़ा जाता है/या लागत से घटाया जाता है.

12.4 मौजूदा ठेके के प्रति भावी निर्यात बिक्री के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन के जोखिम से बचने के लिए तय किए गए असमाप्त वायदा ठेकों के संबंध में बेचने के लिए अंकित हानि (निवल) को लाभ-हानि लेखा में दर्शाया जाता है

13 कर्मचारियों के लाभ

13.1 कर्मचारियों को मिलने वाले सभी अल्पावधि लाभ को उनकी बट्टा रहित रकम पर, उस लेखा अवधि में जिसमें उसे दिया गया हो, दर्शाया जाता है. भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को, योजना के प्रति कंपनी के बट्टा रहित दायित्व के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. इनका भुगतान, क्रमशः भविष्य निधि प्राधिकरणों और भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है और इनको वर्ष के दौरान खर्च के अधीन दर्शाया जाता है.

13.2 उपदान,छुट्टी नकदीकरण, दीर्घावधि सेवा चिह्न, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर, जिसका परिकलन प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. उपदान के संबंध में संबंधित योजना आस्तियों से अधिक वास्तविक देयता को वर्ष के दौरान लेखाबद्ध किया जाता है.

13.3 वास्तविक अभिलाभ और हानि को लाभ-हानि लेखा में आय या खर्च के रूप में दर्शाया जाता है.

13.4 अनर्जित अवकाश के निमित्त अल्पावधि देयता की बट्टा रहित रकम का वर्षांत में निर्धारण कर उसके लिए प्रावधान किया जाता है.

13.5 वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार उपदान के लिए प्रावधान की निधि, एक अलग न्यास में रखी जाती है.

14 पट्टे

14.1 वित्तीय पट्टे के संबंध में पट्टा किराए को, प्रतिफल की स्पष्ट दर लगाते हुए आस्तियों की लागत और ब्याज घटक में पृथक किया जाता है.

14.2 पट्टे पर खरीदी गईं आस्तियों का, जहां स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफल का उल्लेखनीय हिस्सा पट्टेदार द्वारा रखा जाता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया जाता है. पट्टा किराए को उपचय आधार पर लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है

15 उधार संबंधी लागत

उधार संबंधी लागत को, जो अर्हक आस्तियों की खरीदारी, निर्माण अथवा उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है, इन आस्तियों की लागत के अंश के रूप में पूंजीकृत किया जाता है. अर्हक आस्तियां उनको कहा जाता है जो निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार होने के लिए काफी समय लेती हैं. उधार संबंधी दूसरी सब प्रकार की लागत को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है.

16 अनुसंधान और विकास संबंधी खर्च

अनुसंधान और विकास संबंधी पूंजीगत खर्च को, संबंधित अचल आस्तियों के तहत पूंजीकृत किया जाता है. उस पर राजस्व खर्च को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है.

17 आय पर देय कर

17.1 चालू कर का निर्धारण, आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है.

17.2 आस्थगित कर को, किसी एक अवधि में उत्पन्न होने वाली और बाद में किसी एक अवधि में या उससे अधिक अवधि में प्रतिगामी होने वाली कर योग्य और लेखाबद्ध की जाने वाली आय/खर्च के बीच के समय अंतर के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. आस्थगित कर संबंधी आस्ति को, यथा लागू उसकी वसूली योग्यता के बारे में वास्तविक/यथोचित निश्चितता के आधार पर दर्शाया जाता है.

17.3 आस्थगित कर आस्तियों की आवर्ती रकम की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है.

18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियां

जिन प्रावधानों को नापने के लिए काफी हद तक आकलन का सहारा लिया जाता है, उनको तब दर्शाया जाता है जब गत घटनाओं के कारण वर्तमान बाध्यता उत्पन्न हुई हो और संसाधनों का बाह्य प्रवाह होने की संभावना हो. आकस्मिक देयताओं को, अगर महत्वपूर्ण हो तो टिप्पणियों के जरिए प्रकट किया जाता है. आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में न तो लेखाबद्ध किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

टिप्पणी 2 शेयर पूंजी

2.1 प्राधिकृत, निर्गमित और अभिदत्त तथा प्रदत्त शेयर पूंजी के ब्यौरे

2.1.1 शेयर पूंजी

	यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
	संख्या	₹ दशलक्ष में	संख्या	₹ दशलक्ष में
प्राधिकृत				
प्रत्येक ₹10 के शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10)	2,900,000,000	29,000.00	2,900,000,000	29,000.00
प्रतिदेय अधिमान शेयर प्रत्येक ₹ 10 (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10)	100,000,000	1,000.00	100,000,000	1,000.00
कुल	**3,000,000,000**	**30,000.00**	**3,000,000,000**	**30,000.00**
2.1.2 इक्विटी शेयर पूंजी				
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त				
प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10)	1,752,598,777	17,525.99	1,752,598,777	17,525.99
जब्त शेयर (धन प्राप्त)	-	0.65	-	0.65
कुल	**1,752,598,777**	**17,526.64**	**1,752,598,777**	**17,526.64**

2.2. शेयरों का समाधान

इक्विटी शेयर

वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	1,752,598,777	17,525.99	1,752,598,777	17,525.99
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	1,752,598,777	17,525.99	1,752,598,777	17,525.99

2.3 अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

विवरण	इक्विटी शेयर
लाभांश वितरण	कंपनी के पास सिर्फ़ इक्विटी शेयर है जिनका सम मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर है जो निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त हैं. इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक, प्रति शेयर एक वोट पाने का हकदार है. निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.
पूंजी की वापसी	कंपनी का परिसमापन होने पर इक्विटी शेयर धारकों को तमाम अधिमानी रकम वितरण करने के बाद बची कंपनी आस्तियां प्राप्त करने का हक होगा. शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा.

2.4 नियंत्रक अथवा अंतिम नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहयोगी अथवा सहबद्ध कंपनियों द्वारा धारित शेयर

नियंत्रक कंपनी, ओएनजीसी लिमिटेड के पास 1, 255,354,097 इक्विटी शेयर (1,255,354,097 इक्विटी शेयर) हैं.

2.5 कुल शेयरों में से 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

इक्विटी शेयर

शेयरधारक का नाम	यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
	धारित कुल शेयर	धारण का %	धारित कुल शेयर	धारण का %
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255,354,097	71.63%	1,255,354,097	71.63%
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297,153,518	16.96%	297,153,518	16.96%

2.6 शेयर बेचने / विनिवेश करने की खातिर विकल्प और ठेकों/वायदों के तहत जारी करने के लिए कोई शेयर आरक्षित नहीं किए गए हैं

2.7 जब्त शेयर

यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
जब्त शेयरों की संख्या	₹ दशलक्ष में प्रदत्त रकम	जब्त शेयरों की संख्या	₹ दशलक्ष में प्रदत्त रकम
-	0.65	-	0.65

टिप्पणी 3 आरक्षित निधि और अधिशेष

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, , 2015
3.1	**पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि (देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	91.86	91.86
	लाभ-हानि लेखा से अंतरण	-	-
	अंतिम शेष	**91.86**	**91.86**
3.2	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,467.98	3,490.53
	लाभ-हानि लेखा से अंतरण	-	(22.55)
	अंतिम शेष	**3,467.98**	**3,467.98**
3.3	**बचाव आरक्षण निधि**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	(0.58)	15.53
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/(कटौतियां)(निवल)	0.58	(16.11)
	अंतिम शेष	**-**	**(0.58)**
3.4	**सामान्य आरक्षित निधि**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,192.00	1,192.00
	जोड़ें: चालू वर्ष में अंतरण	-	-
	अंतिम शेष	**1,192.00**	**1,192.00**
3.5	**पूंजीगत आरक्षित निधि (देखें नीचे की टिप्पणी ख)**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.07	-
	जोड़ें: चालू वर्ष में अंतरण	-	0.07
	अंतिम शेष	**0.07**	**0.07**
3.6	**अधिशेष**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	30,029.62	48,581.36
	जोड़ें: वर्ष का लाभ/(हानि)	7,095.59	(18,032.94)
	घटाएं: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II का अनुसरण करते हुए समायोजन (निवल कर)	326.74	517.00
	घटाएं: लाभांश पर कर	1.56	1.80
	अंतिम शेष	**36,796.91**	**30,029.62**
	कुल	**41,548.82**	**34,780.95**

टिप्पणियां

क 2011-12 और 2012-13 के दौरान ₹ 91.86 दशलक्ष की अधिमान शेयर पूंजी के शोधन पर निर्मित पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि

ख. पिछले वर्ष 2014-15 के दौरान समेकन के निमित्त निर्मित पूंजीगत आरक्षित निधि.

टिप्पणी 4 दीर्घावधि उधार

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
4.1	**जमानती**		
4.1.1	**बाह्य वाणिज्यिक उधार(ECB) (देखें नीचे दी गई टिप्पणी क और ख)**	**55,112.51**	**57,430.84**
	2016-17 के दौरान : ₹ 5,768.51 दशलक्ष		
	2017-18 के दौरान : ₹ 13,406.48 दशलक्ष		
	2018-19 के दौरान : ₹ 30,219.96 दशलक्ष		
	2019-20 के दौरान : ₹ 4,130.08 दशलक्ष		
	2020-21 के दौरान : ₹ 3,633.13 दशलक्ष		
	2021-22 के दौरान : ₹ 3,136.18 दशलक्ष		
	2022-23 के दौरान : ₹ 485.77 दशलक्ष		
	2023-24 के दौरान : ₹ 100.91 दशलक्ष		

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
4.1.2	**अन्य से : OIDB से सावधि ऋण (देखें नीचे दी गई टिप्पणी ग)** चुकौती की शर्तें: 2016-17 के दौरान : ₹ 2,750.00 दशलक्ष 2017-18 के दौरान : ₹ 1,750.00 दशलक्ष 2018-19 के दौरान : ₹ 750.00 दशलक्ष	**2,500.00**	**-**
4.1.3	**बैंकों से रुपया सावधि ऋण (RTL) (देखें नीचे दी गई टिप्पणी घ)** चुकौती की शर्तें: 2016-17 के दौरान : ₹ 204.00 दशलक्ष 2017-18 के दौरान : ₹ 276.00 दशलक्ष 2018-19 के दौरान : ₹ 50.51 दशलक्ष	**326.51**	**18636.49**
4.1.4	**गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (देखें नीचे दी गई टिप्पणी ङ)** 2018-19 के दौरान :₹ 5,000.00 दशलक्ष	**5,000.00**	**-**
		62,939.02	**76,067.33**
4.2	**गैर-जमानती**		
4.2.1	**अन्य से : OIDB से सावधि ऋण (देखें नीचे दी गई टिप्पणी ग)**	**-**	**5,250.00**
4.2.2	**आस्थगित भुगतान देयताएं (देखें नीचे दी गई टिप्पणी च)** चुकौती की शर्तें: 2016-17 के दौरान : ₹ 458.17 दशलक्ष 2017-18 के दौरान : ₹ 526.54 दशलक्ष 2018-19 के दौरान : ₹ 400.00 दशलक्ष 2019-20 के दौरान : ₹ 218.63 दशलक्ष	**1,145.17**	**1,603.34**
4.2.3	**संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (देखें नीचे दी गई टिप्पणी छ)** चुकौती की शर्तें: 2016-17 के दौरान : ₹ 6,857.20 दशलक्ष 2017-18 के दौरान : ₹ 6,857.20 दशलक्ष 2018-19 के दौरान : ₹ 6,857.20 दशलक्ष 2019-20 के दौरान : ₹ 6,857.20 दशलक्ष 2020-21 के दौरान : ₹ 5,142.50 दशलक्ष	**25,714.10**	**32571.30**
4.2.4	**रुपया सावधि ऋण (RTL) (देखें नीचे दी गई टिप्पणी ज)**	**-**	**2,000.00**
		26,859.27	**41,424.64**
	कुल	**89,798.29**	**117,491.97**

टिप्पणियां :

क. ECB के लिए ब्याज दर है, 6 महीने का LIBOR+ अंतर. ₹ 6,626.00 दशलक्ष, ₹ 8,448.15 दशलक्ष, ₹ 19,878.00 दशलक्ष, ₹ 3,313.00 दशलक्ष, ₹ 3,313.00 दशलक्ष, ₹ 4,198.57 दशलक्ष, ₹ 3,691.63 दशलक्ष और ₹ 1,412.67 दशलक्ष पर प्रभावी ब्याज है क्रमश: 3.4337%, 4.2109%, 3.0760%, 2.6960% , 3.3605%,3.6544%, 3.6754% और 3.6775%.

ख. कंपनी का, ₹ 41578.15 दशलक्ष का ECB ऋण बकाया है जिसकी प्रतिभूति के रूप में, वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की स्थिर अचल आस्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार और अस्थिर अचल आस्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार निर्मित किया गया है और सहयोगी कंपनी, OMPL का ₹ 19,302.87 दशलक्ष ECB ऋण बाकी है जिसकी प्रतिभूति के रूप में कंपनी की भूमि और तमाम अन्य अचल आस्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार एवं तमाम अन्य चल अचल आस्तियों के दृष्टिबंधक के रूप में द्वितीय प्रभार निर्मित किया गया है

ग. OIDB सावधि ऋण के लिए ब्याज दर है ₹ 912.50 दशलक्ष, ₹ 87.50 दशलक्ष, ₹ 625.00 दशलक्ष, ₹ 1,375.00 दशलक्ष, ₹ 65.92 दशलक्ष, ₹ 1,672.50 दशलक्ष, ₹ 299.70 दशलक्ष और ₹ 211.88 दशलक्ष पर क्रमश: 8.89 %,9.04%, 8.73%, 8.98%, 8.94%, 9.27%, 9.06% और 9.15%. पिछले वर्ष, ऋण का गैर जमानती के रूप में वर्गीकरण किया गया था जब कि इस वर्ष जमानती के रूप में वर्गीकरण किया गया है जिसके लिए जमानत के तौर पर, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल आस्तियों पर प्रथम समरूप आधार पर और चल अचल आस्तियों पर द्वितीय समरूप आधार पर प्रभार निर्मित किया गया है.

घ. सहयोगी कंपनी, OMPL ने SBI से ₹200.00 दशलक्ष (चालू शेषराशि ₹ 530.51 दशलक्ष) का कार्पोरेट ऋण लिया है जिसकी ब्याज दर है 9.90 % जिसके लिए जमानत के तौर पर कंपनी की, वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की समग्र अचल आस्तियों पर द्वितीय समरूप आधार पर और वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार के समग्र स्टॉक, WIP, प्राप्त राशियों, बही ऋणों और अन्य चालू आस्तियों पर प्रथम समरूप आधार पर प्रभार निर्मित किया गया है. ब्याज दर है SBI मूल दर + 0.60% जिसे मासिक आधार पर अदा करना पड़ेगा. साथ ही सहयोगी कंपनी, OMPL का विभिन्न बैंकरों के पास ₹ 9,561.20 दशलक्ष का RTL था जिसे पूरी तरह से दिसंबर 2015 तक चुकाया गया है. RTL की ब्याज दर है SBI मूल दर + 1.25% जिसे मासिक आधार पर अदा करना पड़ेगा.

ङ. सहयोगी कंपनी, OMPL ने 8.40% प्र.व. की कूपन दर के साथ फरवरी 2016 के दौरान ₹ 5,000.00 दशलक्ष के गैर-संचयी, जमानती, प्रतिदेय, कर योग्य, सूचीबद्ध, निर्धारित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) निर्गमित किए जिस पर वर्ष में एक बार ब्याज अदा किया जाएगा. NCD के लिए जमानत के तौर पर मंगलूर, SEZ, मंगलूर ताल्लुका और पंजीकरण उप-जिला, दक्षिण कन्नड जिले के पेर्मुदे और कलवार गांवों में कुल मिलाकर 441.438 एकड़ की भूमि पर और भवन, सड़कों और संयंत्र एवं मशीनों सहित अन्य अचल आस्तियों पर प्रथम समरूप आधार पर प्रभार निर्मित किया गया है

च. बिक्री दर का आस्थगन दर्शानेवाली आस्थगित भुगतान देयता पर ब्याज दर शून्य है.

छ. संबद्ध पक्षकारों अर्थात् ओएनजीसी से लिए गए सावधि ऋण पर ब्याज दर है ₹ 32,571.30 दशलक्ष पर 10.60%(SBAR घटाएं 3.85%).

ज. सहयोगी कंपनी OMPL ने सितंबर 2015 में गैर जमानती RTL को पूरी तरह से चुकाया. ब्याज दर रहा ऐक्सिस मूल दर + 0.50% जिसे मासिक आधार पर देना होगा.

झ. ₹ 16,037.88 दशलक्ष - जमानती और गैर जमानती (पिछले वर्ष ₹ 14,047.79 दशलक्ष) जिसे एक वर्ष के अंदर चुकाना होगा और इसे, टिप्पणी 10 के तहत '' दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्व रकम '' के रूप में दर्शाया गया है.

टिप्पणी 5 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

31 मार्च, 2016 को कंपनी के पास ₹ 807.75 दशलक्ष की आस्थगित कर देयता रही (पिछले वर्ष ₹ 1.12 दशलक्ष). आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है:

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
5.1	**आस्थगित कर देयताएं**		
	आस्तियों पर WDV अंतर	22,782.39	18,362.21
	घटाएं: प्रतिधारित अर्जन के प्रारंभिक शेष के प्रति मूल्यह्रास प्रभार पर कर का प्रभाव	172.93	266.22
	कुल 5.1	**22,609.46**	**18,095.99**
5.2	**आस्थगित कर आस्तियां**		
	43B अस्वीकृतियां	10.90	10.70
	आगे ले जाया गया मूल्यह्रास/हानि	21,246.97	17,678.45
	अन्य	543.84	405.72
	कुल 5.2	**21,801.71**	**18,094.87**
	निवल आस्थगित कर देयताएं (5.1-5.2)	**807.75**	**1.12**

टिप्पणी 6 अन्य दीर्घावधि देयताएं

` दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
अन्य देयताएं	-	0.13
आस्थगित भुगतान देयताएं	-	953.10
कुल	**-**	**953.23**

टिप्पणी 7 दीर्घावधि प्रावधान

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
छुट्टी नकदीकरण (अनिधिक)	363.21	300.65
उपदान	16.01	6.60
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ (अनिधिक)	64.93	58.51
कुल	**444.15**	**365.76**

टिप्पणी 8 अल्पावधि उधार

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
8.1	**जमानती**		
	बैंकों से अल्पावधि ऋण : कार्यकारी पूंजी	57.48	3,276.74
	वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की कंपनी की अचल और चल संपत्तियों के दृष्टिबंधक के रूप में		
		57.48	**3,276.74**
8.2	**मांग पर प्रतिदेय गैर जमानती ऋण**		
8.2.1	**बाह्य उधार**		
	बैंकों से अल्पावधि ऋण : खरीदार का क्रेडिट	-	1,674.37
8.2.2	**बैंकों से**		
	बैंकों से अल्पावधि ऋण	19,244.40	10,524.72
8.2.3	**वाणिज्यिक पत्र**		
	वाणिज्यिक पत्र	19,000.00	-
		38,244.40	**12,199.09**
	कुल	**38,301.88**	**15,475.83**

टिप्पणी 9 व्यापार देयताएं

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
व्यापार देयताएं **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क व ख तथा टिप्पणी 31.13)**	213,207.37	184,116.68
वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की, कंपनी की चल और अचल आस्तियों के दृष्टिबंधक के रूप में जमानत		
कुल	**213,207.37**	**184,116.68**

टिप्पणी

क मूल कंपनी – ONGC की गारंटी द्वारा समर्थित ₹ 4,638.87 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 3,282.95 दशलक्ष) शामिल है.

ख सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को देय रकम से संबंधित प्रकटन

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
i	उस पर देय ऐसी मूल धनराशि जो वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना पड़ी रही.	9.07	8.46
ii	उस पर देय ऐसी ब्याज राशि जो वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना पड़ी रही.	-	-
iii	सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज राशि और साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की रकम.	-	-
iv	"सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 " के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर भुगतान में विलंब अवधि के लिए बाकी और देय ब्याज राशि (जिसे अदा किया गया हो लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद अदा किया गया हो).	-	-
v	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त पड़ी रही ब्याज राशि; और	-	-
vi	उत्तरवर्ती वर्षों में भी, उस तारीख तक, जब "सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 " की धारा 23 के तहत काटने लायक व्यय को स्वीकार न करने के प्रयोजन से देय ब्याज, लघु उद्यम को वास्तव में अदा किया गया हो.	-	-

टिप्पणी 10 अन्य चालू देयताएं

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
दीर्घावधि कर्ज (जमानती) की चालू परिपक्वता **(देखें टिप्पणी 4.1.1,4.1.2, 4.1.3 और 4.1.4) देखें टिप्पणी सं.4 (बिंदु सं क, ख, ग, घ और ङ)**.	8,722.51	3,884.76
दीर्घावधि कर्ज (गैर-जमानती) की चालू परिपक्वता **(देखें टिप्पणी 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 और 4.2.4) देखें टिप्पणी सं.4 (बिंदु सं. ग, च, छ, ज और झ).**	7,315.37	10,163.03
अदत्त लाभांश **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)**	101.24	124.49
परिपक्व डिबेंचरों पर ब्याज **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख)**	0.19	0.19
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/अन्य से प्राप्त जमाराशियां	259.02	180.13
उपदान के लिए देयता **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी ग)**	27.08	24.98
पूंजीगत वस्तुओं के प्रति देय रकम (सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को देय रकम शामिल है - **देखें नीचे दी गई टिप्पणी घ)**	9,038.52	12,402.26
सांविधिक भुगतान के लिए देयता	1,382.19	1,226.05
कर्मचारियों के निमित्त देयता	304.25	164.73
ब्याज जो उपचित है परंतु देय नहीं है	809.91	346.96
वाणिज्यिक कर से धन वापस मिलने पर तेल कंपनियों को देय राशियाँ	-	2,884.48
अन्य देय राशियां (सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को देय रकम शामिल है - **देखें नीचे दी गई टिप्पणी घ)**	2,342.81	1,337.86
कुल	**30,303.09**	**32,739.92**

टिप्पणियां

क निवेशकर्ता शिक्षा संरक्षण निधि में भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है

ख विवादग्रस्त दावों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान

ग उपदान न्यास से प्राप्य / को देय निवल रकम

घ सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को देय रकम से संबंधित प्रकटन

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
i उस पर देय ऐसी मूल धनराशि जो वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना पड़ी रही.	1.37	6.81
ii उस पर देय ऐसी ब्याज राशि जो वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा किए बिना पड़ी रही.	-	-
iii सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज राशि और साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की रकम.	-	-
Iv "सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 " के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर भुगतान में विलंब अवधि के लिए बाकी और देय ब्याज राशि (जिसे अदा किया गया हो लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद अदा किया गया हो).	-	-
v प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त पड़ी रही ब्याज राशि; और	-	-
vi उत्तरवर्ती वर्षों में भी, उस तारीख तक, जब "सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 " की धारा 23 के तहत काटने लायक व्यय को स्वीकार न करने के प्रयोजन से देय ब्याज, लघु उद्यम को वास्तव में अदा किया गया हो.		

टिप्पणी 11 अल्पावधि प्रावधान

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
11.1	**कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान**		
	छुट्टी के लिए (अनिधिक)	37.25	34.68
	उपदान	0.10	0.05
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ के लिए (अनिधिक)	1.94	1.92
11.2	**अन्य**		
	कराधान के लिए (निवल अग्रिम कर)	4.17	14.07
	कंपनी लाभांश कर के लिए	1.52	1.80
	अन्य (देखें नीच दी गई टिप्पणी क)	3,506.98	2,062.37
	कुल	**3,551.96**	**2,114.89**

टिप्पणी

क. कंपनी ने 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2015 को स्टॉक में पडी रहीं वस्तुएं खाली करने पर देय उत्पाद शुल्क का काफी हद तक आकलन करने के बाद क्रमश: ₹3,506.98 दशलक्ष और ₹ 2,057.60 दशलक्ष की देयता स्वीकार की थी.

टिप्पणी 12 अचल आस्तियां

₹ दशलक्ष में

	अचल आस्तियां	देखें टिप्पणी	आयु, उपयोगी वर्षों में	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास / परिशोधन					निवल ब्लॉक	
				यथा 1 अप्रैल, 2015	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	यथा 31 मार्च , 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015	वर्ष के लिए प्रभार	प्रतिधारित अर्जन में अंतरित	वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	यथा 31 मार्च , 2016	यथा 31 मार्च , 2016	यथा 31 मार्च , 2015
12.1	**मूर्त आस्तियां**													
	भूमि : पूर्ण स्वामित्व वाली													
	पट्टे पर दी गई भूमि			23.66	-	-	23.66	-	-	-	-	-	23.66	23.66
	भवन	क,ख		2,897.49	3.29	-	2,900.78	170.58	55.27	-	-	225.85	2,674.93	2,726.91
	संयंत्र व उपकरण			5,019.89	155.14	2.26	5,172.77	1,759.62	183.24	-	0.21	1,942.65	3,230.12	3,260.27
	कार्यालय उपकरण	ग ,घ, ङ		271,034.69	17,016.18	321.90	287,728.97	67,482.89	9,819.34	499.67	52.24	77,749.66	209,979.31	203,551.80
	फर्नीचर और जुडनार			693.90	19.22	2.37	710.75	146.03	84.05	-	1.97	228.11	482.64	547.87
	वाहन	घ		223.03	27.49	4.16	246.36	109.46	19.74	-	3.72	125.48	120.88	113.57
	भूमि : पूर्ण स्वामित्व वाली	घ		155.01	16.68	4.10	167.59	16.34	14.78	-	2.35	28.77	138.82	138.67
	कुल मूर्त आस्तियां			**280,047.67**	**17,238.00**	**334.79**	**296,950.88**	**69,684.92**	**10,176.42**	**499.67**	**60.49**	**80,300.52**	**216,650.36**	**210,362.75**
12.2	**अमूर्त आस्तियां**												-	-
	सुनाम	च	10	20.13	-	-	20.13	16.09	2.01	-	-	18.10	2.03	4.04
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		10	4.47	-	-	4.47	3.24	0.45	-	-	3.69	0.78	1.23
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		5	3.22	-	-	3.22	2.94	0.14	-	-	3.08	0.14	0.28
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		3	215.40	2.16	-	217.56	134.57	38.50	-	-	173.07	44.49	80.83
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		7	0.81	-	-	0.81	0.69	0.12	-	-	0.81	-	0.12
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		4	7.39	-	-	7.39	7.39	-	-	-	7.39	-	-
	लाइसेंस और विशेष विक्रय अधिकार		3	56.50	-	-	56.50	56.50	-	-	-	56.50	-	-
	कुल अमूर्त आस्तियां			**307.92**	**2.16**	-	**310.08**	**221.42**	**41.22**	-	-	**262.64**	**47.44**	**86.50**
	कुल			**280,355.59**	**17,240.16**	**334.79**	**297,260.96**	**69,906.34**	**10,217.64**	**499.67**	**60.49**	**80,563.16**	**216,697.80**	**210,449.25**
	पिछले वर्ष			122,552.85	157,879.53	76.79	280,355.59	62,604.94	5,237.42	783.22	-1,280.76	69,906.34	210,449.25	59,947.91
12.3	**प्रगति पर पूंजीगत कार्य**	ज											**1,929.79**	**13,886.94**

टिप्पणियां

क. इसमें शामिल हैं ₹ 253.25 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 249.96 दशलक्ष)जिसका इस कारण परिशोधन नहीं किया गया है कि पट्टा अवधि समाप्त होने पर अंत में स्वामित्व का हस्तांतरण कंपनी के नाम हो जाएगा.

ख. इसमें शामिल है ₹ 28.82 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 28.82 दशलक्ष) का भूमि मूल्य जो कंपनी के कब्जे में है जिसके प्रति औपचारिक पट्टा संबंधी विलेख अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं. निवल ब्लॉक ₹ 28.82 दशलक्ष(पिछले वर्ष ₹ 28.82 दशलक्ष)

ग. इसमें शामिल हैं ₹782 .98 दशलक्ष) (पिछले वर्ष ₹ 782.98 दशलक्ष) जो दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली आस्ति का कंपनी का अंश है . निवल ब्लॉक ₹ 39.15 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 39.15 दशलक्ष).

घ. ऐसी आस्तियां शामिल हैं जिनकी अवधि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट अवधि से भिन्न है और कंपनी की नीति के आधार पर है. अगर कंपनी ने अनुसूची II की दरों को अपनाया होता तो अवधि के लिए मूल्यह्रास ₹ 7.94 दशलक्ष तक बढ जाता और परिणामस्वरूप अचल आस्तियों और अवधि के लाभ/(हानि) पर असर पडता.

आस्तियों का प्रकार	अपनाई गई अवधि	कुल मूल्य	WDV
संयंत्र और उपकरण (कर्मचारी योजना संबंधी कंप्यूटर)	4 वर्ष	58.53	30.02
फर्नीचर और जुडनार (कर्मचारी योजना संबंधी फर्नीचर)	7 वर्ष	60.45	37.12
वाहन (कर्मचारी योजना संबंधी वाहन)	4 वर्ष	5.88	4.61

ङ ऐसी आस्तियों के घटक शामिल हैं जिनकी आयु, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट आयु से भिन्न है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर है.

आस्तियों का प्रकार(घटक)	अपनाई गई अवधि
संयंत्र और उपकरण (यंत्र संबंधी मद/ DCS)	15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण (उत्प्रेरक)	आपूर्तिकर्ता द्वारा यथा निर्दिष्ट गारंटीकृत उपयोगी आयु

च खरीदी गई निवल आस्तियों के बही मूल्य से अधिक कारोबार (नाइट्रोजन संयंत्र) की खरीदारी के लिए प्रतिफल दर्शाता है.

छ कंपनी, प्रगति पर पूंजीगत कार्य (CWIP) में उधार लागत और विनिमय अंतर का पूंजीकरण करती है और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजीकृत रकम क्रमश: ₹ 126.78 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹1,686.27 दशलक्ष) और ₹ 2,411.43 दशलक्ष है (पिछले वर्ष ₹ 1,680.25 दशलक्ष). उधार लागत और विनियम में अंतर का पूंजीकरण करने के बाद उसे विभिन्न श्रेणी की आस्तियों के " वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन " स्तंभ में प्रकट किया जाता है. इनके आस्ति-वार ब्यौरे अचल आस्तियों के प्रमुख शीर्षों के अधीन समाविष्ट किए गए हैं जो इस प्रकार हैं

₹ दशलक्ष में

वर्ष	2015-16		2014-15	
आस्ति की श्रेणी	**विनिमय अंतर**	**उधार लागत**	**विनिमय अंतर**	**उधार लागत**
भवन	18.17	2.11	12.22	8.33
संयंत्र और उपकरण	2,388.00	122.06	1,479.04	1,112.58
लंबित आबंटन	5.26	2.61	188.99	565.36
कुल	**2,411.43**	**126.78**	**1,680.25**	**1,686.27**

ज प्रगति पर पूंजीगत कार्य (उचित रूप से पूंजीकृत किए जाने वाले परियोजना खर्च सहित) ₹ दशलक्ष में

विवरण	**यथा 31 मार्च, 2016**	**यथा 31 मार्च, 2015**
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	17,282.01	100,761.36
घटाएं: वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में पूंजीकृत रकम	15,352.22	86,874.42
प्रगति पर निवल पूंजीगत कार्य	1,929.79	13,886.94

ज वर्ष के लिए मूर्त और अमूर्त आस्तियों के मूल्यह्रास/परिशोधन का विनियोजन इस प्रकार किया गया है: ₹ दशलक्ष में

क्रम सं	**विवरण**	**यथा 31 मार्च, 2016**	**यथा 31 मार्च, 2015**
i	लाभ-हानि विवरण में प्रभारित	10,214.38	5,216.48
ii	निर्माण अवधि के दौरान व्यय में अंतरित (निवल)	2.87	1.77
iii	पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन (निवल)	0.39	19.17
	कुल	**10,217.64**	**5,237.42**

ञ उन आस्तियों को, जिनका उपयोग न किया जा रहा हो और जिनको बेचने के लिए रखा गया है, अन्य चालू आस्तियों के तहत दर्शाया गया है.

टिप्पणी 13 गैर चालू निवेश

₹ दशलक्ष में

विवरण	**यथा 31 मार्च, 2016**	**यथा 31 मार्च, 2015**
गैर व्यापार निवेश (दीर्घावधि निवेश)		
इक्विटी लिखतों में निवेश: लागत पर कोट न किए गए		
सहबद्ध कंपनियों में निवेश		
मंगलूर एसईज़ेड् लि. (पूर्णतः प्रदत्त 480,000 इक्विटी शेयर **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)**	4.80	4.80
कुल	**4.80**	**4.80**

टिप्पणियां

	कंपनी का नाम	**कुल इक्विटी शेयर**	**अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹**	**कुल (₹ दशलक्ष में)**
क	मंगलूर एसईज़ेड् लि.	480,000	10	4.80
ख	कोट न किए गए निवेशों का कुल मूल्य	₹ 4.80 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 4.80 दशलक्ष)		

टिप्पणी 14 दीर्घावधि सावधि ऋण और अग्रिम

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो गैर जमानती और शोध्य समझे गए)

₹ दशलक्ष में

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
14.1	**संबद्ध पक्षकारों के प्रति**				
	मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड				
	पूंजीगत अग्रिम	956.00		131.50	
	जमाराशि	12.68	968.68	5.27	136.77
14.2	**अन्य**				
	पूंजीगत अग्रिम	1,637.15		2,250.74	
	गैर जमानती, संदिग्ध समझे गए	3.40		3.40	
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3.40	1,637.15	3.40	2,250.74
	इक्विटी शेयर के प्रति अग्रिम				
	कर्मचारी को दिए गए अग्रिम (देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)		260.03		254.96
	सीमा शुल्क, बंदरगाह प्राधिकरण के पास जमा राशियां		0.01		0.01
	प्रदत्त आय कर (निवल प्रावधान)		1,257.46		1,988.36
	MAT क्रेडिट हकदारी		3,075.09		3.78
	अन्य के पास जमा राशियां		548.56		547.79
	कुल		**7,746.98**		**5,182.41**

टिप्पणी

क ऐसे ऋण शामिल हैं जिनकी चुकौती अवधि 7 वर्ष से अधिक हो

ऊपर उल्लिखित कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों में शामिल हैं:

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
निदेशक	1.01	-
कंपनी के अन्य अधिकारी	0.22	0.26
	1.23	**0.26**

टिप्पणी 15 अन्य गैर चालू आस्तियां

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
कर्मचारी ऋण योजना पर उपचित ब्याज	46.66	34.94
विवाद के अधीन प्रदत्त आय कर	3,373.70	2,579.25
कुल	**3,420.36**	**2,614.19**

टिप्पणी 16 स्टॉक *

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
कच्चा माल	9,358.41		7,264.40	
मार्ग में कच्चा माल	6,013.76	15,372.17	5,272.71	12,537.11
प्रक्रियागत स्टॉक		3,346.00		4,046.02
तैयार माल	11,806.56		19,052.28	
घटाएं: स्टॉक हानि के लिए प्रावधान	5.91	11,800.65	5.91	19,046.37
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	3,266.95		2,075.04	
मार्ग में भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	150.33		223.21	
घटाएं: अक्रियाशील/रुके हुए स्टॉक के लिए प्रावधान	85.48	3,331.80	85.48	2,212.77
कुल		**33,850.62**		**37,842.27**

* लेखा नीति सं. 9 के अनुसार मूल्य निर्धारित

टिप्पणी 17 प्राप्य व्यापार राशियां

₹ दशलक्ष में

प्राप्य व्यापार राशियां (गैर जमानती)	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
छह महीने से कम अवधि में बकाया		
शोध्य माने गए **(देखें टिप्पणी क)**	20,634.52	22,512.96
संदिग्ध माने गए	137.40	177.51
घटाएं: संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	137.40	177.51
	20,634.52	**22,512.96**
छह महीने से अधिक समय से बकाया		
शोध्य माने गए	-	-
संदिग्ध माने गए	1,331.55	913.65
घटाएं: संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	1,331.55	913.65
	-	-
कुल	**20,634.52**	**22,512.96**

टिप्पणी

क अग्रिम में शामिल है बैंक गारंटी द्वारा समर्थित ₹ 318.20 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 515.50 दशलक्ष).

ऊपर उल्लिखित प्राप्य व्यावसायिक राशियों में निम्न द्वारा देय कर्ज शामिल है

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
उस कंपनी का नाम जिसमें कंपनी का निदेशक, निदेशक है		
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	104.57	144.78
कुल	**104.57**	**144.78**

टिप्पणी 18 नकदी और बैंक शेष

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
18.1 नकद और नकदी समतुल्य				
बैंकों में शेष राशियां				
चालू खाते	8,200.15		120.19	
जमा खाते : 3 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाले **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)**	95,488.33	103,688.48	41,390.85	41,511.04
हाथ में नकद (अग्रदाय सहित) और सोने के सिक्के **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी ख)**		0.96		1.82
18.2 अन्य बैंक में शेष राशियां				
जमा खाते : 3 से 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाले (देखें नीचे दी गई टिप्पणी क)	26,879.10		30,550.90	
डिबेंचर खाते पर अदत्त ब्याज	0.19		0.19	
अदत्त लाभांश खाता	101.24		124.49	
कर्मचारी हितकारी निधि	8.15		7.27	
बैंकों में ओवरड्राफ्ट सुविधा के प्रति ग्रहणाधिकार के रूप में और सांविधिक प्राधिकरणों में प्रतिभूति के रूप में जमाराशि	7,916.90	34,905.58	30,870.74	61,553.59
		138,595.02		**103,066.45**

टिप्पणियां

क. कंपनी, बैंकों में रखी गईं अपनी जमाराशियां, कोई सूचना दिए बगैर अथवा मूल धनराशि पर दंड दिए बगैर किसी भी समय निकाल सकेगी

ख. इसमें शामिल है सोने के सिक्के जिसका मूल्य है ₹ 0.91 दशलक्ष(पिछले वर्ष ₹ 0.94 दशलक्ष)

टिप्पणी 19 अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो गैर जमानती और शोध्य समझे गए)

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016		यथा 31 मार्च, 2015	
19.1 संबद्ध पक्षकारों के प्रति				
मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड	0.31		0.47	
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि.	0.01		0.01	
मंगलम् रीलेट सर्विसेस लिमिटेड	0.03		0.03	
पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	8.04	8.39	2.54	3.05
19.2 दूसरे पक्षकारों के प्रति				
सीमा शुल्क, पोर्ट ट्रस्ट आदि के पास शेषराशि		2,426.10		5,230.61
ग्राहकों के पास बयाना				
संदिग्ध माने गए	6.84		6.87	
घटाएं: संदिग्ध जमाराशियों के लिए प्रावधान	6.84	-	6.87	-
कर्मचारियों को अग्रिम	47.69		43.61	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.81	46.88	0.81	42.80
नकद अथवा वस्तु रूप में वसूल करने योग्य अन्य अग्रिम अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य और जमाराशियाँ		4,706.55		3,754.42
प्राप्य वायदा ठेका संबंधी रकम		1.42		0.65
		7,189.34		**9,031.53**

ऊपर उल्लिखित कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम में शामिल है

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
निदेशक	0.20	-
कंपनी के अन्य अधिकारी	0.04	0.04
कुल	**0.24**	**0.04**

टिप्पणी 20 अन्य चालू आस्तियां

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा 31 मार्च, 2016	यथा 31 मार्च, 2015
ब्याज जो बैंक जमाराशियों पर उपचित है परंतु देय नहीं है	1,701.46	1,546.15
बीमा कंपनियों से प्राप्य दावा	0.05	0.05
बिक्री के लिए रखी गई अचल आस्तियाँ **(देखें नीचे दी गई टिप्पणी क और ख)**	77.96	77.96
कुल	**1,779.47**	**1,624.16**

टिप्पणियां

क. इसमें शामिल है पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित संयंत्र व मशीनें और अन्य अवक्षयी आस्तियां और लागत पर मुक्त भूमि.

ख. बिक्री के लिए रखी गईं अचल आस्तियों का निम्नतर लागत पर अथवा अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है.

टिप्पणी 21 परिचालन से राजस्व

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
21.1 बिक्री से राजस्व		
देश में बिक्री		
उत्पाद की बिक्री	382,345.10	394,333.47
सेवाओं की बिक्री	20.70	8.61
निर्यात बिक्री		
उत्पाद की बिक्री	127,462.26	229,067.21
21.2 अन्य प्रचालन राजस्व		
स्क्रैप की बिक्री	81.85	22.13
कमीशन	49.19	72.88
निर्णीत हर्जाने	30.46	26.48
कुल	161.50	121.49
कुल	**509,989.56**	**623,530.78**

टिप्पणी 22 अन्य आय

₹ दशलक्ष में

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
22.1	**ब्याज आय**		
	बैंक जमाराशि पर (स्रोत पर काटा गया कर ₹ 635.97 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 635.47 दशलक्ष)	6,810.05	6,248.22
	अंतर कार्पोरेट जमाराशि पर (स्रोत पर काटा गया कर शून्य) (पिछले वर्ष ₹ 18.26 दशलक्ष)	-	182.56
	प्रत्यक्ष विपणन ग्राहकों से	24.20	62.17
	ठेकेदार द्वारा अग्रिम संग्रहण	41.29	10.43
	कर्मचारी ऋण योजना पर	20.50	13.95
	दूसरे पक्षकारों पर	11.85	37.41
	कुल	**6,907.89**	**6,554.74**
22.2	**लाभांश आय**		
	म्यूचुअल फंड निवेशों पर प्राप्त लाभांश (अल्पावधि निवेश)	1,183.57	1,390.50
22.3	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	रॉयल्टी आय (स्रोत पर काटा गया कर ₹ 0.26 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 0.53 दशलक्ष))	2.20	4.99
	देयता, जिसे प्रतिलेखित करने की ज़रूरत नहीं है	362.72	66.39
	प्रतिलेखित अतिशय प्रावधान	0.73	0.65
	टेंडर फार्म की बिक्री	1.01	1.21
	किराया प्रभार	4.10	4.81
	कर्मचारियों से वसूली	9.05	8.04
	विविध प्राप्तियां	54.20	54.28
	कुल	**434.01**	**140.37**
	कुल	**8,525.47**	**8,085.61**

टिप्पणी 23 उपभुक्त सामग्री की लागत

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
कच्चा माल: क्रूड तेल		
आयातित	301,442.61	508,507.75
देशी	36,849.57	48,052.34
कच्चा माल: अन्य		
आयातित		
हाइड्रोजन	-	261.55
पैराफिन रैफिनेट	-	2,167.33
रीफॉर्मेट	1,033.52	-
देशी		
CRMB मॉडिफायर	6.70	2.57
नैफ़्ता धारा	1,332.34	241.92
ऐरोमैटिक धारा	37.94	234.92
व्यापारी वस्तुएं		
देशी	227.81	128.35
कुल	**340,930.49**	**559,596.73**

टिप्पणी 24 तैयार माल के स्टॉक, प्रक्रियागत स्टॉक और व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन

₹ दशलक्ष में

	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
24.1	**अंतिम स्टॉक:**		
	तैयार माल	11,806.56	19,052.28
	प्रक्रियागत स्टॉक	3,346.00	4,046.02
	घटाएं: समेकन के निमित्त समायोजन		
	तैयार माल	-	1,377.91
	प्रक्रियागत स्टॉक	-	517.36
	कुल अंतिम स्टॉक	**15,152.56**	**21,203.03**
24.2	**प्रारंभिक स्टॉक:**		
	तैयार माल	19,052.28	35,183.12
	प्रक्रियागत स्टॉक	4,046.02	4,661.66
	कुल प्रारंभिक स्टॉक	**23,098.30**	**39,844.78**
	स्टॉक में वृद्धि (-) अवनति	**7,945.74**	**18,641.75**

टिप्पणी 25 कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016
वेतन और मज़दूरी	2,628.24	1,897.13
भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान	302.23	227.93
स्टाफ कल्याण के प्रति खर्च	146.60	106.06
छुट्टी के लिए प्रावधान	125.21	182.15
उपदान के लिए प्रावधान	38.41	31.99
सेवानिवृत्ति उपरांत, चिकित्सा और अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए प्रावधान	10.44	10.56
कुल	**3,251.13**	**2,455.82**

टिप्पणी 26 वित्त लागत

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2015
ब्याज खर्च	10,287.94	4,448.01
अन्य उधार लागत	54.19	14.10
विदेशी मुद्रा लेन-देन और रूपांतरण पर निवल(अभिलाभ)/हानि		
विनिमय (अभिलाभ/हानि(निवल)	236.19	20.03
कुल	**10,578.32**	**4,482.14**

टिप्पणी 27 मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2015
मूर्त आस्तियों पर	10,173.16	5,204.64
अमूर्त आस्तियों पर	41.22	11.84
कुल	**10,214.38**	**5,216.48**

टिप्पणी 28 अन्य खर्च

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा मार्च, 2016		यथा मार्च, 2015	
28.1 अन्य खर्च				
बिजली, उपयोगिता और ईंधन शुल्क	31,128.39		45,285.00	
घटाएं: स्वयं खपत	24,872.26	6,256.13	44,347.65	937.35
मरम्मत और अनुरक्षण				
संयंत्र और मशीन	2,296.30		1,676.33	
भवन	8.84		3.37	
अन्य	515.43	2,820.57	225.14	1,904.84
खपाए गए भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थ	1,759.87		1,318.75	
घटाएं: अन्य शीर्षों के अधीन दर्शाए गए	807.96	951.91	505.99	812.76
खपाई गई पैकिंग सामग्री		45.80		52.04
किराया		100.68		75.67
बीमा		383.14		244.71
दर और कर		2,205.03		1,951.73
स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवल)		1,588.96		916.85
विनिमय दर में घट-बढ़ से हानि		11,827.01		6,798.16
निदेशकों के बैठक शुल्क		0.62		0.76
अचल आस्तियों की बिक्री से हानि		3.86		5.98
लेखा परीक्षकों को भुगतान				
लेखा परीक्षा शुल्क	2.53		2.35	
कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.90		0.64	
प्रमाणीकरण शुल्क के लिए	1.84		1.31	
खर्च की प्रतिपूर्ति	3.11	8.38	1.11	5.41
निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी खर्च		24.16		48.10
विविध खर्च		1,703.45		982.15
कुल		**27,919.70**		**14,736.51**
28.2 प्रावधान				
संदिग्ध ऋणों के लिए		378.49		212.21
कुल		**378.49**		**212.21**
28.3 बट्टे खाते लिखे गए				
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए		0.70		-
कुल		**0.70**		-
28.4 पूर्व अवधि वाली मद (निवल)				
मूल्यह्रास (निवल)		0.39		19.17
उपभुक्त सामग्री की लागत		1.28		-
मरम्मत और अनुरक्षण		-20.43		-3.48
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च		0.19		-2.42
विविध खर्च		98.96		0.39
कुल		**80.39**		**13.66**
सकल योग (28.1+28.2+28.3+28.4)		**28,379.28**		**14,962.38**

टिप्पणी 28 अन्य खर्च

₹ दशलक्ष में

विवरण	यथा मार्च, 2016	यथा मार्च, 2015
उपभुक्त सामग्री की लागत	988.16	-754.59
बिक्री पर छूट	-	192.24
कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च	211.15	
विविध खर्च	630.63	227.88
कुल	**1,829.94**	**-334.47**

टिप्पणी 30 प्रति इक्विटी शेयर अर्जन ₹ दशलक्ष में

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2015
अंश: निवल लाभ (₹ दशलक्ष में)		
मूल	7,095.59	(18,032.94)
आंशिक	7,095.59	(18,032.94)
डिनॉमिनेटर : वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या		
मूल	1,752,598,777	1,752,598,777
आंशिक	1,752,598,777	1,752,598,777
प्रति शेयर नाम मात्र मूल्य		
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)		
मूल / आंशिक (₹ में)	4.05	(10.29)
प्रति शेयर मूल और आंशिक अर्जन का समाधान		
निवल लाभ (₹ दशलक्ष में)	7,095.59	(18,032.94)
जोड़ें: ऋणों के आंशिक भाग पर ब्याज (निवल कर) (₹ दशलक्ष में)	-	-
कुल	7,095.59	(18,032.94)
इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	1,752,598,777	1,752,598,777
रूपांतरण खंडवाले ऋणों के संबंध में शेयरों की संख्या	-	-
प्रति शेयर आंशिक अर्जन के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	1,752,598,777	1,752,598,777

टिप्पणी : 31 अन्य प्रकटन

31.01 सामान्य जानकारी

समेकित वित्तीय विवरण, नीचे उल्लिखित सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के समेकित खाते दर्शाते हैं.

		31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
क	**सहयोगी**		
	भारतीय सहयोगी		
	ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	51.00%	51.00%
ख	**भारतीय संयुक्त उद्यम**		
	i) शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	50.00%	50.00%
	ii) मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	49.98%	49.98%

31.02 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुरूप अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रकटन

उद्यम का नाम	निगमन देश	निवल आस्ति (अर्थात्; कुल आस्ति घटाएं देयताएं)		लाभ अथवा हानि का अंश	
		समेकित आस्तियों के % के रूप में	रकम (₹दशलक्ष में	समेकित लाभ-हानि के % के रूप में	रकम (₹दशलक्ष में)
1		2	3	4	5
मूल कंपनी					
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	भारत	91.74%	56,320.88	411.24%	11,540.76
सहयोगी कंपनी					
भारतीय					
ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि	भारत	3.89%	2,387.03	-159.08%	(4,464.30)
सहयोगी कंपनी में अल्प हिताधिकार		3.77%	2,315.10	-152.84%	(4,289.22)
संयुक्त उद्यम उद्यम					
भारतीय					
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड	भारत	0.60%	366.96	0.68%	19.11
मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	भारत	0.00%	0.59	0.00%	0.02
निवल		100%	61,390.56	100%	2,806.37

31.03 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और इस समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का इरादा है, जानकारी देने के इरादे से प्रकटन करना और कंपनी की समेकित स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मार्गदर्शित करना. इस उद्देश्य को मान्यता देते हुए, कंपनी ने प्रत्येक वित्तीय विवरणों में सिर्फ़ उन नीतियों और टिप्पणियों को प्रकट किया है जिनको निष्पक्ष रूप से प्रकट करना ज़रूरत हो.

31.04 कर्मचारी संबंधी लाभ (AS-15)

I मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

31.04.01 संक्षिप्त वर्णन: परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रकार पर सामान्य वर्णन निम्नानुसार है :

क. अर्जित छुट्टी संबंधी लाभ (EL):

उपचय - प्रति वर्ष 32 दिन

300 दिनों तक संचित किया जा सकेगा

15 दिन से अधिक संचित EL का, सेवा में रहते समय नकदीकरण किया जा सकेगा बशर्ते कि कम से कम 5 दिन EL का नकदीकरण कराया जाए.

ख. अर्ध वेतन छुट्टी **(HPL)**

उपचय - प्रति वर्ष 20 दिन

सेवा में रहते समय नकदीकरण नहीं किया जा सकेगा

सेवानिवृत्ति के उपरांत नकदीकरण किया जा सकेगा; जिसे अर्जित छुट्टी के साथ 300 दिनों तक सीमित किया गया है .

ग. उपदान:

पूरे किए गए हर एक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान ₹1 दशलक्ष तक सीमित किया गया है.

घ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:

सेवानिवृत्ति के बाद, एकबारगी एकमुश्त अंशदान करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी आश्रित पत्नी/उसके आश्रित पति को, कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ की रक्षा प्रदान की जाएगी.

ङ. सेवानिवृत्ति लाभ:

सेवानिवृत्त होने पर, कर्मचारियों को पुनःव्यवस्थापन रियायत दी जाएगी. ये लाभ, कर्मचारी को स्थानांतरण के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए दिए जाएंगे जैसे व्यवस्थापन भत्ता, विस्थापन भत्ता (सिर्फ़ 30 दिन का DA), परिवहन भत्ता, चढ़ाई/उतराई शुल्क, घरेलू सामान के लिए बीमा, अतिशय बैगेज, चुंगी शुल्क, पैकिंग शुल्क (सिर्फ़ प्रबंधन कर्मचारियों के लिए) और यात्रा खर्च.

31.04.02 परिभाषित अंशदान योजनाओं के प्रति किए गए नीचे उल्लिखित अंशदान को वर्ष 2015-16 के दौरान खर्च की तरह माना जाएगा:

(₹ दशलक्ष में)

परिभाषित अंशदान योजना	स्वीकृत कुल खर्च	प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के प्रति अंशदान
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	152.73	0.85
	(138.64)	(0.78)
सेवानिवृत्ति निधि में नियोजक का अंशदान	338.38	0.79
	(84.03)	(0.92)

31.04.03 रोजगार उपरांत लाभ योजनाओं के लिए तुलन पत्र में दर्शाई गई रकम इस प्रकार है

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं.	विवरण	उपदान (निधिक)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (अनिधिक)	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (अनिधिक)
1	निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	563.39	-	-
		(508.85)		
2	योजना आस्ति का उचित मूल्य	534.44	-	-
		(477.16)		

3	अनिधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	57.06	9.81
			(51.06)	(9.37)
4	अस्वीकृत गत सेवा संबंधी लागत	-	-	
5	निवल देयता	28.95	57.06	9.81
		(31.69)	(51.06)	(9.37)

31.04.04 उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल की गईं रकम निम्नानुसार हैं:

(₹ दशलक्ष में)

परिभाषित अंशदान योजना	2015-16	2014-15
उद्यम के खुद के वित्तीय लिखतों के बारे में रिपोर्ट करना	कुछ नहीं	कुछ नहीं
रिपोर्टिंग उद्यम के कब्जे में रही अथवा उसके द्वारा प्रयुक्त अन्य आस्तियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं

31.04.05 तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता में अवधि के दौरान चलन दर्शाने वाला समाधान विवरण:

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं.	विवरण	उपदान (निधिक)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा संबंधी लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
1	प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	508.85	51.06	9.37
		(448.65)	(44.85)	(8.52)
2	सेवा संबंधी लागत	26.94	3.59	1.13
		(25.79)	(3.04)	(1.09)
3	ब्याज लागत	43.25	4.34	0.79
		(39.26)	(3.92)	(0.75)
4	बीमांकिक हानि /(अभिलाभ)	-3.61	0.24	0.36
		(13.39)	(1.22)	(0.53)
5	देयता अंतरण	1.07	-	-
		(0.07)		
6	प्रदत्त लाभ	-13.11	-2.17	-1.84
		(-18.31)	(-1.97)	(-1.52)
7	अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	563.39	57.06	9.81
		(508.85)	(51.06)	(9.37)

31.04.06 लाभ-हानि विवरण में स्वीकृत कुल खर्च निम्नानुसार है:

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं	विवरण	उपदान (निधिक)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
1	चालू सेवा लागत	26.94	3.59	1.13
		(25.79)	(3.04)	(1.09)
2	दायित्व पर ब्याज	43.25	4.34	0.79
		(39.26)	(3.92)	(0.75)
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-40.56	-	-
		(-37.32)	-	-
4	वर्ष में सम्मिलित निवल बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	-5.52	0.24	0.36
		(9.19)	(1.22)	(0.53)
5	गत सेवा संबंधी लागत	-	-	-
		(-)	(-)	(-)
6	कटौतियों और निपटान पर हानि/ (अभिलाभ)	-	-	-
7	' कर्मचारी लाभ खर्च' में सम्मिलित कुल	24.11	8.17	2.28
		(36.92)	(8.18)	(2.37)
8	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	42.47	-	-
		(41.51)	-	-

31.04.07 उपदान के संबंध में योजना आस्तियों के उचित मूल्य के शेष का समाधान करने संबंधी विवरण:-

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
1	अवधि के प्रारंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	477.16	428.96
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	40.56	37.32
3	अंशदान	24.98	18.22
4	अन्य कंपनी से अंतरण	1.07	0.07
5	(अन्य कंपनी में अंतरण)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6	(प्रदत्त लाभ)	-11.24	-11.60
7	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अभिलाभ/(हानि)	1.91	4.19
8	अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	534.44	477.16

31.04.08 अन्य प्रकटन

(₹ दशलक्ष में)

उपदान	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
अवधि के अंत में निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	563.39	508.85	448.64	402.28	294.21
अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	534.44	477.16	428.96	307.22	261.55
अधिशेष/(घाटा)	(28.95)	(31.69)	(19.68)	(95.06)	(32.66)
योजना देयताओं पर समायोजन से हानि/ (अभिलाभ)	1.88	0.02	22.23	10.12	24.33
योजना आस्तियों पर समायोजन से हानि/ (अभिलाभ)	1.91	4.19	7.94	1.15	4.07

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
अवधि के अंत में अनिधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	57.06	51.06	44.85	43.61	35.60
योजना देयताओं पर समायोजन से हानि/ (अभिलाभ)	(3.06)	-0.51	0.11	1.65	1.29

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
अवधि के अंत में अनिधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	9.81	9.37	8.52	8.55	6.61
योजना देयताओं पर समायोजन से हानि/ (अभिलाभ)	0.48	-0.21	(0.45)	1.1	0.28

31.04.09 तुलन पत्र की तारीख को मूल वास्तविक परिकल्पनाएं (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त):

क्रम सं	विवरण	उपदान (निधिक)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
1	बट्टा दर	8.08%	8.08%	8.08%
		(8.50%)	(8.50%)	(8.50%)
2	पूर्व योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	8.08%	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
		(8.50%)		
3	चिकित्सा दावा पॉलिसी के प्रीमियम में वार्षिक वृद्धि	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
4	वेतन में वार्षिक वृद्धि	5.50%	5.50%	5.50%
		(6.00%)	(6.00%)	(6.00%)

31.04.10 उपदान (निधि) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व - योजना आस्तियों की श्रेणी

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
1	भारत सरकार के बांड	151.33	153.49	153.48
		28.32%	32.17%	35.78%
2	कंपनी बांड	105.00	122.99	122.52
		19.64%	25.77%	28.56%
3	अन्य *	278.11	200.68	152.96
		52.04%	42.06%	35.66%
4	कुल	534.44	477.16	428.96
		100.00%	100.00%	100.00%

* इसमें बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड में किए गए ₹ 248.10 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 199.64 दशलक्ष)के निवेश शामिल हैं

31.04.11 सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा खर्च की संवेदनशीलता

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं	विवरण	2015-16	2014-15	2013-14
1	बट्टा दर में 1% वृद्धि के लिए देयता में परिवर्तन	-7.40	-6.42	-5.62
2	बट्टा दर में 1% घटाने के लिए देयता में परिवर्तन	9.18	7.93	6.94
3	बट्टा दर में 1% बढ़ाने के लिए सेवा लागत में परिवर्तन	-	-	-
4	बट्टा दर में 1% घटाने के लिए सेवा लागत में परिवर्तन	-	-	-

टिप्पणी: कोष्ठकों () में दिए गए आंकड़ें 2014-15 से संबंधित हैं.

II सहयोगी कंपनी - ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि.

31.04.12 संक्षिप्त वर्णन: परिभाषित अंशदान योजनाओं और परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रकार पर सामान्य वर्णन निम्नानुसार है:

अ) परिभाषित अंशदान योजनाएं इस प्रकार हैं:

कंपनी के पात्र कर्मचारी, भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाते हैं जिसमें कंपनी और कर्मचारी, कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के समतुल्य मासिक अंशदान करते हैं.

आ) परिभाषित लाभ योजनाएं:

क) क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां

(1) अर्जित छुट्टी संबंधी लाभ (EL)

उपचय- 30 दिन प्रति वर्ष

300 दिनों तक इकट्ठा करने की इजाज़त है

इस्तीफ़ा देने पर छुट्टी का नकदीकरण, अधिकतम 150 दिन के अधीन संचित छुट्टी के 50% तक अदा किया जाएगा

(2) बीमारी छुट्टी (SL):

उपचय- 10 दिन प्रति वर्ष

सेवा में रहते समय नकदीकरण करने की इजाज़त नहीं है

सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण किया जा सकेगा और इकट्ठा की गई समग्र छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकेगा

ख) उपदान:

पूरे किए गए हर एक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों का वेतन. इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान ₹1 दशलक्ष तक सीमित किया गया है.

31.04.13 वर्ष के दौरान (परिभाषित अंशदान योजना) भविष्य निधि के प्रति अंशदान निम्नानुसार किए गए:

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान		
लाभ-हानि लेखा विवरण में प्रभारित	17.67	7.09
परियोजना खर्च में समाविष्ट	-	-
कुल	**17.67**	**7.09**

31.04.14 परिभाषित लाभ योजना - उपदान

क) **रोजगार उपरांत लाभ योजनाओं के लिए तुलन पत्र में दर्शाई रकम इस प्रकार है :**

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015
निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	-
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
अनिधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	16.11	6.65
अस्वीकृत गत सेवा संबंधी लागत	-	-
निवल देयता	**16.11**	**6.65**

ख) **तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता में वर्ष के दौरान चलन दर्शाने वाला समाधान विवरण:**

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015
प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	6.65	2.89
सेवा संबंधी लागत	3.13	1.84
ब्याज लागत	0.53	0.27
बीमांकिक हानि /(अभिलाभ)	5.80	1.65
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-
आवक/जावक देयता अंतरण	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	**16.11**	**6.65**

ग) **लाभ-हानि विवरण में स्वीकृत कुल खर्च निम्नानुसार है:**

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015
चालू सेवा लागत	3.13	1.84
दायित्व पर ब्याज	0.53	0.27
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-	-
वर्ष में सम्मिलित निवल बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	5.80	1.65
गत सेवा संबंधी लागत	-	-
कटौतियों और निपटान पर हानि/ (अभिलाभ)	-	-
' कर्मचारी लाभ खर्च' में सम्मिलित कुल	9.46	3.76
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	-	-

ग) लाभ-हानि विवरण में स्वीकृत कुल खर्च निम्नानुसार है:

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2016	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015
बट्टा दर	7.95%	8.85%
पूर्व योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-	-
चालू योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-	-
चिकित्सा दावा पॉलिसी के प्रीमियम में वार्षिक वृद्धि	-	-
वेतन में वार्षिक वृद्धि	8.00%	5.00%

III संयुक्त उद्यम - शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड

31.04.15 संक्षिप्त वर्णन - परिभाषित अंशदान योजनाओं और परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रकार पर सामान्य वर्णन निम्नानुसार है:

(i) परिभाषित अंशदान योजना[देखें टिप्पणी 1(I)(2)(i)]

₹ 2.65 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 2.51 दशलक्ष) की रकम को खर्च के रूप में स्वीकार कर लाभ-हानि विवरण में "कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च" के अधीन सम्मिलित किया गया है .

(ii) परिभाषित लाभ योजना [देखें टिप्पणी 1(I)(2)(ii)]

उपदान और प्रतिपूर्ति करने लायक अनुपस्थिति के प्रावधान, बीमांकिक मूल्याकन के अनुसार प्रावधान सूचित करते हैं.

(क) **तुलन पत्र में स्वीकृत रकम** :

(₹ दशलक्ष में)

विवरण		उपदान		क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां	
		यथा मार्च 31, 2016	यथा मार्च 31, 2015	यथा मार्च 31, 2016	यथा मार्च 31, 2015
अ.	**तुलन पत्र में दर्शाई जाने वाली रकम**				
	परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य				
	- पूर्णत: निधिक	5.46	2.81	-	-
	- पूर्णत: अनिधिक	-	-	0.17	0.08
		5.46	2.81	0.17	0.08
	घटाएं: योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5.72	5.39	-	-
	स्वीकार न की गईं गत सेवा संबंधी लागत	-	-	-	-
	देयता अथवा (आस्ति) के रूप में स्वीकार की जाने वाली रकम)				
	[देखें नीचे दी गई टिप्पणी]	(0.26)	(2.58)	0.17	0.08
आ.	**तुलन पत्र में दर्शाई गई रकम**				
	देयताएं	5.46	2.81	0.17	0.08
	आस्तियां	5.72	5.39	-	-
	निवल देयता/(आस्ति)	(0.26)	(2.58)	0.17	0.08
	निवल देयता/(आस्ति) - चालू	-	-	-	-
	निवल देयता/(आस्ति) - गैर चालू	-	-	0.17	0.08

टिप्पणी: आस्ति को तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया है

(ख) लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च:

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	उपदान		क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
चालू सेवा संबंधी लागत	0.40	0.36	0.03	(0.49)
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व पर ब्याज लागत	0.23	0.19	0.01	-
योजना आस्तियों पर अपेक्षित (प्रतिफल)	(0.04)	-	-	-

गत सेवा संबंधी लागत	-	-	-	-
किसी कटौती अथवा निपटान का प्रभाव	-	-	-	-
बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	2.52	0.74	0.05	0.06
" कर्मचारी लाभ संबंधी खर्च " में समाविष्ट कुल	3.11	1.29	0.09	(0.43)
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	0.04	-	-	-

(ग) प्रारंभिक और अंतिम शेषराशियों का समाधान दर्शाने वाले परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	उपदान		क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक शेष	2.81	2.33	0.08	0.51
लाभ संबंधी दायित्व	-			-
चालू सेवा संबंधी लागत	0.40	0.36	0.03	(0.49)
लाभ संबंधी दायित्व पर ब्याज लागत	0.23	0.19	0.01	-
बीमांकिक अभिलाभ/(हानि)	2.52	0.74	0.05	0.06
प्रदत्त लाभ	(0.50)	(0.81)	-	-
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य का अंतिम शेष	5.46	2.81	0.17	0.08

(घ) प्रारंभिक और अंतिम शेषराशि का समाधान दर्शानेवाली योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	उपदान		क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
योजना आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष	5.39	-	-	-
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	0.04	-	-	-
बीमांकिक अभिलाभ/(हानि)	-	-	-	-
नियोजक का अंशदान	0.79	6.20	-	-
लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(0.50)	(0.81)	-	-
योजना आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	5.72	5.39	-	-

(ङ) योजना आस्तियों में किए गए तमाम निवेश भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संभाले जाते हैं.

(च) तुलन पत्र की तारीख को मूल बीमांकिक परिकल्पनाएं (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है):

क्रम सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	बट्टा दर	8.00%	8.00%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	8.00%	8.00%
3	वेतन में वृद्धि दर	8.00%	7.00%
4	पलायन दर	15.00%	20.00%

पलायन दर को उम्र और सेवा से स्वतंत्र माना गया है.

मृत्यु दर: मानक भारतीय आश्वासित जीवन (2006-08) संबंधी अंतिम तालिका

बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन वृद्धि का आकलन करते समय मुद्रास्फीति, वरिष्ठता आधारित पदोन्नतियों और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य संबंधित कारकों को हिसाब में लिया जाएगा.

(छ) परिभाषित लाभ संबंधी योजनाओं से संबंधित रकम निम्नानुसार है:

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	उपदान		क्षतिपूर्त अनुपस्थितियां	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
उपदान योजना (निधिक)				
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	5.46	2.81	2.33	1.83
योजना आस्तियां	5.72	5.39	-	-
अधिशेष / (कमी)	0.26	2.58	(2.33)	(1.83)
योजना देयताओं पर समायोजन - (हानि)/अभिलाभ	2.52	0.74	(0.10)	0.05
योजना आस्तियों पर समायोजन - (हानि)/अभिलाभ	-	-	-	-

(ज) परिभाषित लाभ संबंधी योजना का सामान्य वर्णन

कंपनी में परिभाषित लाभ उपदान संबंधी योजना बनाई गई है. हर एक कर्मचारी को कंपनी से बाहर होने पर पूरी की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए अंतिम बार आहरित वेतन के 15 दिन का उपदान मिलेगा जब कि देय अधिकतम उपदान रकम पर कोई उच्चतम सीमा नहीं है. कंपनी द्वारा उपदान, सेवा समाप्त होने अथवा इस्तीफ़ा देने पर, जो भी पहले हो, दिया जाता है. यह निधिक योजना, सहायता अर्हक बीमा पॉलिसी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाई गई है.

(झ) कंपनी की छुट्टी संबंधी नीति के अनुसार, कर्मचारी, अधिकतम सिर्फ़ 33 दिन इकट्ठा कर सकेगा. कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारी छुट्टी का नकदीकरण नहीं कर सकेगा.

31.05 इनके संबंध में आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है:

क. कंपनी के खिलाफ दावे, जिनको कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं	विवरण	यथा मार्च 31, 2016	यथा मार्च 31, 2015
1	**माध्यस्थम् / अदालत में ठेकेदारों / विक्रेताओं के दावे** उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढ़ाई गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है और अतिरिक्त दावे आदि किए गए हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित ठेकों के प्रावधानों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है. अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम, ₹ 1,969.75 दशलक्ष को पूंजीकृत किया जाएगा/ ₹ 37.31 दशलक्ष को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा. (पिछले वर्ष क्रमशः ₹ 340.73 दशलक्ष और ₹ 38.13 दशलक्ष)	2,007.06	378.86
2	**ग्राहकों के दावे / प्रति दावे** ग्राहकों में से एक ने वक्त से पहले ठेका बंद करने पर हर्जाने के तौर पर दावा पेश किया है. कंपनी ने इसे एक अपरिहार्य घटना करारते हुए इस दावे को चुनौती दी है. अगर कंपनी का रुख ठुकराया गया तो रकम लाभ-हानि लेखा में नामे डाली जाएगी.	85.20	85.20
3	**अन्य**		
(क)	न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट(NMPT) ने कंपनी से, एमओयू के बाद की अवधि के लिए (16 अक्तूबर 2009 से 31 मार्च, 2015 तक बर्थ सं. 10 और 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2015 तक बर्थ सं. 11) तेल बर्थ पर कार्गो संभालने के लिए अधिसूचित घाट शुल्क अदा करने की मांग की है. कंपनी ने दावा किया है कि सहमति पत्र में, MOU अवधि के बाद सरकार/TAMP के अनुमोदन के अधीन (महत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण) आपस में सहमत करने योग्य दर तय करने की बात कही गई है. यह मामला वित्तीय वर्ष 2015-16 में निपटाया गया है.	कुछ नहीं	2,105.44
(ख)	यह ऐसी संभावित देयता दर्शाता है जिसे कंपनी ने पट्टेदारों को उनके संबंधित कर निर्धारण में कोई देयता होने पर उसकी प्रतिपूर्ति के प्रति उठाया हो. चूंकि पट्टेदारों से कोई सूचना नहीं मिली है इसलिए यह रकम वर्ष 2015-16 के दौरान निकाली गई.	कुछ नहीं	133.67
(ग)	भूमि और पुनर्वास एवं पुनःव्यवस्थापन कार्य के लिए प्रदत्त अग्रिम से अधिक मंगलूर एसईज़ेड लि. का दावा	16.71	109.25
	कुल	**2,108.97**	**2,812.42**

इन तमाम दावों को अस्वीकार करते हुए कंपनी द्वारा इनको चुनौती दी जा रही है. माध्यस्थम्/अदालत से समाधान/फैसला मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा.

31.06 यथा 31 मार्च, 2016 को अपील में लंबित विवादित कर / शुल्क संबंधी मांगे:

क) आयकर:₹ 6,654.45 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹5,947.38 दशलक्ष).इसके प्रति ₹3,373.70 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹2,579.25 दशलक्ष) का अभ्यापत्ति के तहत समायोजन/भुगतान किया गया है और इसे चालू आस्तियों से संबंधित टिप्पणी 15 के अधीन शामिल किया गया है.

ख) वाणिज्यिक कर: ₹32.36 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹32.36 दशलक्ष)इसके प्रति ₹15.58 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹15.58 दशलक्ष) का अभ्यापत्ति के तहत भुगतान किया गया है और इसे ऋण और अग्रिमों से संबंधित टिप्पणी 19 के तहत दर्शाया गया है)

ग) उत्पाद शुल्क: ₹304.80 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹315.27 दशलक्ष) इसके प्रति ₹ 59.78 दशलक्ष(पिछले वर्ष ₹72.87 दशलक्ष) अभ्यापत्ति के अधीन अदा किया गया और इसे ऋणों और अग्रिमों से संबंधित टिप्पणी-19 के तहत दर्शाया गया है.

घ) सीमा शुल्क: ₹ 737.82 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹ 747.56 दशलक्ष).

31.07 पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं

क) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए ठेकों की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 31 मार्च, 2016 को ₹1,227.57 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹1,637.16 दशलक्ष)

कंपनी ने KIADB से चरण IV विस्तार के लिए 1050 एकड़ भूमि आबंटित करने की दरख्वास्त ही है. पत्र सं. KIADB/Central Ofc/LA-MNG/2480/16195/2015-16, दिनांक 22/02/2016 के अनुसार इस संबंध में कुल पूंजीगत प्रतिबद्धता है ₹6,946.81.

ख) **अन्य प्रतिबद्धताएं**

मेसर्स शेल्ल ग्लोबल इंटरनैशनल सोल्यूशन (मेसर्स शेल्ल GIS) द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार करने के कार्यक्रम के निमित्त किया गया वायदा पूरा होने तक अमेरिकी डॉलर 2.06 दशलक्ष. (पिछले वर्ष अमेरिकी डॉलर 2.44 दशलक्ष).

पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर EPCG लाइसेंस योजना के तहत लिए गए रियायती दर पर सीमा शुल्क के निमित्त कंपनी को ₹1,556.36 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹1,346.93 दशलक्ष) तक निर्यात की बाध्यता पूरी करनी है

सहयोगी कंपनी OMPL ने, मंगलूर एसईज़ेड् लि. से 47 साल और 10 महीनों के लिए अर्थात्. 29.03.2012 से 26.01.2060 तक 441.438 एकड़ की भूमि पट्टे पर ली है. मंगलूर एसईज़ेड् लि. को सालाना देय पट्टे का किराया ₹ 23.40 दशलक्ष है.

31.08 अपवादात्मक मद (AS-5)

अपवादात्मक मदों में शामिल हैं, जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 16.10.2009 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए विभेदक घाट शुल्क के निमित्त ₹1,541.87 दशलक्ष खर्च, हस्ताक्षरित एवं 01/04/2007 से प्रभारी दीर्घावधि समझौते के अनुसार गैर प्रबंधन स्टाफ के लिए अधिवर्षिता लाभ संबंधी निधि में अंशदान के प्रति ₹211.15 दशलक्ष और एमआरपीएल की सिविल अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर पुन: तैयार किए गए उत्पाद शुल्क के निमित्त ₹76.92 दशलक्ष.

31.09 खंडवार रिपोर्टिंग (AS 17)

खंडवार राजस्व, परिणाम और विनियोजित पूंजी

(₹ दशलक्ष में)

क्रम सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016 लेखा परीक्षित	समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष, 2015 लेखा परीक्षित
1	**खंड राजस्व**		
	क. देशी बिक्री	389,955.08	397,861.30
	ख. निर्यात बिक्री	162,103.10	232,670.20
	कुल	552,058.18	630,531.50
	घटाएं: अंतर खंड राजस्व	154,551.49	56,668.30
	परिचालन से निवल बिक्री/आय	**397,506.69**	**573,863.20**

2	**कर पूर्व खंड परिणाम लाभ/(हानि) और प्रत्येक खंड से ब्याज**		
	क. देशी	16,646.74	-6,830.07
	ख. निर्यात	2,121.98	-11,015.11
	कुल	**18,768.72**	**-17,845.18**
	घटाएं:		
	i. ब्याज का भुगतान	10,578.32	4,482.14
	ii. अनाबंटनीय निवल आय का अन्य अनाबंटनीय व्यय	5,126.02	623.21
	कर पूर्व लाभ/ (हानि) और असाधारण मद	**3,064.38**	**-22,950.53**
	असाधारण मद	-	-
	कर पूर्व लाभ/ (हानि)	**3,064.38**	**-22,950.53**
3	**लगाई गई पूंजी (खंड आस्तियां-खंड देयताएं)**		
	क. देशी बिक्री	14,556.07	14,852.59
	ख. निर्यात बिक्री	6,078.45	7,660.37
	कुल	**20,634.52**	**22,512.96**
	अनाबंटित	40,756.04	36,398.95
	लगाई गई कुल पूंजी	**61,390.56**	**58,911.91**
	पूंजीगत व्यय	**4,943.09**	**86,147.47**
	मूल्यह्रास और परिशोधन	**10,217.63**	**5,237.42**
	अन्य नकद रहित खर्च	**9,373.45**	**5,336.14**

31.10 संबद्ध पक्षकार के बारे में प्रकटन (AS-18)

31.10.01 कंपनी, सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम है और इसलिए AS-18 के अनुसार अन्य सरकारी उद्यमों के साथ किए गए लेन-देन प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है.

31.10.02 महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारी: मूल कंपनी

(i) श्री एच. कुमार, प्रबंध निदेशक
(ii) श्री विष्णु अग्रवाल, निदेशक (वित्त) 31 जनवरी, 2016 तक
(iii) श्री एम. वेंकटेश निदेशक (रिफाइनरी)
(iv) श्री ए.के. साहू, निदेशक (वित्त) 1 फरवरी, 2016 से
(v) श्री दिनेश मिश्रा, कंपनी सचिव

सहयोगी और संयुक्त उद्यम:
(i) श्री एस. रामचंद्रन्, CEO : ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि 30 जून, 2015 तक
(ii) श्री सुशील के शेणै, CFO : ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि
(iii) श्री श्याम कुमार, कंपनी सचिव: ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि,
(iv) श्री वी.एन. दिवाकर, CEO : शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड,
(v) श्री एस. चोक्कलिंगम्, CFO और कंपनी सचिव : शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड

(महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों को प्रदत्त पारिश्रमिक ₹37.79 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹16.93 दशलक्ष).

31.10.03 संबद्ध पक्षकार के ब्यौरे:

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड
संबंध	**सहबद्ध कंपनी**	**सहबद्ध कंपनी**
उत्पादों की बिक्री	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
रॉयल्टी आय/ब्याज आय/अन्य	0.03	कुछ नहीं
	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
सेवाओं के निमित्त निविष्टियों की खरीदारी/देय राशि	1,611.95	कुछ नहीं
	(700.26)	(कुछ नहीं)

देय परिवहन प्रभार	कुछ नहीं	13.89
	(कुछ नहीं)	(19.95)
व्यय की प्रतिपूर्ति	128.87	36.70
	(30.79)	(28.72)
31 मार्च, 2016 को प्राप्य/ समायोजनीय निवल रकम	1,701.50	1.21
	(982.16)	(0.20)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं.

31.11 संयुक्त उद्यमों में हितों के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग (AS-27)

(₹ दशलक्ष में)

विवरण	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लि.		मंगलम् रीटेल सर्विसेस लिमिटेड	
स्वामित्व वाले हित का अनुपात	50%		49.98%	
निगमन देश	भारत		भारत	
संयुक्त उद्यम में कुल ब्याज राशि (एमआरपीएल का अंश)	**2015-16 (लेखा परीक्षित)**	**2014-15 (लेखा परीक्षित)**	**2015-16 (लेखा परीक्षित)**	**2014-15 (लेखा परीक्षित)**
आस्तियां	897.31	1,025.15	0.67	0.67
देयताएं	530.36	668.83	0.09	0.10
आय	1,621.31	3,179.63	0.06	-
कर संबंधी खर्च सहित व्यय	1,602.20	3,140.94	0.04	0.03
आकस्मिक देयताएं	5.03	5.03	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

31.12 बीमा रक्षा

कंपनी ने, अपनी अचल आस्तियों के मेगा रिस्क बीमा पॉलिसी के तहत बीमा रक्षा प्रदान की है जो पाबंदी संबंधी सीमाओं और UK, EU और UN द्वारा अपवर्जन के अधीन है. पाबंदी हटाने के बाद नीति संबंधी शर्तों में दी गई रियायत का अभी पालन नहीं किया गया है.

31.13 व्यापारी देयताएं

टिप्पणी सं. 9 में निर्दिष्ट व्यापारी देयताओं में शामिल है, ₹177,990.35 दशलक्ष (पिछले वर्ष ₹147,854.73 दशलक्ष) जो UN/US/EU द्वारा समर्थित पाबंदी के कारण प्रेषण माध्यम तय करने में नाकाम होने की वजह से समझौता होने तक नैशनल इरानियन ऑइल कंपनी (NIOC)को देय अतिदेय रकम है.

31.14 लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 32 की अपेक्षानुसार प्रकटन

ऋण के रूप में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है जिसे सहयोगी, सहबद्ध और संयुक्त उद्यमों को दिया गया है.

31.15 चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकडों का पुन:समूहन/पुन:वर्गीकरण किया गया है.

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए. राघवेंद्र राव एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003324S

हस्ता/-
सीए. गोपालकृष्ण भट्ट टी.एम.
साझेदार
सदस्यता सं. 019798

कृते श्रीधर, सुरेश एण्ड राजगोपालन्
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 003957S

हस्ता/-
सीए.के. श्रीधर
साझेदार
सदस्यता सं. 024314

मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
एच. कुमार
प्रबंध निदेशक
DIN:06851988

हस्ता/-
ए.के. साहू
निदेशक(वित्त)
DIN:07355933

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

बेंगलूरु : 12 मई, 2016

गत निष्पादन की एक झलक

(₹ दशलक्ष में)

	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
हमारी देयताएं										
शेयर पूंजी	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,526.64	17,572.57	17,618.50	17,618.50	17,618.31	17,618.21	17,618.04
आरक्षित निधि	46,677.80	35,522.95	53,162.08	47,150.26	54,719.37	47,670.51	38,347.02	29,675.68	20,211.22	9,949.92
निवल मालियत	**64,204.44**	**53,049.59**	**70,688.72**	**64,676.90**	**72,291.94**	**65,289.01**	**55,965.52**	**47,293.99**	**37,829.43**	**27,567.96**
उधार	81,028.40	90,324.65	97,927.21	75,576.54	61,831.10	15,569.75	16,963.97	19,868.04	20,580.68	23,683.07
आस्थगित कर देयताएं	806.31	-	4,702.69	7,343.28	4,531.40	3,471.64	6,602.22	5,685.53	5,307.79	5,989.56
कुल	**146,039.15**	**143,374.24**	**173,318.62**	**147,596.72**	**138,654.44**	**84,330.40**	**79,531.71**	**72,847.56**	**63,717.90**	**57,240.59**
अचल आस्तियां (पूंजी WIP सहित)	226,935.30	223,190.91	208,025.23	188,929.44	161,134.49	130,871.85	92,954.50	78,390.04	75,053.07	74,028.40
घटाएं: मूल्यह्रास	75,889.89	68,323.33	62,595.55	55,578.31	49,644.32	45,301.36	41,428.08	37,661.38	33,988.12	30,363.80
	151,045.41	**154,867.58**	**145,429.68**	**133,351.13**	**111,490.17**	**85,570.49**	**51,526.42**	**40,728.66**	**41,064.95**	**43,664.60**
निवेश	13,496.73	13,496.73	150.02	150.02	422.80	948.25	16,236.62	6,428.93	6,451.36	272.80
निवल चालू आस्तियां	(18,502.99)	(24,990.07)	27,738.92	14,095.57	26,741.47	(2,188.34)	11,768.67	25,689.97	16,201.59	13,303.19
कुल	**146,039.15**	**143,374.24**	**173,318.62**	**147,596.72**	**138,654.44**	**84,330.40**	**79,531.71**	**72,847.56**	**63,717.90**	**57,240.59**
आय										
बिक्री (निवल उत्पाद शुल्क)	396,320.40	574,381.45	718,104.96	656,915.16	537,633.43	389,566.73	318,851.74	382,437.41	325,751.28	284,646.10
अन्य आय	8,725.24	8,101.56	3,244.67	1,160.36	3,543.09	2,171.83	2,915.12	1,866.41	740.73	411.99
विनिमय में घट-बढ़ (निवल) अभिलाभ	-	-	-	-	-	184.48	3,903.97	-	1,374.86	325.21
स्टॉक में वृद्धि(/अवनति)	(6,831.66)	(18,861.34)	6,740.75	11,161.53	1,502.05	8,152.71	2,958.77	(5,968.56)	1,048.01	7,983.22
कुल	**398,213.98**	**563,621.67**	**728,090.38**	**669,237.05**	**542,678.57**	**400,075.75**	**328,629.60**	**378,335.26**	**328,914.88**	**293,366.52**
व्यय										
कच्चा माल	346,504.26	558,860.55	707,406.32	654,001.82	512,367.50	372,193.37	302,308.74	345,127.66	300,840.43	271,072.55
बिक्री कर और स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवल)	1,588.96	916.85	199.63	217.99	(606.16)	647.77	894.23	559.01	2,242.82	3,324.22
वेतन और अन्य खर्च	3,061.41	2,407.42	2,154.74	1,845.60	1,606.42	1,845.35	958.95	1,130.30	1,248.17	552.06
विनिमय में घट-बढ़ (निवल) : हानि	11,902.67	6,835.01	19.03	5,364.91	6,482.20	-	-	6,104.96	-	-
अन्य खर्च	10,519.18	7,103.78	3,935.12	3,245.56	3,221.08	3,056.42	2,500.98	2,039.09	1,997.56	1,834.32
ब्याज	5,778.35	4,070.88	3,214.41	3,285.53	2,066.77	1,043.73	1,154.98	1,434.51	1,475.89	2,145.26
मूल्यह्रास	7,124.05	4,986.10	7,064.17	6,044.10	4,338.73	3,914.19	3,893.27	3,823.16	3,778.18	3,548.56
बट्टे खाते डाले गए अन्य व्यय						-	-			
कुल	**386,478.88**	**585,180.59**	**723,993.42**	**674,005.51**	**529,476.54**	**382,700.83**	**311,711.15**	**360,218.69**	**311,583.05**	**282,476.97**
कर पूर्व लाभ	**11,735.10**	**(21,558.92)**	**4,096.96**	**(4,768.46)**	**13,202.03**	**17,374.92**	**16,918.45**	**18,116.57**	**17,331.83**	**10,889.55**
कराधान के लिए प्रावधान	253.51	(4,436.58)	(1,914.86)	2,800.65	4,116.25	5,608.59	5,794.68	6,191.13	4,609.55	5,634.32
कर उपरांत लाभ	**11,481.59**	**(17,122.34)**	**6,011.82**	**(7,569.11)**	**9,085.78**	**11,766.33**	**11,123.77**	**11,925.44**	**12,722.28**	**5,255.23**
लाभांश	-	-	-	-	1,752.60	2,103.13	2,103.13	2,103.49	2,103.49	1,402.33
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	284.32	341.18	349.30	357.49	357.49	238.33
GRM ($/bbl)	5.20	(0.64)	2.67	2.45	5.60	5.90	4.58	6.56	6.59	4.73

(आंकड़ों का, जहां कहीं ज़रूरी हो पुन:समूहन और पुन: आयोजन किया गया)

तीन वर्ष के निष्पादन की एक झलक (यूएस $ में)

(₹ दशलक्ष में)

	2015-16	2014-15	2013-14
हमारी देयताएं			
शेयर पूंजी	267.77	286.57	289.83
आरक्षित निधि	713.14	580.83	879.13
निवल मालियत	**980.91**	**867.40**	**1,168.96**
उधार	1,237.95	1,476.87	1,619.40
आस्थगित कर देयताएं	12.32	-	77.77
कुल	**2,231.18**	**2,344.27**	**2,866.12**
हमारी स्वाधिकृत पूंजी			
अचल आस्तियां (पूंजी WIP सहित)	3,467.10	3,649.33	3,440.06
घटाएं: मूल्यह्रास	1,159.44	1,117.13	1,035.13
	2,307.66	**2,532.19**	**2,404.93**
निवेश			
निवल चालू आस्तियां	(282.69)	(408.61)	458.71
कुल	**2,231.18**	**2,344.27**	**2,866.12**
आय			
बिक्री (निवल उत्पाद शुल्क)	5,981.74	9,190.10	11,985.40
अन्य आय	131.69	129.62	54.15
विनिमय में घट-बढ़ (निवल) अभिलाभ	-	-	-
स्टॉक में वृद्धि(/अवनति)	(103.11)	(301.78)	112.51
कुल	**6,010.32**	**9,017.95**	**12,152.06**
व्यय			
कच्चा माल	5,229.86	8,941.77	11,806.83
बिक्री कर और स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवल)	23.98	14.67	3.33
वेतन और अन्य खर्च	46.21	38.52	35.96
विनिमय में घट-बढ़ (निवल) : हानि	179.65	109.36	0.32
अन्य खर्च	158.77	113.66	65.68
ब्याज	87.21	65.13	53.65
मूल्यह्रास	107.52	79.78	117.90
बट्टे खाते डाले गए अन्य व्यय			
कुल	**5,833.20**	**9,362.89**	**12,083.68**
कर पूर्व लाभ	**177.12**	**(344.94)**	**68.38**
कराधान के लिए प्रावधान	3.83	(70.99)	(31.96)
कर उपरांत लाभ	**173.29**	**(273.96)**	**100.34**
लाभांश	-	-	-
लाभांश वितरण कर	-	-	-
GRM ($/bbl)	5.20	(0.64)	2.67

(आंकड़ों का, जहां कहीं ज़रूरी हो पुन:समूहन और पुन: आयोजन किया गया है)

एमआरपीएल का निष्पादन

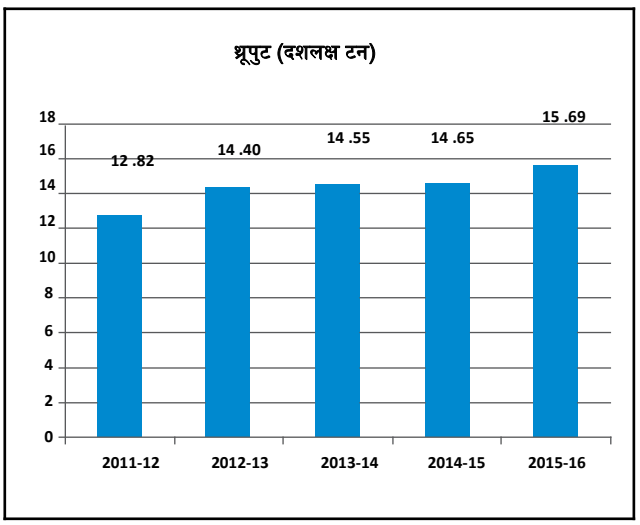

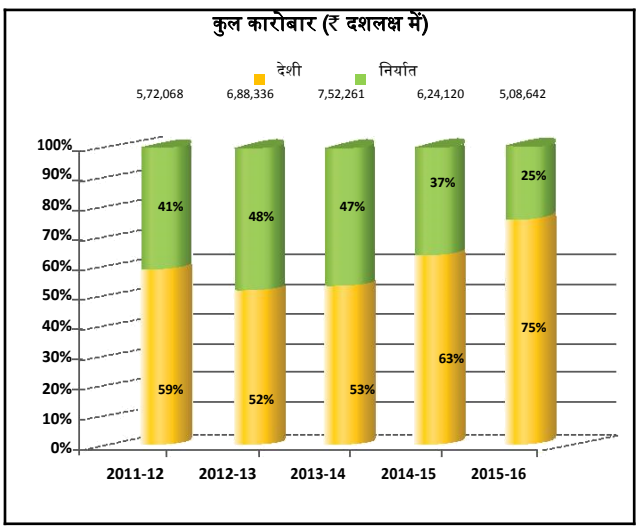

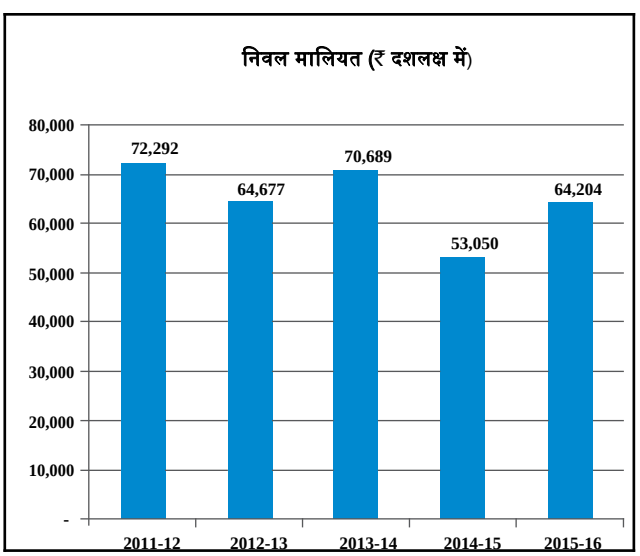

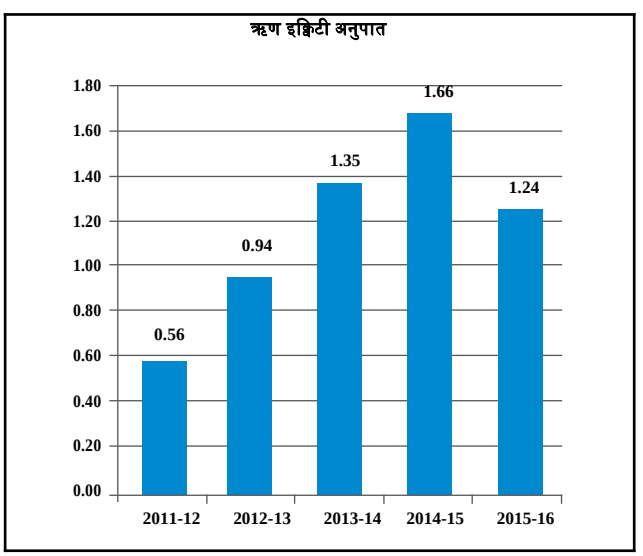

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम और ओएनजीसी की सहायक कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय : मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला,
मंगलूरु - 575 030, कर्नाटक
CIN: L85110KA1988GOI008959
ई-मेल : investor@mrpl.co.in वेबसाइट: www.mrpl.co.in टेलीफोन सं. 0824-2270400, फैक्स सं. 0824-2273300

28वीं वार्षिक महासभा (AGM) की नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की 28वीं वार्षिक महासभा, शनिवार, 3 सितंबर, 2015 को दोपहर 4.00 बजे, एमआरपीएल कर्मचारी क्लब, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग, काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030 में होगी जिसमें नीचे उल्लिखित कारोबार किया जाएगा:

सामान्य कारोबार

1. प्राप्त, विचार कर अपनाना.
   (क) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी लेखा परीक्षित स्वतंत्र समेकित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट; तथा
   (ख) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट.
2. श्री डी.के. सर्राफ़ (DIN: 00147870) के स्थान पर, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, निदेशक नियुक्त करना.

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और साधारण संकल्प के रूप में नीचे उल्लिखित संकल्प पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना:

   " यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, कंपनी के निदेशकों को एतद्द्वारा यह प्राधिकार दिया जाए और दिया जाता है कि वे, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा यथा नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा कार्य के सिलसिले में फुटकर खर्च की प्रतिपूर्ति सहित पारिश्रमिक और अन्य नियम एवं शर्तें तय करें.

विशिष्ट कारोबार:

4. **श्री ए.के. साहू (DIN:07355933) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**
   "यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अगर कोई अन्य लागू प्रावधान हों तो उनका और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए, श्री ए.के. साहू (DIN:07355933) को, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा, उनके पत्र सं. C-31013/1/2014-CA/FTS:30015 दिनांक 9 नवंबर 2015 के जरिए निदेशक(वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 1 फरवरी, 2016 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप Rमें नियुक्त करते हुए निदेशक (वित्त) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्री ए.के. साहू (DIN:07355933) को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे."

5. **श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (DIN:07464700) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**
   "यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अगर कोई अन्य लागू प्रावधान हों तो उनका और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए, श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (DIN:07464700)को, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा, उनके पत्र सं. .C-31033/1/2012-CA/ FTS:18688 दिनांक 3 मार्च, 2016 के जरिए सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 9 मार्च, 2016 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (DIN:07464700) को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे."

6. **अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs)/बांड निर्गमित करते हुए ₹3,000 करोड़ तक धनराशि जुटाना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, विशिष्ट संकल्पों के रूप में पारित करना:**
   "संकल्प पारित किया गया कि कंपनी (प्रॉस्पेक्टस् और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों तथा किन्हीं अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों (उसमें किए गए किसी सांविधिक आशोधनों अथवा पुन: अधिनियम सहित) का अनुसरण करते हुए कंपनी का निदेशक मंडल (the "Board")को यह प्राधिकार दिया जाए और यह प्राधिकार दिया जाता है कि वह, समय-समय पर यथा लागू नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और अधिनियम के अनुरूप, विशिष्ट संकल्प

पारित करने की तारीख से लेकर एक वर्ष पूरा होने तक अथवा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अगली वार्षिक महासभा की तारीख तक, जो भी पहले हो, देशी बाजार में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित उधार लेने की शक्ति के अधीन एक अथवा उससे अधिक ट्रांचस/श्रृंखलाओं में ₹3,000 तक अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCDs)/बांडों में अभिदान करने के प्रति पेशकश अथवा आमंत्रित करे."

"यह संकल्प पारित किया गया कि निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह, समय-समय पर ऐसे तमाम कार्य और कृत्य करें जो अंकित मूल्य, निर्गम कीमत, निर्गम आकार, मुद्दत, समय, रकम, जमानत, कूपन/ब्याज दर, प्रतिफल, लिस्टिंग, आबंटन और NCD/बांड जारी करने संबंधी ऐसे अन्य नियम और शर्तें, जो उसके परम विवेकानुसार आवश्यक समझे जाएं, निर्धारित करने सहित जो उस हद तक सीमित नहीं हैं, इन बांडों का निजी स्थानन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं.

7. **SEBI के निदेश का अनुसरण करते हुए कंपनी का शेयरधारण, 25% तक बढ़ाना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, विशिष्ट संकल्पों के रूप में पारित करना:**

"यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों (समय-समय पर यथा संशोधित तत्समय लागू किसी सांविधिक आशोधनों अथवा पुन: विनियमन सहित) का अनुसरण करते हुए और कंपनी के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारण हासिल करने के तरीके के बारे में SEBI (पूंजी निर्गम और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2009, SEBI परिपत्र सं. CIR/CFD/CMD/14/2015 दिनांक 30/11/2015 और उन अन्य अनुमोदनों, इजाज़तों और मंजूरियों के अधीन जो आवश्यक समझे जाएं और आगे उन शर्तों पर और आशोधनों के अधीन जिन्हें इस तरह के अनुमोदन, इजाज़त और मंजूरी पाने के लिए निर्धारित किया गया हो और जिसके लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने (जिसे इसके आगे "the Board" कहा गया है, जिस शब्द में उसकी किसी समिति को शामिल किया मान लिया गया है), अपनी सहमति दी हो, कंपनी के निदेशक मंडल को, प्रतिभूति ठेका (विनियम) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक शेयरधारण को 25% तक बढ़ाने के लिए इक्विटी शेयर सहित एक या उससे अधिक ट्रांचस में प्रतिभूतियां पेश, निर्गमित और आबंटित करने अथवा उपलब्ध अन्य किसी विकल्प का अनुमोदन देने के लिए सहमति, प्राधिकार और अनुमोदन दिया जाए और दिया जाता है. "

"आगे यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी को यह सहमति दी जाए और एतद्वारा सहमति दी जाती है कि वह, SEBI द्वारा उनके परिपत्र सं. CIR/CFD/CMD/14/2015 दिनांक 30/11/2015 के जरिए अधिसूचित किसी भी तरीके से इक्विटी शेयरों सहित प्रतिभूतियां निर्गमित करे और निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दे कि वह, प्रतिभूति ठेका (विनियम), 1957 के नियम 19(2)(ख) और/अथवा नियम 19A में विनिर्दिष्ट 25% सार्वजनिक शेयरधारण का न्यूनतम स्तर हासिल करने के लिए उपलब्ध किसी दूसरे विकल्प के लिए अनुमोदन दे.

"आगे यह संकल्प पारित किया गया कि उक्त बातों को लागू करने के प्रयोजन से, बोर्ड को यह प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा दिया जाता है कि वह जिस श्रेणी के निवेशकर्ता को प्रतिभूतियां आबंटित करनी हो उस श्रेणी, प्रत्येक भाग में आबंटित की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम कीमत, अंकित मूल्य एजेंसियों को मुकर्रर करने, निर्गम/ परिवर्तन/ प्रतिदान में प्रीमियम रकम, बोर्ड द्वारा अपने परम विवेकानुसार ठीक समझे गए भारत अथवा विदेश में एक या उससे अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, और इस तरह के निर्गम(मों) से जुड़े प्राधिकारियों द्वारा यथा अपेक्षित प्रस्तावों में कोई आशोधन करने और स्वीकार करने, प्रतिभूतियों के निर्गम(मों) के बारे में ऐसे तमाम कार्य, कृत्य, मामले करने और उत्पन्न होने वाले सवाल अथवा कठिनाइयां दूर करने सहित निर्गम के नियमों और समय का निर्धारण करे.

"आगे यह संकल्प पारित किया गया कि प्रतिभूतियों की पेशकश, उनका निर्गम अथवा आबंटन लागू करने अथवा 25% सार्वजनिक शेयरधारण को बढ़ाने के लिए उपलब्ध किसी दूसरे विकल्प को स्वीकार करने, अनुमोदित करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल को प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह, कंपनी की तरफ से ऐसे तमाम कार्य, कृत्य, मामले संभाले जो वह अपने परम विवेकानुसार, किसी परिसीमा के बगैर प्रतिभूति ठेका (विनियम)(द्वितीय संशोधन), नियम, 2014 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारण हासिल करने के लिए शर्तों का निर्धारण करने सहित इस प्रयोजन के लिए आवश्यक अथवा वांछनीय समझे".

8. **वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखाकारों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना:**

"यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (उसमें किसी सांविधिक आशोधन(नों) अथवा पुन:अधिनियमन सहित) का अनुसरण करते हुए कंपनी के लागत संबंधी रेकॉर्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों को, इस बैठक के आयोजन से संबंधित नोटिस के साथ संलग्न विवरण में यथा निर्दिष्ट तरीके से ₹1,75,000/- के पारिश्रमिक के साथ देय लागू कर, यात्रा खर्च और फुटकर खर्च अदा किया जाए. "

"आगे यह संकल्प पारित किया गया कि निदेशक मंडल को प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह ऐसे तमाम कार्य करे और ऐसे समस्त कदम उठाए तो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक, उचित अथवा समीचीन हों. "

9. **वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागत लेखाकारों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना:**

"यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (उसमें किसी सांविधिक आशोधन(नों) अथवा पुन:अधिनियमन सहित) का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के लागत संबंधी रेकॉर्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों को, इस बैठक के आयोजन से संबंधित नोटिस के साथ संलग्न विवरण में यथा निर्दिष्ट तरीके से ₹1,85,000/- के पारिश्रमिक के साथ देय लागू कर, यात्रा खर्च और फुटकर खर्च अदा किया जाए. "

"आगे यह संकल्प पारित किया गया कि निदेशक मंडल को प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह ऐसे तमाम कार्य करे और ऐसे समस्त कदम उठाए तो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक, उचित अथवा समीचीन हों. "

10. **संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए संबंधित पक्षकार के लेन-देन के लिए अनुमोदन देना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना:**

"यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और अगर कोई प्रावधान लागू हो तो उनका, (तत्समय प्रवृत्त उसमें

किए गए किसी सांविधिक आशोधन(नों) अथवा पुन:विनियमनों सहित), कंपनी की संबंधित पक्षकार के साथ किए गए लेन-देन संबंधी नीति और अन्य सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों आदि का अनुसरण करते हुए, किसी वित्तीय वर्ष में, कारोबार के सामान्य क्रम में नजदीकी तेल भंडारों के साथ संबंधित पक्षकारों में से प्रत्येक के साथ अर्थात्; शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसेस लिमिटेड और मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड कंपनी के कुल कारोबार के 10% अथवा ₹100 करोड़ से अधिक मात्रा में, जो भी कम हो, किए गए लेन-देन के लिए कंपनी की सहमति ली जाए और एतद्वारा सहमति ली जाती है. "

"आगे यह संकल्प पारित किया गया कि निदेशक मंडल को प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह ऐसे तमाम कार्य करे और ऐसे समस्त कदम उठाए तो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक, उचित अथवा समीचीन हो. "

निदेशक मंडल के आदेश से
हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान: मंगलूरु
दिनांक : 01/08/2016

टिप्पणियां:

1. जैसे कि नोटिस में कहा गया है, किए जाने वाले विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 का अनुसरण करते हुए संबंधित व्याख्यात्मक बयान इसके साथ संलग्न किया गया है. रिमोट ई-मतदान करने के लिए अनुदेशों के साथ 28वीं वार्षिक महासभा की नोटिस, सदस्यों, निदेशकों, लेखा परीक्षकों और पात्र दूसरों को अनुमत माध्यम से भेजी गई है.
2. वार्षिक महासभा में भाग लेकर मतदान करने के लिए पात्र सदस्य, अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने और उससे मतदान कराने के लिए भी पात्र होगा जब कि यह ज़रूरी नहीं है कि ऐसा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो. विधिमान्य और प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी फ़ार्म, कंपनी के पास उसके पंजीकृत कार्यालय में, महासभा शुरु होने से ठीक अड़तालीस घंटे (48 घंटे) पहले पेश करना होगा. खाली प्रॉक्सी फ़ार्म संलग्न किया गया है.
   कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति, अधिकतम पचास सदस्यों की तरफ से प्रॉक्सी बन सकता है और मतदान अधिकार के साथ कंपनी की कुल शेयर पूंजी के अधिकतम दस प्रतिशत शेयर रख सकता है. मतदान अधिकार के साथ कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाला व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति अथवा सदस्य के लिए प्रॉक्सी नहीं बन सकेगा. लिमिटेड कंपनियों, सोसाइटियों आदि की तरफ से प्रस्तुत प्रॉक्सियों को यथा लागू उचित संकल्प/प्राधिकार का समर्थन देना होगा.
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कार्पोरेट सदस्यों को महासभा में उनकी तरफ से भाग लेकर मतदान करने का प्राधिकार देते हुए पारित बोर्ड के संबंधित संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी होगी.
4. वार्षिक समापन के प्रयोजन से, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां, 28/08/2016 से 03/09/2016 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगी.
5. SEBI (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत यथा आदेशित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा, नोटिस का भाग बनती है. कंपनी के निदेशकों में से कोई भी आपस में रिश्तेदार नहीं है.
6. शेयर अंतरण दस्तावेज और उससे संबंधित तमाम पत्राचार, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, - मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि., सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एल.बी.एस. मार्ग, भंडूप (पश्चिम) मुंबई - 400 078, ई-मेल mrplirc@linkintime.co.in के पास भेजे जाएं.
7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने प्रतिभूति बाजारों में हर एक सहभागी के लिए स्थाई खाता संख्या (पैन) संख्या पेश करना अनिवार्य बनाया है. इसलिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे, अपना पैन, उस निक्षेपागार सहभागी को पेश करें जिनके पास उन्होंने अपने डीमैट खाते रखे हों. मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, अपने पैन के ब्यौरे, मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि., सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एल.बी. एस. मार्ग, भंडूप (पश्चिम) मुंबई - 400 078, ई-मेल mrplirc@linkintime.co.in के पास भेजे.
8. अगर किसी सदस्य को, इस बैठक के कारोबार की किसी मद के बारे में कोई जानकारी चाहे तो वह ऐसी दरख्वास्त, 24/08/2016 से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर कंपनी सचिव के पास, ई-मेल investor@mrpl.co.in, पर भेजे जिससे कि उन पर ठीक तरह से गौर किया जा सके. सदस्य, संलग्न नोटिस में यथा निर्दिष्ट संबंधित दस्तावेजों का, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, सभी कार्य दिवस अर्थात्; सोमवार से शुक्रवार तक, दोपहर 3.30 बजे से श्याम 5.00 बजे तक, 03/09/2016 तक अर्थात्; 28वीं वार्षिक महासभा की तारीख तक निरीक्षण कर सकते हैं.
9. संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 और धारा 136 का अनुसरण करते हुए उन सदस्यों को, जिन्होंने अपने ई-मेल पते या तो कंपनी के पास या निक्षेपागार सहभागी के पास पंजीकृत किए हैं, 28वीं AGM की नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य पत्राचार की पीडीएफ प्रति, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजी गई है. जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते, कंपनी के पास पंजीकृत नहीं किए हैं, वे अब उसका पंजीकरण करा सकता है जिसके लिए कंपनी के वेबसाइट www.mrpl. co.in पर उपलब्ध पंजीकरण फार्म भरकर उसे मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि. अथवा कंपनी के निवेशकर्ता सेवा विभाग के पास भेज सकते हैं. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे, अपने ई-मेल पते का पंजीकरण, अपने निक्षेपागार सहभागी(सहभागियों) के पास ही कराएं.
   अपने ई-मेल पते का पंजीकरण कराए सदस्य भी, अनुरोध करने पर मूर्त रूप में ऐसी सूचना पाने के हकदार हैं.
10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और SEBI(लिस्टिंग बाध्यता और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 का अनुसरण करते हुए 28वीं AGM में पारित किए जाने वाले संकल्पों पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान करने के लिए सदस्यों को रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान की गई है. जिन सदस्यों के नाम, 27/08/2016 को अर्थात.; बही बंद होने की प्रक्रिया शुरु होने से एक दिन पहले, सदस्यों के रजिस्टर/हितकारी मालिकों की सूची में नज़र आए उनको इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों पर अपना मतदान करने का हक है. सदस्य, महासभा के स्थान से भिन्न (रिमोट ई-मतदान) स्थान से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं. रिमोट ई-मतदान, 02/09/2016 को प्रातः 9.00 बजे शुरु होकर 31/08/2016 को श्याम 5.00 बजे खत्म होगा. इसके अलावा, मतपत्रों के जरिए मतदान करने की सुविधा भी, AGM के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी और 28वीं AGM में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान से अपना मतदान न किया हो वे भी 28वीं AGM के स्थान पर अपना मतदान करने के लिए पात्र हैं.
11. IEPF नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने कंपनी ने 2004-05,

2005-06, 2006-07 और 2007-08 वर्षों के अदत्त अथवा अदावी लाभांश का, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में नियत तारीखों को अंतरण किया. निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास पड़ी अदत्त एवं अदावी रकम के बारे में सूचना का अपलोडिंग) नियम, 2012 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 08/08/2015 तक (पिछली वार्षिक महासभा की तारीख) कंपनी के पास पड़ी रही अदत्त एवं अदावी लाभांश रकम के ब्यौरे, कंपनी की वेबसाइट (www.mrpl.co.in) पर और साथ ही कंपनी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं. विव 2008-09 का अदावी लाभांश का अंतरण, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए 24/10/2016 तक या उससे पहले निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में करना पड़ेगा.

12. मूर्त रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार नामांकन सुविधा का उपभोग करते हुए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में यथा निर्धारित फार्म SH-13 में नामांकन कर सकते हैं. मूर्त रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के RTA को दो प्रतियों में फार्म SH-13 भेज सकते हैं. अगर शेयर अमूर्त रूप में हों तो संबंधित DP के पास नामांकन दर्ज कराना होगा.

13. एक से अधिक फोलियो में मूर्त रूप में एक से अधिक फोलियो में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे, समेकन कराने की खातिर संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों के साथ कंपनी अथवा अपने RTA के पास आवेदन करें.

14. सदस्यों से अनुरोध है कि पते में परिवर्तन होते ही इनको अधिसूचित करें:
    i) अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के मामले में DP को, और
    ii) अगर कोई शेयर मूर्त रूप में हों तो उनकी फोलियो संख्या के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा उसके RTA को.

15. कंपनी ने, रिमोट ई-मतदान और AGM के स्थान पर खुद आ कर मतदान करने की प्रक्रिया पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए मेसर्स रथी एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, मुंबई को संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है. रिमोट ई-मतदान के जरिए मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे, इसके आगे दी गई विस्तृत क्रियाविधियों पर गौर करें.

16. " रिमोट ई-मतदान " से संबंधित विस्तृत क्रियाविधि संलग्न की गई है जो इस नोटिस का ही एक भाग है.

17. महासभा में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वही संयुक्त धारक, जिसका नाम क्रम में सब से पहले हो, महासभा में मतदान करने का हकदार होगा.

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत रखे गए निदेशकों और महत्वपूर्ण कर्मचारियों और उनके शेयरधारण का रजिस्टर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत ठेकों अथवा व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों का हित हो, 28वीं वार्षिक महासभा में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा.

नोटिस का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) का अनुसरण करते हुए व्याख्यात्मक बयान

नीचे उल्लिखित व्याख्यात्मक बयान में, संलग्न की गई नोटिस में उल्लिखित विशिष्ट कारोबार के सिलसिले में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया है.

मद सं.4

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या C-31013/1/2014-CA/FTS:30015 दिनांक 9 नवंबर, 2015 के जरिए श्री ए.के. साहू को 01/02/2016 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया. बाद में निदेशक मंडल ने श्री ए.के. साहू को 1 फरवरी, 2016 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जिनको निदेशक (वित्त) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया, जो वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालेंगे.

कंपनी को, कंपनी में निदेशक पद के लिए श्री ए.के. साहू की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए एक सदस्य से ₹1,00,000 की जमाराशि के साथ लिखित रूप में नोटिस मिली है.

श्री ए.के. साहू, निदेशक (वित्त), ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड के बोर्ड पर निदेशक हैं. श्री ए.के. साहू, बोर्ड के निदेशकों में से किसी के रिश्तेदार नहीं हैं. इन्होंने इस कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं खरीदे हैं.

तदनुसार निदेशक, सदस्यों का अनुमोदन करने के लिए इस मद में निर्दिष्ट संकल्प की सिफ़ारिश करते हैं. श्री ए.के. साहू को छोड़कर बाकी के किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों का इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई हित है.

मद सं.5

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओ एण्ड एनजी), भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या C-31033/1/2012-CA/FTS:18688 दिनांक 3 मार्च, 2016 के जरिए श्री दिवाकर नाथ मिश्रा को निदेशक के रूप में नियुक्त किया. बाद में निदेशक मंडल ने श्री दिवाकर नाथ मिश्रा को 9 मार्च, 2016 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जो वार्षिक महासभा की तारीख पद संभालेंगे.

कंपनी को, कंपनी में निदेशक पद के लिए श्री दिवाकर नाथ मिश्रा की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए एक सदस्य से ₹1,00,000 की जमाराशि के साथ लिखित रूप में नोटिस मिली है.

श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, बोर्ड के निदेशकों में से किसी के रिश्तेदार नहीं हैं. इन्होंने कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं खरीदे हैं.

तदनुसार निदेशक, सदस्यों का अनुमोदन करने के लिए इस मद में निर्दिष्ट संकल्प की सिफ़ारिश करते हैं. श्री दिवाकर नाथ मिश्रा को छोड़कर बाकी के किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों का इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई हित है.

मद सं.6

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस् और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, जब तक प्रतिभूतियों की प्रस्तावित पेशकश अथवा प्रतिभूतियों में अभिदान करने के आमंत्रण के लिए कंपनी के शेयरधारकों ने प्रत्येक पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में एक विशिष्ट संकल्प के जरिए इससे पहले अनुमोदन न दिया हो कंपनी, अपनी प्रतिभूतियों का निजी स्थानन नहीं कर सकेगी. लेकिन अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में, वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर से संबंधित तमाम पेशकश अथवा आमंत्रण के लिए कंपनी द्वारा वर्ष में एक बार एक विशिष्ट संकल्प पारित करना पर्याप्त होगा.

इन बातों के मद्दे नज़र, कंपनी के सदस्यों का इस आशय का अनुमोदन लिया जा रहा है कि वह निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दें कि वह, विशिष्ट संकल्प पारित करने की तारीख से लेकर एक वर्ष पूरा होने तक अथवा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अगली वार्षिक महासभा की तारीख तक, जो भी पहले हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित उच्चतम सीमा के अधीन ₹3,000 तक अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCDs)/बांडों में अभिदान करने के प्रति पेशकश अथवा आमंत्रित करे."

कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव पर विचार कर प्रस्तावित विशिष्ट संकल्प पारित करने की सिफ़ारिश की थी.

बहरहाल, किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों का, सिवाय कंपनी में उनके इक्विटी धारण की सीमा तक, या तो वित्तीय दृष्टि से या अन्यथा, इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई हित है.

मद सं.7

प्रतिभूति ठेका (विनियम) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यता और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 38 के तदनुरूपी प्रावधानों के अनुसार, सूचीबद्ध हर एक कंपनी को कुल पूंजी का कम से कम 25% शेयर धारण बनाए रखना होगा. इस समय कंपनी का सार्वजनिक शेयरधारण 11.43% है और शेष (88.57%) प्रवर्तकों के पास है.

SEBI ने अपने परिपत्र सं. CIR/CFD/CMD/14/2015 दिनांक 30/11/2015 के जरिए प्रतिभूति ठेका (विनियम), 1957 के नियम 19(2)(ख) और/अथवा नियम 19A में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक शेयरधारण का न्यूनतम स्तर हासिल करने के लिए नीचे उल्लिखित तरीके सुझाए हैं.

i) प्रास्पेक्टस् के जरिए सार्वजनिक को शेयर निर्गमित करना;
ii) प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर, सार्वजनिक को प्रॉस्पेक्टस् के जरिए बेचने की पेशकश.
iii) SEBI के परिपत्र CIR/MRD/DP/05/2012 दिनांक 01/02/2012 के अनुसार गौण बाजार के जरिए प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों की बिक्री.
iv) SEBI (पूंजी का निर्गम और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अध्याय VIIIA के अनुसार संस्थागत स्थानन कार्यक्रम (IPP).
v) सार्वजनिक शेयरधारकों को अधिकार निर्गम करना जिसमें प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह के शेयरधारक, इस तरह के निर्गम से उत्पन्न इक्विटी शेयरों की अपनी हक़दारी का परित्याग करते हैं.
vi) सार्वजनिक शेयरधारकों को बोनस निर्गम करना जिसमें प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह के शेयरधारक, इस तरह के निर्गम से उत्पन्न इक्विटी शेयरों की अपनी हक़दारी का परित्याग करते हैं.
vii) ऐसा कोई दूसरा तरीका जिसके लिए SEBI ने मामला-दर-मामला आधार पर अनुमोदन दिया हो. इस प्रयोजन के लिए, सूचीबद्ध उद्यम, उचित ब्यौरे के साथ SEBI का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन इस आशय से लिया जा रहा है कि वह निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दें कि वह, 25% सार्वजनिक शेयरधारण हासिल करने के तरीकों के बारे में जारी किए गए SEBI के दिनांक 30/11/2015 के परिपत्र का अनुसरण करते हुए किसी भी उपलब्ध विकल्प के जरिए सार्वजनिक शेयरधारण, 25% तक बढ़ाने के लिए अपना अनुमोदन दे.

बहरहाल, किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों का, सिवाय कंपनी में उनके इक्विटी धारण की सीमा तक, या तो वित्तीय दृष्टि से या अन्यथा, इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई हित है.

मद सं. 8 और 9

कंपनी अधिनियम, 2013 (the Act) की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (the Rules) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के लागत संबंधी रेकॉर्डों की लेखा परीक्षा कराने के लिए लागत लेखा परीक्षक को नियुक्त करना पड़ेगा. लेखा परीक्षा समिति की सिफ़ारिश के आधार पर, बोर्ड ने, मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं, लागत लेखाकार को लागत लेखा परीक्षा के संबंध में, अगर कोई लागू कर, यात्रा खर्च और फुटकर खर्च हो तो उसके साथ ₹1,75,000/- के कुल पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए अपना अनुमोदन दिया है. लेखा परीक्षा समिति की सिफ़ारिश के आधार पर, बोर्ड ने, मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं, लागत लेखाकार को लागू कर, यात्रा खर्च और फुटकर खर्च के साथ ₹1,85,000/- के पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

लेखा परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत पारिश्रमिक पर, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 148 (3) के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा बाद में विचार कर उसके लिए अनुमोदन दिया जाएगा और शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन दिया जाएगा. तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे, वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करें.

किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों का इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई हित है.

बोर्ड, सदस्यों के अनुसमर्थन के लिए संकल्पों की सिफ़ारिश करता है.

मद सं.10

कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और SEBI (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके आगे " SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015") के प्रावधानों के अनुसार, संकल्प के जरिए शेयरधारकों का अनुमोदन लिए बगैर, कंपनी, कंपनी के कुल कारोबार के 10% अथवा ₹100 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक कोई सेवा लेने अथवा देने के लिए किसी संबंधित पक्षकार के साथ कोई लेन-देन नहीं करेगी.

आपकी कंपनी के संबंधित पक्षकारों में, अन्य बातों के साथ-साथ उसकी सहायक एवं सहबद्ध कंपनियां शामिल हैं. MCA अधिसूचना संख्या GSR 463 (E) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, दो सरकारी कंपनियों के बीच लेन-देन के लिए अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों से छूट दी गई है. ये छूट, SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के तहत भी उपलब्ध हैं. इसलिए सरकारी कंपनियों के साथ, जो आपके कंपनी के संबंधित पक्षकार हैं, आपकी कंपनी के लेन-देन के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन नहीं लेना पड़ेगा. SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए सभी संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में लेखा परीक्षा समिति से समग्र अनुमोदन लिया गया है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 का अनुसरण करते हुए कंपनी, किसी वित्तीय वर्ष में शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसेस लिमिटेड और मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड के साथ कंपनी के कुल कारोबार के 10% अथवा ₹100 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक लेन-देन करने के लिए साधारण संकल्प के जरिए शेयरधारकों का अनुमोदन लेना चाहती है.

कंपनी, नीचे उल्लिखित सहबद्ध कंपनियों के साथ कारोबार के साधारण क्रम में नजदीकी तेल भंडारों के साथ लेन-देन कर रही है:

1. शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL)
   शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ़्यूएल्स एण्ड सर्वीसेस लि., एमआरपीएल और शेल्ल गैस BV नेदरलैंड के बीच 50:50 भागीदारी में एक संयुक्त उद्यम है. इस कंपनी का विमानन टर्बाईन ईंधन (ATF) की खरीदारी के सिलसिले में एमआरपीएल के साथ दीर्घावधि क्रय ठेका है और एमआरपीएल, SMAFSL को इसकी आपूर्ति करता है. उक्त लेन-देनों के लिए कीमतें, सम्मत नियमों और शर्तों पर तय की जाती हैं. शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ़्यूएल्स एण्ड सर्वीसेस लि के अंतर्नियमों के अनुसार, एमआरपीएल ने कंपनी के बोर्ड पर दो निदेशक नामित किए हैं.

2. मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड (MSEZL)
   मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड के ONGC ने (26%), IL&FS ने (50%), KIADB ने (23%)शेयर खरीदे हैं जब कि शेष शेयर, ओएमपीएल और केनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने रखे हैं. एमआरपीएल ने नदी जल/TTP जल की आपूर्ति और समुद्री पाइपलाइन के लिए OMPL और MSEZ के साथ त्रिपक्षीय करार किया है. कंपनी ने पाइपलाइन कॉरिडॉर और बायपास सड़क का निर्माण करने के लिए OMPL और MSEZ के साथ त्रिपक्षीय करार किया है और इस सिलसिले में एमआरपीएल द्वारा MSEZ को

सेवा शुल्क अदा किया जा रहा है. ONGC ने MSEZL के बोर्ड पर एमआरपीएल के दो निदेशकों को नामित किया है और एमआरपीएल के अध्यक्ष, MSEZL के अध्यक्ष हैं. उक्त लेन-देनों के लिए कीमतें, सम्मत नियमों और शर्तों पर तय की जाती हैं.

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसके अधिकार) नियम, 2014 की धारा 188 और नियम 15 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए लेन-देन के विवरण निम्नानुसार हैं:

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध का स्वरूप	लेन-देन(नों) का स्वरूप	किसी वित्तीय वर्ष में ठेके की अनुमानित रकम	हितबद्ध निदेशक अथवा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसेस लिमिटेड	संयुक्त उद्यमवाली कंपनी	उत्पादों की बिक्री	₹100 करोड़ अथवा कंपनी के कुल कारोबार के 10% से अधिक, जो भी कम हो	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसेस लिमिटेड में कोई भी निदेशक अथवा एमआरपीएल का महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति हितबद्ध नहीं है.
मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड	सहबद्ध कंपनी	सेवाओं की आपूर्ति और उनका उपयोग	₹100 करोड़ अथवा कंपनी के कुल कारोबार के 10% से अधिक जो भी कम हो	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड में कोई भी निदेशक अथवा एमआरपीएल का महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति हितबद्ध नहीं है.

एमआरपीएल द्वारा नामित निदेशकों को SMAFSL से कोई पारिश्रमिक, कमीशन अथवा बैठक शुल्क नहीं मिल रहा है और इसलिए इनका सिर्फ़ आधिकारिक हित है. MSEZL के संबंध में एमआरपीएल के दो निदेशक, MSEZL के बोर्ड पर हैं जिनको ONGC द्वारा नामित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी में इनके कोई इक्विटी शेयर नहीं हैं और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुसार इनका कोई वैयक्तिक हित नहीं है.
किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों का, सिवाय कंपनी में उनके इक्विटी धारण की सीमा तक, या तो वित्तीय दृष्टि से या अन्यथा, इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई हित है.

28वीं वार्षिक महासभा में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के ब्यौरे

निदेशक का नाम / DIN	श्री डी.के. सर्राफ़ DIN: 00147870	श्री ए.के. साहू DIN: 07355933	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा DIN: 07464700
जन्म तिथि	03/09/1957	04/05/1963	31/07/1974
बोर्ड पर नियुक्ति तारीख	01/03/2014	01/02/2016	09/03/2016
अर्हता और विशेषज्ञता	श्री डी.के. सर्राफ़ ने, प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर पदवी हासिल की है. ये, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सह-सदस्य हैं. इनको तेल और गैस उद्योग तीन दशक से अधिक अनुभव है.	श्री अक्षय कुमार साहू, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अधि-सदस्य हैं. श्री साहू को, वित्त, परियोजना वित्त, ट्रेज़री, कार्पोरेट खातों, प्रबंधन और परियोजना कार्यान्वयन में 25 वर्ष का असीम अनुभव है. इन्होंने, उत्कल विश्वविद्यालय, ओड़िशा से विज्ञान में स्नातक और विश्लेषणात्मक एवं अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर पदवी हासिल की है.	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) - असम मेघालया केडर (2000 बैच) के हैं. इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर पदवी भी हासिल की है. IAS अधिकारी ही हैसियत से अपने 16 वर्षों के करियर में, इन्होंने असम सरकार और भारत सरकार में विभिन्न प्रशासनिक पद संभालें. इस समय, ये, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक (गैस कीमत निर्धारण) हैं.
अन्य सार्वजनिक कंपनियों में सँभाला गया निदेशक का पद (विदेशी निजी व कंपनी अधिनियम की धारा 8 को छोड़कर)	1. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड 2. ONGC विदेश लिमिटेड 3. ONGC पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड 4. ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 5. मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड 6. ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड 7. पेट्रोनेट LNG लिमिटेड	1. ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 2. मंगलूर एसईज़ेड् लिमिटेड	—

समितियों के अध्यक्ष/ सदस्य	1. पेट्रोनेट LNG लिमिटेड सदस्य - लेखा परीक्षा समिति सदस्य - नामांकन और पारिश्रमिक समिति	1. ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड सदस्य - लेखा परीक्षा समिति	—
निदेशकों का शेयरधारण	100	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निदेशकों के बीच परस्पर रिश्ता	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

" रिमोट ई-मतदान " करने संबंधी क्रियाविधि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और SEBI (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 का अनुसरण करते हुए कंपनी, सदस्यों को 28वीं वार्षिक महासभा (AGM) में विचार किए जाने वाले संकल्प पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान करने की सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करती है और कारोबार, ई-मतदान सेवाओं के जरिए किया जाए. सदस्यों द्वारा, AGM के स्थान से भिन्न (रिमोट ई-मतदान) स्थान से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का उपयोग करने की सुविधा, NSDL द्वारा प्रदान की जाएगी.

I. जिन सदस्यों ने AGM से पहले रिमोट ई-मतदान के जरिए अपना मतदान किया हो वे AGM में भी भाग ले सकते हैं लेकिन दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे.

II. रिमोट ई-मतदान, 31/08/2016 को (प्रातः 9.00 बजे) शुरु होकर 02/09/016 को (श्याम 5.00 बजे) खत्म होगा. इस अवधि के दौरान, 27/08/2016 की निर्दिष्ट तारीख को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, रिमोट ई-मतदान के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं. उसके बाद NSDL द्वारा रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम किया जाएगा. सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार अपना मतदान करने पर, सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.

III. रिमोट ई-मतदान की प्रक्रिया और उसका तरीका इस प्रकार है:

अ. अगर सदस्य को NSDL से ई-मेल मिले [जिन सदस्यों के ई-मेल ID का कंपनी/निक्षेपागार सहभागी(गियों) के पास पंजीकरण कराया गया हो]:

(i) ई-मेल और PDF फाइल खोलें अर्थात्; अपने ग्राहक ID अथवा फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए "remote e-voting.pdf" खोलें. रिमोट ई-मतदान करने के लिए उक्त PDF फाइल में आपका उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड/ PIN होगा. कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड, प्रारंभिक पासवर्ड होगा.

(ii) इंटरनेट ब्राउज़र में URL, https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करने के बाद उसे लाँच करें

(iii) Shareholder - Login पर क्लिक् करें.

(iv) जैसे कि ऊपर कदम (i)में बताया गया है, अपने उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. Login पर क्लिक करें.

(v) पासवर्ड बदलने का मेनू नजर आएगा. अपने पसंदीदा पासवर्ड के साथ, जिसमें कम से कम 8 अंक/अक्षर अथवा दोनों का मिश्रण होना चाहिए, पासवर्ड/PIN बदलें. नया पासवर्ड नोट करें. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप, अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर न करें और अपना पासवर्ड गुप्त रखने के लिए अति सावधानी बरतें.

(vi) remote e-voting opens का होम पेज खुलेगा. remote e-voting : Active Voting Cycles पर क्लिक करें:

(i) "Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited" का "101934" चुनें.

(ii) Cast Vote पन्ना खुलते ही अब आप रिमोट ई-मतदान करने के लिए तैयार हैं

(ix) उचित विकल्प चुनते हुए अपना मतदान करें और संकेत मिलने पर "Submit" और साथ ही "Confirm" पर क्लिक करें.

(x) पुष्टीकरण होने के बाद, संदेश, "Vote cast successfully" प्रदर्शित होगा.

(xi) आपने एक बार संकल्प पर अपना मतदान कर दिया तो आपको अपने मतदान में आशोधन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.

(xii) संस्थागत शेयरधारकों को (अर्थात्; व्यक्तियों, HUF, NRI आदि से भिन्न), मतदान करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति(PDF/ JPG प्रारूप), संवीक्षक को ई-मेल से associates. rathi@gmail.com के पते पर और उसकी एक प्रति, evoting@nsdl.co.in के पते पर भेजनी होगी.

आ. अगर सदस्य को 28वीं वार्षिक महासभा की मुद्रित प्रति मिले [जिन सदस्यों के ई-मेल ID का कंपनी/निक्षेपागार सहभागी(गियों) के पास पंजीकरण न कराया गया हो अथवा जिन्होंने मुद्रित प्रति की दरख्वास्त की हो]:

i. प्रारंभिक पासवर्ड, AGM की उपस्थिति पर्ची में दिया जाता है.

ii. अपना मतदान करने के लिए कृपया उक्त क्रम सं. (अ) (ii) से क्रम सं. (अ) (xii) में दिए गए सारे कदमों का पालन करें.

IV. अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान करने की सुविधा को लेकर कोई शिकायत हो तो सदस्य, सीधे सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबंधक से, NSDL, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापर्ट मार्ग, लोयर परेल, मुंबई 400 013 से ई-मेल:evoting@nsdl.co.in, टोल फ्री सं: 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं. सदस्य, कंपनी सचिव को भी उनके ई-मेल ID: investor@mrpl.co.in. पर लिख सकते हैं.

V. अगर आपने रिमोट ई-मतदान करने के लिए NSDL के पास पंजीकरण कराया हो तो आप अपना मौजूदा उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड/PIN इस्तेमाल कर सकते हैं.

VI. आप, फोलियो के उपयोगकर्ता प्रोफाइल में अपनी मोबाइल संख्या और ई-मेल id को अद्यतन बना सकते हैं जिसका भविष्य में संचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.

VII. सदस्यों के मताधिकार, 27/08/2016 की निर्दिष्ट तारीख को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे.

VII. अगर कोई व्यक्ति, जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हों और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना हो और निर्दिष्ट तारीख को अर्थात्; 27/08/2016 को उसके पास शेयर हों तो वह evoting@nsdl.co.in अथवा mrplirc@linkintime.co.in. के पते पर अपनी दरख्वास्त भेज कर लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है. लेकिन किसी व्यक्ति को नोटिस मिली हो और उसने निर्दिष्ट तारीख अर्थात्; 27/08/2016 को शेयर बेच दिए हों तो वह ऐसी नोटिस सूचनार्थ समझे.

लेकिन अगर आपने रिमोट ई-मतदान करने के लिए NSDL के पास पंजीकरण कराया हो तो आप अपना मौजूदा उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हों तो आप अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं अथवा NSDL से 1800-222-990 पर नि:शुल्क कॉल कर सकते हैं.

IX. रीमोट ई-मतदान के जरिए अपना मतदान करने का हक चलाने के बाद भी सदस्य, AGM में भाग ले सकता है लेकिन उसे वार्षिक महासभा में दोबारा मतदान करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी

IX. जिस व्यक्ति का नाम, निर्दिष्ट तारीख को निक्षेपागारों में रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में अथवा हितकारी मालिकों के रजिस्टर में रेकॉर्ड किया गया हो सिर्फ़ वही, रिमोट ई-मतदान और मतपत्रों के जरिए AGM में मतदान की सुविधा का इस्तेमाल करने का हकदार होगा.

X. कंपनी के सदस्यों को मतदान और रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मेसर्स रथी एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, मुंबई को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

XI. कंपनी अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित करते ही संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी की वेबसाइट अर्थात्; www.mrpl.co. in and NSDL की वेबसाइट पर प्रकट किए जाएंगे और शेयरबाजारों को सूचित किए जाएंगे.

एमआरपीएल की 28वीं AGM के स्थान का मार्ग मानचित्र

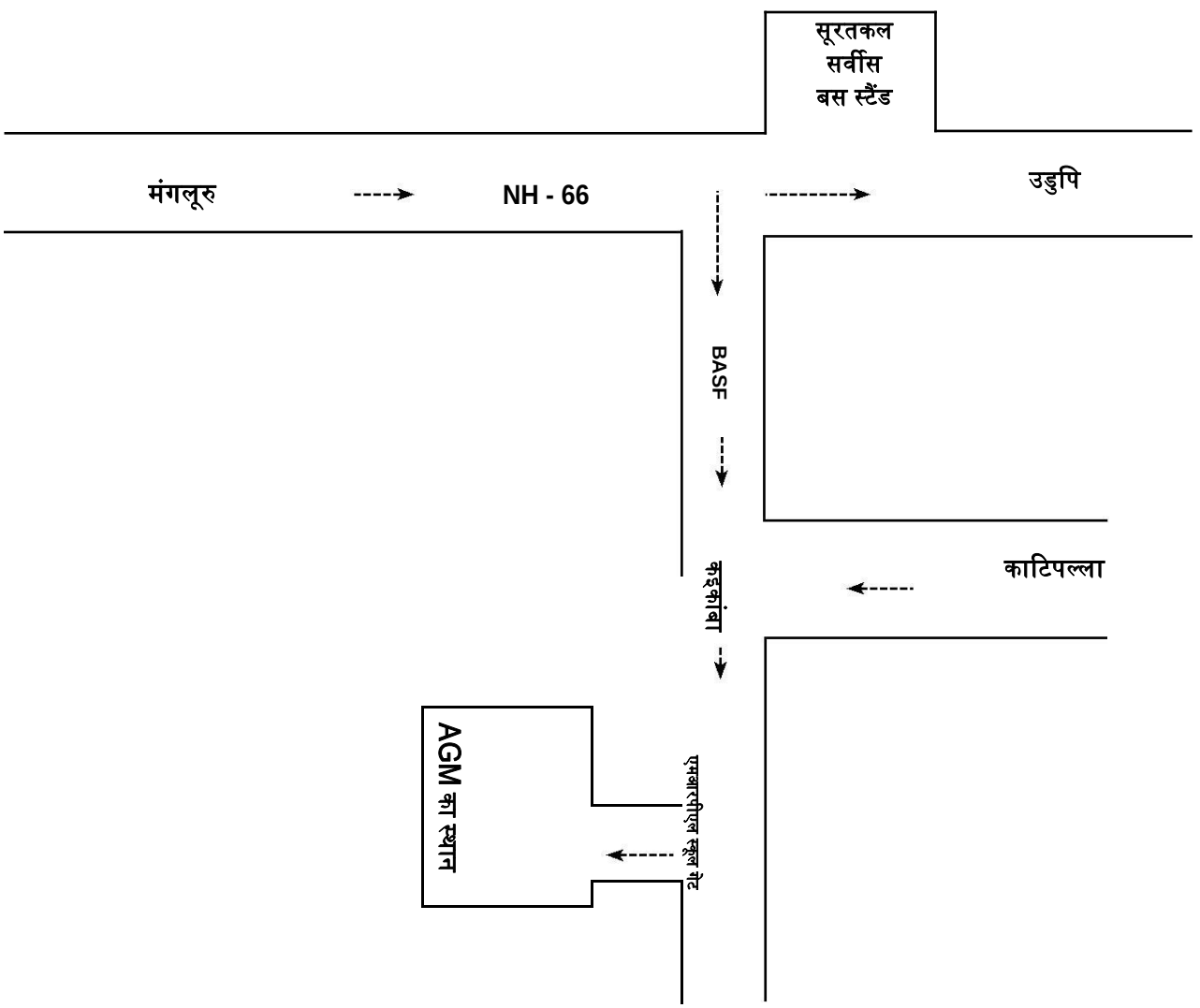

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030, कर्नाटक

टेलीफोन. सं : 0824-2270400; **फैक्स सं. :** 0824-2273300; **वेबसाइट :** www.mrpl.co.in; **ई-मेल Id :** investor@mrpl.co.in

CIN : L85110KA1988GOI008959

उपस्थिति पर्ची

शनिवार, 3 सितंबर, 2016 को 28वीं वार्षिक महासभा

पंजीकृत फोलियो सं. / DP ID – ग्राहक ID :	
शेयरधारक का नाम और पता **संयुक्त शेयरधारक**	
कुल शेयर	

मैं/हम, एतद्वारा, शनिवार, 3 सितंबर, 2016 को अपराह्न 4.00 बजे मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030, कर्नाटक में संपन्न कंपनी की 28वीं वार्षिक महासभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करता/करती हूँ.

_____ _____

सदस्य / प्रॉक्सी का नाम, मोटे अक्षरों में सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: कृपया यह उपस्थिति पर्ची भरकर उसे सभागृह के प्रवेश द्वार पर सौंपें.

✂ ----------

इलेक्ट्रॉनिक मतदान संबंधी विवरण

EVEN **(इलेक्ट्रॉनिक मतदान स्थान संख्या)**	यूज़र **ID**	पासवर्ड

नोट: कृपया 28वीं वार्षिक महासभा की नोटिस के साथ मुद्रित अनुदेश पढ़ें. मतदान, 31 अगस्त, 2016 को प्रात: 09.00 बजे शुरु होकर शुक्रवार, 2 सितंबर, 2016 को श्याम 5.00 बजे ख़त्म होगा. उसके बाद मतदान करने के लिए मतदान मॉड्यूल, NSDL द्वारा अक्षम किया जाएगा.

✂ ----------

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030, कर्नाटक .

टेलीफोन. सं : 0824-2270400; फैक्स सं. : 0824-2273300; वेबसाइट : www.mrpl.co.in; ई-मेल Id : investor@mrpl.co.in

CIN : L85110KA1988GOI008959

प्रॉक्सी फ़ॉर्म - MGT 11

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) का अनुसरण करते हुए)

शनिवार, 3 सितंबर, 2016 को 28वीं वार्षिक महासभा

सदस्य(स्यों)का/के नाम पंजीकृत पता		ई-मेल Id: फोलियो सं/ग्राहक Id:DP ID:	

मैं/हम, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के _____ शेयरों के सदस्य होने के नाते इनको

1. नाम: _____
   पता: _____
   हस्ताक्षर: _____, अथवा ये उपलब्ध न हो तो _____
2. नाम: _____
   पता: _____
   हस्ताक्षर: _____, अथवा ये उपलब्ध न हो तो _____
3. नाम: _____
   पता: _____
   हस्ताक्षर: _____

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 3 सितंबर, 2016 को अपराह्न 4.00 बजे होने वाली कंपनी की 28वीं वार्षिक महासभा में और पिछले पृष्ठ में उन संकल्पों में अगर कोई स्थगन किया गया हो तो उस तारीख को मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी तरफ से मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होकर मतदान करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ.

	साधारण कारोबार के लिए संकल्प	पक्ष में	विरोध में	प्रवरित रहना
1	31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्वतंत्र वित्तीय विवरण, उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार कर उनको अपनाना.			
2	श्री डी.के. सर्राफ़ (DIN:00147870) के स्थान पर, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, निदेशक नियुक्त करना.			
3	कंपनी के निदेशक मंडल को, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक निदेशकों का पारिश्रमिक तय करने का प्राधिकार देना.			
विशिष्ट कारोबार, साधारण संकल्प				
4	श्री ए.के. साहू (DIN:07355933)को निदेशक के रूप में नियुक्त करना.			
5	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा (DIN:07464700)को, निदेशक के रूप में नियुक्त करना.			
6	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना.			
7	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना.			
विशिष्ट कारोबार, साधारण संकल्प				
8	अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCD)/बांडों के निर्गम के जरिए ₹ 3000 करोड़ की धनराशि जुटाना.			
9	SEBI के निदेशों का अनुसरण करते हुए कंपनी का सार्वजनिक शेयरधारण 25% तक बढ़ाना.			

रु. 1 का
राजस्व
स्टांप लगाएं

आज के दिन _____ _____2016 को हस्ताक्षर किए गए.

_____
सदस्य के हस्ताक्षर

टिप्पणी:

1. प्रभावशाली होने के लिए यह प्रॉक्सी फ़ार्म, विधिवत् रूप से भरकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, महासभा शुरु होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा कराना होगा.
2. संबंधित संकल्पों के प्रति उचित स्तंभ में बक्से में कृपया 'X' निशान लगाएं. अपनी वरीयता सूचित करना वैकल्पिक है. अगर आप किसी संकल्प अथवा सभी संकल्पों के सामने उसके पक्ष में, विरोध में अथवा प्रवरित रहकर, स्तंभ खाली छोड़ें तो आपके प्रॉक्सी को उसी तरह से मतदान करने का हक होगा जैसे वे ठीक समझें.
3. प्रॉक्सी नियुक्त करने से किसी सदस्य पर, अगर वह चाहे तो, खुद आकर महासभा में भाग लेने से रोक नहीं लगाई जाएगी.

पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में पहलक़दमी - मुंबई में फ्लेक्स प्रदर्शनी में कार्य दक्षता प्रदर्शित करते हुए

खुदरा विपणन पर विशेष ध्यान - मंगलूरु में खुदरा केंद्र

मेक इन इंडिया

बुक पोस्ट

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

अगर सुपुर्द न किया गया तो कृपया इस पते पर लौटाएं:

मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि.
सी-3, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड,
एल.बी.एस. मार्ग, भंडूप (पश्चिम), मुंबई-400 078
टेलीफोन: 022-25963838 / 25946970 फैक्स सं. 022-25946969
ई-मेल: mrplirc@linkintim.co.in
वेबसाइट: www.linkintime.co.in